(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 11] आठवीं विधान सभा के ग्यारहवें सत्र का इक्कीसवां दिवस [संख्या : 14

बुधवार

दिनांक 19 जुलाई, 1989

[विधान सभा की बैठक पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।]

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव, श्री कालीचरण सराफ, प्रश्न संख्या 407.

सती निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण

407. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (किशनपोल), **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार) एवं **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) "सती निरोधक अधिनियम" के अन्तर्गत अब तक राज्य में कहां-कहां प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं ? कृपया प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखें ।

(2) किन-किन प्रकरणों का और उनमें अभियुक्तों का किस-किस न्यायालय में कब-कब चालान हुआ और कौन-कौन से प्रकरणों का अनुसंधान बाकी है ?

गृह मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (1) सती निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत राज्य में अब तक जहां-जहां प्रकरण पंजीबद्ध हुए उनकी सूची परिशिष्ट "अ" एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां सदन की की मेज पर रख दी गयी हैं ।

(2) वांछित सूचना परिशिष्ट 'अ' में अंकित है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें ।)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

प्रश्न संख्या 408

श्री अध्यक्ष : श्री राजेश, प्रश्न संख्या 408.

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा, प्रश्न संख्या 409.

कोटड़ा पानेरवा उदयपुर सड़क

409. **श्री देवेन्द्र कुमार मीणा** (गोगुन्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटड़ा-पानेरवा सड़क पर पिछले 4 वर्ष से रिलीफ, एन.आर.ई.पी., आर.एल.ई.जी.पी., प्लान तथा फ्लड डैमेज में विभिन्न मदवार कितना खर्च किया गया तथा कितनी वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति थी ?

(2)

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

(2) फ्लड डैमेज में गत 6 माह में विभागीय कार्य पर कितने मजदूर लगाये व पेमेंट किया गया ? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें। मजदूरी की एल. ई.आर. किसने और कितने की स्वीकृत की ? साप्ताहिक लेबर रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि तत्कालीन सहायक अभियन्ता गोगुन्दा श्री मुनेर व कनिष्ठ अभियन्ता श्री जिन्दल ने बिना स्वीकृति के हर माह 1·5 लाख रुपये का कैश पेमेंट किया तथा इसकी कोई चैकिंग आदि नहीं की गई ?

(4) क्या यह सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में भी श्री मुनेर के विरुद्ध जांच चल रही है तथा घर पर छापा भी डाला गया है लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

उप मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री खेमराज कटारा) : (1) वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" के अन्दर अंकित किया जा रहा है।

(2) वांछित उत्तर विवरणिका "क" में संलग्न है।

(3) जी नहीं। जहां तक माहवारी चुकारे का प्रश्न है उसका विवरण संलग्न विवरणिका "ब" में अंकित किया गया है। सभी भुगतान नियमानुसार विभागीय नियमों का पालन करते हुए किया गया है।

(4) जी हां। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में श्री मुनेर के विरुद्ध जांच चर रही है एवं उस विभाग द्वारा समय-समय पर चाही गई समस्त सूचनाएं इस विभाग द्वारा उन्हें पूर्ण रूप से समय पर प्रेषित की जा चुकी हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें।)

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : अध्यक्ष महोदय, मुझे इसकी कापी नहीं मिली है।

श्री अध्यक्ष : कापी दे दें। और कोई प्रश्न कर लें।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : अध्यक्ष महोदय, इस अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने कौनसी तारीख को छापा डाला, कितना धन प्राप्त हुआ और क्या कार्यवाही की गई, कृपया यह बतावें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री बुलाकीदास कल्ला) : अध्यक्ष महोदय, 21.11.1988 को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने छापा डाला था और 87,000/- रुपये की सम्पत्ति पाई गई।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने खण्ड 2 में यह पूछा है कि क्या मजदूरी के भुगतान में अनियमितता हुई है और हुई तो कितनी और क्या मस्टर रोल फर्जी भरे गये थे। इसके बारे में मंत्री महोदय बतावें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जो लेबर एंगेजमेंट रिपोर्ट मंजूर की गई थी दिसम्बर 1988, जनवरी, फरवरी,

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

मार्च, अप्रेल, मई, 1989 में, उसकी एक प्रति माननीय सदस्य को दी गई थी। मूल प्रश्न में यह पूछा गया है कि मस्टर रोल डेढ़ लाख के भरे गये हैं। ऐसा नहीं है। फरवरी में रुपये 78,888/-, मार्च में रुपये 70,701/-, अप्रेल में रुपये 18955/- और मई में रुपये 1,30,000/- का झाडोल उपखन्ड के द्वारा किया गया था, इस उपखण्ड से नहीं किया गया।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से मंत्री महोदय से एक प्रश्न करना चाहता हूं। कोटड़ा-पानेरवा सड़क आपने एन.आर.ई.पी., आर.एल.ई.जी.पी. एवं प्लान और फ्लड में सैंक्शन की, उसके बावजूद भी यह सड़क अधूरी है। यदि अधूरी है तो किस योजना के अन्तर्गत आप इसको पूरा करवा देंगे ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, कोटड़ा-पानेरवा सड़क 26 किलोमीटर है। इसमें सात किलोमीटर डी.सी., साढ़े पांच कि.मी. मैटल, साढ़े नौ कि.मी. ग्रेवल और चार कि.मी. फेयर वेदर रोड है; 15 से 16 और 22 से 25 किलोमीटर। इसको प्राथमिकता के आधार पर पूरी करवायेंगे।

श्री सी. पी. जोशी : किस योजना के अन्तर्गत कम्प्लीट करवायेंगे ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : इस सम्बन्ध में विचार कर जिस योजना में फिट हो सकती है, उसमें पूरा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 410. श्री शिवचरण सिंह।

करौली वन क्षेत्र की सड़कें

410. **श्री शिवचरण सिंह** (करौली) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) करौली वन क्षेत्र में कहां-कहां सड़कें बन रही हैं ?

(2) क्या कुछ सड़कों के निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत दी है ? यदि हां, तो किस-किस की तथा इनका निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ किया जाकर कब तक सम्पन्न हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) इन सड़कों के निर्माण के सन्दर्भ में कितने पेड़ काटे गये हैं ? क्या यह नियम-सम्मत कार्यवाही है ? क्या इसका मुआवजा दिया गया है ? यदि नहीं दिया गया तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि वन क्षेत्र में बनने वाली किसी भी सड़क की स्वीकृति नहीं है ?

(5) क्या सरकार इस गलत निर्माण कार्य को रुकवायेगी व प्रवृत्त नियमों-अधिनियमों के अनुसार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री गोविन्द सिंह गुर्जर) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के उत्तर से मैं पूरी तरह सन्तुष्ट नहीं हूँ। अतः निवेदन है कि अगली टर्न में इसको रख दिया जाये। अगले टर्न में जवाब दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 410 स्थगित किया गया नैक्स्ट। प्रश्न संख्या 411. श्री विजय सिंह।

भरतपुर होम्योपैथिक कालेज

411. **श्री विजय सिंह** (रूपवास) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भरतपुर में होम्योपैथिक कालेज चल रहा है ? यदि हां, तो कब से तथा वर्तमान में कितने विद्यार्थी इसमें अध्ययन कर रहे हैं ?

(2) क्या उक्त कालेज मान्यता प्राप्त है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इसके लिए अब तक क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण जो विद्यार्थी यहां अध्ययन समाप्त कर निकलते हैं उनके लिए नौकरी के कोई अवसर नहीं मिल सकते ?

(4) ऐसी स्थिति में सरकार इस संस्था को कब तक मान्यता प्राप्त कराने का विचार रखती है ? मान्यता न देने की स्थिति में विद्यार्थियों को समय, श्रम व आर्थिक शोषण से बचाने के लिए क्या कार्यवाही करना चाहती है और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्री मांगीलाल आर्य) : (1) जी हां। भारतीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, भरतपुर में वर्ष 1972 से चल रहा है तथा चालू शैक्षणिक सत्र में उक्त कॉलेज में 193 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

(2) जी हां। इस कॉलेज को राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा मण्डल, जयपुर द्वारा अस्थायी मान्यता प्रदान की गई है।

(3) जी नहीं।

(4) राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा मण्डल, जयपुर ने इस कालेज को मान्यता दे रखी है, अतः विद्यार्थियों के समय, श्रम का शोषण करने का कोई मामला ही नहीं बनता।

श्री विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला निवेदन यह है कि इसके उत्तर की कापी मुझे नहीं मिली है। दूसरा निवेदन यह है, जैसा मंत्री महोदय ने बताया कि यह संस्था। 1972 से चल रही है। अब तक इसको मान्यता क्यों नहीं दी गई ? यह राज्य सरकार के संरक्षण में चल रही है। लड़कों का भविष्य अन्धकारमय है। इसके लिए राज्य सरकार क्या सोच रही है ? आज रोजगार की बड़ी विडम्बना है। जैसे-तैसे छात्र प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं उसके बाद सरकार उनके लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं कर रही। सरकार उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करे। दूसरा, मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि इस संस्था को मान्यता नहीं मिली उसके लिए क्या कार्यवाही की गई ? नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई ? क्या कारण है ? कृपया इसका स्पष्टीकरण देने का कष्ट करें।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या यह सही है कि होम्योपैथिक चिकित्सा के लिए यूनिवर्सिटी ने कुछ नार्म्स तय कर रखे हैं और उसमें यह संस्था नहीं आती है ? राज्य में तीन होम्योपैथिक कालेज हैं जिनमें से दो को मान्यता यूनिवर्सिटी ने दे

(श्री दाऊदयाल जोशी)

रखी है। क्या राज्य सरकार होम्योपैथिक चिकित्सा मण्डल की मान्यता को मानती है? होम्योपैथिक चिकित्सा मण्डल कोई मण्डल नहीं है केवल बण्डल है। मेरा निवेदन करना है कि 193 विद्यार्थियों के साथ यह मखौल है। जब हमने राज्य में डिग्री कालेज मांग लिया, डिग्री कोर्स जब चालू कर दिया है जयपुर में खूंटेटा के होम्योपैथिक कालेज के आधार पर तो फिर यह दोनों कालेज क्यों कर चल रहे हैं? दो में से एक कालेज में पांच हजार से पन्द्रह हजार रुपये तक डोनेशन लिया जाता है। क्या यह होम्योपैथी के विद्यार्थियों के साथ मजाक है, लूट है? माननीय मंत्री महोदय, विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता न देने के बावजूद भी इस कालेज को क्यों चलवा रहे हैं? कृपा करके स्पष्टीकरण करें।

श्री अध्यक्ष : श्री नवरंग सिंह।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूँ, 1972 से यह संस्था चल रही है, जैसा आपने उत्तर में बताया है अस्थायी उसको मान्यता है, मैं चाहूँगा कि 1972 से जो लम्बे अरसे से संस्था चल रही है उसको अस्थायी मान्यता के बजाय स्थायी मान्यता देनी चाहिए। शर्तों का मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि स्थायी मान्यता तब ही दी जाती है जब शर्तों में अधिकांश प्रतिशत सच्चाई होती है। दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ, होम्योपैथिक प्रणाली को क्या हम राजस्थान में पापूलर नहीं करना चाहते हैं? क्या इसकी इन्स्टीट्यूशन को बढ़ाना नहीं चाहते हैं? जब तक इन्स्टीट्यूशन बढ़ेगी नहीं, अभी जो सीमित है, तब तक होम्योपैथिक प्रणाली का, जिसके लिए हम आगे विकास चाहते हैं, विकास नहीं हो सकेगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि जब 1972 से अस्थायी मान्यता है तो आप घोषणा करिये, उसको स्थायी मान्यता होगी।

श्री अध्यक्ष : उजलाजी।......(व्यवधान)...आप करते क्या हैं? और प्रश्नकर्ता हैं और आप बीच-बीच में टोक रहे हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर, ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, इस संस्था ने राज्य सरकार से अप्रोच कर रखी है कि हमको भी राजस्थान विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त करने के लिए आप रिकमण्ड करें। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगी इस विषय में सरकार ने अब तक क्या किया और आपकी क्या मंशा है? नहीं तो मंशा क्यों नहीं है?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न रिपीट मत करें। श्री हीरा सिंह चौहान।

श्री हीरा सिंह चौहान (रायपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न भरतपुर के होम्योपैथिक कालेज के बारे में है। इस कालेज में, जितनी इर्रेगूलेरिटीज चल रही हैं मैं उनके बारे में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इसी कालेज बिल्डिंग में सुबह सात से बारह बजे तक तो मिडल स्कूल चलता है, उसके बाद 11.45 से साढ़े तीन बजे तक यह कालेज चलता है। दो तरह के किराये हैं। यह जो संस्था चला रहे हैं

(6)

(श्री हीरा सिंह चौहान)

दोनों प्रकार के किराये इसी बिल्डिंग के वसूल किये जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी प्रबन्धकारिणी के जितने भी सदस्य हैं, सभी महेशचन्द्र भारतीय के परिवार के सदस्य हैं। उसकी पत्नी उपाध्यक्ष है। उसका जीजा और दोनों पुत्र-पुत्रियां सभी इस कालेज की प्रबन्धकारिणी के सदस्य हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा, इस प्रकार की जहां पर संस्था चलती है उस संस्था के अन्दर पढ़ने वाले विद्यार्थियों का क्या हाल होता होगा ? क्या माननीय मंत्री महोदय और सरकार इस संस्था की प्रबन्धकारिणी और अन्य व्यवस्था को सुधारना चाहेंगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री नाथू सिंह।

श्री नाथू सिंह (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि इस तरह की प्राइवेट संस्थाएं राजस्थान में कई हैं जो यूनिवर्सिटी के बनाये हुए नार्म्स को तोड़कर चलती हैं ? ये लोग, चूंकि अच्छी तरह से इनकी शिक्षा-दीक्षा इन कालेजेज में नहीं होती है, जिस कारण डाक्टर बनने के बाद जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। मैं मान्यता की बात नहीं कर रहा पर जो इर्रेगूलर यह संस्थाएं चला रखी हैं जिन्होंने इतने घपले कर रखे हैं उनमें शिक्षा का कोई स्तर नहीं है। यह संस्था जिसके बारे में आप कह रहे हैं, यह तो चलती ही नहीं है वहां पर, नाम कर रखा है कागजों के अन्दर। क्या आप इनकी जांच करायेंगे और इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे क्योंकि यह समाज के प्रति आफेन्स है। क्या कार्यवाही करेंगे आप ?

श्री अध्यक्ष : माननीय भैरोंसिंहजी।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं भी इसके बारे में जानते होंगे।

श्री नाथू सिंह : आप बताइये, चलती हैं क्या यह संस्था ?

श्री यदुनाथ सिंह : चेयर पर बैठकर क्या क्वेश्चन नहीं कर सकते ?

श्री अध्यक्ष : मुझे तथ्यों का ध्यान नहीं है। माननीय भैरोंसिंहजी।

श्री यदुनाथ सिंह : आप ऊपर बैठकर क्वेश्चन नहीं कर सकते ?

श्री नाथू सिंह : आपकी कांस्टीट्यूएंसी में है, यह फर्जी है सारा मामला। क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं अध्यक्ष महोदय की तरफ से ही प्रश्न कर रहा हूं।

श्री सी. पी. जोशी : हां, यह ठीक है। आपकी स्वीकृति है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं। मुझे पूरी जानकारी नहीं है, न मैंने जानकारी की कोशिश की।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आप वहां के जन-प्रतिनिधि हैं और आपको जानकारी नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, मैं सही कहता हूं। मैं असत्य नहीं बोलता। मेरी जानकारी में नहीं है, न मैंने जानकारी की है।......
(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : सब मालूम है, अध्यक्ष महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत, (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय को जानकारी भी है तो वे यहां कह नहीं सकते और अपने को विवश भी नहीं करना चाहिए असलियत बताने के लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी करना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से, क्या राज्य सरकार को स्थायी या अस्थायी रूप से मान्यता देने का अधिकार है ? यदि यह अधिकार है तो किस कानून, किस रिजोल्यूशन और किस प्रकार की व्यवस्था से है, नम्बर एक ?

नम्बर दो, क्या यह सही है कि अलवर और भरतपुर वाले इन दोनों होम्योपैथिक कालेजेज में प्रति छात्र 20 हजार रुपये केपीटेशन फीस ली जाती है ?

तीसरा क्वेश्चन यह पूछना चाहूँगा, क्या यह सही है कि होम्योपैथिक सेन्ट्रल कौंसिल ने जयपुर कालेज को मान्यता दी, यूनिवर्सिटी से उसका एफीलियेशन हो गया ? एक ही कोर्स है, एक मान्यता प्राप्त संस्था के अन्दर वह कोर्स पढ़ाया जा रहा है दूसरा जिनको मान्यता नहीं मिली उनमें इस प्रकार का कोर्स दिया जा रहा है तो क्या सरकार यह नहीं समझती कि जिसके अन्दर सेन्ट्रल कौंसिल से मान्यता नहीं मिली है उसके यदि छात्र निकल भी गये तो ऐसे छात्रों के सामने भविष्य में यह क्वेश्चन खड़ा होगा कि वह अनरिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से प्रशिक्षण प्राप्त हैं उनको कहीं भी उस योग्यता के आधार पर सर्विसेज नहीं मिलेगी ? यह तीन मेरे प्रश्न हैं। इसी के आधार पर मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप यह बतायें, क्या यह भी सही है कि जयपुर विश्वविद्यालय से इन दोनों कालेजेज, भरतपुर और अलवर वाले ने एफीलियेशन के लिए दरख्वास्त दी थी और विश्वविद्यालय ने यह लिखा कि जब तक सेन्ट्रल कौंसिल इसको मान्यता नहीं देगी हम उसके एफीलियेशन की बात नहीं कह सकते हैं ? क्या यह बात भी सही है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री मांगीलाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, जहां तक भरतपुर कालेज को मान्यता देने का प्रश्न है विश्वविद्यालय से, ये जो नार्म्स बने हुए हैं यूनिवर्सिटी के उसके तहत अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से वहां पर कोई परीक्षण नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, इसलिए यह विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, काहे को जबाव दिला रहे हो ? मैंने कभी कहा ही नहीं कि यूनिवर्सिटी से परीक्षाएं करवायी जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष : वह जवाब पूरा दे दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने कहा ही नहीं तो काहे को जवाब दिलवा रहे हो। किसी मैम्बर ने नहीं पूछा यह।

श्री मांगीलाल आर्य : वही मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा जो राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा मण्डल को मान्यता देने का अधिकार है वह भारत सरकार की केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद्, नई दिल्ली को है। जो अस्थायी मान्यता दी हुई है

(श्री मांगीलाल आर्य)

उसी मान्यता के आधार पर यह चल रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बताओ न कहां अधिकार है? आप बताओ अधिकार कहां है? हमारे पास भी है सब, हमने इसको पढ़ लिया, कहीं अधिकार की बात नहीं है।

श्री मांगीलाल आर्य : होम्योपैथिक मेडिसिन एक्ट के अन्तर्गत होम्योपैथिक बोर्ड को मान्यता देने का अधिकार है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बताओ न कहां है?

श्री दाऊदयाल जोशी : इसके कोई चुनाव नहीं हुए। कोई संस्था नाम की चीज नहीं है। बोगस संस्था है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जवाब मिल गया क्या इनका? मेरा पाइन्टेड क्वेश्चन है, क्या यह सही है कि इन दोनों कालेजेज, अलवर और भरतपुर वाले ने यूनिवर्सिटी को एफीलियेशन के लिए लिखा? यूनिवर्सिटी ने यह कहकर मना कर दिया कि सेन्ट्रल कौंसिल से जब तक मान्यता नहीं मिलेगी तब तक एफीलियेशन नहीं हो सकता?

श्री मांगीलाल आर्य : नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यूनिवर्सिटी ने नहीं लिखा है क्या?

श्री मांगीलाल आर्य : नहीं, ऐसा नहीं है। अभी यूनिवर्सिटी ने वहां पर परीक्षण ही नहीं किया है जो-जो भी नार्म्स थे उनके मुताबिक।

श्री विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न मेरा है, आप मेरे सवाल का जवाब आने दो।

श्री दाऊदयाल जोशी : प्रतिवर्ष यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन दी जाती है इनके द्वारा और यूनिवर्सिटी उसको रिजेक्ट कर देती है। उन्होंने अपने नार्म्स बना रखे हैं। उनका क्राइटेरिया तय कर रखा है इतना बाई इतना चौड़ा कमरा होगा, इतनी लैबोरेटरी होगी, यह कुछ भी तो नहीं है वहां पर।

श्री विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस संस्था के विद्यार्थी मुझ से मिले थे और बड़ी विडम्बना है, 17 साल से वह संस्था अस्थायी चल रही है। इस संस्था में जो भी विद्यार्थी अध्ययनरत हैं उनको कोई रोजगार का अवसर नहीं दिया जाता है। 15-15, 20-20 हजार उनसे डोनेशन लिया जाता है। क्या सरकार इसके खिलाफ कार्यवाही करेगी, माननीय मंत्रीजी यह बता दें। इतने दिनों से नहीं चल रही है उसका स्पष्टीकरण दें और उनके खिलाफ कार्यवाही करवावें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह डोनेशन की, 20 हजार की जो बात कही गई उसका जवाब दीजिए।

श्री मांगीलाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, ऐसी तो हमारे पास कोई शिकायत नहीं है....(व्यवधान)....यदि ऐसी शिकायत हुई है तो उसकी जांच करवा दी जायेगी।... (व्यवधान)

श्री विजेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय यह तो मानें कि यह अस्थायी चल रही और इसको कोई मान्यता नहीं है।.. (व्यवधान)

श्री रमजान खां : इस कालेज को तुरन्त बन्द किया जाना चाहिए।

श्री यदुनाथ सिंह : कोई चलाता ही नहीं है यह स्कूल 15 अप्रेल से। फर्जीवाड़ा हो रहा है। वहां कत्ल और अत्याचार होते हैं...

श्री अध्यक्ष : कोई शिकायत हो तो मंत्री महोदय को बता दीजिए।

श्री यदुनाथ सिंह : शिकायत मैंने की है...(व्यवधान)

श्री विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, लड़के मुझे से मिले थे, उन्होंने शिकायत की है इसके लिए....

श्री अध्यक्ष : कोई शिकायत हो तो मंत्रीजी को दें, वह जांच करा लेंगे।........ (व्यवधान)

श्री भूदरमल वर्मा (दौसा) : सन् 1972 से यह संस्था चल रही है, दुर्भाग्य की बात है कि उस पीरियड में जनता राज भी आया था...(व्यवधान)....यदि वास्तव में इस संस्था में घपले हैं और यह अस्थायी है और इसके ट्रेनिंग शुदा लड़कों को रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है तो मैं मांग करूंगा कि ऐसी संस्था को तुरन्त बन्द कर दिया जाय।

श्री दाऊदयाल जोशी : खत्म करो, खत्म करो।

श्री विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय मंत्री जी, यह बीस हजार की शिकायत को लेकर आपने प्रिन्सीपल को बुलाया था और प्रिन्सीपल ने आपको मुंह-दर-मुंह कहा कि मैं बीस हजार रुपये हर हालत में लूंगा, लेता रहूँगा और आपसे कोई जवाब नहीं बना।.....(व्यवधान)

श्री मांगीलाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, अगर इस तरह की शिकायत है तो मैं उसकी जांच करवाऊंगा और जांच में जो दोषी पाये गये उनके खिलाफ एक्शन लिया जायेगा।

श्री विजय सिंह : मैं जो कह रहा हूँ, 17 साल से फर्जी संस्था चल रही है, उसके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : वह जवाब आ गया।

श्री विजय सिंह : क्या कहा उन्होंने ? जांच कराने के लिए ही कहा। एक्शन लेने के लिए कहा क्या ? आप कार्यवाही क्या करोगे जो इतने दिनों से फर्जी संस्था चला रहे हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : जांच कौन करेगा इसकी ?...(व्यवधान)

(10)

श्री रमजान खां : अध्यक्ष महोदय, कम से कम 11 प्रिन्सीपल इसके बदल गये हैं।

श्री विजेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि किस को जांच अधिकारी नियुक्त करेंगे? ...(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : क्या मंत्रीजी स्वयं जांच करायेंगे या किसी अधिकारी को नियुक्त करेंगे ?...(व्यवधान)

श्री नवरंग सिंह : सन् 1972 से यह अस्थायी चल रही है तो या तो इसको बंद करा जाये या स्थायी मान्यता दी जाये।... (व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह (करौली) : अध्यक्ष महोदय, आपके क्षेत्र में फर्जी संस्था चल रही है, आपको आज्ञा देनी चाहिए। आपके स्वयं के भरतपुर क्षेत्र में लूट हो रही है। आप इस संस्था को बन्द करवायें। भरतपुर क्षेत्र में ऐसा हो और आप वहां के विधायक हो...... (व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : वहां + + + बन रहा है...... (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : वहां छात्रों और छात्राओं का शोषण होता है।

श्री यदुनाथ सिंह : वहा तीन लड़कियां सुसाइड कर चुकी हैं।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के सेंटीमेंट्स को देख कर आप जांच करने के लिए हाउस की कमेटी अपाइंट करिये।

श्री मांगीलाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं आज डायरेक्टर को इस तरह के आदेश दूंगा.......

श्री यदुनाथ सिंह : नो, नो।

श्री मांगीलाल आर्य : और अगर वास्तव में उनके खिलाफ अनियमितता पाई गई तो उनके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

श्री नाथूसिंह : डायरेक्टर तो मिला हुआ है।

श्री विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल और पूछा गया कि अब तक कितने छात्रों ने इस संस्था में अध्ययन किया है या ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। क्या सरकार उनको रोजगार देगी? नहीं देगी, सो क्यों नहीं देगी? जब इन छात्रों ने डोनेशन दिया, उनके जीवन के साथ तो खिलवाड़ हो गया....

श्री लालचन्द डूडी (भादरा) : अध्यक्ष महोदय, इस संस्था के बारे में भी और शिक्षा के क्षेत्र में दूसरे खिलवाड़ जो किये जा रहे हैं, कई और संस्थाओं के बारे में जिस तरह की बात आई है, माननीय मंत्री जी ने कहा कि डायरेक्टर से जांच करवाऊंगा। आपको बिल्कुल साफ सोच लेना चाहिए कि डायरेक्टर लोगों से मिलकर ही तो सारे कारनामे किये जा रहे हैं। इसलिए इस संस्था की जांच या तो आप ए.सी.डी. से करवाइये या हाउस की कमेटी से करवाइये तभी जाकर कोई नतीजा निकलेगा।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री लालचन्द डूडी)

जो विद्यार्थियों, बेरोजगार नौजवानों के साथ अन्याय किया जा रहा है उसको खत्म करना है। यह सारा मामला डायरेक्टर से करवायेंगे तो वह तो खुद इसमें हिस्सेदार हैं, किससे करवायेंगे ?

एक माननीय सदस्य : इसकी जांच अध्यक्ष महोदय से करा ली जाय।

श्री अध्यक्ष : नो, नो।

श्री मांगीलाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रश्नकर्ता का सवाल है नौकरी का, तो यह कालेज है, कोई नौकरी की गारन्टी नहीं देता कि वहां पर जो अध्ययन करेंगे उनको नौकरी देंगे....(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : आप नौकरी नहीं दे सकते तो उसकी मान्यता खत्म करें और उनके खिलाफ कार्यवाही करें।.......(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : प्रतिवर्ष साढ़े चार सौ विद्यार्थियों का भविष्य खराब करते हो और उनके साथ खिलवाड़ करते हो.......

श्री मांगीलाल आर्य : इसकी ए. सी. डी. से जांच करवा देंगे और अगर इसमें दोषी पाया गया तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री कालीचरण सराफ : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि वहां के छात्रों ने मंत्री जी को शिकायत की कि 30-30 हजार रुपये लिए जाते हैं और वह संस्था चलती नहीं। प्रिन्सीपल को इन्होंने बुलाया और प्रिन्सीपल ने कहा की मैं तो 30-30 हजार रुपये लूंगा। ये उसका कोई जवाब नहीं दे सके और आज कह रहे हैं कि कोई शिकायत ही नहीं आई। ये + + + बिल्कुल असत्य बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह + + + एक्सपंज करेंगे। माननीय मंत्री जी।

गृह मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : मंत्री जी कह चुके हैं कि जो भावना प्रकट की गई है उसके अनुसार जांच करवा लेंगे। मंत्री जी ने कह दिया है।

श्री मांगीलाल आर्य : ए. सी. डी. से जांच करवा देंगे और उसमें अगर कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया ...(व्यवधान)

बीकानेर जिले में असहाय व्यक्तियों को पेंशन

412. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिले के नगरपालिका क्षेत्र में अपाहिज व असहाय व्यक्तियों के कितने पेंशन आवेदन पत्र विभाग में कब से विचाराधीन है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

(2) क्या सरकार विचाराधीन प्रार्थना पत्रों के सन्दर्भ में शीघ्र स्वीकृति प्रदान कर आवेदकों को लाभान्वित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती कमला भील) : (1) बीकानेर जिले के नगरपालिका क्षेत्र बीकानेर, देशनोक एवं नोखा में वृद्धावस्था एवं अपाहिज पेंशन स्वीकृति हेतु कोई आवेदन पत्र बकाया नहीं है, परन्तु नोखा नगरपालिका क्षेत्र के स्वीकृति के पश्चात् के सात प्रकरणों में जिला कोषाधिकारी द्वारा किये गये एतराज की पूर्ति की जानी है जिनकी नामवार सूची निम्न प्रकार है :—

1. श्रीमती लिखमा देवी
2. ,, शिवप्यारी
3. ,, धापी
4. ,, लिछमी सुथार
5. ,, पारू
6. ,, संतोष देवी
7. ,, सूवा

विचाराधीन प्रार्थना पत्रों की अवधि सम्बन्धी सूचना जिलाधीश, बीकानेर से प्राप्त की जा रही है।

(2) बकाया सात आवेदन पत्र कोष कार्यालय द्वारा की गई आपत्ति की पूर्ति कर प्रकरणों का निस्तारण दि. 31-7-89 तक कर दिया जायेगा।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग–1 में पूछने का मतलब यही है कि नगरपालिका क्षेत्र में अपाहिज लोगों को जो सहायता, पेंशन देने का मामला है, बहुत से लोग मेरे से मिले, वे इससे सम्बन्धित लोग ही हैं, अगर मैं कहूँ तो मेरा माथा शर्म से झुकता है, इन लोगों से वे पैसे मांगते हैं कि अगर इन कागजों को मंजूर करवाना है तो कुछ दीजिये। अब लूले-लंगड़े लोग कहां से पैसे देंगे। अध्यक्ष महोदय वे, तो गरीब हैं। मेरे पूछने का मतलब यह है, आपने 7 नाम बताये हैं, ये 7 नाम नहीं हैं, अध्यक्ष महोदय, इस बारे में जांच करायें तो ऐसे नाम बहुत हैं। इन्होंने जान-बूझकर इस सवाल का जवाब दिया है कि हमारे पास 7 ही नाम बचे हैं। 7 नहीं हैं, मंत्री महोदय, आप गहराई में जाइये और जिस आदमी ने गलत जवाब दिया है आप उसकी खिचाई कीजिये, उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही कीजिये।

श्रीमती कमला भील : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है उसमें कलक्टर की जो सूचना आयी है उसमें उन्होंने 7 लोगों की बकाया बताया है। इसके अलावा कोई भी हैण्डीकैप अथवा...

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके पास बण्डल पड़ा है। माननीय मंत्री महोदय, उनके पास बण्डल पड़ा है दरख्वास्तों का।

श्रीमती कमला भील : यदि आपके

(श्रीमती कमला भील)

पास ऐसी कोई नालेज में हो तो मुझे बतायें।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : माननीय मंत्री महोदय, 21 आदमी आज की तारीख में हैं। आप चाहें तो मैं कोठी पर पेश कर दूं।

श्रीमती कमला भील : हां तो मुझे बताइये। मुझे सूचना नहीं मिली है अगर सूचना मिलेगी तो...

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : आपको सूचना गलत दी है।

श्रीमती कमला भील : गलत दी है तो हम पता करेंगे और आपको यह बता दूं कि प्रशासन शहरों की ओर, प्रशासन गांवों की ओर में हमारे विभाग के लोगों ने और एस.डी. ओ. वगैरह स्वयं ने जाकर इन असहाय लोगों को दिया है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : गलत कह रही हैं आप।

श्रीमती कमला भील : फिर कौन से बाकी रह गये, मुझे बताइये आप। उसकी जांच करवा ली जायेगी।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : वह मैं बता रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि नोखा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बताया, ऐसे बहुत से प्रकरण बकाया पड़े हैं जिनके बारे में अभी तक निर्णय नहीं हुआ है और जिनको लाभान्वित करना था वे लाभान्वित नहीं हुए हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानकारी करना चाहूँगा, आप यह बता दें कि प्रशासन शहरों की ओर में जो कैम्प लगे थे उसके दौरान आपको नगर परिषद और नगरपालिका क्षेत्र में कितने-कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और कितनों का निस्तारण आपने कर दिया ?

श्रीमती कमला भील : यह तो प्रश्न अलग है, मेरे पास इसकी सूचना नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री देवी सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इसमें तो सारे इन्क्लूड होंगे। चाहे प्रशासन शहरों की ओर कैम्प लगा हो उसके भी मामले होंगे और अगर सीधे आवेदन पत्र दिये हुए हों वे भी शामिल होंगे। यह कोई अलग से नहीं है कि प्रशासन शहरों का अलग से मामला हो। इसमें सारे आवेदन जिला प्रशासन को ही प्राप्त हुए, आपके विभाग द्वारा भेजे गये उनके बारे में जानकारी चाहते हैं। कैम्प के दौरान कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और कितनों का निस्तारण कर दिया गया और कितने बकाया है, यह बता दीजिये।

श्री शोपत सिंह (हनुमानगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि अपाहिज और असहाय लोगों के लिए कोई पेंशन का प्रावधान है क्या ? है ही नहीं वास्तव में तो। आप जवाब कैसे दे रही हो। कानून में यह प्रोविजन है कि सिर्फ ओल्ड-एज हो, वह भी लावारिस हो या जिनके आगे-पीछे कोई नहीं है उनको मिलता। है बाकी प्रशासन गांवों की ओर में जो कैम्प लगे थे उसमें किसी भी अपाहिज

(१५)

(श्री शोपत सिंह)

को, कोई विकलांग को पेंशन नहीं मिली है।

श्रीमती कमला भील : यह गलत बात है।

अनेक माननीय सदस्य : प्रावधान है।

श्री शोपत सिंह : गलत बात क्या है? एक भी नहीं है। ऐसे लोगों को जो सिर्फ लावारिस हैं उनको मिलता है। क्या बात आप कह रहे हैं। ओल्ड-एज, लावारिस....

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से एक ही बात जानना चाहता हूं कि अपाहिज और विकलांग के लिए कोई आयु सीमा तय है क्या? कई जगह भयंकर दिक्कत आती है। कई जगह तो आयु की सीमा रखते हैं और कई जगह आयु की कोई सीमा नहीं है। इसलिए कितनी उम्र के बाद में अपाहिज को पेंशन देने का प्रावधान है, यह आप अपने उत्तर में जरूर बतायें।

श्री नारायणराम बेड़ा (भोपालगढ़) : अध्यक्ष महोदय, सब से पहले तो आप यह बतायें कि 7 व्यक्तियों के, जिनकी पेंशन अस्वीकृत हुई है, एतराज क्या लगाये और उनके निस्तारण के लिए आपने क्या कार्यवाही की? दूसरा सवाल मेरा यह है कि वृद्धावस्था पेंशन, अपाहिज पेंशन इसके लिए आपने क्या नार्म्स फिक्स किये थे? क्या मापदण्ड हैं जिनके आधार पर आप सैंक्शन करते हैं?

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इसी सवाल के सम्बन्ध में मैं पूछना चाहता हूँ। इन्होंने अपाहिजों के बारे में नियम बनाये हैं। मैं स्वयं भी कई कैम्पों में गया हूँ, उसमें इन्होंने निर्भर रहने वाले व्यक्तियों, को पड़दादे तक को ले लिया है यानी अगर बाप भी नहीं हो, भाई भी नहीं हो, दादा भी नहीं हो और पड़दादा तक अगर कोई जिन्दा है तो ये कहते हैं उसको नहीं मिल सकती है। मैं माननीय मंत्रीजी को कहना चाहूँगा कि उन नियमों में आपको संशोधन करना चाहिये और जो लोग लंगड़े-लूले हैं, असहाय हैं उन पर कोई भी कण्डीशन लागू नहीं होनी चाहिये। नियमों में ऐसा संशोधन करने से जो 7 नाम आपने खारिज किये हैं वे भी पास हो जायेंगे। जहां तक ये कहते हैं कि हमारे अधिकारी आये हैं, मैं यह शर्तिया कह सकता हूं कि मेरे क्षेत्र में तो समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित एक भी व्यक्ति अपाहिजों या दूसरों का कोई फार्म भरने नहीं आया है। यह भी जो माननीय मंत्री महोदया बता रही हैं, बिलकुल गलत है।

श्री रमजान खां : अध्यक्ष महोदय, जिस ढंग से वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन स्वीकृत करने का अधिकार पंचायत समितियों को दे रखा है मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि दो या तीन महीने के अन्दर, जिस दिन से एप्लाई करते हैं वह पेंशन स्वीकृत हो जाती है। परन्तु नगर परिषद और नगरपालिका क्षेत्र में रहने वाले लोगों के 3-3 साल तक फार्म एस. डी. ओ. कोर्ट में पड़े रहते हैं और पेंशन स्वीकृत नहीं होती है। मैं आपके

(श्री रमजान खां)

माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ मंत्री महोदय से कि इसकी व्यवस्था किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में दी जाय ताकि पंचायत समितियों के अलावा नगरपालिका और नगरपरिषद के क्षेत्र में जो एप्लीकेशन आयें उनको तुरन्त स्वीकृत कर दिया जाय।

श्री शिवचरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक छोटा-सा प्रश्न है। केवल दो बीघे तक वाले किसान को आप पेंशन देते हैं। क्या दो बीघे में पेट भरा जा सकता है? आप कृपा करके दो बीघे की जो होल्डिंग है उसको 10 बीघा करिये।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मंत्री महोदया, आपने 7 नाम बताये उनके बारे में...(व्यवधान)

श्रीमती कमला भील : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान वृद्धावस्था, विधवा पेंशन के नियम 1 जून, 1974 से प्रभाव में आये हैं। उस तारीख से जैसा कि माननीय शोपत सिंह जी ने कहा, यह कोई नियम नहीं है केवल लावारिसों को मिलती है। इस बारे में मैं बताना चाह रही हूँ कि ऐसे वृद्ध पुरुष जो बे-सहारा हैं जिनकी आयु 58 वर्ष है और महिलाएं जो 55 वर्ष की हैं और जिनका सचमुच में कोई 20 साल की उम्र जैसा आदमी नहीं हो, जो राजस्थान का रहने वाला हो, उसकी कोई आय नहीं हो और जिसकी भूमि सिंचित क्षेत्र में 0·75 हैक्टेयर और असिंचित क्षेत्र में 5 हैक्टेयर हो ऐसे व्यक्तियों को यह पेंशन दी जाती है। एक व्यक्ति को 60 रुपया प्रतिमाह दिया जाता है और अगर परिवार के दो जने हों तो 100 रुपये के करीब दिया जाता है। मैं आपको यह भी बता देना चाहती हूँ कि वित्तीय वर्ष में इतने-इतने लोग लाभान्वित हुए हैं। 1989-90 में 7 करोड़ रुपये का प्रावधान है और इसमें लाभान्वित व्यक्ति का अगर में एक-एक वर्ष वाइज आपको बताऊं, 1984-85 में 70 हजार...

श्री रमजान खां : यह तो गांव के लिए कह रहे हैं। नगर परिषद और नगरपालिका में अभी तक कुछ भी लाभ नहीं मिला है।

श्रीमती कमला भील : देखिये, नगरपालिका क्षेत्र में एस. डी. ओ. इस हेतु अधिकृत है, जो पेंशन को सैंक्शन करता है।

श्री रमजान खां : एस. डी. ओ. के कार्यालय में पिछले तीन साल से नगरपालिका, अजमेर के फार्म पड़े हुए हैं मगर एस. डी. ओ. मंजूर नहीं करता है।...

श्रीमती कमला भील : ऐसी कोई गलती हुई हो, ऐसा कोई मामला हो तो माननीय सदस्य मुझे बतायें।

श्री देवी सिंह भाटी : मैं बता दूंगा। बीकानेर के बकाया पड़े हैं। आप क्या बात कर रही हैं।

श्रीमती कमला भील : आपको यह बताने जा रही थी कि कितने लोग लाभान्वित हुए हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले सुनिये ।

श्रीमती कमला भील : माननीय सदस्य, 1984-85 में 70 हजार के करीब वृद्धावस्था वाली पेंशन मिली है और विधवाओं को 1,580 को । 1985-86 में 76 हजार पुरुषों को और महिलाओं को...

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : माननीय मंत्री महोदया, एक मिनट सुन लीजियेगा, आप तो सिर्फ एक जवाब दे दो । इसमें आपने 7 नाम बताये...

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये । आपने सुना नहीं ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : हमने सुन लिया है । सिर्फ यह...

श्री अध्यक्ष : आप लोग बैठिये । माननीय सदस्य, चुन्नीलाल जी, बैठिये ।

श्रीमती कमला भील : माननीय सदस्यों ने एक प्रश्न पूछा था कि इन महिलाओं का रिजेक्ट क्यों हुआ ? किसी ने प्रमाण पत्र नहीं दिये आयु के, किसी के फोटो नहीं लगी थी, कइयों की एज कम थी, इस वजह से उन लोगों की स्वीकृत नहीं हुई है एप्लीकेशन ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : हम तथ्य पर बोल रहे हैं । आप बातों का जवाब दिलवाइये ।

श्रीमती कमला भील : माननीय सदस्य हम करवा देंगे इसकी इन्क्वायरी .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, माननीय चुन्नीलाल जी । माननीया उजला जी, कृपया बैठिये....(व्यवधान)...फूलचन्द जी । जरा मेरी सुन लिया करें । एक तो जब जवाब देते हैं तो बीच-बीच में बोलते हैं, न खुद सुनते हैं, न दूसरों को सुनने देते हैं....(व्यवधान) आप बैठिये, चुन्नीलाल जी ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : जवाब दिलवाइये ।

श्री अध्यक्ष : आप मेरी सुन लीजिये । मैं यह निवेदन करता हूं कि माननीया मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न के बारे में I am very sensitive. मैं सरकार से यह कहना चाहता हूँ, यह नहीं कि कितनों को दे दिया, मैं यह चाहता हूं कि कितनों को नहीं दिया । मैं यह चाहूँगा कि इस तरह का सर्वे कराया जाये । सर्वे करा करके फोटो नहीं है, पूरा नहीं हुआ है, यह उसकी रेस्पांसिबिलिटी में नहीं माना जा सकता, यह एडमिनिस्ट्रेशन को जा करके देना चाहिये कि हम आपको आज आधी रोटी दे रहे हैं या आपको टुकड़ा दे रहे हैं । उससे यह कतई उम्मीद मत करिये कि यह फार्मेलिटी वह पूरी करे । लिख दिया कि फोटो नहीं लगी है । वह तो भूखा है, रोटी तक नहीं है पास में और आप यह चाहती हैं कि फोटो लगा कर दे ? आपके बार-बार वह आ करके चक्कर लगा रहा है । भूखा आदमी है और चक्कर लगाये जाये ?

श्रीमती कमला भील : ठीक है ।

श्री अध्यक्ष : Government should

(श्री अध्यक्ष)

be very sensitive. सेंसिटिव होकर देखे कि कितनों का नहीं हुआ है। गवर्नमेंट की ड्यूटी है। चाहे नगरपालिका हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, यह देख करके कि कृपया यह असहाय का सवाल है, उस शख्स का सवाल है, जिसके पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, खाने को कुछ भी नहीं, इमीजिएट किया जाना चाहिये। उसको डायरेक्शंस होने चाहिये। कोई नहीं कर रहा, सुस्ती करे तो he should be suspended immediately कि उसको खाना नहीं है तो तुमको भी खाना नहीं मिलेगा।

श्री नवरंग सिंह : अध्यक्ष महोदय, लंगड़े-लूले हैं।

श्रीमती कमला भील : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देशों का पालन होगा। दूसरा, यह कहना चाह रही थी कि यह कलक्टर और एस. डी. ओ. वगैरह करते हैं, हमारे विभाग का पूरा सुपरवीजन है, फिर भी विभागीय जांच करवा दूंगी, यह मैं आपको आश्वस्त करती हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीया मंत्रीजी, सर्वे होना चाहिए घर पर जाकर।

श्रीमती कमला भील : सर्वे तो किया हुआ है, साहब, प्रशासन गांवों की ओर, प्रशासन शहरों की ओर हो रहा है फिर भी यदि आप चाहते हैं तो दुबारा करवा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : I am very sensitive अगर ऐसे आदमियों को हम खाना नहीं दे सकते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने कर्तव्य से मुकर रहे हैं। यह सभी को विदित है और मैं यह चाहूंगा और माननीय सदस्यों से भी कहना चाहूंगा कि वह केवल सरकार पर ही रेस्पांसिबिलिटी नहीं डालें, खुद भी ऐसे केसेज में उनको ले जा करके करवायें। यह भी हमारा फर्ज है, इन्सानियत के नाते, यह होना चाहिये।

श्री माणक डाणी : अध्यक्ष महोदय, इसके आर्थिक मापदण्डों में परिवर्तन की आवश्यकता है। जिस व्यक्ति के पास घर का मकान होता है, उसको पेंशन नहीं मिलती है।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

छबड़ा व छीपाबड़ौद रेंज में ठेके की बकाया

413. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) छबड़ा व छीपाबड़ौद रेंज में ठेकों की बकाया वसूली के विरुद्ध कितने केस न्यायालय में विचाराधीन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिन लोगों के खिलाफ स्थगन खारिज हो गया है, उनसे विभाग बकाया राशि वसूलने का इरादा रखता है ? यदि हां, तो कब तक ?

वन मंत्री (श्री गोविन्द सिंह गुर्जर) : (1) वन मण्डल बारां की रेंज छबड़ा व छीपाबड़ौद के ठेकों की बकाया वसूली के दो प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं।

(18)

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी हां। शीघ्रातिशीघ्र वसूली हेतु कलक्टर (वसूली), कोटा द्वारा कार्यवाही को त्वरित गति से करने हेतु लिखा गया है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री शोपत सिंह : वसूली का धन कितना है ? यह कितना बाकी है, यह बताइये आप।

श्री अध्यक्ष : माननीय प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : बहुत ज्यादा नहीं है, करोड़ों में नहीं है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : पहला, यह जो आपने अभी नाम बताये हैं, इन दोनों से कितनी-कितनी राशि वसूल करनी बाकी है ? दूसरा, क्या यह जो बाकी राशि है, वह ब्याज सहित वसूल करेंगे और यह कब से बाकी है ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, पहले केस में 79,500/– रुपये वसूल करने थे। इस पर कोर्ट में केस चला, लोअर कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, वे अपील में गये। अपील में सिविल जज ने 79,500/– रुपये में से 39,850/– रुपये वसूल करने की इजाजत दी। उसकी कार्यवाही हम कर रहे हैं, बाकी के लिये सिविल सूट चल रहा है। दूसरे केस में 4,739/– रुपये वसूल करने थे, उसके लिए भी उन्होंने कोर्ट में स्टे की कार्यवाही की, वह रिजैक्ट हो गयी। उसके बाद हमने यह केस पी.डी.आर. में वसूली के लिये भेज दिया। पी. डी. आर. के कानून के तहत इन दोनों की वसूली की जा रही है।

श्री दाऊदयाल जोशी : पी. डी. आर. के तहत कब कार्यवाही की ?

श्री अध्यक्ष : आपका हो गया, दाऊदयाल जी, आप बैठिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : क्या यह सही है कि किशोर दुधाणी पी. सी. सी. का मैम्बर है और राज्याश्रय प्राप्त है ? ऊपर से बराबर दबाव बने रहने के कारण क्या वह धनराशि वसूल करने में आपका विभाग असमर्थ है ? कृपा करके यह बतायें।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : एक-एक का जवाब पहले दे दूं।

श्री नाथू सिंह : इसके लिये आपने कब आदेश दिये ?

श्री हीरालाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनिये....(व्यवधान)...मेरी बात सुनिये....

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप, बैठिये। नाट अलाउड। इनका नोट नहीं करेंगे। हर बात की हद होती है।

श्री हीरालाल आर्य : XXX

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंज मंडी) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी चाहता हूं कि आपने जो दो प्रकरण बताये, वे किन-किन व्यक्तियों के नाम हैं, एक का नाम तो दाऊदयाल जी ने बता दिया। आपने नाम नहीं बताया उनका।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : वह लिस्ट मैंने माननीय सदस्य को दे दी है, उनसे देख लें।

श्री हरिकुमार औदिच्य : दूसरा, यह राशि कब से बकाया चल रही है और आपने न्यायालय में कब कार्यवाही की? तीसरा, आपको अपर न्यायालय से 79 हजार कुछ रुपये वसूल करने की इंजाजत मिली है, यह कब मिली और आपने इसके ऊपर अब तक क्या कार्यवाही की है? अगर आपने पी. डी. आर. में दिया है, किस पार्टी का कब-कब पी. डी. आर. में केस दिया और कब-कब उसको परश्यू किया वसूली के वास्ते, यह बता दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, इस केस में मैसर्स विमल कुमार सीताराम, घंटाघर, कोटा के नाम से एक ठेका जोन रेंज छबड़ा में वर्ष 83-84 में दिया था। इसका मुकदमा मुंसिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय कोटा शहर में चल रहा है, मैंने अभी विवरण बताया। दूसरा जो प्रकरण है, वह किशोरीलाल पुत्र कल्याणमल दुधाणी, निवास छीपाबड़ौद, जिला कोटा का है। इनको भी ठेका जोन सेंटर दक्षिण झुंझुनू, रेंज छीपाबड़ौद का वर्ष 82-83 का दिया गया था उसका बकाया है। इन दोनों केसेज में, पहले केस में 17-8-85 को अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए 39,850/– रुपये वसूल करने के आदेश दिये गये और जो दूसरा केस है, उसमें मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने स्टे को 11-5-88 को निरस्त कर दिया था, जिसके तहत 16-5-88 को तहसीलदार को कलक्टर ने पी. डी. आर. में वसूली करने के आदेश दे दिये। मैं इस सम्बन्ध में मानता हूँ कि विभाग की तरफ से वसूली में कुछ विलम्ब हुआ है। वे लोग कौन हैं, क्या हैं, इसका मुझे पता नहीं है लेकिन मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि चाहे कोई कितना ही बड़ा हो, निश्चित रूप से इन दोनों प्रकरणों में जितनी जल्दी हो सके, एक महीने के अन्दर-अन्दर, मैं कोशिश करूंगा कि इसमें वसूली हो जाये।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री उम्मेद सिंह। प्रश्न संख्या 414.

बीकानेर शहर में नियमन

414. **श्री उम्मेद सिंह** (शिव) एवं **श्री देवी सिंह भाटी** (कोलायत) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रशासन शहरों की ओर कार्यक्रम के तहत बीकानेर शहर में नियमन के कितने मामले वार्डवार प्राप्त हुए? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) बीकानेर के कितने मामलों में प्रशासक द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ

(२०)

(श्री उम्मेद सिंह)

जिलाधीश को कौन-सा मामला कब भेजा गया व जिलाधीश ने उस पर क्या निर्णय लिया ?

(3) लम्बे अन्तराल के बाद भी बीकानेर, जिलाधीश द्वारा फाइल को निस्तारण किये बिना क्यों भेजी गई ?

(4) क्या यह सही है कि शिविर में प्रार्थी की पत्रावलियों की पूरी जांच कर सक्षम होने की स्थिति में जिलाधीश को भेजी जाती है ? यदि हां, तो पत्रावली व सबूत सही पाये जाने के बाद जिलाधीश, बीकानेर अनावश्यक विलम्ब व निरस्त क्यों कर रहे हैं तथा शिविर में फाइल निरस्त क्यों नहीं की ?

(5) क्या सरकार मुख्यालय से किसी उच्चाधिकारी को बीकानेर भेजकर नियमन के मामले निपटाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो जिला प्रशासन के विरुद्ध इस विषयक शिकायतों का निराकरण किस प्रकार होगा ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री गुलाब सिंह शक्तावत : (1) प्रशासन शहरों की ओर कार्यक्रम के तहत बीकानेर शहर में नियमन हेतु प्राप्त मामलों की वार्डबार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्रशासक द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ जिलाधीश को सर्व श्री राम नारायण, टोरसिंह, पूनमसिंह एवं श्रीमती हसनी देवी के नियमन के मामले क्रमशः जुलाई, 89, अक्टूबर, 88, जुलाई, 89 में भेजे गये। इनमें से श्री टोरसिंह का नियमन स्वीकृत किया एवं शेष सर्व श्री राम नारायण, पूनमसिंह व श्रीमती हसनी देवी के प्रकरण विचाराधीन हैं।

(3) कोई भी पत्रावली निस्तारण किये बिना नहीं भेजी गई।

(4) शिविर में प्राप्त पत्रावलियों में से जिलाधीश को भेजी गई पत्रावलियों की जांच में अनावश्यक विलम्ब होना नहीं पाया गया एवं अभी तक कोई पत्रावली निरस्त नहीं की गई है।

(5) जी हां।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें।)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पहले तो माननीय मंत्री महोदय ने जो यह सूची दी है यह बिलकुल ही गलत है एवं अधूरी है। मैं, मंत्री महोदय, आपको लिखित में दे सकता हूं कि यदि आठ सौ से कम प्रकरण इस प्रशासन शहरों की ओर कैम्प के दौरान मिले हों तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यदि आप लिखित में मुझे इस बात की शिकायत करेंगे कि प्रकरण आठ सौ प्राप्त हुए तो जिस अधिकारी ने मुझे सूचना गलत दी, मैं उसकी जांच कराऊंगा और जांच में दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री यदुनाथ सिंह : यहां लिखा जा रहा है, साहब।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मेरे यहां लिखा जा रहा है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जो मामले....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : देवीसिंह जी, हो गया यह मेरे ख्याल से।

श्री देवीसिंह भाटी : नहीं-नहीं, अध्यक्ष महोदय, दूसरे भाग में मैं पूछना चाहता हूं। मेरे पूछने का मुद्दा यह था कि पूर्व में भी मेरा एक प्रश्न आया था। जब तक उन फाइलों से सम्बन्धित व्यक्ति वहां नगर परिषद में नहीं पहुंचता है और उनको पैसे रिश्वत के नहीं देता है तब तक प्रकरणों का निपटारा नहीं होता। यह पूर्व में भी मंत्री महोदय ने मेरे एक प्रश्न में माना है कि गंगाशहर, बीकानेर शहर के मामले पिछले दस सालों से पैंडिग हैं। इन्होंने भाग दो के उत्तर में यह उदाहरण दिया है कि एक प्रकरण टोरसिंह का जुलाई, 89 में प्राप्त हुआ, इसी महीने में और उसका निस्तारण कर दिया गया। दूसरा, अक्टूबर, 88 में इन्होंने बताया है कि यह राम नारायण का जो प्रकरण है, यह जुलाई, 88 से अभी तक पैंडिग है। जिलाधीश के पास क्यों पड़ा है? यदि वह सक्षम नहीं है, उसके पूरे सबूत नहीं है तो वे उसको निरस्त करके क्यों नहीं मामले को निपटाते? तभी ये मामले रोके जाते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस पूरे प्रकरण की जांच की जावे। दूसरा, इसमें जितने भी ये प्रकरण हैं, आपने भाग पांच में जो उत्तर दिया है इसके लिए आपने पूर्व में जो आश्वासन दिया है, उच्च अधिकारी को जब तक आप यहां से नहीं भेजेंगे, तब तक उन मामलों का निस्तारण नहीं होगा और वहां रिश्वत मांगी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री डूंगरराम पंवार : दोषी पाये जाने पर टर्मिनेट करने की....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने पहले एक प्रश्न में भी इस तरह का एक सवाल उठाया था और मैंने यह आश्वासन दिया था कि इस सारे प्रकरण के निपटारे के लिए डिप्टी डायरेक्टर, जोधपुर रेंज को नियुक्त कर रहा हूं। वे सारे मामले को देखकर, सारी जांच करके जो नियमन योग्य हैं उनका नियमन करेंगे और जो नियमन योग्य नहीं है उनके बारे में फैसला करेंगे। इस सम्बन्ध में मैं आदेश दे चुका हूँ और शीघ्र ही इस पर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी। जहां तक 88 के मामले का और 89 के मामलों का आपने जिक्र किया, यह 88 वाले पैंडिग है और 89 का फैसला उन्होंने कर दिया। मैं जिलाधीश से इस बात का भी स्पष्टीकरण मांगूगा कि यह मामला विचाराधीन क्यों रखा गया और उसका निर्णय भी शीघ्र कर दिया जायेगा। इन समस्त प्रकरणों की जांच के लिए डिप्टी डायरेक्टर, लोकल बॉडीज,

(22)

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

जोधपुर को नियुक्त किया गया है, उनसे जांच करवा ली जायेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मिलीभगत का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री हरीश चन्द्र कुमावत...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : कोई मिली-भगत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री हरीश चन्द्र कुमावत ...

पंचायत समितियों को नई जीपें

415. **श्री हरीशचन्द्र कुमावत** (नावां) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या राज्य सरकार पंचायत समितियों को नयी जीपें देने का विचार रखती है? यदि हां, तो इसके क्या माप-दण्ड निर्धारित किये गये हैं?

(2) अभी तक किन-किन पंचायत समितियों को जीपें देना प्रस्तावित है? उनकी पुरानी जीपें कितने-कितने किलो-मीटर चल चुकी हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) पंचायत समिति की जीप विधा-यकों को माह में कितने दिन देने का पंचायत विभाग ने निर्देश दे रखा है? उस आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) अब तक किन-किन पंचायत समितियों को नयी जीप दी जा चुकी है? सूची सदन की मेज पर रखें। यह जीपें किस-किस तिथि को दी गयी हैं?

(5) क्या कुचामन सिटी पंचायत समिति को नयी जीप देना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक दे दी जायेगी? नहीं तो क्यों नहीं दी जा रही है?

पंचायत राज मंत्री (श्री भैरूलाल भारद्वाज) : (1) जी हां। नयी जीपें देने के लिए पुरानी जीप का 2,00,000 किलो-मीटर चलना और लगभग आठ वर्ष की अवधि पूर्ण होने का मापदण्ड साधारणतः निर्धारित किया हुआ है।

(2) 20 नयी जीपें पंचायत समितियों को देना प्रस्तावित है। पंचायत समितियां जिनकी जीपें बहुत पुरानी होकर निर्धारित मापदण्ड से कण्डम होने लायक हो गयी हैं उनकी सूचना मंगवायी जा रही है। तत्पश्चात् ही पात्रता के आधार पर आबंटन किया जायेगा।

(3) विधायकों को जीप उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में दिनों की संख्या सीमा निर्धारित नहीं की हुई है। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(4) सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(5) सभी पंचायत समितियों से उनके वाहन की नवीनतम स्थिति की जानकारी

(पंचायत राज मंत्री)

चाही गयी है। जानकारी प्राप्त होने पर इस पंचायत समिति को भी जीप आवंटन करने पर विचार किया जायेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-5 देखें।)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : सहानुभूति-पूर्वक।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह, चलिए, पहले आप सही। कोई बात नहीं।

श्री हरीशचन्द्र कुमावत : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने दो लाख किलोमीटर चलने और आठ वर्ष की अवधि के बाद ही देना बताया है तो नागौर जिले में पांच जगहों पर जीपें दी हैं तो वे पांच जीपें—कितने-कितने किलोमीटर चली हैं और उनको कितने वर्ष हुए हैं, एक तो यह बतायें...

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : कहां का ?

श्री हरीशचन्द्र कुमावत : नागौर जिले में। दूसरा यह है कि बीस जीपें देने का आपके पास अभी प्रावधान है उसमें से कितनी पंचायत समितियों की सूची आपके पास आ चुकी है जो इन मापदण्डों को पूरा करती हैं ? यह बताइये।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तो ऐसा लगता था कि माननीय सदस्य मुझे, इस बात में इस कार्य के लिए सरकार को बधाई देंगे कि नागौर जिले में माननीय सभी विरोधी पक्ष के सदस्यों के चुनाव क्षेत्र में मैंने जीपें दी हैं।

श्री सी. पी. जोशी : काहे की गलती की है आपने ? (व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : थोड़ा लिहाज करना पड़ता है, क्या करें ? प्रजातंत्र में विरोधी पक्ष को भी सामान्यतया पूरा संरक्षण दिया जाता है, मैंने उसका पालन किया है....(व्यवधान)

श्री हंसराज मिढा : इतनी भरी सभा में असत्य नहीं बोलें, मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैं यह निवेदन कर रहा था कि नागौर, मेड़ता, जायल, लाडनूं, डेगाना, मूण्डवा...

श्री रामप्रताप कटारिया : झोटवाड़ा पंचायत समिति में नहीं दी। झोटवाड़ा पंचायत समिति में कहां दी ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय, आप ही के चुनाव क्षेत्र, मित्रों की है और वहां मैंने जीपें दी हैं ताकि आप लोगों को वहां ठीक से काम करने का मौका मिले.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नाथू सिंहजी, आप बैठिये।

(२५)

श्री नाथूसिंह : क्या यह सही है... (व्यवधान)

श्री हरीशचन्द्र कुमावत : मंत्री महोदय, मैंने मापदण्ड के लिए पूछा था उस मापदण्ड के अनुसार कितने-कितने किलोमीटर चली हैं और कितना-कितना अरसा हुआ है, यह बतायें आप ।

श्री रामप्रताप कटारिया : मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि झोटवाड़ा पंचायत समिति की जीप की डिमाण्ड थी और झोटवाड़ा पंचायत समिति की जीप सबसे पुरानी है, कई सालों पहले की है और कम से कम पौने तीन लाख किलोमीटर चल चुकी है, उसका क्या फैसला किया ?

श्री हरीशचन्द्र कुमावत : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवाइये पहले कि नागौर जिले में पांच जीपें आपने दी हैं, कितने-कितने किलोमीटर तो चली हैं, कितना अरसा उनका हुआ है। पूरा उत्तर दिलवाइये उसका पहले ।

श्री अध्यक्ष : जवाब तो आ जाने दीजिए...

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनकी जीपें कण्डम के लिए डिपार्टमेंट से रिपोर्ट आई, उन्हीं को दी जाती है... (व्यवधान)

श्री हरीशचन्द्र कुमावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने प्रश्न के उत्तर में यह बताया है...

श्री अध्यक्ष : आपका हो गया ।

श्री हरीशचन्द्र कुमावत : नहीं, प्रश्न का जवाब नहीं आया। दो लाख किलोमीटर चलने और आठ वर्ष का आपने बताया है, उसके अनुसार नागौर जिले में जो जीपें हैं उनका मापदण्ड क्या-क्या रहा है, बताइये ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैंने जैसा निवेदन किया कि जीपों के कण्डम होने का सामान्यतया यह प्रोसीजर है कि दो लाख किलोमीटर औसतन चलनी चाहिए। कई जगह तीन लाख या साढ़े तीन लाख किलोमीटर तक चल रही है और जीप काम कर रही हैं। दूसरी बात है कि कई जीपें तीन साल में ही टकराकर, साल भर बाद ही एक्सीडेंट हो जाय और गड़बड़ हो जाय। यह कोई जरूरी है क्या ? यह तो सामान्य मापदण्ड है। बाकी तो जहां जीप खराब हैं, काम करने लायक नहीं है, वहां नई जीप देते हैं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता ने समय बिगाड़ दिया है। (व्यवधान) आपका आ गया जवाब ।

श्री रामप्रताप कटारिया : झोटवाड़ा पंचायत समिति के बारे में नहीं बताया.... (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पुकार लिया था....

श्री अध्यक्ष : आपको भी दे रहा हूं...
(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उदयपुर जिले में ट्राइबल एरिया में कितनी पंचायत समितियों को नयी गाड़ियां दी हैं और पुरानी गाड़ियां कब से चल रही हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न अलग-अलग पंचायत समितियों का नहीं है....

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : उदयपुर जिले में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, बैठिये। (व्यवधान)

श्री माणक डाणी : अध्यक्ष महोदय, जब मंत्रीजी विधायक थे उस समय जीप मांगा करते थे तो अब क्या परिवर्तन आ आ गया ?

श्री नाथूसिंह : क्या यह सही है कि आपने जो विधायकों को जीप देने का निर्देश दिया है, जब भी विधायक जीपें मांगते हैं तो कोई न कोई बहाना बनाकर टाल दिया जाता है ? क्या आप यह निश्चित करेंगे, बी. डी. ओज को निर्देश देंगे, उसमें आप दिन निर्धारित कर सकते हैं एक वीक के लिए, पांच दिन लेकिन...

श्री हरिमोहन शर्मा : प्रश्न नहीं है इसमें।

श्री नाथूसिंह : प्रश्न है, आप पढ़िये। आप पढ़ते तो हैं नहीं, बैठे-बैठे कहते रहते हैं...

श्री माणक डाणी : विरोधी पक्ष के अलावा...

श्री नाथूसिंह : इसमें टेक्नीकल डिफिकल्टी आती है। आपने प्रधानों के लिए कह दिया। आप बी. डी. ओ. को दें। कई बार प्रधान और एम. एल. ए. अलग-अलग पार्टी के होते हैं इसलिए वह एक साथ दौरा नहीं कर सकते हैं। तो क्या आप बी. डी. ओ. को निर्देश देंगे कि जब भी विधायक अपने क्षेत्र मे जाने के लिए जीप मांगेंगे तो उनको जीप दी जायेगी ? ऐसा प्रबन्ध करिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री हीरासिंह चौहान : पहले इसका जवाब आना चाहिए।

श्री राजेश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह बताने का कष्ट करें, अलवर जिले के नारायणपुर और थानागाजी में कितनी जीपें कण्डम पड़ी हैं ?

श्री नाथूसिंह : पहले आप जवाब दिलायें। (व्यवधान)

श्री माणक डाणी : अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत महत्वपूर्ण मामला है। अध्यक्ष महोदय, जब मंत्रीजी खुद विधायक थे और विधायक की हैसियत से जब आप जीप मांगा करते थे उस समय की परिस्थिति में

(श्री माणक डाणी)

और आज की परिस्थिति में क्या अन्तर पैदा हो गया है ? मंत्री महोदय, इसका जवाब देंगे। क्या मंत्री की हैसियत अलग है और विधायक की अलग है। यह अच्छी बात है कि मंत्री बनने के बाद उनको कार मिल गयी वह भी झण्डे वाली। बढ़िया बात है लेकिन विधायक के उस दृष्टिकोण को तो ध्यान रखिए कि जब आप विधायक थे तब तो जीप मांगते थे, अब मंत्री बन जाने से भूल गये, ऐसा क्यों ? दूसरा प्रश्न, राजस्थान में ऐसी कितनी जीपें हैं जो आपके मापदण्ड से कण्डम हो चुकी हैं लेकिन आप उसको उपलब्ध नहीं करा सके हैं ? क्योंकि आपकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और वित्तीय स्थिति के हिसाब से कब तक आप जीपें उपलब्ध करा देंगे, यह बता दें।

श्री देवीसिंह भाटी : मंत्रीजी यह क्यों नहीं कहते कि all are equal but-some are more equal.

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं जो उदयपुर के लिए पूछा गया था, उदयपुर में तीन पंचायत समितियों को जीपें दी जा चुकी हैं, भीम, खमनौर और कुम्भलगढ़ और अन्य की मांग आने पर जैसा मैंने कहा कि मेरे पास 20 जीपें हैं, सूचना मंगायी है कि कहां-कहां क्या स्थिति है, उनमें सबसे खराब स्थिति वाली पंचायत समिति को जीप देंगे।

दूसरी बात, जो माननीय नाथूसिहजी और डाणी जी ने कही है उस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूँ......

श्री सी. पी. जोशी : 1990 के बाद करना।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : एक आदेश जारी किया गया था 30-8-84 को विधायकों को जीप उपलब्ध कराने के लिए और उसमें स्पष्ट यह बात थी-उन दोनों के लिए उन्हें वाहन की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में विचार कर निर्णय लिया गया है कि पंचायत समिति के प्रधान से समन्वय स्थापित कर विधायक अपने क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : यह आदेश ही डिफेक्टिव है। किसी विधायक को जीप दी है क्या यह बता दो ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : समन्वय कैसे होगा ? पूर्व और पश्चिम का कभी समन्वय हुआ क्या ? (व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : समन्वय कैसे होगा, यह सुनने की कृपा करें।

श्री माणक डाणी : उजलाजी जब आपका प्रधान कांग्रेस में मिल जायेगा तब समन्वय हो जायेगा। भेज दीजिए फटाफट। आने वाले चुनावों के बाद आपको सड़कों पर बैठना है और हमको राज करना है। आपको नारे लगाने हैं नीचे जा करके और हम को सुनने हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, दान कर रहे हैं क्या ?

श्री पंकज पंचोली : समन्वय स्थापित करें आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : प्रावधान में ऐसी शर्तें नहीं लगानी चाहिए ।.... (व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैं निवेदन कर रहा था, कृपया, सदस्य महानुभव, जो आदेश है उसके अनुसार यदि उन्होंने काम किया है और फिर गड़बड़ हुई है तो मैं देखूंगा फिर कार्यवाही करूंगा । पर पहले कम से कम आप देखें तो सही......

श्री शोपत सिंह : हम आपकी गाड़ियों में नहीं चढ़ना चाहते हैं ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : यह उन महानुभावों को शिकायत है जो न तो विकास कार्यों...(व्यवधान)

श्री पंकज पंचोली : विकास का मामला है दोनों के साथ चलना होगा । प्रधान से समन्वय स्थापित करो ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : यह उन महानुभावों को शिकायत है जो न तो विकास कार्य और राहत कार्य और न बीस सूत्री कार्यक्रम को देखना चाहते हैं केवल राजनीतिक और शराबे में समन्वय स्थापित करना चाहते हैं जो सम्भव नहीं है ।...(व्यवधान)...विधायक अपने कार्यक्रम की सूचना सम्बन्धित प्रधान को देवें और प्रधान उसके अनुसार पंचायत समिति के सामान्य कार्यों के लिए कार्यक्रम बनाकर विधायक की यात्रा का प्रबन्ध करें स्वयं के साथ अथवा पंचायत समिति के अन्य अधिकारियों के दौरों के साथ करें ।

श्री माणक डाणी : माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्या बैठ गयी, तो टायर पंचर हो जायेगा ।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, यह आदेश अपने आप में इतना कण्ट्राडिक्टरी है कि जीप का नियन्त्रण अधिकारी......

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह आदेश ही गलत है ।

श्री रतनलाल ताम्बी : विकास अधिकारी को बनाया हुआ है, नियमों में जो अधिकार दिया हुआ है वह विकास अधिकारी जीप पर नियन्त्रण रखेंगे और विकास अधिकारी को सूचना देने के बजाय प्रधान को सूचना देने पर बहुत सारे विकास अधिकारी यह कह देते हैं कि पहले से यह प्रोग्राम बना हुआ है, इसलिए यह आदेश कानून में जो प्रावधान है उसके विपरीत है । जब से यह आदेश दिया गया है इसकी आप सूचना मंगवा लें वास्तव में इसी कारण से यह इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया और इस आदेश की जो मंशा थी उसका लाभ विधायकों को नहीं मिल पाया है ।.... (व्यवधान)

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की शिकायतों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है । एक बात तो जैसा ताम्बी जी ने कहा कि कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं कि जहां कार्यक्रम के अनुसार यदि विधायक महोदय ने प्रधान को लिखा हो और प्रधान ने फिर भी जीप न दी हो । ऐसी मेरे पास शिकायत करेंगे तो मैं उसकी जांच करवाऊंगा और माकूल व्यवस्था करूंगा । एक तो यह बात है....(व्यवधान)

श्री हीरा सिंह चौहान : आपके सामने समस्या कौन सी है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं।

श्री भेरूंलाल भारद्वाज : माननीय सदस्या आपने तो अपने प्रधानजी से सम्पर्क ही स्थापित नहीं किया है, प्रधानजी रोज शिकायत करते हैं।...(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने प्रधान जी को कई बार लिखकर दिया। रेवेन्यू कैम्पों में भी उन्होंने गाड़ी नहीं दी। मैं अपने पैसे से गाड़ी लेकर गयी हूँ।

श्री शोपतसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके प्रधान के साथ जायेंगे तो वह हमको ले डूबेगा। ऐसे प्रधान हैं आपके।

श्री रतनलाल ताम्बी : मंत्री महोदय, इस आदेश को फिर देखें और इसको इस प्रकार संशोधित करें जिसके आधार पर विधायक को महीने में कुछ निश्चित दिनों में बी.डी.ओ. जीप उपलब्ध करा सके।

श्री माणक डाणी : मंत्री महोदय, जब कभी विधायक जाये तो पहली प्रायोरिटी विधायक को दी जाय, ऐसे निर्देश जारी कर दीजिये, नियमों में संशोधन कीजिए।

श्री रतनलाल ताम्बी : नियमों में संशोधन करने की आवश्यकता है।

श्री नाथू सिंह : क्या एम. एल. ए. प्रधान का सबार्डिनेट है ?.....(व्यवधान)

श्री माणक डाणी : इस आदेश को संशोधित करिये और जब भी कभी वह जाये तो पहली प्रायोरिटी उसको दी जाये ....(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : इस आदेश को विथड्रा करना चाहिए। इसका कोई अर्थ नहीं है।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं कहना चाहता हूं, माननीय सदस्यों की भावना को देखते हुए मैं यह मुनासिब समझता हूँ और सरकार से कहता हूं कि इसके बारे में सलाह मशविरा करे माननीय विपक्ष के नेता महोदय, मुख्य मंत्रीजी और आप बैठ करके इसका किसी तरह से समाधान करें। यह आवश्यक है। यह सबकी भावना है।...... (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : 90 के चुनाव के बाद।

श्री अध्यक्ष : सरकार ने जो सर्क्यूलर निकाल रखा है उसकी मंशा साफ है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो रहा है। उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाय, जो अभी नहीं हो रहा है, उसके बारे में आप विचार करें और निर्णय करें।

श्री भेरूंलाल भारद्वाज : माननीय अध्यक्ष महोदय, वह बात मैं मानता हूं....

श्री अध्यक्ष : नहीं इस पर जवाब नहीं देना है, जवाब नहीं चाहिए। इसको बदलना है, इसमें चेन्ज जरूरी है......

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल : अध्यक्ष महोदय, क्या प्रधान का गुलाम है एम. एल.ए. जो उसके पास जायेगा और लिखकर देगा ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैं इसको स्पष्ट करता हूँ........ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं बोल रहा हूँ। आर्डर प्लीज। आप फर्मा दीजिए। सारा हल निकाल रहा हूं। आप नहीं चाहते हैं ?

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैं दो मिनट में स्पष्ट कर दूं आपने जो हुक्म फरमाया।

श्री अध्यक्ष : नहीं। आप इसका हल निकालें, यही चाहता हूँ। आप बैठकर बात कर लें।...(व्यवधान)...प्रश्न काल समाप्त होता है।...(व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप प्रधानों को देखें...

श्री शोपत सिंह : अध्यक्ष महोदय वह सारे सर्कुलर जो हैं उनकी हमको जरूरत नहीं है। हमको आपके प्रधानों के साथ जीपों के लेने की कोई जरूरत नहीं है, यह विथड्रा कर लें। आपने जो नोटिस निकाला है, आपने जो इत्तिला भेजी है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननयी सदस्य, बैठें।

श्री शोपत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमको जरूरत नहीं है जीपों की... (व्यवधान)......Withdraw your circular.

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसको तय करें।

श्री शोपत सिंह : आप मंत्री महोदय को आदेश दें कि वह सर्क्यूलर विथड्रा कर लें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, एक मिनट। आप बिराजेंगे, माननीय सदस्य ?

श्री नारायणराम बेड़ा : अध्यक्ष महोदय, प्रधान दूसरी पार्टी का एम. एल. ए. भी हो सकता है......

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप नोमिनेटेड मंत्री हैं, आपकी बात आई थी, कुछ दिनों में चले जायेंगे आप। यह बात करते हो....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप, माननीय सदस्य। मैं आप से निवेदन कर रहा हूँ बैठिये, कृपया बैठिये।

श्री शोपत सिंह : हमको जीपों की कोई जरूरत नहीं है....(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : नवम्बर, 84 से सर्कुलर निकला हुआ है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : माननीय अरोड़ाजी।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : इसलिए ही तो मंत्री महोदय से सीधे ही आदेश करवाये हैं।

श्री ग्यारसीलाल परिडवाल : यह एम. एल. एज. का अपमान है उस तरह से।

एक माननीय सदस्य : खण्डेला में 10-15 साल पहले की जीपें हैं, मेहरबानी करके वहां नई जीपें दिलवायें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, नवम्बर, 84 से सर्क्यूलर निकला

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

हुआ है इन्होंने नई जीपें नहीं दीं। + + + करते हैं यह लोग और ऊपर से कहते हैं प्रधान से सम्पर्क करो। क्यों करें ?....... (व्यवधान)

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : अध्यक्ष महोदय, इसमें तो सीधा ही मंत्री महोदय से आदेश करवायें आप, यही मेरा निवेदन है। इसमें न तो किसी की शिकायत की आवश्यकता है, सीधा ही आदेश करवायें, अध्यक्ष महोदय......(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठें, मैंने जब आपको हल बतलाया है कि निकल रहा है, फिर इस प्रश्न को यहां रखने का क्या मतलब है ?

श्री शोपत सिंह : हमको नहीं चाहिए, सर्कुलर विथड्रा करवाइये.......(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, बैठिये तो सही आप। नोट नहीं करेंगे।

श्री नवरंग सिंह : XXX

श्री शोपत सिंह : XXX

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, बोलें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा आप यह जानते हैं कि पंचायत समितियों के पास कितने इलाके, कितनी ग्राम पंचायतें हैं, कितने विकास के कार्य हैं इसलिए पंचायत समिति की जीपों का उपयोग केवल अकेले न तो प्रधान करता है, न एम.एल.ए. कर सकेंगे। इसलिए हमने इसको अव्यावहारिक मानते हुए सरकार को यह निवेदन किया है और हमने...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नोट नहीं करेंगे।

श्री नवरंग सिंह : XXX

श्री घनश्याम तिवाड़ी : XXX

श्री शोपत सिंह : XXX

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन सारी दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने महसूस किया है कि आइन्दा भी यह दिक्कतें आ सकती हैं इसलिए हम इस आदेश को विथड्रा कर रहे हैं और सरकार से यह सिफारिश कर रहे हैं, विधायकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जिला पूल से कलक्टर व्यवस्था करे।

श्री अध्यक्ष : मेहरबानी करके आप बैठिये, माननीय सदस्य। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सदस्य, मेरे ऊपर रहम करें। मैं आपसे सही कह रहा हूँ कि उनके ऊपर या किसी के ऊपर नहीं मेरे ऊपर मेहरबानी करें।

श्री डूंगरराम पंवार : आप जीप को कपड़ा डालकर मकान में खड़ी कर दें।

XXX माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : आप इसको पूरा बोल तो लेने दीजिए उसके बाद आपको शंक हो तो कहना। समय खराब होता है और आप अपने जो प्रश्न हैं उसके महत्व को भी खो देते हैं, माननीय सदस्य।

श्री दिग्विजय सिंह : लोग तो ऐतिहासिक हुए हैं, अब आप समझ गये होंगे।.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त होता है।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

नारायणपुर (थानागाजी) में मातृ शिशु चिकित्सालय

408. **श्री राजेश** (थानागाजी) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अलवर जिले की थानागाजी तहसील के अधिक आबादी वाले ग्राम नारायणपुर में मातृ शिशु चिकित्सालय केन्द्र खोलने का सरकार का इरादा है ?

(2) यदि हां, तो कब तक केन्द्र खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, मामला विचाराधीन है।

(2) इस वर्ष 1989-90 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ग्रामीण डिस्पेन्सरियों में मातृ शिशु कल्याण सेवायें उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। अतः अन्य प्रस्तावों के साथ-साथ इस पर भी विचार किया जावेगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर शहर में नगर निगम की स्थापना

580. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (किशनपोल) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर नगर जिसकी जनसंख्या 15 लाख से अधिक है कब तक नगर निगम बना दिया जायेगा ?

(2) क्या राज्य सरकार ने 5 लाख की जनसंख्या वाले नगरों में नगर निगम की स्थापना करने की घोषणा की थी ?

(3) क्या मुखर्जी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जयपुर शहर में नगर निगम स्थापित किये जाने की सिफारिश की है ? मुखर्जी कमेटी रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उत्तर प्रदेश में 3 लाख की जनसंख्या वाले नगरों में नगर निगम बने हुए हैं ? फिर राजस्थान में यह व्यवस्था क्यों नहीं है ?

उत्तर

(1) अभी तक जयपुर नगर में नगर निगम बनाये जाने का निर्णय नहीं लिया गया है।

(2) मुखर्जी कमेटी द्वारा अपनी अंतरिम रिपोर्ट में पांच लाख से अधिक आबादी के

(नगरीय विकास मंत्री)

शहरों में नगर निगम की स्थापना का सुझाव दिया गया है, जो सरकार के विचाराधीन है।

(3) जी हां। अंतरिम रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) राजस्थान में नगर निगम बनाये जाने का प्रकरण विचाराधीन है।

(रिपोर्ट विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

सरपंच ग्राम पंचायत गहनौली (महुवा) से मारपीट

581. **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) एवं **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरपंच ग्राम पंचायत गहनौली (पं. स. महुवा) को 23-6-1989 को प्रधान पंचायत समिति के इशारे पर गुण्डों ने बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया ? यदि हां, तो एफ. आई. आर. की प्रति सदन की मेज पर रखें। अब तक अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

(2) क्या यह सही है कि सूचना मिलने पर घायल सरपंच को ग्राम गहनौली से पुलिस थाना महुवा द्वारा लाया गया था ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या यह सही है कि पुलिस थाना महुवा की तहरीर पर सरपंच को घायल अवस्था में इलाज व डाक्टरी मुआयना हेतु राजकीय चिकित्सालय मण्डावर-महुआ रोड भेजा गया था ? यदि हां, तो वहां के चिकित्सा प्रभारी डा. बी. डी. शर्मा ने उनका इलाज व डाक्टरी मुआयना किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि सभी प्रयासों के बाद घायलावस्था में सरपंच को मानसिंह हास्पीटल जयपुर में लाया गया ? यदि हां, तो एम. एल. सी. की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि नवम्बर, 1988 में महुवा के प्रधान ने उक्त सरपंच के साथ मारपीट की जिसकी शिकायत कलक्टर सवाईमाधोपुर को की ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) यह तो सही है कि दि. 23-6-89 को सरपंच ग्राम पंचायत गहनौली के साथ मारपीट हुई। मगर यह सही नहीं है कि प्रधान पंचायत समिति के इशारे से मारपीट हुई है। एफ. आई. आर. की प्रति संलग्न है। अपराधियों के विरुद्ध अपराध संख्या 109/89 दिनांक 23-6-89 धारा 147/148/149/452/323 भा. द. सं. थाना महुवा पर पंजीबद्ध किया जा कर अनुसंधान जारी है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। सरपंच स्वयं ही सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर दि. 24-6-89 को इलाज हेतु भरती हुआ है। एम. एल. सी. की प्रति संलग्न है।

(गृह मंत्री)

(5) जी हां। उसे जांच के लिए भेज दी गई।

(प्रति विस्तृत होने कारण के विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पचपदरा के गिडा सर्किल में सड़कों का अभाव

582. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के गिडा सर्किल में सड़कों का बिलकुल अभाव है? तथा क्या यह सही है कि इस विस्तृत क्षेत्र के लगभग सभी पंचायत मुख्यालयों तक डामर वाली सड़कें नहीं हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि जो कुछ भी ग्रेवल सड़कें हैं वे प्रायः आंधी के कारण बालूरेत से ढकी रहती है और प्रायः सड़कों पर बसों का आवागमन बन्द रहता है? यदि हां, तो सरकार इसका निराकरण किस प्रकार करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। गिडा सर्किल में मैटल व ग्रेवल की सड़कें बनी हुई हैं। इस विस्तृत क्षेत्र में लगभग सभी पंचायत मुख्यालय डामर की सड़कों से नहीं जुड़े हैं।

(2) गिडा सर्किल क्षेत्र में गर्मियों के मौसम में धूल भरी आंधियों के चलने से सड़कों पर बालू रेत जमा हो जाने के कारण बसों के आवागमन में रुकावट आती है। लगभग मुख्य सड़कों पर जमा रेत को हटाने के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा श्रमिक तथा ट्रैक्टर लगाकर रेत हटाने का कार्य किया जाता है। गत वर्ष भी इस क्षेत्र में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत श्रमिक लगाकर रेत हटाने का कार्य किया गया था। लगातार धूल भरी आंधियां चलने से आवागमन में रुकावट आती है।

जिला अलवर में "अ" श्रेणी के औषधालयों में औषधियों का बजट

583. **श्रीमती पुष्पा देवी** (अलवर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अलवर शहर में कितने आयुर्वेदिक औषधालय कहां-कहां हैं? अलवर शहर के "अ" श्रेणी के औषधालयों की औषधियों का सन् 1987-88, 1988-89 में कितना बजट था और सप्लाई कितनी की गई? प्रत्येक सत्र का पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अलवर शहर के प्रत्येक औषधालय में शैयाएं कितनी-कितनी हैं? क्या इनका बजट पृथक में होता है? यदि हां, तो कितना?

उत्तर

(1) अलवर शहर में निम्न स्थानों पर दो राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय/औषधालय वर्तमान में संचालित हैं :—

(राज्य मंत्री आयुर्वेद)

1. राजकीय "अ" श्रेणी आयुर्वेदिक चिकित्सालय, बजाजा बाजार, अलवर (5 शैया वाला चिकित्सालय)।

2. राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, नवाबपुरा अलवर ("अ" श्रेणी शैया रहित)।

अलवर शहर के उपरोक्त दोनों आयुर्वेदिक औषधालयों को आवंटित निर्मित औषधियों का बजट एवं वितरित औषधियों का बजट एवं वितरित औषधियों की वर्षवार सूचना निम्न प्रकार है :—

		1987-88		1988-89	
क्र. सं.	नाम औषधालय	बजट	वितरण	बजट	वितरण
1.	"अ" श्रेणी आयुर्वेद चिकित्सालय, अलवर	26868	25924	58220	24107
2.	आयुर्वेद औषधालय, नवाबपुरा, अलवर	7450	2921	14850	6296

(2) अलवर शहर के बजाजा बाजार में संचालित राजकीय "अ" श्रेणी आयुर्वेद चिकित्सालय में 5 रोगी शैयायें स्वीकृत हैं। जहां औषधालय (रोगी शैया स्वीकृत) है, वहां अंतरंग विभाग की गत वर्ष की उपलब्ध वार्षिक रोगी संख्या के आधार पर प्रति रोगी प्रतिदिन रुपये 3/- की दर से औषध वितरण हेतु बजट आवंटित किया जाता है जबकि बहिरंग विभाग के लिए वार्षिक रोगी संख्या के आधार पर प्रति रोगी प्रतिदिन 50 पैसे की दर से औषध वितरण का बजट आवंटित किया जाता है। इसके अतिरिक्त औषधालय में भर्ती रोगियों के लिये पथ्य आदि की व्यवस्था हेतु पथ्य क्रय का बजट भी दिया जाता है। इसके लिए कोई मानदण्ड, निर्धारित नहीं है अपितु एक मुश्त बजट पथ्य सामग्री हेतु दिया जाता है। वर्ष 1987-88, 1988-89 एवं 1989-90 में पथ्य सामग्री हेतु एवं औषध वितरण के लिए आवंटित बजट निम्न प्रकार है :

	आवंटित बजट	
वर्ष	पथ्य	औषध
1987-88	5000	1900
1988-89	6000	4161
1989-90	2000	3900

(केवल 4 माह के लिए)

जयपुर नगर की रामपुरा बस्ती को बसाये जाने की योजना

584. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर (ग्रामीण) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) जयपुर नगर में चार दरवाजे बाहर रामपुरा हरिजन बस्ती में कुल कितने मकान हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त बस्ती को विकसित कर बसाये जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो बस्ती का ब्लू प्रिन्ट सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर नगर में चार दरवाजे बाहर रामपुरा हरिजन बस्ती 142 सर्वेक्षित कच्ची बस्तियों में शामिल न होने से मकानों की सूची देना सम्भव नहीं है।

(2) उक्त बस्ती को विकसित कर बसाये जाने की योजना जयपुर विकास प्राधिकरण के विचाराधीन है क्योंकि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सिर्फ सर्वेक्षित बस्तियों का ही विकास किया जाता है।

राज्य के अनुसूचित जाति/जन जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति

585. **श्री मोतीलाल मीणा** (सवाई-माधोपुर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को स्कूलों तथा कालेजों में छात्रवृत्ति किस दर से दी जाती है ?

(2) उपरोक्त छात्रवृत्ति योजना जब चालू हुई थी तब छात्रवृत्ति दर क्या थी तथा अब क्या है ?

(3) क्या छात्रवृत्ति दरों में कभी बढ़ोतरी की गई है ? यदि हां, तो कब-कब कितनी और यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार महंगाई को देखते हुए छात्रवृत्ति दर में बढ़ोतरी करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को स्कूल तथा कालेज स्तर पर छात्रवृत्ति निम्न दरों से दी जाती है :—

स्कूल स्तर-पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

	छात्रवृत्ति की दर	
कक्षा	छात्र	छात्रा
6 से 8 तक	15/-	20)-
9 से 11 तक	30/-	40/-

(36)

(राज्य मंत्री, समाज कल्याण)

कालेज स्तर-उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति

छात्रवृत्ति की दरें प्रतिमाह

	छात्रावासी		डेस्कालर	
ग्रुप	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
ए	185/-	195/-	100/-	110/-
बी	125/-	135/-	100/-	110/-
सी	125/-	135/-	100/-	110/-
डी	115/-	130/-	70/-	85/-
ई	75/-	85/-	50/-	60/-

(2) उपरोक्त छात्रवृत्ति योजना के लागू होने के समय की दरें निम्न प्रकार थी :—

1. **पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति**

कक्षा 6 से 8 तक 5/- प्र.मा. वर्तमान में
कक्षा 9 से 11 तक 10/- प्र.मा. लागू दरें प्रश्न सं. 1 के उत्तर में अंकित हैं।

2. **उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति**

ग्रुप	छात्रावासी	डेस्कालर	
ए.	75/- प्र.मा.	60/- प्र.मा.	,,
बी.	65/- प्र.मा.	50/- प्र.मा.	,,
सी.	60/- प्र.मा.	45/- प्र.मा.	,,
डी.	50/- प्र.मा.	35/- प्र.मा.	,,
ई.	40/- प्र.मा.	25/- प्र.मा.	,,

(3) जी हां, छात्रवृत्ति की दरों में समय-समय पर की गई बढ़ोतरी परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(4) छात्रवृत्ति की दरों में बढ़ोतरी करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास

586. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा कुल कितने छात्रावास विभिन्न योजनाओं के तहत संचालित किये जा रहे हैं ? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त छात्रावासों में कितने छात्र एवं छात्राएं रहती हैं? सूची छात्रावासवार सदन की मेज पर रखें। इन पर क्रमश: वर्ष 1985-86 से 1988-89 तक कितना व्यय किया गया ?

(3) उक्त छात्रावासों में कितने भवन सरकारी भवनों एवं कितने किराये के भवनों में चलाये जा रहे हैं ?

(4) वर्ष 1988-89 में कितने सरकारी भवन बनाये गये एवं कहां-कहां ?

(5) वर्ष 1989-90 में क्या लक्ष्य रखा गया है ?

उत्तर

(1) राज्य में 378 राजकीय व्यवस्था में तथा 106 अनुदानित व्यवस्था में छात्रावास स्वीकृत हैं जिनका योजनावार विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	योजना	छात्रावासों की संख्या
1.	अनुसूचित जाति	133
2.	भंगी कष्ट मुक्ति	56
3.	अनुसूचित जनजाति	162
4.	विमुक्त एवं घुमन्तु जाति	27
		378

अनुदानित

1.	अनुसूचित जाति	54
2.	अनुसूचित जनजाति	50
3.	विमुक्त एवं घमन्तु जाति	2
		106

इनमें संचालित छात्रावासों की जिलेवार सूची संलग्न है।

(2) छात्रावासवार सूची सदन की मेज पर रखी गई है। इन पर हुए व्यय की सूचना निम्न प्रकार है :—

वर्ष	राशि (लाखों में)
85-86	258.22
86-87	281.30
87-88	292.14
88-89	351.44

(3) उपरोक्त छात्रावासों में से 311 किराये के भवनों में तथा 122 छात्रावास संस्था के निजी एवं सरकारी भवनों में संचालित हैं।

(4) वर्ष 1988-89 में निम्न स्थानों में राजकीय छात्रावास भवनों का निर्माण करवाया गया :—

बांसवाड़ा जिला

पाडोली राठोड़ — नरवाली
बजवाना — लोहारिया
सल्लोपाट — माही डेम
आनन्दपुरी

कोटा जिला

समरानिया — गरडा

(5) वर्ष 1989-90 में 50 छात्रावास के भवनों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

(सूची विस्तृत होने के कराण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम टापरवाड़ा की गोचर भूमि से हरे वृक्षों की कटाई

587. **श्री मोहन लाल चौहान** (परबतसर) एवं **श्री केशर देव महरडा** (लक्ष्मणगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विगत 5 वर्षों में ग्राम पंचायत मुख्यालय के ग्राम टापरवाड़ा जिला नागौर की गोचर भूमि से छंगाई के बहाने कितने हरे वृक्षों के पेड़ काटे जाने की शिकायतें

38

(श्री मोहनलाल चौहान)

हुई हैं और इस सम्बन्ध में जांच किसने की ?

(2) जांच में हरे वृक्षों के पेड़ काट कर बेचने वाले कितने दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं तथा अब कब तक की जायेगी ?

उत्तर

(1) विगत 5 वर्षों में ग्राम पंचायत मुख्यालय के ग्राम टापरवाड़ा जिला नागौर की गोचर भूमि से छंगाई के बहाने 200 पेड़ों को काटे जाने की शिकायत उप वन संरक्षक नागौर को प्राप्त हुई और सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी परवतसर से मौके की जांच करवाये जाने पर पेड़ काटना पाया गया। विस्तृत जांच एस. एच. ओ. पीलवा द्वारा की जा रही है।

(2) एस. एच. ओ. पीलवा द्वारा जांच पूर्ण होने पर ही दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करना सम्भव हो सकेगा।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की पदोन्नति

588. **श्री केशर देव महरडा** (लक्ष्मण गढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विभाग में कुल कितने अधिकारी वर्ग के पदाधिकारी कार्यरत हैं ? इनमें से अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने पदाधिकारी कार्यरत हैं ?

(2) क्या यह सही है कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक लम्बे समय तक नहीं होने के कारण बैकलाग समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो डी. पी. सी. कब तक हो रही है ?

(3) सत्र 1988–89 में कितने जे. ई. एन. एवं सुपरवाइजर्स को नियुक्तियां दी गई हैं ? इसमें अनुसूचित जाति/जन जाति के कितने कर्मचारी हैं ? नाम एवं पदस्थापन स्थान सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग में तकनीकी वर्ग के कुल 925 अधिकारी भिन्न संवर्गों में कार्यरत हैं, इनमें 29 अनुसूचित जाति के एवं 10 अनुसूचित जनजाति के हैं। तालिका संलग्न है। (परिशिष्ट "अ")

(2) जी नहीं। निम्नलिखित संवर्गों में उनके सामने अंकित वर्षों की रिक्तियों के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की मीटिंग इसी वर्ष में होने की सम्भावना है।

1. मुख्य अभियन्ता	1989-90
2. अति. मुख्य अभि.	1989-90
3. अधीक्षण अभि.	1989-90
4. अधिशाषी अभि.	1989-90
5. सहा. अभियन्ता (सिविल)	1987-88, 88-89, 89-90

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

6. सहा. अभियन्ता (यांत्रिक)	1986-87, 87-88, 88-89, 89-90
7. सहा. अभियन्ता (विद्युत)	1986-87, 87-88, 88-89, 89-90
8. परीक्षण अधिकारी	1989-90
9. सहा. परी. अधि.	1989-90
10. सहायक वास्तुविद	1985-86

(3) वर्ष 1988-89 में 100 कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) एवं 5 कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) की नियुक्ति की गई थी। इनमें अनुसूचित जाति अनुचित जनजाति के क्रमश: 18 एवं 12 कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) नियुक्त किये गये थे जिनके नाम एवं पदस्थापन की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट "ब" व "स") कनिष्ठ अभियन्ता (यांत्रिक) के पद के साक्षात्कार के लिये जिन अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यार्थियों को बुलाया गया था उनमें से केवल 2 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी ही आये थे और ये दोनों ही चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु उपस्थित नहीं हुए।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

राजकीय चिकित्सालय, टौंक

589. **श्री ग्यारसीलाल परिडवाल** (निवाई) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निवाई कस्बा जिला टौंक में राजकीय अस्पताल में अभी कितने डाक्टर्स कार्यरत हैं? कितने डाक्टर्स की वहां स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा की हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग आदि की मरम्मत कब करवाई गई थी? क्या मरम्मत करवाने की अवधि निर्धारित है? यदि हां, तो किस अवधि में?

(3) अस्पताल के लिये विगत 3 वर्षों में कितनी-कितनी राशि वर्षवार आवंटित की गई? क्या यह पर्याप्त है?

(4) इस समय कितने डाक्टर्स को सरकारी निवास स्थान उपलब्ध है?

उत्तर

(1) राजकीय अस्पताल, निवाई (टौंक) में स्वीकृत/कार्यरत डाक्टर्स का विवरण निम्न प्रकार है :—

	स्वीकृत	कार्यरत
1. कनिष्ठ विशेषज्ञ	2	1
2. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1
3. चिकित्सा अधिकारी	1	1

(2) निवाई चिकित्सालय के भवन की मरम्मत का कार्य वर्ष 1987-88 में कराया गया था।

मरम्मत की अवधि निश्चित नहीं है, जो आवश्यकतानुसार उपलब्ध सीमित वित्तीय साधन को देखते हुए कराई जाती है।

(3) गत तीन वर्षों में आवंटित राशि का ब्यौरा इस प्रकार से है :—

(५०)

(चिकित्सा मंत्री)

वर्ष	आवंटित राशि
1986-87	शून्य
1987-88	10,000 रु.
1988-89	शून्य

आवंटित राशि आवश्यकतानुसार दी गई।

(4) इस समय डा. दिनेश कुमार जैन व उनकी पत्नी डा. (श्रीमती) प्रेमलता जैन एक ही सरकारी आवास में रह रहे हैं।

रायपुर तहसील में चिकित्सा सुविधाएं

590. **श्री हीरा सिंह चौहान** (रायपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रायपुर तहसील, जिला पाली में कुल कितने ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं और प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर किस-किस प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस वर्ष जन प्रतिनिधि द्वारा रायपुर निर्वाचन क्षेत्र में किस-किस स्थान पर किस-किस प्रकार की चिकित्सा सुविधा खोलने का विभाग को निवेदन किया गया?

(3) मांग के अनुसार विभाग कहां-कहां पर किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने का विचार रखता है?

उत्तर

(1) रायपुर तहसील पाली में 30 ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं। इन ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) इस वर्ष 1989-90 में केवल रायपुर में रेफरल अस्पताल खोलने का प्रस्ताव विधान सभा के माध्यम से प्राप्त हुआ है, परन्तु गत वर्ष ग्राम चितार, बगड़ी, मोहरकलां, चूलकोट, रेलड़ा, करमावास एवं सबलपुरा में उप केन्द्र खोलने हेतु एवं मेसिया में एडपोस्ट तथा रायपुर में रेफरल अस्पताल खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से सबलपुर को छोड़कर अन्य प्रस्तावित स्थानों पर उपकेन्द्र खोल दिये गये। मेसिया, एडपोस्ट खोलने के मापदण्ड में नहीं आता था।

(3) बजट निर्णायक समिति द्वारा आवश्यक वित्तीय प्रावधान उपलब्ध कराने के पश्चात ही इस बारे में निर्णय लिया जा सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

बस्सी नगरपालिका के कर्मचारियों की सेवाएं

591. **श्री हरजी राम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्रम न्यायालय, जयपुर द्वारा केस नं. ए. सी. आर.

(श्री हरजीराम बुरड़क)

131/85 में तथा सम्मानीय राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर पीठ) द्वार डी.बी., सिविल रिट पीटिशन नं. 3110/87 में बस्सी नगरपालिका, जिला जयपुर के किन्हीं कर्मचारियों को दिनांक 6-5-1983 से समस्त वेतन एवं अन्य सेवा लाभ देकर सेवा में वापस लेने तथा दिनांक 17-4-1982 से इनकी सेवायें निरन्तर मानी जाने के आदेश दिये जा चुके हैं ? यदि हां, तो किन कर्मचारियों के पक्ष में तथा दिनांक 6-5-1983 से पूर्व ये कर्मचारी किन पदों पर कार्यरत थे ?

(2) क्या उक्त न्यायालयों के निर्णय अनुसार सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को सेवा में वापस लेकर उनके पूर्व पदों पर नियुक्तियां दे दी गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि बस्सी नगरपालिका द्वारा अभी तक न्यायालय के निर्णयों की पूर्ण पालना नहीं करने तथा वेतन भुगतान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में स्वायत्त शासन मंत्री, प्रशासक नगरपालिका बस्सी तथा निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार को समय-समय पर प्रार्थना-पत्र वेतन दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किये गये हैं ? यदि हां, तो अब तक वेतन भुगतान नहीं होने के क्या कारण हैं व अब भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां । श्री लोकेश कुमार शर्मा व श्री नूतन पारीक के पक्ष में निर्णय हुआ है । उक्त कर्मचारी दिनांक 6.5.83 से पूर्व चुंगीनाकों पर दैनिक वेतन पर कार्यरत थे ।

(2) न्यायालय के निर्णय की पालना में श्री नूतन पारीक को नगरपालिका बस्सी द्वारा अपनी उपस्थिति दिये जाने पर दैनिक वेतन पर चुंगी नाके पर लगा दिया है । श्री लोकेश कुमार द्वारा अभी तक भी अपनी उपस्थिति पालिका में नहीं दी गई है ।

(3) जी हां । नगरपालिका को उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार कार्यवाही करने के लिए लिखा जा चुका है । वेतन का बिल बन चुका है । शीघ्र ही भुगतान कर दिया जावेगा ।

'कोफे पोसा' के अन्तर्गत नजरबन्दी के आदेश

592. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) एवं

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 अप्रेल, 1988 से अब तक कस्टम विभाग द्वारा किन-किन व्यक्तियों को कोफेपोसा में नजरबन्द करने हेतु राज्य सरकार को कब-कब लिखा गया था और राज्य सरकार द्वारा किस-किस व्यक्ति को नजरबन्द करने का कब-कब निर्णय लिया गया ?

(2) क्या यह सही है कि निर्णय लेने में विलम्ब होने तथा नजरबन्दी की सूचना नजरबन्दों को मिलने के कारण वह फरार हो गये ? यदि हां, तो कौन-कौन ?

उत्तर

(1) 1 अप्रेल, 1988 से अब तक 16 व्यक्तियों को कोफेपोसा एक्ट में नजर करने के प्रस्ताव कस्टम विभाग से राज्य सरकार को प्राप्त हुए।

(2) जी नहीं। 5 व्यक्ति कस्टम विभाग से प्रस्ताव प्राप्त होने से पहले ही फरार थे। ग्यारह व्यक्तियों को विरुद्ध किया गया था।

पुलिस थाना, नांवा में हत्या का प्रकरण

593. **श्री हरीशचन्द्र कुमावत** (नांवा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पुलिस थाना नांवा में श्री सादुला पुत्र श्री घीसा मीणा, निवासी कुणी की हत्या सम्बन्धी मुकदमा 53/89 दर्ज हुआ है? यदि हां, तो श्री घीसाराम द्वारा इस प्रकरण में दी गई एफ.आई.आर. दिनांक 30-5-1989 की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस प्रकरण में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जाहिर है कि इस व्यक्ति को मारने से पूर्व काफी पिटाई की गई है व सिर में भी गम्भीर चोट के कारण उसकी मृत्यु हुई?

(3) श्री सादुला को जिस कुएं में डाला गया क्या उस कुएं में पानी था? यदि हां तो क्या सादुला के शरीर में पानी भर गया?

(4) क्या इस केस की जांच अतिरिक्त पुलिस अधिकारी, नागौर ने की है यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है?

(5) क्या इस हत्या के मुकदमे में कोई नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई है? यदि हां, तो उन लोगों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां, यह मुकदमा नं. 53/89 न होकर मु.नं. 54/89 दर्ज हुआ है। इस प्रकरण की एफ.आई.आर. दिनांक 29.5.89 को रात्रि को 11.00 पी.एम. पर दर्ज की गई है। एफ. आई. आर. की प्रति संलग्न है।

(2) पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में 12 चोटों का उल्लेख है और मृतक की मौत का कारण सिर में गम्भीर चोट का होना है।

(3) श्री सादुला की लाश जिस कुएं से बरामद हुई उस कुए में पानी 12 हाथ (18 फुट) था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मृतक के फेफड़ों एवं पेट में पानी नहीं होने का उल्लेख है।

(4) जी हां, उनके द्वारा मुकदमें की तफतीश की गई उनके द्वारा मुकदमें में मृतक की पत्नी समेत कुल 6 गवाहान के बयान लिए गये जिन्होंने तफतीश तस्दीक कर मामला एफ.आर. अदम बकू का होना माना है।

(5) जी हां, श्री घीसाराम मीणा जो मृतक सादुला का पिता है, की रिपोर्ट श्री मंगला राम, श्री रामू, श्री बालू,

(गृह मंत्री)

श्री रामदेव जाटान के विरुद्ध दर्ज हुई है। मुकदमें का अनुसंधान किया गया। बाद अनुसंधान कत्ल किया जाने का कोई साक्ष्य न होने पर व हालात के मुताबिक एफ. आर. अदम बकू (झूठ) में दिनांक 3.7.89 को दी गई। परन्तु समग्र परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा पुनः अनुसंधान के आदेश दिये गये हैं।

(एफ.आई.आर. की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

करोली चिकित्सालय में चिकित्सकों के रिक्त पद

594. **श्री शिवचरण सिंह** (करोली) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) करोली अस्पताल में डॉक्टरों के कितने पद स्वीकृत हैं और कितने पदों पर डॉक्टर पदस्थापित हैं ?

(2) कितने पद रिक्त है ? ये रिक्त पद कब तक भरे जायेंगे ?

(3) क्या यह सही है कि कई कनिष्ठ विशेषज्ञों के पद लम्बे समय से खाली है ? यदि हां, तो क्यों और इन्हें कब तक भरा जायेगा ?

उत्तर

(1) करोली अस्पताल में विभिन्न श्रेणी के डॉक्टरों के स्वीकृत/पदस्थापित पदों का ब्यौरा निम्न प्रकार हैं :—

नाम पद	स्वीकृत	पद स्थापित
1. वरिष्ट विशेषज्ञ	4	2
2. कनिष्ट विशेषज्ञ	9	6
3. वरिष्ट चिकित्सा-धिकारी	5	5
4. चिकित्सा अधिकारी	12	12

(2) रिक्त पदों का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैं :—

1. वरिष्ठ विशेषज्ञ	2
2 कनिष्ठ विशेषज्ञ	3

इन पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी हां, पात्र अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण पद रिक्त है। जैसे-जैसे पात्र व्यक्ति उपलब्ध हो रहे हैं, उन्हें पदोन्नत कर पद भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है।

वन विहार कालोनी

595. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर की वन विहार कालोनी में कुल कितने आवास निर्मित हैं, कितने सेक्टर हैं तथा कितने-कितने आवास हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

५५

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

(2) उक्त योजना में सन् 1981 के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र के कितने लोग कितने आवासों में निवास कर रहे हैं ?

(3) उक्त बाढ़ पीड़ितों से सामान्य राशि लेकर उक्त आवास उपलब्ध कराने में विभाग को क्या आपत्ति है ? उक्त आवास उक्त निवासियों को कब तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जयपुर नगर की आवासन मण्डल द्वारा निर्मित वन विहार कालोनी में कुल 752 मकान निर्मित हैं। उक्त कालोनी में दो सैक्टर हैं। जिनमें ई. डब्ल्यू. एस. के 576 व एल.आई.जी. के 176 है। सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त योजना में वर्ष 1981 की बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र के लोग 490 आवासों में निवास कर रहे हैं।

(3) उक्त बाढ़ पीड़ितों से सामान्य राशि लेकर उक्त आवास उपलब्ध कराने में बोर्ड को कोई आपत्ति नहीं है। वर्ष 1981 के उक्त बाढ़ पीड़ितों को आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु वर्ष 1988 में विशिष्ट पंजीकरण योजना चालू की गई थी। जिसके अन्तर्गत 146 लोगों द्वारा सामान्य राशि जमा करा दिये जाने के पश्चात् आवंटन/कब्जा पत्र दे दिया गया। शेष बाढ़ पीड़ितों के लिए पुनः वर्ष 1989 में विशिष्ट पंजीकरण योजना प्रारम्भ है जिसके अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे हैं। आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात् आवंटन/कब्जा पत्र दे दिया जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

ब्यावर में कार्यरत रेंजरों के खिलाफ विभाग को प्राप्त शिकायतें

596. **श्री माणक डाणी** (ब्यावर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वन विभाग रेंज ब्यावर में कार्यरत रेंजरों के खिलाफ विभाग को समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती रही हैं ? यदि हां, तो गत 5 वर्षों में किन-किन रेंजर्स के खिलाफ किन-किन मामलों में जांच किन शिकायतों के आधार पर कब से चल रही है ? शिकायतों की प्रति तथा जांच रिपोर्टों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि के दौरान कितने मामलों की जांच पूर्ण करली गई और उन जांच में कौन-कौन अधिकारी तथा कर्मचारी दोषी पाये गये ? दोषियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या इस अवधि के दौरान किन्हीं अधिकारी को निलम्बित किया गया ? यदि हां, तो निलम्बित करने का कारण ? निलम्बित अधिकारी को दिये गये आरोप-पत्र अधिकारी द्वारा दिये गये प्रत्युत्तर तथा पुनः सेवा में लेने के कारणों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। गत पांच वर्षों में निम्न क्षेत्रीयों के विरुद्ध सात शिकायतें प्राप्त हुई तथा उन पर हुई कार्यवाही का विवरण नियमानुसार है :—

(अ) श्री भंवर सिंह क्षेत्रीय के विरुद्ध वर्ष 1984 में रेंज ब्यावर के हरराजपुरा प्लान्टेशन में पौधा रोपण में फर्जी वाऊचर बनाकर रुपये 5502/- का अपहरण करने का आरोप लगाया गया। परिवाद पत्र की प्रति एवं प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(ब) श्री भंवर सिंह क्षेत्रीय के विरुद्ध ब्यावर रेंज के जवाजा नर्सरी में वित्तीय अनियमिततायें करने के आरोप लगाये गये। इसकी प्रारम्भिक जांच निदेशक सतर्कता (वन) द्वारा की गई है। जांच प्रतिवेदन संलग्न हैं।

(स) रेंज ब्यावर के क्षेत्रीय श्री करण सिंह टांक एवं अन्य लोक सेवकों के विरुद्ध कर्त्तव्योपेक्षा करने पौधा रोपण के समय पर समुचित देखभालन करने व बी. एस. आर. की दर से अधिक दर से व्यय कर राज्य सरकार को रु. (15588 +20122)=37710/- रु. की आर्थिक हानि पहुंचाने का आरोप लगाया गया है।

(द) तारांकित प्रश्न 16/86 द्वारा श्री किशन मोटवानी के उत्तर दिनांक 22-1-86 के क्रम में वन मंत्री द्वारा ग्राम मसूदा (अजमेर) की नर्सरी में कुएं निर्माण में अनियमितता के प्रश्नके भाग (3) के सम्बन्ध में यह आश्वासन दिया गया कि अनियमितता के बारे में अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रारम्भिक जांच कराई जावेगी।

(इ) श्री माणक चन्द डांगी द्वारा दिनांक 17-1-87 को माननीय वन मंत्री को शिकायत की कि श्री भंवर सिंह रेंजर ब्यावर वन मण्डल, अजमेर के कार्यालय में श्री दूलाराम पुत्र लालू राम भाम्बी निवासी ग्राम हिम्मतपुरा ग्राम पंचायत किशनपुरा के यहां लगभग 20,000 पौधों की फर्जी नर्सरी लगाई गई तथा उसे कुछ राशि का भुगतान भी किया गया है। शिकायतों की प्रति संलग्न है।

(ई) श्री भवानी शंकर शर्मा तत्कालीन रेंजर, रेंज ब्यावर के विरुद्ध 1980 में हनुतियां जंगल में वृक्षारोपण नहीं कर, 10,000/- रुपये का घोटाला करने का आरोप लगाया गया। जांच वन संरक्षक, अजमेर के स्तर पर 5-3-1986 से विचाराधीन है।

(५६)

(वन मंत्री)

(उ) श्री आर. पी. शर्मा तत्कालीन फोरेस्ट रेंजर ब्यावर के विरुद्ध ग्राम हरराजपुरा मसूदा के कुएं पर फर्जी नर्सरी लगाकर गोलमाल करने का आरोप श्री माणक चन्द डाबी, विधायक द्वारा लगाया गया। निदेशक सतर्कता (वन) द्वारा उक्त जांच मण्डल वन अधिकारी, अजमेर के सुपुर्द कर दी गई।

"अ" "स" तथा "ई" में वर्णित शिकायतों की प्रारम्भिक जांच पूर्ण कर ली गई है। जांच प्रतिवेदन संलग्न है। प्रकरण 'ब' की जांच निदेशक सतर्कता (वन) द्वारा की जा चुकी है। जांच प्रतिवेदन सदन के पटल पर रख दिया गया है तथा प्रकरण "ब" एवं "इ" में जांच वन संरक्षक अजमेर द्वारा की जा रही है। प्रकरण "उ" के सम्बन्ध में जांच मण्डल वन अधिकारी, अजमेर के स्तर पर विचाराधीन है।

(2) 1. प्रकरण "अ"—हरराजपुरा प्लान्टेशन में फर्जी बिल बना कर राजकीय राशि का अपहरण करने के मामले में सर्वश्री भंवर सिंह क्षेत्रीय, अब्दुल रहमान वन रक्षक, छोटू सिंह सहायक वनपाल को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, के ज्ञापन पत्र संख्या एफ 1 (27)86, जांच/प्रमुवस/1426-28 दि. 30.4.88 से आरोप व अभिकथन पत्र जारी कर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के आदेश सं. 81-88 दिनांक 9.3.89 से मण्डल वन अधिकारी, अजमेर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच अधिकारी से जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

2. प्रकरण "ब"—जांच निदेशक सतर्कता (वन) द्वारा की जा चुकी है। जांच रिपोर्ट संलग्न है।

3. प्रकरण "स"—सर्व श्री करणसिंह टांक, क्षेत्रीय, कालू सिंह कुन्दनमल, लाल सिंह, लक्ष्मण सिंह वनपाल, पन्ना सिंह, रामकरण, मिट्ठू सिंह, भरोसीलाल मीणा, गोवरधनसिंह, रूप सिंह वन रक्षक को राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुंचाने के आरोप में प्रधान मुख्य वन संरक्षक के ज्ञापन पत्र संख्या एफ. 11 (67) जांच/87/प्रमुवस/ 1325-33 दिनांक 1.5.89 से आरोप व अभिकथन-पत्र जारी किये गये। दोषी लोक सेवकों को अभिलेखों का निरीक्षण कराया जा चुका है। आरोपित लोक सेवकों से अभ्यावेदन अपेक्षित है।

4. एवं 5. प्रकरण 'द' एवं 'ई'—जांच वन संरक्षक, अजमेर द्वारा की जा रही है।

9. प्रकरण 'इ'— जांच पूर्ण कर ली गई है व कोई लोक सेवक दोषी नहीं पाया गया है।

मण्डल वन अधिकारी, अजमेर के स्तर पर विचाराधीन है।

(3) जी हां। रेंज ब्यावर की जवाजा नर्सरी में फर्जी भुगतान करने के आरोप में राज्य सरकार के अर्द्ध शासकीय पत्रांक एफ. (80) राज-8/87 दिनांक 27-3-87 से प्राप्त निर्देशानुसार श्री भंवर सिंह

(वन मंत्री)

क्षेत्रीय, ब्यावर को मुख्य वन संरक्षक के आदेश संख्या 18 ( ) 87/जांच/मुवसं/1414-25 दिनांक 1-4-87 से निलम्बित किया गया। राज्य सरकार के पत्र संख्या एफ. 5(80) राज-8/87 दिनांक 27-10-87 की अनुपालना में प्रधान मुख्य वन संरक्षक के आदेश संख्या 5285-96 दिनांक 16-11-87 से जांच पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले बहाल कर दिया गया। प्रकरण की जांच निदेशक, सतर्कता वन के स्तर पर की जा रही है। प्रारम्भिक जांच पूर्ण होने पर ही दोषी लोक सेवकों को आरोप एवं अभिकथन पत्र दिये जावेंगे।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में चिकित्सकों/कम्पाउण्डरों व नर्सों के रिक्त पद

597. **श्री अर्जुनसिंह देवड़ा** (रानीवाड़ा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में कितने चिकित्सकों, कम्पाउन्डरों, नर्सों व ए. एन. एम. के पद रिक्त हैं व सरकार इन्हें कब तक भरने का विचार रखती है ?

(2) बड़गांव पी. पी. सेन्टर को चालू क्यों नहीं किया गया और इसे अब कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में दो कनिष्ठ विशेषज्ञ, 3 मेलनर्स श्रेणी द्वितीय एवं 27 प्रसाविकाओं के पद रिक्त हैं। कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद डी. पी. सी. से चयनित चिकित्सक एवं अन्य पद प्रशिक्षित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरे जा सकेंगे।

(2) बड़गांव पी. पी. सेन्टर वर्ष 1988-89 के आखरी माह में स्वीकृत किया गया है। यहां आवश्यक सामग्री एवं एक मेलनर्स श्रेणी द्वितीय को पदस्थापित कर दिया गया है तथा शेष स्टाफ की व्यवस्था यथा शीघ्र कर दी जाएगी।

पंचायत समिति, जहाजपुर के भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध शिकायतें

598. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व सरपंच पीपलून्द, पंचायत समिति, जहाजपुर के विरुद्ध राहत कार्यों में फर्जी हाजरियों, फर्जी एवं गलत भुगतान तथा बेलदार के स्थान पर बैल गाड़ियां बनाकर घपलेबाजी तथा भारी अनियमिततायें कर सरकारी गेहूँ को हड़पने की शिकायत आई थी ? यदि हां, तो शिकायतों की जांच रिपोर्ट एवं चार्ज शीट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध शिकायत तथा अन्य शिकायतों की

(48)

(श्री रतनलाल ताम्बी)

जांच की गई ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि जिलाधीश भीलवाड़ा ने गम्भीर शिकायतों पर एफ. आई. आर. दर्ज करने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो एफ. आई. आर. कब दर्ज कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या इस गम्भीर मामले में उक्त भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध आरोपों को देखते हुए राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या इस भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध पंचायत के निर्माण कार्यों में भारी घपले बाजी, अनियमितता तथा अन्य भूमि आबादी के प्रकरणों में अनियमितत के तथ्य भी सामने आये हैं ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध कहां, किस स्तर पर कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जांच प्रतिवेदन एवं आरोप पत्र की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। जांच प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर पूर्व सरपंच के दोषी पाये जाने के कारण राजस्थान पंचायत सामान्य नियमों के नियम 21 (2) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण मांगा गया है। पूर्व सरपंच का स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।

(3) जी हां। मूल दस्तावेजों के अभाव में उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा द्वारा एफ. आई. आर. दर्ज नहीं कराई जा सकी है।

(4) पूर्व सरपंच से राजस्थान पंचायत सामान्य नियमों के नियम 21 (2) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर पूर्व सरपंच के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।

(5) पूर्व सरपंच के विरुद्ध निर्माण कार्यों में भारी घपलेबाजी तथा अनियमितता किया जाना नहीं पाया गया बल्कि आबादी भूमि के विक्रय के सम्बन्धों में अनियमिततायें पाई गई। पूर्व सरपंच के विरुद्ध राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा 17 (4) की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से मूल पत्रावली मंगवाई गई है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। मूल पत्रावली के प्राप्त होने एवं उसके निरीक्षण के पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।

(जांच प्रतिवेदन विस्तृत होने कारण के विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।

पंचायत समिति, लालसोट के ग्राम सूरतपुरा में विवादग्रस्त स्थान पर लगाया हैंडपम्प

599. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री परसादीलाल मीणा)

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, लालसोट के ग्राम सूरतपुरा में हैंड-पम्प लगाने के बाबत अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जयपुर ने विवादग्रस्त स्थान पर हैंडपम्प नहीं लगाने का आदेश अधिशाषी अभियन्ता, दौसा को दिये थे ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि अधिशाषी अभियन्ता, दौसा ने अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के आदेश के बाद विवादग्रस्त स्थान पर हैंडपम्प लगाने के आदेश प्रसारित किये थे ? यदि हां, तो किस तारीख को ?

(3) क्या यह सही है कि सहायक अभियन्ता, लालसोट ने सरकारी नीतियों का उल्लंघन करके एक ही व्यक्ति विशेष के मकान के समीप हैंडपम्प लगाकर अन्य लोगों को पानी की सुविधा से वंचित कर दिया है ?

(4) क्या कई जन प्रतिनिधियों ने इसकी पुनः शिकायत अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जयपुर को की है ? यदि हां, तो उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जी हां। आदेश 25-5-99 को दिए गये थे।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। मामले की जांच की जा रही है।

निवाई नगर में सेनेटरी से सम्बन्धित मामले

600. **श्री ग्यारसी लाल परिडवाल** (निवाई) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) निवाई नगर में सेनेटरी इन्सपेक्टर द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1988 से 20 जून, 1989 तक कितने मामले किस-किस प्रकार के पकड़े गये तथा आज तक कितने प्रकार के पुलिस केस थाने में, किस-किस व्यक्ति के खिलाफ दर्ज करवाये गये ?

(2) क्या उक्त सेनेटरी इन्सपेक्टर के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं रिश्वत की शिकायतें सम्बन्धित विभाग को जनप्रतिनिधि द्वारा लिखी गई ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(1) निवाई नगर में सेनेटरी इन्सपेक्टर द्वारा जनवरी, 1988 से 20 जून, 1989 तक कुल 101 मामले पकड़े गए जिनमें 19 मामले मिलावटी, 80 मामले अनुज्ञापत्र नहीं होने तथा 2 मामले नमूना नहीं देने के है। नमूना न देने के मामलों में से एक केस में पुलिस थाना, निवाई में श्री शिवजी लाल का दूध का सैम्पल न देने, मारपीट करने के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई।

(50)

(चिकित्सा मंत्री)

(2) जी नहीं, विभाग को प्राप्त नहीं हुई।

अतारांकित प्रश्न संख्या 601
(स्थगित)

अकलेरा (झालावाड़) की नगरपालिका को अनुदान

602. **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सन् 1985 से अब तक झालावाड़ जिले की अकलेरा नगरपालिका को किस-किस वर्ष, कितना-कितना अनुदान व मदद दी गई ?

(2) छोटी नगरपालिकाओं के विकास व मजबूती के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? इस वर्ष नगरपालिका अकलेरा को कितना अनुदान दिया जा रहा है ?

उत्तर

(1) नगरपालिका अकलेरा को वर्ष 1985 से अब तक निम्नानुसार अनुदान दिया गया।

वर्ष	सामान्य अनुदान	विशेष अनुदान	सफाई उपकरण हेतु
1985-86	52,520	—	—
1986-87	78,780	—	—
1987-88	1,05,040	30,000	—
1988-89	1,05,040	—	29,150

2. मुखर्जी कमेटी की अन्तरिम रिपोर्ट में छोटी नगरपालिकाओं के बारे में कुछ सुझाव हैं जो सरकार के विचाराधीन हैं। नगरपालिका अकलेरा को भी अनुदान राशि दिया जाना विचाराधीन है।

जयपुर नगर व कालोनी में कचरा डालने वाले स्थानों का चयन

603. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर नगर व कालोनी में कूड़ा कचरा डालने के लिये क्या स्थानों का चयन कर व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

(2) क्या इनमें से अधिकांश कचरा व्यस्त सड़कों व कालोनीज के मध्य पड़ा है, जो अस्वास्थ्यकर स्थिति है ?

(3) जयपुर में फिल्म कालोनी में मयूर सिनेमा के पीछे जहां दवाइयों की दुकानें है, खाने-पीने की होटल हैं, पेयजल का हैंड पम्प हैं क्या वहां पर क्षेत्र का कूड़ा कचरा इकठ्टा किया जाता है और क्या यह भी सही है कि इससे भयंकर दुर्गन्ध रहती है ?

(4) इस क्षेत्र के महत्व को देखते हुए क्या विभाग उक्त स्थान पर कूड़ा कचरा इकट्ठा करना बन्द करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री चम्पालाल बांठिया)

(5) क्या सरकार पुनर्विचार कर व्यस्त सड़कों, पार्कों व कालोनीज के मध्य की गई ऐसी आपत्तिजनक व्यवस्था पर विचार कर एक तरफ दूर कचरा जमा करने के स्थान तय करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। जहां-जहां कूड़ा-कचरा डालने के स्थानों का चयन किया गया है, उन स्थानों का विवरण संलग्न है।

(2) जी नहीं। कचरा डिपो के लिए उपयुक्त स्थान वहां नहीं मिल पा रहे हैं वहां भी सड़क के एक तरफ अथवा फुटपाथ के किनारे कचरा इकट्ठा किया जाता है जिसे प्रतिदिन ही उठवा लिया जाता है। यथा सम्भव कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जाता है।

(3) जी हां। यह कचरा डिपो लगभग बारह वर्ष पुराना है। यहां कचरा बहुत कम इकट्ठा किया जाता है एवं प्रतिदिन उठा लिया जाता है तथा कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी किया जाता है।

(4) जी नहीं। जब तक उपर्युक्त स्थान की वैकल्पिक व्यवस्था न हो जाय तब तक कचरा डिपो को यहां से हटाना सम्भव नहीं हैं।

(5) नगरपरिषद, सड़क और कालोनीज के मध्य स्थान पर इकट्ठे किये जाने वाले कचरे की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सदैव प्रयत्नशील है। पार्कों के मध्य कचरा इकट्ठा नहीं किया जाता है बल्कि पार्कों के एक तरफ सड़क से दूर कोने पर अधिकृत रूप से कचरा डिपो शटरनुमा बनाये गये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

खानपुर क्षेत्र में स्वीकृत नवीन सड़कें

604. **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) एवं **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) झालावाड़ जिले के विधान सभा क्षेत्र खानपुर में सन् 1988-89 में कितनी नवीन सड़कें स्वीकृत की गयीं ? इनकी कुल लम्बाई तथा कुल लागत का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) खानपुर से दुलेट तक सड़क कब स्वीकृत की गयी थी और कब-कब कितना कितना बजट आवंटित किया गया ? क्या आगे तक भी सड़क पूरी नहीं बन पायी है ? और पूरा डामरीकरण नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो क्यों ? कब तक सड़क दुलेट तक पूरी तरह से बन जायेगी ? इस वर्ष इस सड़क के लिये कितनी राशि का प्रावधान हुआ है ?

(3) क्या यह सही है कि सुमर से सांगोद तक की सड़क का कार्य अधूरा ही

(52)

(श्री हरीश शर्मा)

छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सड़क के लिये पर्याप्त राशि आवंटित नहीं की गयी है तथा वर्षा से ढाले की मिट्टी भी बह गयी है ? यदि हां, तो अब सड़क कब तक पूरी बना दी जायेगी ? इस वर्ष सड़क के लिये कितनी राशि का प्रावधान है ?

(4) क्या यह सही है कि नूरजी गाडखाडा से सारोला तक की सड़क भी अभी तक पूरी नहीं बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक पूरी बना दी जायेगी ?

(5) क्या यह सही है कि खानपुर की सड़कों के लिये पर्याप्त बजट नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या पर्याप्त बजट के अभाव में सड़कें अधूरी रह जाती हैं तथा बरसात में टूट जाती हैं जिससे सरकारी निधि की भारी हानि होती है तथा सड़कों की लागत भी ज्यादा आती है ? यदि हां, तो अब इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर में वर्ष 1988-89 में कोई नवीन सड़कें स्वीकृत नहीं की गई।

(2) खानपुर से दुलेट तक सड़क एम. एन. पी. व आर. एल. ई. जी. पी. के अन्तर्गत वर्ष 1983-84, 1984-85 एवं 1986-87 में स्वीकृत की गई। एम. एन. पी. में वर्षवार आवंटित बजट व खर्च, आर. एल. ई. जी. पी. फेज-1 एवं फेज-2 में वर्ष वार खर्च का विवरण निम्न प्रकार है :–

वर्ष	एम.एन.पी.		आर.एल.ई.जी.पी. फेज–I	आर.एल.ई.जी.पी. फेज–II
वर्ष	आवंटित राशि लाख रु. में	व्यय लाख रु. में	व्यय लाख रु. में	व्यय लाख रु. में
1983-84	—		4.83	—
1984-85			17.50	—
1985–86	0.95	23.65	5.12	—
1986–87	1.70		4.02	2.85
1987–88	6.00		1.41	0.99
1988–89	10.00		2.21	—
1989–90	9.00		—	—
कुल योग	27.65	23.65	35.09	3.84

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

खर्च की गई राशि में झालावाड़ जिले के अन्तर्गत कुल 22.60 कि. मी. लम्बाई में से 4 कि. मी. छोड़कर कार्य पूर्ण हो चुका है। इस वर्ष इस सड़क पर एम. एन. पी. मद में 9 लाख रुपये का प्रावधान है। कार्य का पूरा होना, वित्तीय साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(3) जी हां। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम बन्द हो जाने के कारण कार्य अधूरा रह गया है। वर्षा ऋतु में सड़क के दोनों किनारों की मिट्टी कहीं कहीं क्षतिग्रस्त हो गई है। इस कार्य के लिये कोई प्रावधान नहीं है।

(4) जी हां। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम बन्द हो जाने के कारण कार्य पूरा नहीं करवाया जा सका। इस वर्ष और कोई स्वीकृति नहीं है।

(5) जी नहीं। प्लान की सड़क पर राज्य स्तर पर उपलब्ध वित्तीय साधनों के अनुसार बजट का प्रावधान समय पर करवाया जा रहा है एवं कार्य किया गया है। वर्षा ऋतु में सड़कों पर सामान्य क्षति होती है एवं उन पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सड़कों की आवश्यक मरम्मत कर दी जाती है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में कारपेण्टरी सुपरवाइजर्स की पदोन्नति

605. **सुश्री पुष्पा जैन (पाली)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, (वृत्त प्रथम) जयपुर के कार्यालय में कारपेण्टरी के सुपरवाइजर के पदों पर पदोन्नति के मामले गत कुछ वर्षों से लम्बित चले आ रहे हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के विपरीत उक्त कार्यालय में वरिष्ठ कारपेण्टरों के हकों पर कुठाराघात कर कनिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ दिया गया है? यदि हां, तो क्यों और किन नियमों के अन्तर्गत? वरिष्ठता सूची मय पूर्ण विवरण के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नियमों के विपरीत कनिष्ठ कर्मचारियों को सुपरवाइजर के पदों पर पदोन्नति देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि कारपेन्टरों का सुपरवाइजर के पदों पर पदोन्नति संबंधी कोई मामला उच्च न्यायालय में निर्णयाधीन चल रहा है? यदि हां, तो फिर वरिष्ठता को लांघकर कनिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नति देने के आधार क्या रहे?

(5) क्या यह भी सही है कि कार्यालय में कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची एवं

(54)

(सुश्री पुष्पा जैन)

रेकार्ड में फेरबदल महज कनिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नति देने की मंशा से किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(6) क्या यह सही है कि अधीक्षण अभियन्ता ने कनिष्ठ कर्मचारियों को नियमों एवं अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर सुपरवाइजर ग्रेड–I के पदों पर पदोन्नति देकर उन्हें बाद में पदावनत भी किया गया ? क्या ऐसा करने से राज्य सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ? नहीं, तो क्यों ?

(7) क्या अब सरकार वरिष्ठता के आधार पर कारपेन्टरों को सेवा निवृत्ति से पूर्व सुपरवाइजर के पदों पर पदोन्नति का लाभ देकर उनके साथ न्याय करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। कारपेन्टरों से सुपरवाईजरों के पदों पर पदोन्नति के मामले गत कुछ वर्षों से लंबित रहे हैं क्योंकि उपखण्ड स्तर पर जो वरिष्ठता सूची तैयार की गई उसमें श्रमिकों की आपत्तियां थीं।

(2) जी नहीं। राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार एवं मुख्य अभियन्ता के आदेश संख्या एफ-20-443/सैक्शन-12/डी-8195 दिनांक 17-7-1981 द्वारा एक समिति का गठन किया गया। इस समिति की सिफारिश के अनुसार वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दी गई।

(3) चूंकि पदोन्नति मुख्य अभियंता द्वारा गठित समिति की सिफारिश पर की गई है लिहाजा किसी भी अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी नहीं। कारपेण्टरों को सुपरवाईजरों के पदों पर पदोन्नति सम्बन्धी वर्तमान में कोई मामला उच्च न्यायालय में निर्णयाधीन नहीं है।

(5) जी नहीं। कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया।

(6) जी हां। एक कर्मचारी को सुपरवाईजर ग्रेड-प्रथम के पद पर पदोन्नति दे दी गई तथा उसे पदावनत करने के लिये सम्बन्धित कार्यालय को लिखा जा चुका है। जहां तक दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न है इस मामले में किसी का उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं हुआ। इसलिये कोई कार्यवाही का मामला विचाराधीन नहीं है।

(7) जी हां। कारपेण्टरों से सुपरवाइजरों के पदों पर पदोन्नति देने हेतु रिक्त पदों की जांच की जा रही और तद्नुसार वरिष्ठता एवं योग्य कारपेण्टरों

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

को पदोन्नति का लाभ शीघ्र दे दिया जायेगा।

अतारांकित प्रश्न संख्या 606
(स्थगित)

राष्ट्रीय राज मार्ग (अजमेर) से राजगढ़ सड़क

607. **श्री रमजान खां (पुष्कर)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अजमेर तहसील में राष्ट्रीय राज मार्ग नं. 8 से राजगढ़ तक सार्वजनिक निर्माण विभाग के तहत डामर की सड़क बनी हुई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि यह सड़क जगह-जगह से टूट गई है जिससे वाहनों का आवागमन बड़ी मुश्किल से हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क पर पुनः डामरीकरण करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। राष्ट्रीय राज मार्ग नम्बर 8 से राजगढ़ तक सड़क आवागमन के लिये ठीक है चूंकि समय-समय पर डामर के पेच रिपेयर और अन्य रख-रखाव का कार्य कराया जा रहा है। वित्तीय साधनों की अनुपलब्धता के कारण पुनः डामरीकरण करवाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, जसवन्तगढ़ में महिला चिकित्सालय

608. **श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं)**: क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसवन्तगढ़, जिला नागौर में महिला चिकित्सक कब-कब रही ?

(2) क्या उक्त केन्द्रों में महिला चिकित्सक की नियुक्ति होना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्यों नहीं नियुक्ति की जाती है ?

(3) क्या इस क्षेत्र की आवश्यकता व जनता की मांग के अनुसार इस स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने का सरकार का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

(4) क्या सरकार ने भवन के दान दाता को यह विश्वास दिलाया था कि इस सेण्टर में एक महिला चिकित्सक अवश्य कार्यरत रहेगी ? यदि हां, तो महिला चिकित्सक क्यों नहीं नियुक्त की गई ?

उत्तर

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसवन्तगढ़ में महिला चिकित्सक निम्न अवधियों में रहीं :–

(56)

(चिकित्सा मंत्री)

1. डॉ. नीलम रानी चुग
   दिनांक 28-8-86 से 5-5-87 तक
2. डॉ. रेखा माथुर
   दिनांक 28-5-87 से 15-8-87 तक
3. डॉ. आशा शर्मा
   दिनांक 9-12-87 से 17-6-88 तक

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर महिला चिकित्सा अधिकारी का कोई पद स्वीकृत नहीं है। वहां एक पद वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं दूसरा पद चिकित्सा अधिकारी का स्वीकृत है। उपलब्धता के अनुसार पुरुष अथवा महिला चिकित्सक को पदस्थापित किया जाता है।

(3) जी नहीं।

(4) क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए वर्तमान में उपलब्ध चिकित्सा व्यवस्था पर्याप्त है। जसवन्तगढ़ के पास ही लाडनू एवं सुजानगढ़ रेफरल अस्पताल स्थापित है। महिला चिकित्सक के अभाव में यहां लगाना सम्भव नहीं हो सका है।

बिहारीपुरा से खटवा सड़क

609. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बिहारीपुरा से खटवा तक सड़क निर्माण योजना स्वीकृत हो चुकी है ? यदि हां, तो यह सड़क कितने कि. मी. की होगी तथा इस पर कुल कितना खर्चा होगा ? इसके पूर्ण होने की अवधि क्या है ? कृपया विवरण सड़क स्वीकृति आदेश की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बिहारीपुरा से खटवा सड़क का निर्माण कार्य अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत चलाया गया था ? यदि हां, तो यह सड़क नांगल व ढंड के बीच अधूरी क्यों है ? क्या अब इस अधूरी सड़क का निर्माण कराया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि इस सड़क निर्माण में दखल देने हेतु किसी काश्तकार द्वारा कोर्ट में कोई एतराज दायर किया है ? यदि हां, तो किसने व कब-कब ? कृपया एतराज की प्रति मय विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सड़क निर्माण का कार्य खटवा तक सी.आर.एफ. के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ है। इसकी लम्बाई 8 कि. मी. है जिसका अनुमानित खर्चा 16·00 लाख रुपये होगा। सड़क का पूरा होना वित्तीय साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। सड़क स्वीकृति के आदेश की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां। गत अकाल वर्षों में 3 किमी. ग्रेवल सड़क नांगल गांव तक व आगे, विवादग्रस्त भाग को छोड़कर नांगल से खटवा तक मिट्टी का कार्य करवा लिया गया है। नांगल एवं ढंड के बीच में जमीन का विवाद होने के कारण कार्य अधूरा पड़ा है। इस अधूरे कार्य को अब सी.आर.एफ.

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

योजना के तहत प्राप्त स्वीकृति में पूरा करवाया जायेगा।

(3) जी हां। रामकरण पि. मु. प्रभूलाल जाति, ब्राह्मण पुरोहित निवासी खटवा ने 26.4.83 को एस.डी.एम. कोर्ट, दौसा में विवाद दायर किया था। एतराज की प्रति संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें।)

ग्राम आलम शाह (नगर) में सड़क

610. **श्री नत्थी सिंह** (कुम्हेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर तहसील के गांव आलम शाह में कच्ची सड़क डाले हुए दो साल का समय हो गया है ?

(2) यदि हां, तो उक्त सड़क को कब तक पक्की कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में स्वीकृत हुआ था 10·8 कि.मी. लम्बाई में मिट्टी का कार्य किया गया।

(2) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम बन्द हो जाने से कार्य स्थगित कर देना पड़ा। यह कार्य न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं आने से स्वीकृति देना सम्भव नहीं है।

थूर गांव की सड़क का डामरीकरण

611. **श्री अर्जुनसिंह देवड़ा** (रानीवाड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गांव थूर पंचायत मुख्यालय है तथा आसपास के गांवों का व्यापारिक केन्द्र है लेकिन इस गांव में जो कच्ची सड़क है उस पर काफी समय हो जाने पर भी इस पर डामरीकरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि यह जिले की मुख्य सड़क से मात्र 3 कि.मी. पर स्थित है ? यदि हां, तो क्या विभाग इस साल डामरीकरण करने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां। यह गांव ग्रेवल सड़क से जुड़ा हुआ है। अतः वित्तीय साधनों की अनुउपलब्धता के कारण डामरीकरण नहीं करवाया जा सका।

(2) यह गांव मुख्य सड़क से 4 किमी. पर स्थित है। यह गांव ग्रेवल सड़क से जुड़ा हुआ है अतः वित्तीय साधनों की अनुउपलब्धता के कारण डामरीकरण करने हेतु स्वीकृति अभी नहीं हो पा रही है।

(58)

अभियोग सं. 91/87 थाना परबतसर

612. **श्री मोहनलाल चौहान** (परबतसर) एवं

श्री केशरदेव महरडा (लक्ष्मणगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या थाना परबतसर में एफ. आई.आर. नं. 91/87 दि. 7-12-87 में पुलिस ने जांच कर ली है क्या उसमें एक मुल्जिम पुलिस विभाग सिपाही बंशीलाल सजायाफ्ता है ?

(2) इस मुकदमे की जांच व चालान प्रस्तुत करने का कब तक प्रयास है ?

उत्तर

(1) जी हां। इस प्रकरण में बंशीलाल नामक सिपाही मुल्जिम नहीं है।

(2) इस प्रकरण में बाद अनुसंधान अन्तिम प्रतिवेदन अदमवकू। (अमदन झूठ) दिनांक 31.12.87 को दिया जा चुका है।

झुंझुनूं जिले के ग्रामों की अधूरी सड़कें

613. **श्री सुन्दरलाल** (सूरजगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा झुंझुनूं जिले में ग्राम सिंघाणा से बहड़ व बुहाना से पचेरी तक सड़क कार्य स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो कब ?

(2) यदि कार्य स्वीकृत था तो किन-किन कारणों से उक्त कार्य को बन्द कर दिया गया ?

(3) अब सरकार कब तक इन अधूरे पड़े सड़क कार्यों को पूरा कराने का विचार रखती है, और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बहड़ नाम का कोई ग्राम प्रतीत नहीं होता है। बुहाना से पचेरी तक सड़क निर्माण हेतु निम्न प्रकार दो स्वीकृतियां दी गई।

(अ) बुहाना से भिर्र सड़क निर्माण हेतु वर्ष 86-87 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी प्रोग्राम के अन्तर्गत स्वीकृति जारी की गई थी।

(ब) पचेरी से भिर्र सड़क निर्माण हेतु सम्वत् 2044 में अकाल राहत कार्यान्तिर्गत स्वीकृति जारी दी गई थी।

2. (अ) बुहाना से भिर्र सड़क का निर्माण कार्य आर.एल.ई.जी.पी. के मानदण्ड के अनुसार पूर्ण करा दिया गया है।

(ब) पचेरी से भिर्र सड़क का निर्माण कार्य 3.5 कि.मी. लम्बाई में पूर्ण करा दिया गया था। तत्पश्चात् अकाल राहत कार्य बन्द हो जाने

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

के कारण 1·250 कि.मी. लम्बाई में कार्य शेष रह गया था।

3. बुहाना डामर सड़क पर है। भिर्र, बुहाना की ओर से मेटल सड़क से जुड़ गया है। सड़क गांव भी थली गांव की ओर मेटल रोड़ से जुड़ गया है। अतः वित्तीय साधनों की अनुपलब्धता के कारण और स्वीकृति दिया जाना सम्भव नहीं है।

उप-खण्ड नैनवां के श्रमिकों के मुकदमें

614. **श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा** (झालरापाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड नैनवां के कितने मजदूरों ने श्रम न्यायालय में मुकदमें प्रस्तुत किये थे ?

(2) उक्त मुकदमों में सरकार का पक्ष रखने हेतु किस प्रभारी अधिकारी को नियुक्त किया गया था ?

(3) क्या उक्त मुकदमों की पैरवी नहीं होने के कारण सारे मुकदमें सरकार के विरुद्ध निर्णीत हुए हैं ? इससे सरकार का कितना नुकसान हुआ है और इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जानी है ?

उत्तर

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड नैनवां के 19 मजदूरों ने श्रम न्यायालय में मुकदमें प्रस्तुत किये थे।

(2) उक्त मुकदमों में सहायक अभियन्ता, सा. नि. वि., उपखण्ड-नैनवां को प्रतिवादी बनाया गया था। स्वयं ने ही प्रभारी अधिकारी का कार्य किया।

(3) उपरोक्त 19 मुकदमों में से 6 मुकदमों का निर्णय पैरवी नहीं होने के कारण राज्य सरकार के विरुद्ध निर्णित हुए। अनुमानित नुकसान इन 6 केसों में लगभग 2·25 लाख रुपये का है। स्थिति का सही अन्दाजा लगाने के लिए तथा जिम्मेदारी फिक्स करने के लिए अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सा.नि.वि., रीजन कोटा ने अपने पत्र संख्या 3333-3337 दिनांक 29.6.89 के द्वारा प्रारम्भिक जांच (प्रीलिमीनरी इन्क्वायरी) का आदेश अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि., खण्ड-बून्दी को दिया है। जांच की कार्यवाही की जा रही है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 615

(स्थगित)

कठूमर (अलवर) में ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पंचायत भवन

616. **श्री. किरोड़ी लाल मीणा** (महुआ), एवं

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) एवं

श्री मोतीलाल मीणा (सवाई माधोपुर) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति, कठूमर (अलवर) में कितने ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पंचायत भवन बने हुए हैं एवं कितनों में कार्य

(श्री किरोड़ीलाल मीणा)

निर्माणाधीन है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत डोरोली में पंचायत भवन बनाने हेतु पूर्व में प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं ? यदि हां, तो कुल कितने राशि के प्रस्ताव भेजे गये थे एवं उनके विरुद्ध कितनी राशि स्वीकृत करने का इरादा है ?

(3) क्या यह सही है कि दीर्घावधि पूर्व भेजे गये प्रस्तावों के बावजूद भी अभी तक कार्य आरम्भ नहीं हुआ है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस भवन का निर्माण कितने क्षेत्रफल में किस योजना के अन्तर्गत किस स्थान व कितनी राशि में सम्पन्न कराया जावेगा ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति कठूमर की 36 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पंचायत भवन बने हुए हैं एवं 3 पंचायत भवनों का कार्य निर्माणाधीन है।

(2) जी हां। 41,480/- रुपये की राशि के प्रस्ताव भेजे गये थे और इतनी ही राशि स्वीकृत करने का मामला विचाराधीन है।

(3) जी हां। इस भवन का निर्माण 54·06 मीटर क्षेत्रफल में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्राम डोरोली में 41,480/- रुपये की राशि में सम्पन्न कराये जाने का प्रस्ताव है।

कालेसरा से मकरेड़ा सड़क निर्माण

617. **श्री रमजान खां (पुष्कर)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कालेसरा से मकरेड़ा वाया दांतडा, डूडियाना सड़क का निर्माण विभाग ने करा रखा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि कालेसरा से डूडियाना तक सड़क मार्ग पर डामर उखड़ जाने के कारण यातायात के लिए बड़ी कठिन परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं ?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क पर पुनः डामरीकरण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। कालेसरा से मकरेडा वाया दांतडा डोडियाना सड़क का निर्माण कुल 14·500 कि. मी. लम्बाई में से 12·500 कि. मी. सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया गया है और 2 कि. मी. कृषि उपज मण्डी ने करवाया है।

(2) जी नहीं। कालेसरा से दातंडा तक डामर की सड़क है व दातंडा से डोडियाना तक ग्रेवल सड़क है। कालेसरा से दातंडा डामर की सड़क पर पेच बन जाने से यातायात में कुछ परेशानी होती है दातंडा से डोडियाना ग्रेवल सड़क यातायात के लिए ठीक है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) इस वर्ष उक्त सड़क पर तीन कि.मी. पुनः डामरीकरण विशेष मरम्मत कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत हुआ है जो कि शीघ्र पूरा करा लिया जायेगा। शेष सड़क का पुनः डामरीकरण वित्तीय साधनों की अनुपलब्धता के कारण अभी सम्भव नहीं है।

ग्राम पंचायत, सवराड (पाली) की बैठकें

618. **श्री वरसिंह** (कुशलगढ़) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत हैड-क्वार्टर पर ग्राम पंचायत सवराड की बैठक नियमित रूप से नहीं हो रही है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? जिला कलक्टर पाली वहां नियमित मीटिंग हेतु व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं ?

(2) जवाहर रोजगार योजना में इस ग्राम पंचायत को कितनी राशि प्राप्त हुई और कितनी शेष है ? ग्राम पंचायत की मीटिंग के अभाव में इस योजना के अन्तर्गत पंचायत द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत कराकर काम चालू नहीं हुआ तो क्या इस ग्राम पंचायत क्षेत्र के विकास कार्य में बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना है ? यदि हां, तो सरकार इस स्थिति के निराकरण हेतु क्या उपाय कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला कलक्टर द्वारा भविष्य में नियमित बैठकें बुलाने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

(2) जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत पंचायत, सवराड को अब तक कुल 99,990/- रु. दिये गये हैं। पंचायत के प्रस्ताव के अनुसार खरून्जा एवं नाली निर्माण की स्वीकृति दी गई हैं तथा दिनांक 5.7.89 को पंचायत द्वारा कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है।

ग्राम गीरवसर का तालाब

619. **श्री चुन्नीलाल मेघवाल** (सुजानगढ़) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अकाल राहत कार्य के तहत ग्राम गिरवसर में एक पक्का तालाब दिसम्बर, 1985 में बना था ?

(2) क्या इस कार्य में सरपंच पर गबन का आरोप था ? यदि, हां तो उसके तहत क्या जांच हुई थी और उसमें कौन-कौन दोषी पाया गया था ? जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि अकाल राहत कार्य के तहत ग्राम गिरवसर में एक पक्का जोहड़ बनाने की स्वीकृति दी गई थी। यह कार्य दिनांक 11-12-85 को चालू होकर दिनांक 30-6-85 को पूर्ण हुआ था।

(2) तत्कालीन सरपंच श्री माधोसिंह के विरुद्ध एक शिकायत भ्रष्टाचार निरो-

(पंचायत राज मंत्री)

विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को दिनांक 24.4.86 को भेजी गई। विभागीय पत्र दिनांक 26.5.86 के द्वारा मूल शिकायत जिला कलक्टर चुरू की जांच हेतु भिजवाई गई। जिला कलक्टर चुरू से तहसीलदार सुजानगढ़ की जांच रिपोर्ट इस विभाग में दिनांक 10.12.86 को प्राप्त हुई है। जांच रिपोर्ट में शिकायत आपसी रंजिश व राजनैतिक पार्टीबाजी के कारण झूठी होने से राज्य सरकार के आदेश दिनांक 4.3.87 के द्वारा इस प्रकरण को कलक्टर की रिपोर्ट के आधार पर समाप्त कर दिया गया। जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–13 देखें)

बड़गांव (अजमेर) का विकास कार्य

620. **श्री रमजान खां (पुष्कर)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम बड़गांव नगर परिषद् अजमेर की सीमा आती है ?

(2) इस गांव को नगर परिषद् अजमेर की सीमा में कौन से वर्ष में मिलाया गया है ?

(3) इस गांव के नगर परिषद् अजमेर में मिल जाने के बाद परिषद् द्वारा कौन-कौन से विकास के कार्य कितनी-कितनी राशि के कराये गये, सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि नगर परिषद् की सीमा में जाने के बाद बड़गांव में सड़क रोड़, पेयजल, स्ट्रीट लाईट पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया है ? क्या नगर परिषद् अजमेर निकट भविष्य में विकास का कार्य कराने जा रही हैं ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) नगर परिषद, अजमेर की सीमा में ग्राम बड़गांव को वर्ष 1975 में मिलाया गया था।

(3) नगर परिषद, अजमेर द्वारा ग्राम बड़गांव में विकास कार्य नहीं कराये गये हैं।

(4) जी हां। नगर परिषद की आर्थिक स्थिति को मध्य नजर रखते हुए भविष्य में विकास कार्य कराये जायेंगे।

ग्राम मित्रपुरा (सवाई माधोपुर) के आम रास्ते में केबिन

621. **श्री किरोड़ी लाल मीणा** (महुआ), **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन) एवं **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मित्रपुरा तहसील बोंली जिला सवाई माधोपुर के ग्राम बाजार शिवजी मोहल्ला के रास्ते में सीताराम धीया द्वारा जबरदस्ती से

(श्री किरोड़ीलाल मीणा)

केबिन लगा दी गइ है ? यदि हां, तो केबिन किसकी अनुमति से लगाई गयी ? ग्राम पंचायत का पट्टा सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम जनता मित्रपुरा की शिकायत पर अपर जिलाधीश, सवाईमाधोपुर के आदेश क्रमांक 339/1977 दिनांक 3.8.1979 के द्वारा हटवाये जाने के आदेश दिये गये ? यदि हां, तो किस कारण से उस केबिन को अभी तक नहीं हटवाया गया ? क्या राज्य सरकार जनहित में इस केबिन को हटवाने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि ग्राम पंचायत मित्रपुरा तहसील बोंली के ग्राम बाजार में सीताराम धीया द्वारा केबिन लगा रखी है। उक्त भूमि ग्राम पंचायत से दिनांक 27.5.76 के द्वारा विक्रय से खरीदी है एवं केबिन लगाने की कोई अनुमति नहीं है और न ही कोई पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है।

(2) जी हां। यह सही है कि अपर जिलाधीश सवाईमाधोपुर के न्यायालय में निगरानी संख्या 339/1977 निर्णय दि. 23.8.79 के द्वारा पंचायत का निर्णय दिनांक 27.5.76 एवं पंचायत समिति बोंली के निर्णय दिनांक 30.6.77 को निरस्त कर दिया गया केबिन हटवाने के सम्बन्ध में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बोंली द्वारा पंचायत मित्रपुरा को अतिक्रमण हटवाने के निर्देश पूर्व में ही जारी किये जा चुके हैं। केबिन हटाने की कार्यवाही एक सप्ताह में करने के निर्देश जिला कलक्टर को दिये जा चुके हैं। साथ साथ इस विलम्ब के लिए कौन दोषी है बाबत जानकारी जिला कलक्टर से चाही जा रही है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 622
(स्थगित)

जल वितरण नहर की बुर्जी पर टूट की जांच

623. श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 18-3-1986 के सत्र में तारांकित प्रश्न 106 में जल वितरण नहर की बुर्जी 76.4 एवं 18.400 पर टूट की जांच कराने का आश्वासन दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त जांच अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, बीकानेर ने कब जांच शुरू की व इसमें किसको दोषी मानते हुए क्या कार्यवाही की गई है ? जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रश्न के भाग 1 के अनुसार बुर्जी नम्बर 166.200 की टूट की जांच का विवरण व रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। अंतिम जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है।

(2) उक्त प्रश्न के भाग 4 के उत्तर में

(64)

(इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री)

निवेदन किया गया कि बुर्जी नं. 166.200 की टूट की जांच एक सदस्यी जांच आयोग प्रो. आलम सिंह को दी गई है। उनके द्वारा जांच शुरू नहीं किये जाने के कारण 12.1.88 को यह जांच मुख्य अभियन्ता एवं मुख्य तकनीकी परीक्षक को सुपुर्द की गई जिनसे रिपोर्ट अभी अपेक्षित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बीकानेर में शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण

624. **श्री मोहन लाल बारूपाल** (जायल) एवं **श्री देवी सिंह भाटी** (कोलायत) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिलाधीश बीकानेर द्वारा जुलाई 1988 से मार्च, 1989 तक कितने शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण राष्ट्रीय बचत-पत्र खरीदे जाने पर किये गये तथा कितने लाइसेंस नवीनीकरण बगैर राष्ट्रीय बचत-पत्र खरीद किये गये? विवरण सूची मय लाइसेंस धारी का नाम, पता तथा बचत-पत्र राशि के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिलाधीश, बीकानेर ने कोई आदेश दिया था कि राष्ट्रीय बचत-पत्र खरीदे जाने पर ही शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण किया जाये? यदि हां, तो किन नियमों के तहत निर्देश जारी किये गये हैं? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण हेतु जुलाई, 1988 से मार्च, 1989 की अवधि में जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर द्वारा किसी भी शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी को राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदने हेतु प्रेरित नहीं किया गया।

(2) जी नहीं।

बोखट नदी पर पुल

625. **श्री बहादुर सिंह** (दानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या बांसवाड़ा से दाहोद रोड पर गांव बोखट नदी पर पुल बन रहा है? यदि हां, तो वर्ष 1986-87 व 87-88 एवं 88-89 में कितनी धनराशि स्वीकृत हुई व कितनी धनराशि खर्च हो चुकी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पुल का कार्य कब तक पूरा कर दिया जायेगा? अब तक कार्य पूर्ण न किये जाने का क्या कारण है?

(3) उक्त पुल का कार्य ठेकेदारों से कराया जा रहा है या विभाग द्वारा?

उत्तर

(1) जी हां। बांसवाड़ा दाहोद रोड पर बोरखट पुल की प्रशासनिक स्वीकृति केन्द्रीय प्रवर्तित योजना में रु. 35.85 लाख की प्राप्त हुई थी। इसके तहत वर्ष 1986-87, 87-88 एवं 88-89 में खर्च क्रमशः 7,18,19.99 एवं 8.70 लाख

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

कुल व्यय 35.87 लाख व्यय हुआ है। अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत संवत् 2043 एवं 2044 में क्रमशः रु. 3.37 लाख व 7.00 लाख स्वीकृत हुए जिसके तहत व्यय क्रमशः रु. 3.37 लाख एवं 7.16 लाख कुल 10.53 लाख हुआ।

(2) वित्तीय साधनों की अनुपलब्धता के कारण कार्य पूरा नहीं करवाया जा सका। बचा हुआ कार्य वित्तीय साधनों की उपलब्धतानुसार करवाया जाना संभव होगा।

(3) उक्त पुल का निर्माण कार्य सब स्ट्रक्चर तक विभागीय तौर पर किया गया है एवं सुपर स्ट्रक्चर का कार्य राजस्थान राज्य पुल निर्माण निगम के मार्फत कराया जा रहा है।

इटावा (कोटा) में ट्रैफिक कन्ट्रोल

626. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) एवं **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के इटावा कस्बे में बहुत अधिक ट्रैफिक होने से जनता को आवागमन में कठिनाई होती है ?

(2) यदि हां, तो ट्रैफिक कन्ट्रोल हेतु क्या सरकार इटावा में ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) स्थानीय पुलिस ही सक्षम है एवं इस हेतु सुधार के और अधिक प्रयास करने के निर्देश दिये जा रहे हैं।

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में भवन निर्माण की इजाजत

627. **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार, जयपुर), **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) एवं **श्री हरिशंकर भाभड़ा** (रतनगढ़) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों, नगरपालिकाओं, तहसीलदारों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने एवं विकास कार्य करने एवं भवन निर्माण की इजाजत देने के अधिकार हैं ?

(2) यदि हां, तो जे. डी. ए. द्वारा उक्त परिस्थिति में तोड़-फोड़ क्यों की जाती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) नियमानुसार दी गयी अनुमति में निर्माणों को प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त नहीं करवाया गया है।

66

टोडारायसिंह क्षेत्र में स्वीकृत सड़कें

628. **श्री नाथू सिंह** (टोडारायसिंह) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनवरी, 1985 से पूर्व विधान सभा क्षेत्र टोडारायसिंह में कुल कितने किलोमीटर कितनी सड़कें बनी हुई थीं ?

(2) जनवरी, 1985 से अब तक कौन-कौन-सी सड़कें स्वीकृत हुईं अथवा उनका निर्माण कार्य हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त सड़कें कितने किलोमीटर बनीं व उन पर कितनी-कितनी राशि खर्च हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जनवरी, 1985 से पूर्व टोडारायसिंह विधान सभा क्षेत्र में कुल 157.90 किलोमीटर सड़कें बनी हुई थीं, वह निम्न प्रकार से हैं :—

सड़क का प्रकार	कि. मी.
डामर की सड़क	70.50
मैटल की सड़क	17.00
ग्रेवल सड़क	27.00
फेयरवेदर रोड़	43.40
कुल योग :–	157.90

(2) जनवरी, 1985 से अब तक 12 सड़कें स्वीकृत हुई । इन पर एवं अन्य निर्माणाधीन सड़कें तथा अकाल राहत योजना सहित 65 कि. मी. सड़कों का निर्माण कार्य हुआ । सूची "अ" संलग्न है ।

(3) उक्त सड़कें अकाल राहत योजना सहित 65 कि. मी. बनी हैं । इन पर कुल रुपये 37.64 लाख रुपये खर्च हुआ है । सूची "अ" के अनुसार ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

ग्राम बड़गांव एवं चौरसियावास (अजमेर) में पेयजल समस्या

629. **श्री रमजान खां** (पुष्कर) : क्या जन स्वास्थ्य-अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बड़गांव एवं ग्राम चौरसियावास जो नगर परिषद्, अजमेर की सीमा में आते हैं पेयजल की समस्या से ग्रस्त है ?

(2) क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग अजमेर नगर ने इन गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु नये ट्यूबवेल खोद कर पनघट योजना लागू करने का विचार किया है ?

(3) यदि हां, तो यह योजना कब तक क्रियान्वित कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं । ग्राम बड़गांव एवं ग्राम

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

चौरसियावास को हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित किया जा चुका है।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न के भाग 2 में उत्तर दे दिया गया है।

करौली वन क्षेत्र में अनधिकृत खनन

630. **श्री शिवचरण सिंह** (करौली): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) करौली वन क्षेत्र के कितने वन क्षेत्र में वन अधिनियम, 1980 के बाद खनन लीजें दी गयी हैं व कितने क्षेत्र में अनधिकृत खनन हो रहा है ?

(2) वन विभाग ने कितने मामलों में कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वन मंडल करौली के अधीन स्थित वन क्षेत्रों में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लागू होने के पश्चात् खनिज विभाग द्वारा स्वीकृत खनन लीजों के आधार पर 134 क्षेत्रों में खनिज लीज दी गई है, जिनकी अनुमति वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त नहीं की गई है। इनके अतिरिक्त 64 क्षेत्रों में अवैध खनन के केस पकड़े गये हैं।

(2) सभी अवैध खनन के केसेज में वन अपराध पंजीकृत कर कार्यवाही की जा रही है।

सवाईमाधोपुर में अवैध आयुध व बम बनाने के दर्ज मामले

631. **श्री किरोड़ीलाल मीणा**(महुआ), **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन) एवं **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा बजीरपुर (सवाईमाधोपुर) के पास एक निर्जन स्थान पर 8 बोतल बम बनाने की शिकायत थानाधिकारी को दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या इस गहरी साजिश की जांच किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने वहां जाकर की ? यदि हां, तो क्या जांच की ? नहीं, तो क्यों ?

(2) जिला सवाई माधोपुर में सन् 1985 से अब तक कहां-कहां कितने लोगों के विरुद्ध अवैध खतरनाक आयुध व बम बनाने के मामले दर्ज कर कितने व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की ? इन बम निर्माण में कितने जनधन की हानि हुई ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वृताधिकारी गंगापुर सीटी ने जांच की थी। मौके से बरामद पदार्थों को विशेषज्ञ राय के लिये भेजा गया है।

(68)

(गृह मंत्री)

(2) पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में अंकित कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें।)

बूंदी जिले में सड़क कार्य

632. **श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा** (झालरापाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बूंदी जिले में खनिज विभाग द्वारा स्वीकृत कौन-कौन सी सड़क का कार्य सार्वजनिक विभाग द्वारा किया जा रहा है ?

(2) उमर-क्वारिज के लिये बनाई जा रही सम्पर्क सड़क का कार्य विभाग द्वारा करवाया जा रहा है या ठेकेदार के द्वारा ? इस सड़क के निर्माण का कार्य कब तक पूरा होगा ?

उत्तर

(1) खनिज विभाग द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित सड़कों का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है :–

1. नमाना से गवांर सड़क (सीड़ी कार्य सहित)
2. गरडदा से गवांर सड़क का निर्माण (सी. डी. कार्य सहित)
3. डाबी से लाम्बाखोह सड़क पर सी. डी. कार्य।
4. गवांर से डाबी सड़क का निर्माण।
5. डाबी से सूतड़ा पलकां डोरा सड़क का निर्माण।
6. उमर से मैन रोड़ का निर्माण कार्य सी. डी. कार्य सहित।

2. उमर क्वारी के लिये बनाई जा रही संपर्क सड़क का 1.30 कि.मी. का कार्य ठेकेदार द्वारा करवाया गया था एवं शेष कार्य विभागीय स्तर पर करवाया जा रहा है। इस सड़क का निर्माण पूरा होना वित्तीय साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

बस्सी पंचायत समिति परिसर में बना भवन

633. **श्री हरिशंकर भाभड़ा** (रतनगढ़): क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले की बस्सी पंचायत समिति परिसर में क्या किसी अन्य विभाग का कोई भवन बना हुआ है ? यदि हां तो किस विभाग का ?

(2) उस भवन के निर्माण के लिए किस तारीख को किस प्रस्ताव के जरिये सम्बन्धित विभाग को भवन निर्माण के लिए भू-आवंटन व स्वीकृति प्रदान की गई ?

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

(3) यदि नहीं, तो उक्त भवन का निर्माण कैसे हो गया और अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां । सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग का बना हुआ है ।

(2) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह भवन वर्ष 1987 में तत्कालीन प्रधान श्री श्रवणदास व विकास-अधिकारी श्री ठाकुर दास के कार्यकाल में बना था । यह भवन जनहित की दृष्टि से बनाया गया था ।

(3) जनहित को दृष्टिगत रखते हुए आपसी बातचीत के आधार पर भवन निर्माण कराया गया था । इसमें किसी का स्वार्थ अथवा बदनीयती नहीं थी । अतः कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

भीलवाडा जिले में सड़कों का निर्माण

634. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से वर्ष 1986-87, 1987-88, 1988-89 में सड़कों का निर्माण हुआ है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी सड़क कितनी लम्बाई की व किस-किस श्रेणी की बनाई गई ? व्यय सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त जिले के पंचायत मुख्यालय एवं 1500 एवं 1000 जनसंख्या के ग्रामों को सड़क से जोड़ने की नीति के अन्तर्गत कौन-कौन से पंचायत केन्द्र तथा ग्राम जोड़ दिये गये और कौन-कौन से शेष हैं, जिनके जोड़ने की क्या योजना कब तक की है ?

(3) 1989-90 में कितनी लम्बाई की कौन-कौन सी सड़कों को बनाने की योजना है तथा इन पर प्रत्येक पर कितना व्यय प्रस्तावित है ? विवरण श्रेणीवार सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । भीलवाड़ा जिले में सा. नि. विभाग के माध्यम से वर्ष 86-87, 87-88, एवं 89-89 में योजनामद में सड़कों का निर्माण हुआ है । वांछित विवरण संलग्न प्रपत्र "क" में दर्शाया गया है ।

(2) भीलवाड़ा जिले के पंचायत मुख्यालय एवं 150 तथा 1000 जनसंख्या के ग्रामों को जोड़ने एवं शेष की सूची 'ख'-1 'ख'-2 एवं 'ख'-3 पर संलग्न है । शेष ग्रामों को जोड़ने की योजना के सम्बन्ध में राज्य सरकार के स्तर पर निर्णय लेने पर निर्भर करता है ।

(3) वर्ष 89-90 में बनने वाली सड़कों की प्रस्तावित योजना एवं वित्तीय प्रावधान का विवरण प्रपत्र 'ग' में दर्शाया गया है ।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

नाहरी के नाके (जयपुर) की सड़कों का जीर्णोद्धार

635. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (किशनपोल) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर शहर हाउसिंग बोर्ड नाहरी के नाके की पांचों सैक्टरों की सड़कें जीर्ण-शीर्ण दशा में हैं व सड़कों पर मिट्टी जमा होने के कारण जनता को काफी कठिनाई होती है ? यदि हां, तो सड़कों की मिट्टी हटाकर सड़कों का जीर्णोद्धार कब तक करा दिया जावेगा ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कॉलोनी में हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित पार्कों का विकास करने का सदन में आश्वासन दिया गया था ? पार्कों में अतिक्रमण व गन्दगी फैल रही है ? यदि हां, तो उक्त पार्कों के विकास का काम कब तक पूरा हो जावेगा ?

(3) क्या उक्त कॉलोनी में गटर लाइन डाले जाने की कोई योजना है और इस कार्य पर कितनी धन राशि व्यय की जावेगी ?

(4) क्या हाउसिंग बोर्ड द्वारा इन सैक्टरों में कम्यूनिटी हॉल, अस्पताल भवन व स्कूल बनाये जाने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर हाउसिंग बोर्ड नाहरी के नाके की पांचों सैक्टरों की वर्ष 1982 में लगभग सभी सड़कों का निर्माण कर दिया गया था। वर्ष 1982 में जारी राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा उक्त कालोनी नगर परिषद को हस्तांतरित की जा चुकी है। अतः सड़कों का जीर्णोद्धार नगर परिषद द्वारा ही किया जाना है।

(2) जी हां, इस योजना की सड़कों की मिट्टी नगरपरिषद् द्वारा गत वर्ष काफी मात्रा में उठाई गई थी तथा इस वर्ष भी लोडर डम्पर से मिट्टी उठाई गई है तथा भविष्य में भी समय-समय पर मिट्टी उठवाने का कार्य किया जावेगा। नगरपरिषद् को उक्त कालोनी हस्तांतरित कर दिये जाने के फलस्वरूप पार्कों का विकास भी नगर परिषद द्वारा कराये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

(3) गटर लाइन पूर्व में ही डाली जा चुकी है।

(4) कालोनी में अस्पताल व स्कूल बनाने का कार्य सम्बन्धित विभाग का है। फिर भी एक प्राथमिक स्कूल भवन व एक डिस्पेन्सरी भवन का निर्माण कर राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों को बोर्ड द्वारा हस्तांतरित कर दिये गये हैं जिनमे स्कूल व डिस्पेन्सरी संचालित है।

राज्य में अन्तर्जातीय विवाह में आर्थिक मापदण्डों का आधार

636. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

(1) राज्य में सामाजिक उत्थान कार्य के तहत अन्तर्जातीय विवाह के क्या मापदण्ड हैं ? अनुसूचित जाति एवं सवर्ण जाति को मान्यता देती है या आर्थिक मापदण्ड इसका आधार है ?

(2) यदि जाति को आधार माना जाता है तो फिर श्री देवाराम बैरवा पुत्र श्री रूपाराम एवं इनकी पत्नी श्रीमती दयावती (जो जाति से ब्राह्मण है) निवासी आबूरोड (सिरोही) को आय के आधार पर आर्थिक सहायता नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या सरकार अपनी घोषित नीति के अनुसार इस जोड़े को आर्थिक सहायता देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अन्तर्जातीय विवाह के मापदण्ड निम्न हैं :— जिसमें जाति एवं आय दोनों के आधार पर ही आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है ।

(अ) अन्तर्जातीय विवाह जिसमें युगल में दूसरा अनुसूचित जाति का नहीं होना चाहिए ।

(ब) विवाह हिन्दू मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट अथवा स्पेशल मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत होना चाहिए ।

(स) दोनों राजस्थान के स्थायी निवासी हो, यदि युगल में से एक राजस्थान का स्थायी निवासी न हो तो युगल शादी के बाद कम से कम एक वर्ष तक राजस्थान में रह रहा हो ।

(द) युगल की आय 1100/- रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(य) युगल छः माह से अधिक समय से पति-पत्नी के रूप में रह रहा हो, (नियमों की प्रति संलग्न है ।)

(2) श्री देवाराम पुत्र श्री रूपाराम बैरवा की मासिक आय उसके आहरण एवं वितरण अधिकारी प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय, अनादरा (सिरोही) के अनुसार 1856/- रुपये मासिक है जो अन्तर्जातीय विवाह के नियम 8 के अनुसार 1100 रुपये मासिक की आय से अधिक है इसलिए श्री देवाराम को अन्तर्जातीय विवाह करने पर आर्थिक सहायता की राशि नहीं दी जा सकती है ।

(3) नहीं । क्योंकि श्री देवाराम बैरवा पुत्र श्री रूपाराम बैरवा की मासिक आय अन्तर्जातीय विवाह नियमों के मापदण्डों से अधिक है ।

(सूची के लिए, कृपया परिशिष्ट-16 देखें ।)

राज्य में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी व कनिष्ठ विशेषज्ञों के स्वीकृत पद

637. **श्री मोहनलाल चौहान** (परबतसर), **श्री फूलचन्द** (नीमकाथाना) एवं **श्री केशवदेव महरडा** (लक्ष्मणगढ़) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

72

(श्री केशवदेव महरडा)

(1) राजस्थान में कुल कितने वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी व कनिष्ठ विशेषज्ञों के पद स्वीकृत हैं और कितने पद भरे हुए हैं ?

(2) उक्त पदों में से कितने पद अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित हैं और क्या आरक्षण के अनुसार नियुक्तियां दी गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक कर दी जायेंगी ?

उत्तर

(1) राज्य में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के 932 एवं कनिष्ठ विशेषज्ञों के 829 पद स्वीकृत हैं। इनमें से वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के 384 पद एवं कनिष्ठ विशेषज्ञों के 213 पद रिक्त हैं, लेकिन समस्त वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं 100 कनिष्ठ विशेषज्ञों के पदों के विरुद्ध चिकित्सा अधिकारी कार्य कर रहे हैं।

(2) पूर्व में नियमित रूप से चयनित सहायक शल्य चिकित्सक जिन्होंने 10 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, उन्हें वरिष्ठता के क्रम में सी.ए.एस. की चयन वेतन श्रृंखला दिये जाने का प्रावधान था। दिनांक 4.12.87 को राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमों में संशोधन कर चयन वेतन श्रृंखला देने के स्थान पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति का प्रावधान कर दिया गया है।

अभी तक इस संशोधन के अनुसार कोई पदोन्नतियां नहीं की गई हैं। अतः आरक्षण का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जहां तक कनिष्ठ विशेषज्ञों का प्रश्न है जो भी एस.सी./एस.टी. के पात्र चिकित्सक उपलब्ध थे, उन्हें कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर लगा दिया गया है।

राजस्थान रोजगार सेवा के पदों पर आरक्षण बिन्दु

638. श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान रोजगार सेवा में कुल कितने पद उप-निदेशक, सहायक निदेशक, जिला रोजगार अधिकारी एवं अवर नियोजन अधिकारियों के हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त पदों पर आरक्षित बिन्दुओं द्वारा पदोन्नतियां कर ली गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो आरक्षण बिन्दु का आधार क्या रखा ? विवरण नियमों सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार नियमानुसार आरक्षण बिन्दु के आधार पर पदोन्नतियां करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) रोजगार सेवा में उप निदेशक के 6 पद, सहायक निदेशक के 22 पद, जिला रोजगार अधिकारियों के 39 पद एवं अवर नियोजन अधिकारियों के 31 पद स्वीकृत हैं। सूची संलग्न है।

(नियोजन मंत्री)

(2) उक्त पदों में से सहायक निदेशक के पद पर एक अनुसूचित जाति व एक अनुसूचित जन जाति का अधिकारी है। जिला रोजगार अधिकारी के पद पर दो अनुसूचित जाति व एक अनुसूचित जन जाति का तथा अवर नियोजन अधिकारी के पद पर तीन अनुसूचित जाति तथा तीन अनुसूचित जन जाति के अधिकारी नियुक्त हैं। आरक्षित बिन्दुओं पर पदोन्नति के समय नियमानुसार योग्य व्यक्तियों को पदोन्नति दे दी गई है। आरक्षण बिन्दु का आधार 100 बिन्दु रजिस्टर है। नियमों के बाबत कार्मिक विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 10 (1) कार्मिक क-2/75 दिनांक 4-1-77 की प्रति संलग्न है।

(3) विभाग में जो भी पदोन्नति हुई है उसमें आरक्षण बिन्दु का ध्यान रखा गया है तथा पदोन्नति नियमानुसार हुई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें।

कृषि भूमि पर आवंटित आवास योजनाओं का नियमितिकरण

639. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पिछले विधान सभा सत्र में माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने आधे घण्टे की चर्चा के दौरान सदन में यह आश्वासन दिया था कि गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा कृषि भूमि पर आवंटित आवास योजनाओं का नियमितिकरण तीन माह के अन्दर-अन्दर कर दिया जावेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि अभी तक भी नियमितिकरण नहीं होने से अप्रूव्ड-योजनाओं में भूमि रूपान्तरण शुल्क, विकास शुल्क, परिधि शुल्क और भूमि आवंटन शुल्क आदि भी जमा होने के बावजूद भी भू-आवंटियों को जिलाधीश कार्यालय से लीज डीड जारी नहीं की जा रही है जिससे लाखों लोगों को मकान के निर्माण करने में दिक्कतें आ रही हैं और विकास का काम भी अवरुद्ध हो गया है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गृह निर्माण सहकारी समितियों की जिन योजनाओं का तकनीकी अनुमोदन कर दिया था उनके नियमन का मामला मंत्री मण्डल के विचाराधीन है। इसमें शीघ्र ही निर्णय होने की संभावना है।

ईसरदा की आबादी भूमि पर अतिक्रमण

640. **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर), एवं **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत ईसरदा (सवाईमाधोपुर) की रेलवे स्टेशन ईसरदा स्थित आबादी भूमि पर माह

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

फरवरी, 1989 में कुछ व्यक्तियों द्वारा पुख्ता दुकानों का निर्माण कर एवं अस्थायी थड़ियां लगाकर अतिक्रमण कर लिया जिससे ग्राम पंचायत का लगभग 4-5 लाख रुपये की सम्पत्ति का नुकसान हुआ है एवं आगे सम्भावित अतिक्रमण से और नुकसान होने वाला है ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत ईसरदा की आबादी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों में ग्राम पंचायत ईसरदा के निर्वाचित पंच रामप्रसाद एवं महावीर प्रसाद जैन भी शामिल हैं तथा इनके साथ ही अतिक्रमणियों में हरनारायण व पांचूलाल मीना निवासी ईसरदा हिस्ट्री-शीटर भी है।

(3) क्या इस अतिक्रमण के सम्बन्ध में सरपंच ने अतिक्रमण हटाने के क्रम में 24-2-1989, 4-3-1989 व 5-3-1989 को जिला कलक्टर को पत्र लिखा ? यदि हां, तो अतिक्रमण हटाने के लिए जिला कलक्टर ने क्या कार्यवाही की ?

(4) पंचायत पंचों द्वारा अवैधानिक रूप से किये गये इस अतिक्रमण के विरुद्ध क्या सरकार ऐसे पचों के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार अतिक्रमण हटाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) सरपंच ग्राम पंचायत ईसरदा के पत्र प्राप्त होने पर जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति, सवाईमाधोपुर की जरिये पत्र दिनांक 23.3.89 द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने बाबत निर्देशित किया एवं 19-6-89 को स्मरण कराया गया। आबादी में अतिक्रमण को ग्राम पंचायत हटाने में सक्षम है। विकास अधिकारी, पंचायत समिति सवाईमाधोपुर द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने में पुलिस इमदाद की मांग की है। जिसके लिए पुनः ग्राम पंचायत ईसरदा एवं विकास अधिकारी सवाईमाधोपुर को पुलिस इमदाद प्राप्त कर अतिक्रमण हटाये जाने बाबत निर्देशित किया जा चुका है।

(4) जी हां। ग्राम पंचायत ईसरदा के निर्वाचित पंच रामप्रसाद एवं महावीर प्रसाद जैन के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने बाबत निर्देश जिला कलक्टर को दिनांक 18.7.89 के पत्र द्वारा दिये जा चुके हैं। अतिक्रमण पुलिस इमदाद से हटाने की कार्यवाही करने हेतु विकास अधिकारी एव पंचायत को निर्देशित कर दिया गया है।

जयपुर शहर की सड़कें

641. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (किशनपोल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर शहर में प्रमुख बाजार व रास्तों की सड़कें जीर्ण-शीर्ण दशा में हैं व इन सड़कों का रख-रखाव आवश्यकता-

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

नुसार भी नहीं किया जा रहा है ? क्या व्यवस्था सड़कों की देखभाल के लिए की गई है ?

(2) चालू वित्तीय वर्ष में जयपुर की कौन-कौन सी सड़कों की मरम्मत की गई है ? जिन सड़कों की मरम्मत की गई है, उनकी पहले कब मरम्मत की गई थी ?

(3) चालू वित्तीय वर्ष में नगर की कौन-कौन सी सड़कों पर डामर मरम्मत कार्य किया जावेगा व गत वर्ष किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर नगर की जिन सड़कों की देखभाल करता है, उनकी सूची सम्बन्धित जोन व सम्बन्धित अधिकारी के नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर के प्रमुख बाजार, रास्तों की सड़कें जो इस विभाग के अधीन हैं, उनकी दशा जीर्ण-शीर्ण नहीं है एवं इन सड़कों पर रख-रखाव आवश्यकतानुसार किया जाता है।

(2) चालू वित्तीय वर्ष 1989-90 में जिन सड़कों पर विशेष मरम्मत का कार्य हुआ है उनकी सूची परिशिष्ट 'अ' पर है। विशेष एवं साधारण मरम्मत आवश्यकतानुसार हर वर्ष की जाती है।

(3) चालू वित्तीय वर्ष में नगर की जिन सड़कों पर डामर का कार्य कर दिया है और आगामी समय में करना है, की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। गत वर्ष किये गये कार्य की सूची परिशिष्ट 'स' संलग्न है।

(4) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर नगर की जिन सड़कों की देखभाल करता है उसकी सूची परिशिष्ट द'। सम्बन्धित जोन तथा अधिकारियों के नाम की सूची परिशिष्ट द/2 पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला बीकानेर क्षेत्र में प्रस्तावित वन चारा क्षेत्र

642. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला बीकानेर में किस-किस स्थान पर वर्ष 1989-90 के लिए क्या-क्या कार्यक्रम वन, ईधन, चारा आदि लगाने का प्रस्तावित है ? कृपया विवरण, सूची संख्या, क्षेत्रफल सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बीकानेर जिले में वर्ष 89-90 के लिए प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास के कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। इसके अतिरिक्त 10.50 लाख पौधे जन सामान्य को अपनी निजी भूमि पर लगाने हेतु निःशुल्क वितरित किया जाना प्रस्तावित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें।)

मेड़ता कांड

643. **श्री जगतसिंह दायमा** (बानसूर) एवं **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मेड़ता काण्ड के अभियुक्त उप पुलिस अधीक्षक, थाना प्रभारी तथा अन्य पुलिस कर्मियों को निलम्बित करने के लिए राज्य के गृह विभाग में पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया था ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या इस आदेश/निर्देश के बावजूद पुलिस महानिदेशक ने दोषी पुलिस कर्मियों को निलम्बित नहीं किया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) व (2) राज्य सरकार द्वारा मेड़ता काण्ड से सम्बन्धित एक अधिकारी के 14.6.89 को निलम्बन आदेश जारी हुए थे परन्तु इससे पूर्व ही उन्होंने न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए थे। शेष के प्रकरण विचाराधीन हैं।

बानसूर क्षेत्र के औषधालयों में स्टाफ

644. **श्री जगतसिंह दायमा** (बानसूर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बानसूर विधान सभा क्षेत्र में कितने आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक औषधालय खुले हुए हैं ?

(2) इनमें से कितने औषधालयों पर स्टाफ नहीं है, व कितने औषधालय कहां-कहां हैं जहां पर वैद्य नहीं है ? अब कब तक वहां वैद्यों की व्यवस्था सरकार कर देगी ?

उत्तर

(1) अलवर जिले के बानसूर विधान सभा क्षेत्र में 21 आयुर्वेदिक तथा एक एक होम्योपैथी का औषधालय चल रहा है।

(2) जिन औषधालयों में चिकित्सक, नर्स/कम्पाउण्डर एवं परिचारक के पद रिक्त हैं, उसका विवरण संलग्न परिशिष्ट में प्रस्तुत है। एक आयुर्वेद चिकित्सक का पद औषधालय, बड़गांव में माह जून, 1989 से रिक्त है। इस पद की पूर्ति शीघ्र की जा रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–19 देखें।)

लाडनूं चिकित्सालय में रिक्त पद

645. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कस्बा लाडनूं के सरकारी अस्पताल में इस समय डाक्टरों व अन्य स्टाफ के कौन-कौन से पद स्वीकृत हैं और उनमें कौन-कौन से पद कब-कब से खाली हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) लाडनूं शहर की आबादी को देखते हुए क्या पदों में वृद्धि की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) वर्तमान में इस अस्पताल में पदों की वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–20 देखें)

आयुर्वेद परामर्शदात्री बोर्ड

646. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की करेंगे :—

(1) राज्य में आयुर्वेद परामर्शदात्री बोर्ड का गठन आयुर्वेद की उन्नति के लिए गठित होने के पश्चात् क्या बोर्ड की कोई बैठक वर्तमान मंत्री महोदय ने अपने कार्यकाल में बुलवाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? और यदि हां, तो कब-कब ?

(2) यदि अब तक कोई बैठक नहीं बुलाई गई है तो क्या अब बैठक बुलाने का विचार है ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) जी हां। परामर्शदात्री मण्डल का पुनर्गठन राज्य सरकार की विज्ञप्ति संख्या प. 25 (55) आयुर्वेद/86 दि. 23.5.87 द्वारा किया हुआ है। मण्डल की बैठक दि. 31.7.87 को हुई।

(2) अगली बैठक शीघ्र ही बुलायी जा रही है।

दवाओं का भण्डारण

647. **श्री किरोड़ीलाल मीणा** (महुआ) एवं **श्री चुन्नीलाल मेघवाल** (सुजानगढ़) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या फार्मेसी एक्ट 1948 एवं अमेन्डेड एक्ट 1976 की धारा 42 के तहत दवाओं के वितरण एवं रख-रखाव के लिए फार्मासिस्टों की आवश्यकता होती है ? यदि हां, तो राजस्थान में कितने स्थानों पर भण्डारण एवं रख-रखाव का कार्य होता है ? तथा वहां पर कितने फार्मासिस्ट कार्यरत हैं ?

(2) राजस्थान में फार्मासिस्टों के प्रशिक्षण के कितने केन्द्र हैं तथा प्रति वर्ष कितने प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण पाते हैं ? कितने प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण के बाद अब तक नियुक्ति दी जा चुकी है ?

उत्तर

(1) फार्मेसी एक्ट 1948 एवं अमेंडेड एक्ट 1976 की धारा के अनुसार 1.9.1984 के पश्चात् रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के अलावा कोई भी व्यक्ति मेडिकल प्रेक्टिशनर के प्रेस्क्रिप्शन पर (औषधि को कम्पाउण्ड तैयार मिश्रण अथवा) डिस्पेच नहीं कर सकता है। इसके लिए चिकित्सक को उक्त धारा में स्वयं के मरीज अथवा राज्य सरकार की अनुमति से अन्य चिकित्सक के मरीजों के लिए उक्त कार्य किए जाने की छूट दी गई है। राज्य के समस्त विभिन्न श्रेणी के अस्पतालों में भण्डारण एवं रख-रखाव का कार्य होता है तथा 60

78

(चिकित्सा मन्त्री)

फार्मासिस्ट वर्तमान में विभाग में कार्यरत है।

(2) राजस्थान में जो फार्मेसी में डिप्लोमा प्रशिक्षण करने हेतु जो संस्था कार्यरत हैं, उनका ब्यौरा निम्न है :–

प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	वर्ष	सीटें
1. पी. एच. टी. आई., जयपुर	1976	60
2. लाच्छु कालेज, जोधपुर	1983	60
3. बी. एन. कालेज, उदयपुर	1983-84	60
4. एल. बी. एस. कालेज, जयपुर	1988-89	60
5. नेहरू मेमोरियल, हनुमानगढ़	1987-88	60
6. परमानन्द डिग्री कालेज, गजसिंहपुर (गंगानगर)	1986-87	40
7. सूरजमल कालेज आफ फार्मेसी, भरतपुर	1988-89	60

60 डिप्लोमा धारकों को विभाग द्वारा अब तक नियुक्ति दी जा चुकी है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :–

(1) श्री गणेशलाल बैरागी, सदस्य, विधान सभा की ओर से सरपंच ग्राम पंचायत महस्वा, तहसील टोडाभीम के द्वारा जीवनधारा योजनान्तर्गत गलत प्रक्रिया अपनाने से राज्य सरकार को भारी हानि पहुचाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री नवनीतलाल नीनामा, सदस्य, विधान सभा, की ओर से श्री अल्का हरिजन गांव जौलाना, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा को षड्यंत्र द्वारा मार कर आम के पेड़ पर लटकाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान में नीम हकीमों द्वारा उपचार किये जाने से प्रान्त में अनेक अकारण मौतें हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री दाऊदयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा, की ओर से बाईजी के मंदिर

(श्री अध्यक्ष)

की छवि को समाज कटंकों द्वारा हरा पोत देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री नवरंग सिंह, सदस्य, विधान सभा, की ओर से राजस्थान में सन् 1988 तक के कृषि कुओं को बिजली कनेक्शन नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा, की ओर से जयपुर शहर में पुस्तक मण्डल द्वारा निर्मित चेतक कापियां बाजार में नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्रीमती वसुन्धरा राजे, सदस्य, विधान सभा की ओर से धौलपुर एवं राज्य के चार तापीय एवं पांच पन-बिजली परियोजना के निरस्त करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री शोपतसिंह एवं श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से कृष्णा मिल, ब्यावर मुख्य मंत्री के आश्वासन के उपरान्त भी चालू नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

इसमें श्री शोपतसिंह जी का भी आया है, इसमें श्री माणक डाणी का भी 131 का जो भी है, इसमें सबसे पहले माणक डाणी का ध्यान आकर्षण और आ चुका है।

श्री माणक डाणी : हां, मेरा पहले आया हुआ है, साहब।

श्री रमजान खां : इसमें मेरा भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, थोड़ा गौर कर लें।

श्री अध्यक्ष : आपका भी है। चलिये जो भी हैं।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(1) सुश्री पुष्पा जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर नगर के मध्य स्थित अमरूदों के बाग की सरकारी भूमि पर चार दीवारी बनाने की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन-प्रस्ताव पर राज्य सरकार से सूचना प्राप्त हुई है कि जयपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष ने आनन्द भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना आशापुरी के सम्बन्ध में आशापुरी विकास समिति के प्रार्थना-पत्र पर दिनांक 5.6.1989 को अमरूदों के बाग की भूमि में चारदीवारी बनाने के आदेश पारित किये हैं किन्तु प्राधिकरण द्वारा अभी तक उक्त आदेश की पालना में आदेश प्रसारित नहीं किये गये हैं। अतिरिक्त कलक्टर कृषि भूमि रूपान्तरण, जयपुर ने सरकार के आदेश दिनांक 7.3.88 की अनुपालना में दिनांक 2.4.88 को थाना बनीपार्क, जयपुर में ले. क. भवानी सिंह, भूतपूर्व महाराजा, जयपुर एवं श्री हनुमान प्रसाद, सचिव, आनन्द भवन गृह निर्माण सहकारी समिति के विरुद्ध आई. पी. सी. की धारा 120 (बी) व 443 के

(श्री अध्यक्ष)

अन्तर्गत एफ. आई. आर दर्ज करवाई थी। अतिरिक्त कलक्टर, कृषि भूमि रूपान्तरण द्वारा प्राधिकरण की तकनीकी राय चाही है। यह मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन है।

चूंकि यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है तथा न्यायालय के विचाराधीन है अतः इस पर अनुमति देने में, मैं असमर्थ हूं।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्री मोहनलाल चौहान

(2) श्री खंगार सिंह चौधरी

(3) श्री हीरालाल आर्य

(4) श्री नाथूसिंह

(5) श्री कालीचरण सराफ

(6) श्री दिग्विजय सिंह

(7) श्री हरिशंकर भाभड़ा

(8) श्रीमती सुमित्रा सिंह

(9) श्री बिरदमल सिंघवी

(10) श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर

(11) श्री गणेशलाल वैरागी

(12) श्री डूंगरराम पंवार

(13) श्री उदयराम धाकड़

(14) श्री नारायणराम बेड़ा

(15) श्री शंकरलाल अहारी

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्ताव को केवल पढ़ने की अनुमति होगी।

इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन कर दूं आज 295 में प्रस्ताव बहुत आये हैं बाकी के प्रस्ताव कल लिये जायेंगे। माननीय भैरोंसिंह जी साहब कुछ कह रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : जिन-जिन का आप 295 का नहीं ले रहे हो उनका नाम तो पढ़ दीजिए।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

जयपुर में स्थित अमरूदों के बाग में चारदीवारी बनाने के सम्बन्ध में

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं माननीय मन्त्री महोदय से दो जानकारी करना चाहूंगा जैसा माननीय अध्यक्ष ने बताया कि मैटर सब जुडिस है, आपने बताया कि मैटर न्यायालय में विचाराधीन है, तो इस विचाराधीन मामले पर आपने किस प्रकार से आदेश दिये कि इसकी चारदीवारी बनाई जाये ?

दूसरा, मैं पूछना चाहता हूँ कि आशापुरी विकास समिति, यह कोई रजिस्टर्ड सोसायटी है या आनन्दपुरी सोसायटी के कुछ लोगों ने, प्लाट होल्डर्स ने मिलकर कोई अन्दरूनी काम के लिये समिति का गठन किया है ? यदि यह रजिस्टर्ड सोसायटी नहीं है तो इसके नाम पर यह आडर्स कैसे इश्यू किये ?

एक सवाल और है, आपने लिखा है कि जे. डी. ए. को जो आदेश दिये हैं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उनकी क्रियान्विति नहीं की ? क्या यह कह सकते हैं कि सरकार उनकी क्रियान्विति करायेगी या उस आदेश को निरस्त करेगी ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह अमरूदों के बाग का मामला....(व्यवधान)...जमीन उस नाम से कहलाती है। असली किस्सा इस तरह का है...(व्यवधान)...आप दो मिनट सुन लें मुझे तो स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एण्ड एक्वीजीशन आफ लैण्ड आनर्स एस्टेट एक्ट, 1963 की धारा (9) के तहत जिलाधीश, जयपुर ने 17.4.74 को एक आदेश पारित करके 72.6 बीघा जमीन रिज्यूम कर ली। इन आदेशों के खिलाफ कर्नल भवानी सिंह जी कोर्ट गये और उच्च न्यायालय से एक डायरेक्शन मिला कि कलक्टर कम्पेन-सेशन कमिश्नर नहीं है इसलिये इस जमीन को रिज्यूम नहीं कर सकता इसलिए सरकार और दोनों ही कम्पेनसेशन कमिश्नर से यहां अपना वाद प्रस्तुत करें। यह वाद कम्पेनसेशन कमिश्नर, राजस्व वोर्ड के सदस्य के यहां विचाराधीन है, चल रहा है। लेकिन मैंने इसकी तह में जाने की कोशिश की। दिनांक 9.5.80 को राजस्थान हाई कोर्ट की डिवीजनल बैंच ने एक फैसला दिया है कि 72.6 बीघा जमीन में से 14.3 बीघा जमीन तो आबादी लैण्ड है इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितम्बर, 1983 को स्टे आर्डर दे दिया इस फैसले के खिलाफ, जो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जहां तक एग्रीमेंट टू सेल के आधार पर यह जमीन जयपुर के महाराजा ने समिति को दी, यह बात सही है और समिति ने यह भी कहा कि भूमि का स्वामित्व स्पष्ट न होने के कारण वह अपनी योजना आशापुरी को वापस लेती है। लैण्ड कन्वर्शन आफिसर के यहां उन्होंने इस बात की दरख्वास्त भी पेश की थी लेकिन राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 32 असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने उस रेगूलेशन को रिसाइन कर दिया, उसको माना नहीं। आशापुरी विकास समिति एक रजिस्टर्ड संस्था है जिन्होंने उस भूमि को उस सोसायटी के सदस्य होने के नाते एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके यह निवेदन भी किया कि...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप कर दीजियेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस सोसायटी, जो आशापुरी आयी है, के नाम कभी भी वह जमीन ट्रांसफर नहीं हुई लीगली।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जमीन न तो पहले वाली सोसायटी के नाम पर ट्रांसफर हुई, मैंने आपसे कहा ना कि जमीन तो किसी भी सोसायटी के नाम पर ट्रांसफर नहीं हुई लेकिन उस सोसायटी के मैम्बर्स ने एक नई आशापुरी विकास समिति बना कर रजिस्टर्ड कराके गवर्नमेंट के सामने यह एप्लीकेशन पेश की और जे. डी. ए. के

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

सामने यह एप्लीकेशन पेश की चूंकि यहां पर एक कच्ची बस्ती बस गयी है और कच्ची बस्ती वाले...

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : आप तो रोज उधर से आते जाते हैं, आप तो सच बोलिये। आप यह बता दें आपने फिर यह एफ. आई. आर. दर्ज क्यों करवायी ? एफ. आई. आर. सरकार ने लाज करवाई है। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मेरी बात सुनिये। मैं उस पर भी आ रहा हूँ उन्होंने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके यह निवेदन किया कि चूंकि वहां अमरूदों के बाग के आगे एक कच्ची बस्ती बन गयी है, कठपुतली नगर जिसका नाम है...(व्यवधान) एक मिनट सुन लीजिये आपका जो प्रश्न है उसका जवाब दूंगा।

श्री दिग्विजय सिंह : आप गलत कह सकते हो। कठपुतली नगर तो कैनाल बोर्ड के सामने बना है। अमरूदों की जमीन है उसके पीछे तो वह उसमें सम्मिलित ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप पहले पूरा तो सुनें। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जो प्रार्थना पत्र आशापुरी विकास समिति ने दिया,

(12.50 म. प.)

(श्री किशन मोटवानी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उसमें इस बात का उल्लेख किया, वह बात कह रहा हूं, आप सुनिये तो सही। उन्होंने यह अंकित किया कि चूंकि हमारे सामने कच्ची बस्ती बस गयी है और वह हमेशा अनधिकृत कब्जा करते हुये आगे बसते जा रहे हैं इसलिए इसको चारदीवारी बनाने की इजाजत दीजिये। अगर यह जमीन का फैसला हमारे पक्ष में नहीं देगा तो हम उस जमीन को सरकार को सरेण्डर कर देंगे। ऐसा प्रार्थना पत्र था। यह बात सही है। यह जमीन जैसा मैंने शुरू में कहा कि 58 बीघा 2 बिस्वा जो बचती है 14 बीघा छोड़ने के बाद वह सरकार में वेस्ट करती है और उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। 14 बीघा के मामले को ले कर ही सरकार सुप्रीम कोर्ट में गयी थी डिवीजनल बेंच के खिलाफ कि 14 बीघा जमीन सरकारी होनी चाहिए। इसलिए यह मामला वहां विचाराधीन है। दूसरा, कम्पेनसेशन कमिश्नर के पावर्स कलक्टर को नहीं होने की वजह से हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दिये उसके तहत यह मामला कम्पेनसेशन कमिश्नर, मैम्बर, बोर्ड आफ रेवेन्यू के पास विचाराधीन हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : काहे के लिए ? कम्पेनसेशन के लिए या टाइटल के लिए ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप बात सुन तो लें।

श्री दिग्विजय सिंह : स्वामित्व तय कम्पेनसेशन आफिसर तय कर नहीं सकता, तो यह मान लें कि इसके पैसे के लिए ही है कि कितना पैसा दिया जाय।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप पहले मेरी बात सुन लें उस के बाद कोई बात कहें तो मैं उस का आप को स्पष्टीकरण दे सकूंगा। मुझे तो अभी एट-रेण्डम अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार जवाब देना पड़ रहा है।

श्री दिग्विजय सिंह : आज की डिमाण्ड में आ चुका था, एट-रेण्डम नहीं है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जो तथ्य मेरे पास हैं मैं आप को बता रहा हूं। उस प्रार्थना पत्र पर जे. डी. ए. के तत्कालीन अध्यक्ष महोदय ने सुन कर यह फैसला किया कि यह जमीन विवादास्पद तो है जिस का मालिकाना हक अभी डिसाइड नहीं हुआ है, कोर्ट में है लेकिन चूंकि इस पर अतिक्रमण होने की सम्भावना है इसलिए पूरी जमीन पर चारदीवारी बनाने की इजाजत दी जाय।

श्री भंवरलाल शर्मा : किस को इजाजत दी जाय ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आशापुरी विकास समिति को और उस की एवज में....

श्री शोपत सिंह : आप बिल्कुल गये-गुजरे हैं, आप में कोई दम नहीं है, आप उस पर कब्जा नहीं रोक सकते ?

श्री कालीचरण सराफ : मन्त्री महोदय, आप ने किस को आदेश दे दिया कि दीवार बनवा लो ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : या तो मेरा जवाब सुन लें या प्रश्न पूछते रहें।

श्री भंवरलाल शर्मा : किसी सरकारी जमीन पर एनक्रोचमेण्ट रोकने के लिए समिति को डण्डा बनाने की परमिशन दे देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : I don't allow. मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि या तो जवाब पूरा सुनने दीजिए, बीच-बीच में बोलेंगे तो मैं कह दूंगा कि कोई जवाब नहीं दें क्योंकि आवश्यकता नहीं है जवाब देने की, कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : क्यों ?

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव को अलाउ नहीं किया गया किन्तु हम ने इस प्रक्रिया को निभाने की नीयत से यह करवाया।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय ने कहा है जवाब आयेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : इसलिए पहले सुन लीजिए फिर क्वेश्चन पूछिये।

सुश्री पुष्पा जैन : करोड़ों रुपए की जमीन खा जायं यह लोग ?

श्री उपाध्यक्ष : पुष्पा जी का कोई सवाल नहीं आ सकता इस तरह से अगर आप पूछेंगे तो।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप मेरा जवाब तो सुनें फिर क्वेश्चन करें। मैं बात कहता जाऊं और एक एक सवाल खड़ा करते रहें, तो आप डिस्कशन रखवा लीजिए डिस्कशन कर लेंगे। एडजार्नमेण्ट मोशन के जरिये आप जानकारी भी चाहते हैं, मैं जानकारी दे रहा हूं। सभी माननीय सदस्य एक सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल करें तो सवाल पूछते रहिये, जवाब की जरूरत क्या है।

श्री भंवरलाल शर्मा : जवाब दिलाइये, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : कर रहे हैं, आप के लिए देख रहे हैं कानून को।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : कानून तो मैंने सब देख लिये पर आप मेरी बात सुन लीजिए फिर आप के जो सवालात हों पूछ लीजिए। उस प्रार्थना पर, मैंने आप से निवेदन किया कि तत्कालीन अध्यक्ष महोदय ने यह आदेश प्रसारित किये कि जमीन चूंकि खुर्द-बुर्द होने का, जमीन विवादास्पद है यह माना लेकिन खुर्द-बुर्द होने का अंदेशा है इस वजह से पूरी जमीन की बाउण्डरी वाल, व्यक्तिगत नहीं पूरी जमीन की, बनाने की इजाजत दी जाय और उस की एवज में 25 लाख रुपए जमा करा लिये जायं। जमीन का फैसला सरकार के हक में अगर हो जाता है तो यह जमीन सरकार के पास चली जायेगी, जो भी दीवार बनेगी उस का कोई कम्पेनसेशन उनको नहीं दिया जायेगा। और राइटिंग में इस तरह का कमिटमेण्ट करने का निर्णय दिया गया। इस निर्णय पर अभी भी जयपुर डवलपमेण्ट अथारिटी ने एक्जीक्यूट करने का फैसला नहीं किया। यही मामला मांग के दिन भी 11 तारीख को इस सदन में उठा था और आप ने इस सम्बन्ध में कई प्रश्न भी पूछे थे। तब भी मैंने यह कहा था कि अगर यह सारे मामले—न्यायालय के आदेश, कम्पेनसेशन कमिश्नर के यहां विचाराधीन मामले, जमीन का स्वामित्व और इस एस्टेट एक्ट का सैक्शन (9), इन सब का अध्ययन करके अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि इस सम्बन्ध में कोई निर्णय करने में वैधानिक स्थिति से कहीं परे हटे है तो पूर्ण परीक्षण कर हम इस मामले पर पुनर्विचार करेंगे और ऐसा कोई काम नहीं होने देंगे जिसकी वजह से राज्य सरकार की जमीन किसी सोसायटी को या किसी व्यक्ति विशेष को चली जाय। यह मैंने उस दिन निवेदन किया था। इसलिए वह निर्णय अभी...

श्री दिग्विजय सिंह : एफ. आई. आर. के बारे में?

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज डोण्ट इण्टरप्ट।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : वह निर्णय इम्प्लीमेण्ट नहीं किया गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने उत्तर तो दिया लेकिन ऐसे गम्भीर प्रश्न खड़े कर दिये जिन के बारे में सदन में चिन्ता व्यक्त करना बहुत स्वाभाविक है। मैं आप की अनुमति से तीन जानकारी इन से करना चाहूँगा। क्या मन्त्री महोदय को यह मालूम

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

है, मैंने पिछली बार सदन में भूतपूर्व मुख्य मन्त्री माननीय हरिदेव जोशी का एक पत्र भी पढ़ कर सुनाया था जिस पत्र के आधार पर यह बात स्पष्ट थी कि यह सारी जमीन सरकार की है।

श्री शिवराम शर्मा : वह नेगोशियेशन हो रहा है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मेरी बात तो सुनो। आप थोड़ा इधर आ जाओ इन को फ्री कर दो। क्या सरकारी जमीन की सुरक्षा के लिए सरकार अपने आप को सक्षम नहीं पाती और जिस सहकारी समिति से उसका विवाद चल रहा है उस सहकारी समिति को उसकी चारदीवारी बनाने की अनुमति देना उपयुक्त समझती है ? मन्त्री महोदय ने यह भी कहा कि इस जमीन के सम्बन्ध में हम ने महाराजा जयपुर के ऊपर एक केस रजिस्टर करवाया। यदि आप केस की सारी जानकारी लें तो ए. डी. एम. की तरफ से जो रिपोर्ट दी गयी है उसमें साफ लिखा है कि जमीन सरकारी है, इस का कोई विवाद नहीं है। मुख्य मन्त्रीजी ने लिखा है कि इसका कोई विवाद नहीं है, ए. डी. एम. ने एफ. आई. आर. दर्ज करवायी जिसके आधार पर यह स्पष्ट है कि इसका कोई विवाद नहीं है। यह सरकार अपनी तरफ से इसको विवादास्पद क्यों मानती है ? और विवादास्पद मान कर इस सोसायटी को इस जमीन पर डण्डा बनाने के लिए क्यों अनुमति दी गयी ? तीसरा प्रश्न आप ने बड़ी चतुराई से टालने की कोशिश की है। मैं आपसे यह जानकारी करना चाहूँगा, डेफिनेटली जानकारी करना चाहूँगा आपने आदेश दिया, एक मन्त्री ने आदेश दिया क्या राज्य सरकार उस आदेश को वापस लेना चाहती है या नहीं चाहती है ? मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यदि इस आदेश को वापस नहीं लिया गया तो यह सोसायटी अपने राइट्स का क्लेम करेगी और करोड़ों रुपए की जमीन के ऊपर अपना अधिकार जतायेगी। इसलिए आप उसके बनाने के काम को बन्द करें, कोई अनुमति नहीं दें। जिस दिन फैसला हो जायेगा उस दिन हो जायेगा।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जहां तक महाराजा भवानीसिंहजी और तत्कालीन मुख्य मन्त्री के बीच के पत्र व्यवहार का सवाल है वह पत्र मैं अभी देख नहीं पाया हूँ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैंने हाउस में पढ़कर सुनाया है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आपने सुनाया था, सही बात है लेकिन मैं यह मान चुका हूँ कि उसमें शंका का प्रश्न नहीं है। कलक्टर, जयपुर ने इस जमीन को सरकार में वेस्ट होना मान लिया इन दी ईयर 1976 और महाराजा ने जिस सोसायटी को एग्रीमेण्ट किया था सेल करने का 1975 में, चूंकि यह जमीन सरकार में वेस्ट होती थी इस वजह से सोसायटी को सेल करना गलत है और इसी वजह से पुलिस केस रजिस्टर करवाया गया था उस वक्त में।

श्री भैरोंसिह शेखावत : इस आधार पर केस रजिस्टर नहीं हुआ, केस इस

86

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आधार पर हुआ है कि 1975 का एग्रीमेण्ट फर्जी है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : हां, इस बात को लेकर...

श्री दिग्विजय सिंह : अरबन लैण्ड सीलिंग के तहत जो डिक्लेरेशन हुआ उस डिक्लेरेशन में यह भूमि उन्होंने अपनी बतायी है। यह नहीं बताया कि एग्रीमेण्ट टू सेल हो चुकी है। इस वजह से दर्ज हुआ है यह 420 का।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : दूसरा यह भी सही है कि यह जमीन उन्होंने अपनी पर्सनल प्रापर्टी में नहीं बतायी। सही बात है, मैं भी इस को स्वीकार करता हूं। हम इस बात को मानते हैं...

श्री शिवराम शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, राजमाता और भवानी सिंहजी का झगड़ा क्यों लाते हैं यहां, इनको रोको।

श्री दिग्विजय सिंह : इसमें राजमाता और भवानी सिंह का मतलब नहीं है।

श्री शोपत सिंह : कोई गैरत नाम की चीज है क्या ? सरकार की जमीन को आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते ?

श्री शिवराम शर्मा : माननीय सदस्य, खातीपुरा की 200 बीघा जमीन के लिए तो नहीं बोलते हैं, 200 बीघा खातीपुरा की जमीन का क्या हुआ, यह नहीं बताया।

श्री दिग्विजय सिंह : हम तो यह चाहते हैं कि जो कोई भी दोषी है। इसमें राजमाता और भवानी सिंह क्या करेंगे ?

श्री शिवराम शर्मा : खातीपुरा की 200 बीघा जमीन के लिए क्यों नहीं बोलते हैं ?

श्री दिग्विजय सिंह : आप करो उसके लिए, आप बोलो। आपको कौन इन्कार करता है। (व्यवधान) आपकी सरकार ने पुलिस के अन्दर केस रजिस्टर्ड करवाया और आप ही यहां पैरवी कर रहे हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : हमारी सरकार ने करवाया हमने इसको स्वीकार किया है, डिस्प्यूट कहां है ?

श्री शोपतसिंह : आपकी सरकार ऐसी नहीं है कि प्रोटेक्ट कर सके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शोपतसिंहजी आप क्या चाहते हैं ? आप बीच में क्यों बोल रहे हैं ? आप नहीं बोलेंगे।

श्री शोपतसिंह : क्यों नहीं बोलें, हम चाहते हैं कि यह जमीन बचे हमारी मन्शा यह है।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं—एफ.आई.आर. की नकल भी मेरे पास है, सारी चीजें मेरे पास हैं तब मैं जवाब दे रहा हूँ लेकिन उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। प्रश्न आज यह है कि क्या इस जमीन पर जो इजाजत दी गई है, आप मूल प्रश्न यह पूछना चाहते हैं...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो यह जमीन सरकार में वेस्ट हो गयी है, जमीन सरकार की है और सरकार इसको स्वयं विवादास्पद नहीं मानती है...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सरकार अपनी जमीन प्रिज्यूम कर चुकी है इसको मैंने स्वीकार किया है कि सरकार में वेस्ट हो गयी है, 1976 के कलक्टर के डिसीजन के आधार पर सरकार में वेस्ट हो गयी है, मैंने इस बात को माना है। अब उसके जो प्रभावित महाराजा थे वह कोर्ट में गये, कोर्ट ने उन्हें कोई डायरेक्शन दिया, कम्पेनसेशन कमिशनर के यहां मामला विचाराधीन है, मुझे जो बताया गया है कि टाइटल के लिये मामला विचाराधीन है, मैं उसकी और स्टेडी कर लूंगा लेकिन वहां विचाराधीन है और डिविजनल बैंच ने फैसला दिया कि भाई 58 बीघा राज्य में निहित हो गयी और 14 बीघा और कुछ बिस्वा जो उनकी मानी गयी है उसके खिलाफ भी सरकार सुप्रीम कोर्ट में गयी है, जहां पर स्टे में मामला पड़ा हुआ है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : स्टे नहीं है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अब मेरे पास तो रिकार्ड के आधार पर स्टे है, आप बतायेंगे तो मैं और वैरीफाई कर लूंगा मुझे उसमें कोई हील-हुज्जत नहीं है। सरकार मानती है कि जमीन हमारी है, हम कब कह रहे हैं कि नहीं है लेकिन अगर दूसरी पार्टी ने डिस्प्यूट खड़ा कर दिया और कोई मामला अदालत में विचाराधीन है तो विवादास्पद इस तरह से कहा जा रहा है उसको। जे. डी. ए. के चेयरमैन ने कोई फैसला किया है सरकार सक्षम है उस फैसले को रिव्यू करने के लिये...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : करें ना।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने कहां मना किया है कि नहीं करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो फैसला किया है हम रिव्यू नहीं करेंगे कह दीजिये इसमें साफ ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, प्लीज। देख करके कर लेंगे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : पीछे नहीं देख रहा हूँ मैं तो सीधा चेयर की तरफ देख रहा हूं...

श्री उपाध्यक्ष : आप देख करके कर लीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, देख कर नहीं, आज घोषणा करिये, कब्जा कर रहे हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जे. डी. ए. के रूल्स और एक्ट के तहत, कानून में डिसीजन दिया है, गवर्नमेण्ट ने कोई फैसला नहीं किया, जे. डी. ए. के चेयरमैन की हैसियत से कोई निर्णय किया गया है, सरकार उस निर्णय में अपने अधिकार क्षेत्र में रिव्यू करने की या जो दखलंदाजी करने का रखेगी वह निश्चित रूप से करेगी...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अधिकार नहीं, आप यह कहिये गवर्नमेण्ट नहीं करेगी इस तरीके से आप अपने अधिकार क्षेत्र की मीमांसा क्यों कर रहे हैं। आपको अधिकार है, गवर्नमेण्ट को अधिकार है, यह मैं मानता हूँ। आप यह कहिये कि अधिकार क्षेत्र में आने वाली शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि भूतपूर्व चेयरमैन के आदेश की पालना नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो अब निर्णय कैसे ले लेंगे ? (व्यवधान)

श्री बिरदमल सिंघवी : आज घोषणा हो जाय।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अब आप सुनना चाहेंगे तो आपको सैटिस्फेक्सन हो जायेगा मैंने कहा है कि जो डिसीजन हुआ है वह गवर्नमेण्ट का डिसीजन नहीं है, चेयरमैन जे. डी. ए. का डिसीजन है उस डिसीजन को रिव्यू करने का गवर्नमेण्ट को अधिकार है, उसको गवर्नमेण्ट रिव्यू करके जनहित में निश्चित रूप से इसका जल्दी से जल्दी फैसला कर देगी। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह नहीं है, जल्दी से जल्दी फैसला क्या है, गवर्नमेण्ट यह कहे कि उसको लागू नहीं करेंगी।

श्री शोपतसिंह : क्या फैसला दिया साहब ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जब तक इस सारे मसले पर पुनर्विचार करके गवर्नमेण्ट फैसला न कर ले तब तक कोई दीवार उस पर नहीं बनने दी जायेगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, हो गया ना। माननीय शोपतसिंह जी। आप बैठें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कहिये ना, देखिये एक चेयरमेन है और आज आप चेयरमैन हैं, आप गवर्नमेण्ट की हैसियत से बोल रहे हैं या चेयरमैन की हैसियत से ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं गवर्नमेण्ट की हैसियत से बोल रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह आर्डर भी मैं आपको बता दूं कि चेयरमैन की हैसियत से नहीं है गवर्नमेण्ट की हैसियत से है ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : चेयरमैन की हैसियत से है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नीचे चेयरमैन लिखा हुआ नहीं है मिनिस्टिर लिखा हुआ है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : नीचे लिखा हुआ है चेयरमैन।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बता दें कि चेयरमैन लिखा हुआ है या मिनिस्टर आप इस झगड़े में मत पड़िये आप यह कहिये कि जो आदेश निकला है, आप स्वयं मानते हैं कि जमीन सरकार में वेस्ट करती है....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं मना कहां कर रहा हूँ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं यह कह रहा हूँ कि जो गवर्नमेण्ट की जमीन है, उस जमीन के ऊपर किसी प्राइवेट आर्गेना-इजेशन या प्राइवेट संस्था को उसकी रख वाली के लिये आप डण्डा लगाने दें और ऐसी संस्था को चारदीवारी बनाने की अनुमति दें जो संस्था उस जमीन में इन्ट्रेस्टेड हो तो राज्य सरकार के इन्ट्रेस्ट इससे सर्व नहीं होगा, मैं समझता हूँ कि करोड़ों रुपये की जमीन का सरकार को नुकसान होगा। अगर आप दुबारा डण्डा लगाने की जमीन पर परमिशन नहीं देते हैं तो, आप यह स्पष्ट घोषणा कर दीजिये कि जमीन सरकार में वेस्ट करती है और राजस्थान की सरकार श्री शिवचरण माथुर जिसके नेता हैं वह अपनी जमीन की सुरक्षा करने के लिये सक्षम है उसमें किसी संस्था से उसकी सुरक्षा का सहयोग नहीं लेना चाहेगी और न चाहती है, खतम हुआ किस्सा।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : राजस्थान की सरकार सक्षम है अनधिकृत किसी भी सोसायटी को कब्जा नहीं करने के लिये और उसके जो आवश्यक कदम सरकार को उठाने होंगे निश्चित रूप से उठाये जायेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वाई नो, प्लीज सिट डाउन।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने स्पष्ट कहा है .. (व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : शादी करके कोई लावे और बच्चे की उम्मीद कोई और करे, क्या बात करते हैं आप ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने स्पष्ट कहा है कि इस जमीन पर कोई चार-दीवारी नहीं बनेगी और सारे मसले की, सारे कानून-कायदे, कोर्ट, कम्पेनसेशन कमिश्नर इन सारी चीजों को एग्जामिन करके इसको जल्दी से हम कर देंगे। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक सवाल। क्या महाराजा जयपुर के खिलाफ 420 का केस रजिस्टर्ड करवा कर उनको लोक सभा का चुनाव लड़ने के लिये आपने क्वालिफाई कर दिया ? (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह तो आपको जानकारी हो सकती है मुझे नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

श्री उपाध्यक्ष : Now finish it. आपके ही सवालों का जवाब आया है।

श्री दिग्विजय सिंह : हमको आप बोलने ही नहीं देना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आपके ही सवालों का जवाब आया है। आपका स्थगन प्रस्ताव ही नहीं है, इसमें आपका कोई प्रपोजल नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : आप यह चाहते हैं कि हम नहीं बोलें, हम जितनी आपकी आज्ञा का पालन करते हैं उतनी ही आप हमें + + +।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोकित की गई।

श्री उपाध्यक्ष : पुष्पाजी बोलेंगी, इन्हीं का स्थगन प्रस्ताव है और यह ही सैटिस्फाइ हो गयीं और जिनका स्थगन प्रस्ताव नहीं है वे ही बोलना चाहते हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं एक पाइन्टेड क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप इसको पसन्द नहीं करते क्योंकि महाराजा भवानी सिंह कांग्रेस के टिकट पर लोक सभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। आपका ही लेना-देना है मां-बेटे को आपको लड़ाना है मुझे क्या करना है ?

श्री दिग्विजय सिंह : नहीं, नहीं, विपक्ष के नेता ने संकेत कर दिया आपको इस बात के लिये....

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आपके उपर जिम्मेदारी है मां-बेटे को लड़ाने की...

श्री दिग्विजय सिंह : तो आप भी आ गये बीच में ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलें ना। आप मुझे क्यों बोल रहे थे ? आपने मुझे भवानी सिंह का नाम लेकर मेरी और इंगित किया इसलिये मैंने आपको इंगित किया है।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं यह जानकारी चाहता हूँ कि आपने यह कहा है कि यह जमीन है जिसके लिये 25 लाख रुपये तो सोसायटी ने जमा करा दिया, आप पहले पूरा सुन तो लीजिये...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने उसका फैसला इन्क्लाइन नहीं करने को कह दिया है। अब आप क्या चाहते हैं ?

श्री दिग्विजय सिंह : इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे पूरा सुन लें आप। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी ने कहा है कि हम उसके ऊपर कब्जा नहीं होने देंगे, दीवार नहीं बनाने देंगे पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि 25 लाख रुपये आपने जमा करने के आदेश दे दिये, 25 लाख रुपये उसने जमा करा दिये यह अपना पजेशन बता कर, अपना राइट बता कर कोर्ट से स्टे ले लेगा...

श्री उपाध्यक्ष : अब आप यह बात पहले ही क्यों बता देना चाहते हैं...

श्री दिग्विजय सिंह : मैं कह रहा हूं आप सुनें भी तो...

श्री उपाध्यक्ष : देख कर के आदेश देंगे कोई भी उसमें।

श्री दिग्विजय सिंह : कहां दे रहे है, यह कह रहे हैं कि हम नहीं होने देंगे...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मेरी जानकारी के आधार पर कोई पैसा जमा नहीं हुआ और आगे हम इस आदेश की क्रियान्विति के लिये रोक लगा रखी है न होने वाली है, जितनी चिन्ता आपको है उससे ज्यादा सरकार चिन्तित है अपनी जमीन की रक्षा के लिये।

श्री उपाध्यक्ष : 295. श्री मोहनलाल चौहान....(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष जी, एक सवाल...

श्री उपाध्यक्ष : अब आप सवाल पूछेंगे....प्लीज सिट डाउन।

श्री मानिकचन्द सुराना : उपाध्यक्षजी, आपकी जानकारी में है कि इस सवाल पर बहस के दौरान भी मैंने कई बार सवाल उठाये हैं। मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं कि राज्य के एक मंत्री ने जिस जमीन के लिए भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने यह कह दिया था कि यह राज्य में निहित करती है उसके बाद में दुबारा ऐसा आदेश जारी करना क्या यह मिस कन्डेक्ट नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह सदन में दिये गये आश्वासन का ब्रोच ऑफ प्रिविलेज नहीं है? और माननीय मंत्री जी जो पिछले मंत्रीजी ने आदेश दिये आपका यह कहना काफी नहीं है हम दीवार नहीं बनने देंगे आप उस परमिशन को भी निरस्त करिये और यदि उन्होंने कोई रुपया जमा कराया है तो उस रुपये को भी रिफण्ड करिये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप देरी से आये हैं।

श्री मानिकचन्द सुराना : आपने परमिशन रद्द नहीं की है तो स्पेसिफिकली कहें कि आपने परमिशन रद्द कर दी है?

श्री दिग्विजय सिंह : यह जवाब दे दिया उन्होंने।

श्री माणक डाणी (ब्यावर) : ब्यावर की कृष्णा मिल के बारे में आज सवेरे अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी कि वे आज श्रम मंत्री के द्वारा या उद्योग मंत्री जी के द्वारा स्टेटमेंट दिलवायेंगे और हमको अपनी बात कहने का अधिकार देंगे? तो क्या श्रम मंत्रीजी अथवा उद्योग मंत्रीजी का आज स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : समय क्या है? आपको बोलना है, बोल लीजिए।

ब्यावर की कृष्णा मील को चालू कराने के सम्बन्ध में

श्री माणक डाणी : या कोई समय निश्चित करें या हमको अपनी बात कहने का मौका दे रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड मेरी बात सुन लें। उपाध्यक्ष महोदय, आज ब्यावर के सारे मजदूर दो हजार की तादात में नीचे खड़े हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं विधान सभा पर, हंगामा मचा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि इस मामले पर अगर आप आज स्टेटमेंट दिलवा दें तो जो श्रमिक यहां आये हुए हैं वे एक अच्छी बात सुन कर राज्य सरकार की मिल को पुनः चालू कर रही है, राज्य सरकार मिल प्रारम्भ करने की स्थिति में है या नहीं है? सहकारिता के आधार पर मिल कब स्टार्ट हो पायेगी? उन श्रमिकों को रोजी-रोटी कब दे पायेगी। हम एक तरफ लोन देकर रोजगार देने की व्यवस्था कर रहे हैं? जो लोग बेरोजगार हो गये हैं उनके परिवार की व्यवस्था करने जा रहे हैं। इस पर राज्य सरकार अगर कोई निर्णय ले रही है, कोई स्टेटमेंट दे रही हो तो आप कृपया दिलवा दें तो कम से कम यहां के श्रमिकों को राजी-खुशी घर भिजवाया जा सके। ला एण्ड आर्डर की स्थिति खराब होगी। उपाध्यक्ष महोदय, कल ब्यावर में बन्द होने की नौबत आयी। पहले भी तीन

(92)

(श्री माणक डाणी)

सदस्यों की समिति बनी । यह सारी स्थितियां हैं । पहले मिल चलाने की स्थिति भी आयी, वह मिल नहीं चल पायेगी । इसके क्या कारण हैं, क्या नहीं हैं ? अब यूनियन तैयार है, सहकारी समिति के माध्यम से चलाने की स्थिति में है या नहीं है । सहकारिता में चलाने के लिए राज्य सरकार ने कोई सरकारी अधिकारी बैठा दिया, इसका अधिकार दे दिया या क्या किया ? उपाध्यक्ष महोदय, इस मिल को चलाना अत्यधिक आवश्यक है । इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि क्या कोई स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं या हमें अपनी बात कहने का समय दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये ना । बोलिये, और क्या बोलना चाहते हैं ।

श्री माणक डाणी : तो फिर दो मिनट बोलने दीजिये मुझे आप ।....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, आप बैठिये ।

श्री माणक डाणी : उपाध्यक्ष महोदय, 1983 में मिल बन्द होने के बाद आज 6 साल हो गये, राज्य सरकार ने हर बार विधान सभा में कम से कम आठ बार····

श्री उपाध्यक्ष : वसुन्धराजी, बैठें आप । मैं आपको मौका दूंगा ।

श्री माणक डाणी : इन 11 सत्रों में राज्य सरकार ने इस विधान सभा के पटल पर इस बात का आश्वासन दिया कि हम मिल चलायेंगे, मिल चलाने के लिए सरकार सतर्क है, मिल चलाने की सरकार की इच्छा है, हम श्रमिकों को बेरोजगार नहीं होने देंगे । विभिन्न तरह से यह मामला उठा लेकिन उसके बाद आज तक कुछ नहीं हुआ । मजदूरों की आर्थिक दशा आज दिन प्रति दिन खराब हो रही है और कई श्रमिक मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं । उनकी जून से लेकर अक्टूबर महीने तक की तनख्वाह नहीं चुकाई गयी है । आप ही सोचिये उपाध्यक्ष महोदय, कि 1983 का पैसा आज 1989 तक अगर मजदूर को नहीं मिले.......

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन ।

श्री माणक डाणी : तो मजदूर किन परिस्थितियों में जी पायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें, आप ।

श्री माणक डाणी : उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड । सरकार ने सहकारिता के क्षेत्र में चलाने की व्यवस्था की, हमने इस बात को स्वीकार किया । आप सहकारिता के क्षेत्र में चलवाइये । मजदूर तैयार हैं, वहां की यूनियन तैयार है, सरकार तैयार है फिर झगड़ा किस बात का है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री शोपतसिंहजी ।

श्री माणक डाणी : सरकार ने किस अधिकारी को लगाया ? मिल को चलाने के लिए क्या उन्होंने किसी अधिकारी को वहां भेजा ? सरकार ने स्वीकार किया है कि सरकार पहल करके सहकारिता के क्षेत्र में चलाने के लिए उसका विधान तैयार करेगी, नियम बनायेगी, उप-नियम

(श्री माणक डाणी)

बनायेगी लेकिन आज तक राज्य सरकार की तरफ से कोई ऐसा आदेश नहीं हुआ बल्कि तीन जनों की समिति बना दी। समिति बनाने के बाद उस मिल का और कुण्डा हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, उस मिल को अवसान में चलाने के निर्देश दे दिये गये। तीन सदस्यों की समिति ने क्या किया? विपक्ष के नेता ने यहां बैठकर के धरने की स्थितियां पैदा कर दी। क्या किया विपक्ष के नेता ने उसमें बैठ कर के? उस समिति में न हमको लिया, न कोई बात हुई। कमरे में बैठ करके यह तय कर लिया। आज श्रमिकों का बाहर प्रदर्शन हो रहा है, उनकी रोजी-रोटी के लिए वे लगातार चिल्ला रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। माननीय डाणी जी आप सहयोग नहीं कर रहे हैं। सहयोग करें आप......(व्यवधान)

श्री माणक डाणी : सरकार यहां पर आश्वासन नहीं दे। अगर आश्वासन दे तो सरकार का फर्ज है कि उन आश्वासनों को पूरा करें।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, माननीय डाणी जी बैठिये आप। शोपत सिंहजी, बोलें।

श्री माणक डाणी : उपाध्यक्ष महोदय, इस महान सदन की इज्जत क्या है? जिस सदन में सरकार ने आश्वासन दिया .....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, बैठ जायं।

श्री माणक डाणी : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से जवाब दिलवाइये इस बात के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : बैठें आप।

श्री शोपत सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी पवित्र सदन में कृष्णा मिल के बारे में जब हीरालाल जी देवपुरा श्रम मंत्री थे और हमारे जोशी जी मुख्य मंत्री थे उन्होंने इसी सदन में आश्वासन इस बात का दिया था कि हम बैठ कर कमेटी का निर्माण करेंगे और कोशिश इस बात की की जायेगी कि जो हजारों कृष्णा मिल के मजदूर हैं, जो सन् 1983 से बेरोजगार हैं जिनका तीन करोड़ रुपया ग्रेचुएटी, बोनस और उनके वेतन का बाकी है। काम उनका चला गया, उन्होंने अपनी सारी जवानी, सारी उम्र.......

श्री उपाध्यक्ष : अगर आप इसमें व्यवस्था चाहें तो मैं कह दूं। वैसे यह 131 के अन्तर्गत आपका स्थगन प्रस्ताव था। मैं भी इसमें क्योंकि मेरे जिले से सम्बन्धित हैं और काफी पीड़ादायक यह मसला है। अगर इसमें आप चाहें तो व्यवस्था दो दिन के बाद इस पर मैं रिपोर्ट करके और सदन में बात करूंगा।

श्री शोपत सिंह : हां, यह बात हमें मंजूर है।......(व्यवधान)

श्री माणक डाणी : उपाध्यक्ष महोदय, दो दिन बाद में स्टेटमेंट लगवा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : एक सैकण्ड, एक सैकण्ड।

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय डाणी जी ने जो बात कही कि गत सेशन में मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था और एक कमेटी बनायी थी कि यह कमेटी जो वर्क आउट करेगी उसमें कृष्णा मिल और ओ. पी. सी. दो फेक्ट्रियों के बारे में शिवचरणजी माथुर ने वहां खड़े होकर इस बात की घोषणा की थी।

श्री उपाध्यक्ष : इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ न, मैं चाहता क्या हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि......

श्री रमजान खां : दो दिन का टाइम मत दीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, श्रम मंत्री जी का जवाब आज नहीं हो सकता ? कुछ भी जो करना है आज कर कराकर झंझट मेटिये। थक गये यह मजदूर आ करके।.....(व्यवधान).......भूखे मर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि दो दिन का समय दें।

श्री उपाध्यक्ष। ऑर्डर प्लीज। रमजान जी एक मिनट।

श्री रमजान खां : मंत्रीजी आज ही इस पर स्टेटमेंट दें...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह चाहता हूं अगर बोलना है तो दो-दो मिनट बुलवा लूंगा जो नियमों में है......(व्यवधान)......मैं यह चाहता था कि समय देकर के इस पर व्यवस्था की जाय, स्टेटमेंट करवा दी जाय ताकि कुछ हल निकले इसीलिए मैं दो दिन का समय कह रहा हूँ....(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : सरकार को तो पहले से तैयार होना चाहिए। उस मिल को दिवालिया घोषित करने जा रहे हैं और दो बार पेशी भी हो चुकी है........(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : दो दिन बाद के लिए कह रहे हैं कि दो दिन बाद व्यवस्था दे रहे हैं। नहीं व्यवस्था चाहें तो आपकी मर्जी है।

श्री माणक डाणी : हमको मंजूर है।

श्री उपाध्यक्ष : अगर मेरी व्यवस्था आपको मंजूर नहीं है।

श्री हीरासिंह चौहान : आपकी व्यवस्था का हम स्वागत करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह स्वागत नहीं है। बैठ जाइये आप.......(व्यवधान)

श्री शोपत सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग मंत्रीजी जो कि मुख्य मंत्री जी हैं उनसे आप स्टेटमेंट दिलवा दीजिए। हम लोग जो बात कह रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा था कि आज हजारों मजदूर....

श्री उपाध्यक्ष : अगर आप बोलेंगे तो सब बोलेंगे।

श्री शोपत सिंह : अच्छा, नहीं बोलेंगे हम।

श्री माणक डाणी : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था दे दी इस पर ?

श्री उपाध्यक्ष : दो दिन बाद स्टेटमेंट आयेगा।

श्री माणक डाणी : ठीक है, धन्यवाद।

श्री हीरासिंह चौहान : तारीख तो घोषित कीजिये साहब।

श्री उपाध्यक्ष : दो दिन बाद हो जायेगा। क्या बात करते हो आप भी...... (व्यवधान)

धौलपुर में सुपर थर्मल पावर प्लांट के सम्बन्ध में

श्रीमती वसुन्धरा राजे (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मैंने एक स्थगन प्रस्ताव के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहा था धौलपुर सुपर थर्मल के बारे में। मुझे सरकार ने यह बताया है कि वह जानकारी के लिए भेज रहे हैं। मैं यह पूछना चाहती हूँ कि जानकारी किसकी ? जब आज के दैनिक नवज्योति में निकला है कि कल्पनाथ राय ने विष्णु मोदी ने नवश्चन के जवाब में यह कहा है कि धौलपुर में सुपर थर्मल पावर प्लांट लगने ही वाला है।

श्री उपाध्यक्ष : We don't believe this. We don't believe papers.

श्रीमती वसुन्धरा राजे : कि यह मेहरबानी करके आप इसको, you don't believe the press ?

श्री उपाध्यक्ष : We believe the press, but we don't believe the papers.

श्रीमती वसुन्धरा राजे : It is a reply given in Lok Sabha.

श्री उपाध्यक्ष : Don't rely on that....

श्रीमती वसुन्धरा राजे : It is a reply to Lok Sabha Question.

आप यह कहना चाह रहे हैं कि......

श्री उपाध्यक्ष : आथेंटिकेशन कैसे कहा जाय ?....(व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे : मैं यह चाहती हूं कि माननीय मंत्रीजी इस पर स्टेटमेंट दें। मैं कह रही हूँ कि जानकारी के लिए हम भेज रहे हैं। While it has come up clearly. उसका जवाब आलरेडी विष्णु मोदी जी को दे दिया गया है कि वह लगने ही वाला है।

श्री उपाध्यक्ष : अब वह अखबार में....

श्रीमती वसुन्धरा राजे : माननीय, यह अखबार का सवाल नहीं है। It is a Question.

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जायें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : No, no. I require a statement on this.

श्री हरिकुमार औदिच्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह न्यूज नहीं है तो यह पार्लियामेंट की कार्यवाही तो है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : स्टेटमेंट दिलवाइये......(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : No. No. I just want a reply. I cannot have conjectives.

श्री उपाध्यक्ष : You cannot insist like this.

श्रीमती वसुन्धरा राजे : I have insisted because it is important for Dholpur.

श्री उपाध्यक्ष : बैठें आप। मैंने बोलने दिया इसलिए कि आप कभी-कभी बोलती हैं, नियमों के विरुद्ध बोलने दिया आपको।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : मैं यूजलेसली तो बोलना नहीं चाह रही हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, अनलेस कोई मतलब की बात होगी, आपके सामने हमें कोई हाई लाइट थोड़े ही करना है।

श्री उपाध्यक्ष : यह कब हो जाय, अध्यक्ष जी से थोड़ी चर्चा कर लीजिए। तुरन्त भी जवाब आ सकता है। स्टेटमेंट आ भी सकता है। अध्यक्षजी से बात कर लें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : आप ही मेहरबानी करके कह दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : At random, I cann't say. माननीय श्री मोहनलालजी चौहान।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आई एम आन ए प्वाइन्ट ऑफ प्रिविलेज।

श्री उपाध्यक्ष : प्रिविलेज ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरा विशेषाधिकारी हनन का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : विशेषाधिकार हनन का मेरा एक प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे समक्ष नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : है, उपाध्यक्ष महोदय के समक्ष है। मैंने परसों दिया था माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक सैकण्ड। पहले मैं कह दूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरा जरूरी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे दूसरी बात कहनी है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे क्षमा करेंगे कि मैं एक बात कहूं। आपने यह कहा कि अखबारों में छपी खबर पर रिलाई नहीं किया जा सकता।

आप खुद ही विचार कर लें......

श्री उपाध्यक्ष : आप भी यही कहते हैं, अखबारों की कटिंग न तो यहां पढ़ी जाती है और न इस पर रिलाई किया जाता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने कभी नहीं कहा।

श्री उपाध्यक्ष : So far as he could be questioned. And press ? Press can be relied upon ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने यह कहा कि अखबारों पर कभी रिलाई नहीं किया जा सकता और मैं समझता हूँ कि हिन्दुस्तान की लोक सभा और राज्य सभा, कोई दिन ऐसा नहीं जाता, माननीय अशोक गहलोत जी यहां बैठे हैं वह भी कहेंगे कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि अखबारों की कटिंग के आधार पर वहां चर्चा नहीं होती, मोशन मूव नहीं किये

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जाते, रिजोल्यूशन मूव नहीं किये जाते। केवल अखबारों के आधार पर.....

श्री उपाध्यक्ष : यहां की परम्परा, जितनी मेरी नॉलेज है, आप मुझे सपोर्ट करेंगे, पढ़ने तक नहीं दिया जाता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूं वह अच्छी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : उसमें किसी तरह तरमीम हो जाय तो मुझे आब्जेक्शन नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्या ने केवल इतना सा कहा था कि अखबार में आया है। अब पालियामेंट की प्रोसीडिंग की वरबेटम कापी हमारे पास मिल जाय यह तो सम्भव नहीं है। आज पालियामेंट में जो बात कही जाती है वह निश्चित रूप से प्रेस में प्रकाशित होती है और उसी के आधार पर हम असलियत की जानकारी करते हैं। उस आधार पर मूव किया है। गवर्नमेंट को चाहिए......

श्री उपाध्यक्ष : इसीलिए गवर्नमेंट को दिया है। मैंने माननीय सदस्या को यह भी कहा कि अध्यक्षजी से और बात कर लीजिये। तुरन्त कोई व्यवस्था दे दें, बुलवाने की।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरा विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष : What is that ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं निवेदन कर रहा था कि मैंने 295 में अजमेर नगर परिषद में एक जमीन का मामला उठाया था। तब मैंने किसी को कहा नहीं था लेकिन उप मंत्री महोदय, ललितजी भाटी ने खड़े होकर जवाब दिया और खण्डन किया। वह खण्डन सरासर गलत था। सदन को गुमराह करने वाला था। उसके सम्बन्धित डाक्यूमेंट्स, जमीन की रजिस्ट्री, सरकारी रिकार्ड, सारा लगाकर मैंने अध्यक्ष महोदय को आज के तीन दिन पहले, परसों दे दिये थे। उससे साफ है कि माननीय उपमंत्री महोदय ने सदन की मान हानि की और सदन को गुमराह किया है। उन्होंने जो फेक्ट्स बताये वह गलत बताये।

श्री उपाध्यक्ष : वह अध्यक्षजी से.....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह कहा था कि उस पर व्यवस्था करें। अध्यक्ष महोदय से करायें या उनसे करायें या मंत्री महोदय से माफी मंगावें।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था कर देंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : या सरकार उस जमीन को खाली कराये।

श्री उपाध्यक्ष : उसकी बात कर लेते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह तो एक था। दूसरा मैं यह निवेदन कर रहा था, आप बात करके बतायें कि कब करेंगे। विशेषाधिकार के किसी प्रश्न को सदन में लाने ही नहीं देते।

श्री उपाध्यक्ष : आज बात कर लेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्षजी ने कहा मैं व्यवस्था करूंगा। आज सुबह

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मैंने बात की। अध्यक्ष महोदय चले गये। व्यवस्था आपको दी है। जो आसन पर बैठे हैं, वह व्यवस्था करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : अब अजमेर के सन्दर्भ में मुझे क्यों आप.....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप उस मीटिंग में उपस्थित थे......(व्यवधान).......आप उस मीटिंग में शामिल हुए।

श्री उपाध्यक्ष : On the contrary, I should not take any decision.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने उस मीटिंग में साइन किये थे कि यह जमीन सरकारी है और इसको खाली कराया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : I am the party then. You don't put me in a fix then.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप नीचे आ जाइये और दूसरे को बिठा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : You don't put me in a fix then.

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सरकार की जमीन ऐसे नहीं खाई जायेगी। आप नीचे आइये, दूसरे को बिठा दीजिए और इसका फैसला करिये।

श्री उपाध्यक्ष : अध्यक्षजी से बात कर लेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि माननीय वसुन्धराजी ने जो बात कही, मेरे भी दस्तखत हैं। धौलपुर सल्फर का, उन्होंने साफ कहा है कि ताज महल के कारण उसको रिजेक्ट कर दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि 5 पन विद्युत योजनाएं, और चार ताप विद्युत योजनाएं, जिनको माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भाषण में कहा कि इस साल चालू कर रहे हैं, उनको भी रिजेक्ट कर दिया है। राजस्थान की चार ताप बिजली योजनाएं, पांच पन बिजली योजनायें और धौलपुर का सुपर थर्मल पावर प्रोजक्ट, इन चारों को निरस्त कर दिया गया है। यह राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। उपाध्यक्ष महोदय, 40 पर्सेण्ट बिजली की कमी है। आज भी किसानों को बिजली नहीं मिलती और इस प्रकार हमारी बिजली के प्रोजेक्ट्स रिजेक्ट हो गये तो सारा राजस्थान अन्धकार में डूब जायेगा। हम चाहते हैं कि इस पर व्यवस्था की जाय। वक्तव्य दिलाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था दे दी है। बात कर लेंगे। श्री मोहनलालजी चौहान।

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, जिन स्थगन प्रस्तावों में सरकार से जवाब आ चुका है, कम से कम वह तो सदन में. ......

श्री उपाध्यक्ष : वह आ रहे हैं। जैसे आज आपका आया, आज भी रखा गया था और आज आपने बोला ही नहीं। मैं तो इन्कार कर रहा था।

सुश्री पुष्पा जैन : न्यूनतम मजदूरी का जो स्थगन प्रस्ताव था, उपाध्यक्ष महोदय, वह बहुत इम्पार्टेन्ट......

श्री उपाध्यक्ष : उस सन्दर्भ में अध्यक्ष जी से बात करेंगे।

सुश्री पुष्पा जैन : उमा शर्मा के सम्बन्ध में जो स्थगन प्रस्ताव था उसका जवाब आ चुका है।

श्री उपाध्यक्ष : आप अध्यक्षजी से बात करें। श्री मोहनलालजी चौहान।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा छोटा सा स्थगन प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष : आप भी अध्यक्ष जी से बात करें।...माननीय सदस्य बैठें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सुन लीजिये एक मिनट। चेतक की कापियां नहीं मिल रही हैं। दूसरा निवेदन करना है—

श्री उपाध्यक्ष : आपने पहले भी रेज किया है। प्लीज सिट डाउन। भार्गव साहब, नहीं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कल अध्यक्ष जी ने मेरी ओर देखा नहीं था। मेरे ऊपर कृपा नहीं हुई थी। मैं तो निवेदन कर रहा था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मोहनलाल जी चौहान। (व्यवधान)... भार्गव साहब, प्लीज नहीं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं एक मिनट में निवेदन कर रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : मोहनलालजी कभी-कभी बोलते हैं, आप उनको क्यों इण्टरप्ट करते हैं?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं तो आधा मिनट भी नहीं लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं मेरी बात पूरी कर लूंगा। मैं तो यह निवेदन कर रहा था—

श्री उपाध्यक्ष : यह आप पहले कह चुके हैं कि उसमें त्रुटियां हैं, उसमें कागज नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह किताबें बाजार में मिल रही हैं, मैंने इसमें पहले लगा रखा है, 10-10, 15-15 पेज गायब हैं। इनकी कीमत बढ़ा दी गई है। चेतक कापियां नहीं मिल रही है। स्कूल खुल गये हैं। इसलिए किताबें ठीक मिले, गायब नहीं हों चेतक की कापियां मिलें।

श्री उपाध्यक्ष : सिट डाउन।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यदि आपकी आज्ञा तो इस कापी को मैं सदन की मेज पर रखता हूँ।

(कापी सदन की मेज पर रखी गई।) (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मोहनलाल जी चौहान।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

श्री मोहनलाल चौहान (परबतसर) : मैं सरकार का ध्यान एक विशेष उल्लेख के जरिये दिलाकर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा 1 जून 1989 से 31 अगस्त 1989 तक तीन माह के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षित पदों की पूर्ति हेतु एक अभियान चलाने का निर्णय लिया था। केन्द्र सरकार क अधीन विभागों में इस अभियान के अन्तर्गत नियुक्तियां दी जाने का कार्यक्रम चालू है। राजस्थान सरकार द्वारा वर्तमान में नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगाये जाने और इसके निरन्तर जारी रखने के कारण राज्य में लाखों की तादाद में बेरोजगार युवक मारे-मारे भटक रहे हैं। तथा राज्य सरकार द्वारा नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध होने से राजस्थान के शिक्षित बेरोजगार युवकों में भारी असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः मैं इस विशेष उल्लेख के जरिये माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर मांग करता हूं कि राजस्थान में भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षित पदों की पूर्ति के लिए एक अभियान शीघ्र चलाया जावे तथा साथ ही नई नियुक्तियों पर लगे प्रतिबन्ध को तत्काल हटाया जावे अन्यथा युवकों का जन आक्रोश जमानस में अपनी भावना में प्रेरित होकर न जाने क्या करने पर तुला हुआ है भावी अनिश्चितता को देखते हुए इन युवकों के प्रति यह प्रतिबन्ध अविलम्ब हटाया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री खंगारसिंह।

श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत सोजत उप खण्ड में विद्युत विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में माननीय विद्युत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, पाली जिले में विद्युत विभाग के मनमाने घोटालों के सम्बन्ध में विद्युत मंत्रीजी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि खारची तहसील देसूरी रानी में विद्युत मण्डल द्वारा जो गत वर्ष काश्तकारी कुओं के विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं उनमें बड़े घोटाले किये गये हैं। जिन काश्तकारों की फाइलें पहले जमा थीं उनकी वरीयता तोड़कर भ्रष्टाचार के जरिये दूसरे लोगों को कनेक्शन दिये गये और विद्युत विभाग के नियमों को ताक में रखकर वरीयता तोड़ी जबकि एक पोल कनेक्शन में भारी रिश्वत लेकर कनेक्शन दिये गये जबकि खारची में मार्च 80 के पहले 227 कनेक्शन देने थे और उनकी डिमाण्ड भी जनवरी, फरवरी व मार्च में गलत तरीके से निकाली गई जिसमें 112 की डिमाण्ड राशि जमा हुई, कई लोग वंचित रह गये क्योंकि टाइम पर न तो डिमाण्ड नोट निकाला गया। कई लोगों की प्रायरटी रजिस्टर में उनकी फाइलें जमा नहीं थीं और फाइलें भी आफिस से गायब हो गयीं। इस प्रकार से वहां पर अनियमितताएं की गई और लोगों की वरीयता तोड़ दी गई। इसी प्रकार एक पोल कनेक्शन की डिमाण्ड भी तारीख 28-3-89 को निकाल कर 31-3-89 को, एक दिन में उनका पैसा जमा हुआ, जिन लोगों ने भारी रिश्वत दी उनको प्रायरटी तोड़कर कनेक्शन दिये गये जो अपने आप

(श्री खंगार सिंह चौधरी)

में अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार का खुला सबूत है। इस प्रकार ठाकुरवास के एक काश्तकार टोग्राराम की डिमाण्ड भी तारीख 28-29 को निकाली गई जिसके अन्दर उससे 8000 रुपये रिश्वत के और 4100 रुपये डिमाण्ड के एईएन. और जेईएन. ने लिये वहां जब 30-31 तारीख को वापस गया तब उसे यह मालूम पड़ा कि उसकी डिमाण्ड भरी नहीं गई है...

श्री उपाध्यक्ष : आप पढ़िये...

श्री खंगार सिंह चौधरी : यह उसका हलफनामा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप पढ़ें।

श्री खंगार सिंह चौधरी : उसकी डिमाण्ड भरी नहीं गयी और उससे 8000 रुपये रिश्वत के और 4100 रुपये डिमाण्ड के लिये गये...

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आप रिपीट कर रहे हैं।

श्री खंगार सिंह चौधरी : यह उसका हलफनामा और उसका सबूत है। यह जीता जागता प्रमाण है। इसी प्रकार 23 कनेक्शन उन लोगों ने दिये जिनमें करीब दो लाख रुपये का भ्रष्टाचार किया गया और उससे पहले के 112 कनेक्शन दिये उसके अन्दर उन लोगों ने करीब तीन लाख रुपये का घोटाला किया। इस प्रकार खारची विद्युत मण्डल द्वारा पांच लाख रुपये काश्तकारों से लूटे गये...

श्री उपाध्यक्ष : मैंने विद्युत मण्डल खारची की...

श्री खंगारसिंह चौधरी : यह टोग्राराम का हलफनामा तारीख 11-4-89 को तहसील में करवाया गया उसके बाद में उसको दबाया गया कि हलफनामा आपने दिया है आपका कनेक्शन आगे कभी नहीं होगा...

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार आखरी 23 कनेक्शन में करीबन...पढ़िये (व्यवधान) क्या कहें। यों लेते हैं तो रिपीट करते हैं।

श्री खंगारसिंह चौधरी : जिस प्रकार तारीख 14-1-89 को तहसील में हलफनामा करवाया और मेरे से मिला उसकी जानकारी सौजत अभियन्ता व सहायक अभियन्ता को होने के बाद उस काश्तकार को दबाया गया कि आपने जो हलफनामा दिया है जिससे हमारी सब बात आउट हो जायेगी तो आपको कनेक्शन नहीं दिया जायेगा। 23 कनेक्शन में करीब दो लाख रुपये की रिश्वत ली गई व पहले भी करीब 134 कनेक्शन में करीब 3 लाख रुपये काश्तकारों से लूटे गये। मैंने विद्युत मण्डल खारची को कई बार लैटर भी लिखे व जानना चाहा कि किस-किस गांव में किस-किस को किस-किस तारीख की पैन्डिग फाइलों को कनेक्शन दिये गये व मार्च 89 को 157 कनेक्शन खारची में देना तो बताया गया है और किस-किस तारीख को कनेक्शन दिया गया व मीटर सील व नम्बर क्या-क्या हैं पर कोई भी जवाब नहीं दिया गया। यह चिठ्ठी मैंने एक्स.ईएन., एईएन. ...

(102)

श्री उपाध्यक्ष : नाट टू बी रिटन। आगे पढ़िये। रिकार्ड नहीं करेंगे।

श्री खंगारसिंह चौधरी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow like this........(व्यवधान) हां रोक दूंगा, पढ़ेंगे नहीं तो रोक दूंगा।

एक माननीय सदस्य : उनको रोक दिया।

श्री हीरासिंह चौहान : वह किस तरीके से बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कहां पढ़ रहे हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : आप नोट करने से कैसे रोक सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नोट तो वह कराऊंगा जो लिखा हुआ होगा।

श्री हीरासिंह चौहान : वह उद्‌गार कर रहे हैं उसको आप नोट करने से रोक रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : मैं देख रहा हूँ इसको, इस तरह से वकील मत बनिये।

श्री बिरदमल सिंघवी : माननीय सदस्यों के विचारों का सवाल आता है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : उपाध्यक्ष महोदय, कोई एक-दो अक्षर बोलने में इधर-उधर हो जायें उसका मतलब यह तो नहीं है...

श्री डूंगरराम पंवार : यह कथा है पढ़ कर सुना दो, इस कान सुनी इस कान निकाल दी।

श्री उपाध्यक्ष : जो इनका लिखा हुआ है वह लिखा जायेगा।

श्री हरिकुमार औदिच्य : एक दो शब्द कोई आगे पीछे हो जाये...

श्री खंगारसिंह चौधरी : मैंने जो जानकारी मांगी उसका जवाब नहीं दिया गया, अगर यह जवाब देते तो उनके फर्जीवाड़े की पोल खुल जाती। कई जगह कुओं पर कनेक्शन उद्योग के नाम से दिये गये हैं। विजिलेंस वाले भी सोते हैं इन्क्वायरी नहीं करते। बताया जाता है कि कनेक्शन कुओं पर प्राथमिकता तोड़ कर दिये गये हैं व मंत्रियों के आदेश से दिये गये हैं।

इस प्रकार कन्जूमरों के बिलों में रकम के अन्दर भारी गलती की जाती हैं। उनकी वसूली के लिये जो डिमाण्ड नोटिस दिये जाते हैं तो उन पर गलत तरीके से दिये जाते हैं जिसके अन्दर वह आफिस के चक्कर लगाता है तो उससे पैसे वसूल किये जाते हैं। इस तरह बिलों में बड़ी भारी अनियमितताएं हो रही हैं। खारची में 5 जी. एस. एस. लगे हुए हैं जिन पर 9 बड़े ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं किसी ट्रांसफार्मर पर ओ.सी.बी. नहीं लगी हुई है और बिजली हर समय ट्रिप करती रहती हैं। चार-चार दिन तक जी. एस. एस. पूरा बन्द पड़ा रहता है जिससे आम उपभोक्ताओं

XXX माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री खंगार सिंह चौधरी)

को बड़ी परेशानी होती है व काश्तकार को फसल से हाथ धोना पड़ता है। अतः विशेष उल्लेख के माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि अधिशाषी अभियन्ता सोजत व खारची के ए. ईएन. द्वारा भ्रष्टाचार का ताण्डव, एक पक्षपात करके किसानों को कनेक्शन देने में वरीयता को तोड़ कर नियमों का उल्लंघन किया गया है जिसकी खुली जांच की मांग करता हूँ। उच्च स्तरीय जांच में पूरा सहयोग दिया जायेगा। भ्रष्टाचार से सम्बन्धित और तथ्य सदन के सामने स्पष्ट करूंगा...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हीरालाल जी आर्य।

श्री खंगार सिंह चौधरी : इसके लिये खारची के काश्तकारों को हाई कोर्ट जाना पड़ा है...

श्री उपाध्यक्ष : नोट टू बी रिकार्डेड।

श्री खंगारसिंह चौधरी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

श्री हरिकुमार औदिच्य : उसके अलावा अगर दो बात कहना चाहते हैं, खंगार सिंह जी उन सदस्यों में से जो ज्यादा बोलते नहीं हैं और दो शब्दों के लिये आप नाट टू बी रिकार्डेड कर देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। माननीय श्री हीरालाल जी आर्य।

श्री बिरदमल सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय, कभी-कभी ऐसा होता है....

श्री उपाध्यक्ष : और भी तरीके हैं उठाने के। 295 की सीमाएं हैं।

श्री बिरदमल सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय, चेयर टू चेयर रूलिंग चेन्च होगी क्या ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : चौहान साहब बैठे हैं। आजकल आप हर इश्यू पर खड़े हो जाते हैं। क्या बात है ?

प्लीज सिट डाउन। माननीय हीरालाल जी आर्य।

श्री डूंगरराम पंवार : सौ-सौ ताने दे, देले आशिक एक गिने नहीं, सुनने के आशिक हैं, करते कुछ नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : I will not give you the permission. मैं नहीं दूंगा परमिशन आपको। माननीय हीरालाल जी आर्य।

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अफसोस तो इसी बात का है कि माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की समस्या रख रहे हैं उसमें भयंकर भ्रष्टाचार है....

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी वकालत करिये....

XXX माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(104)

श्री देवीसिंह भाटी : आखिर कौन सा...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भाटी जी बैठें। प्रोब्लाइज करें.... (व्यवधान)

श्री डूंगरराम पंवार : चिकने घड़े पर कुछ नहीं ठहरता।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

श्री देवीसिंह भाटी : न सरकार इस पर गौर करती है न लोगों को रिलीफ दिलाने की कोशिश करती है...

श्री उपाध्यक्ष : भाटी साहब, बैठें आप।

श्री बिरदमल सिंघवी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या व्यवस्थाएं चेयर टू चेयर चेन्ज होंगी। कोई सभापति महोदय चेयर पर होते हैं तो वह तो जबानी बोलते हैं उनको कभी अलाउ कर देते हैं। कभी किसी मैम्बर को अलाउ किया जाता है कभी नहीं। इस प्रकार से यदि कोई बात कहना चाहें....

श्री उपाध्यक्ष : आपने आब्जर्व नहीं किया, मैं आब्जर्व कर रहा था। इन्होंने इसमें इससे 50 परसेण्ट ज्यादा बोला है...

श्री बिरदमल सिंघवी : छोटी-मोटी बात हो सकती है...

श्री उपाध्यक्ष : छोटी मोटी बात को मैं रोकता नहीं हूँ। जितना मैंने देखा, कहीं तो मैं कन्ट्रोल करूं।

श्री खंगार सिंह चौधरी : क्या इस पर बोलने नहीं देंगे ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज।

एक माननीय सदस्य : जिन्होंने इतना अन्याय किया है उनके लिये सरकार क्या कर रही है। हम पर मेहरबानी रखें।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठें।

श्री हरिकुमार औदिच्य : यह पाली का नहीं सारे राजस्थान का मसला है। हम यह चाहते हैं कि किसी न किसी माध्यम से सरकार इसका जवाब दे।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने रोका नहीं है। श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, ड्राइवर की लापरवाही से आये दिन एक्सीडेन्ट होते रहते हैं और बस में बैठी हुई सवारियों की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, घायल हो जाते हैं परन्तु सरकार वहां पर न तो तुरन्त पहुंचती है, न दवाइयों की व्यवस्था करती है और न घायलों तथा मृतकों को मुआवजा देने की व्यवस्था करती है। ऐसी हालत में मैं नियम 295 के माध्यम से इस मामले को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।

मान्यवर, दिनांक 15 जुलाई को मांगरोल से कोटा जा रही बस नम्बर आर. एन. ई. 4733 तथा कोटा से ग्वालियर जा रहा ट्रक नं. सी. आई. आई. 1234 के बीच ग्राम विनायका एवं ठीकरी के मध्य दिन के करीब 1.30 बजे ड्राइवरों

(श्री हीरालाल आर्य)

की लापरवाही से आमने-सामने तेज गति से आते हुए जबरदस्त भिड़न्त हो गई। यह टक्कर इतनी तेज एवं भयानक थी कि बस एवं ट्रक के खरपच्चे उड़ गये तथा दोनों वाहन चकनाचूर हो गये। बस की तो यह हालत थी कि उसकी एक भी सीट सुरक्षित नहीं बची तथा सारी सीटें चकनाचूर हो गईं। जब बस एवं ट्रक के यह हालात हुए तो खचाखच भरी सवारियों के हालात तो और भी अधिक भयंकर थे।

उक्त दुर्घटना में श्री जगन्नाथ मीणा उम्र 25 वर्ष, अकाउन्टेन्ट शाहबाद निवासी तिसाया तथा प्रेम बाई उम्र 10 वर्ष की मृत्यु घटनास्थल पर हो गई थी तथा श्रीमती राम कल्याणी उम्र 30 वर्ष, निवासी जाखड़ौद तथा श्री शकूर शाह उम्र 40 वर्ष निवासी बालदड़ा की मृत्यु अस्पताल में हुई। श्रीमती राम कल्याणी गर्भवती थी तथा उसकी आंतें बाहर निकल आई थीं। उक्त बस में बैठी एक भी सवारी ऐसी नहीं थी जिसके चोटें नहीं आईं। करीब 35 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिनमें से करीब-करीब सभी के फ्रेक्चर है। घायलों में बस ड्राइवर सुरेन्द्र सिंह उम्र 42 वर्ष की स्थिति अभी चिन्ताजनक है। घायल जिनकी स्थिति गंभीर है उनमें सुरेन्द्र सिंह (42), छीतर लाल बैरवा, शंकरलाल, श्रीनाथ सोनी, राधाबाई (35), कमला बाई, मोहन सिंह ड्राइवर, मुस्लिम, पुरुषोतम, दानमल रैगर, लहूर, परमानन्द, राम विलास, हीरालाल, महावीर, देवीलाल, मोहनलाल, मांगीलाल, गजेन्द्र कलाल, कृष्ण मुरारी अध्यापक, सुनील कुमार, अब्दुल हमीद, जगदीश, कोइमुद्दीन (अपंग), हाजी अब्दुल हमीद, मुन्नी बाई, नन्दकिशोर, भंवरी बाई मांगरोल, सुनीता इटावा, अनोख बाई, गोपाल, रूकया, कपूर आदि करीब 35 व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल है जिसमें से अधिकांश की टांगें टूट गई हैं जो महाराव भीमसिंह अस्पताल में भर्ती हैं।

उक्त दुर्घटना एक छोटे से मोड़ पर हुई। जिस स्थान पर यह दुर्घटना हुई, वहां पर सड़क के दोनों ओर विदेशी बबूल के पेड़ खड़े हैं और इन बबूलों से सारी सड़क ढकी है जो सुल्तानपुर से विनायका तक उसी स्थिति में है जिनसे आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। सवारियों के शरीर कांटों से फट जाते हैं तथा आंखों आदि पर चोटें लगती हैं। पी. डब्ल्यू. डी. को कई बार सड़क पर से इन झाड़ियों को हटाने को कहा लेकिन लापरवाही से कोई हल नहीं निकला। सारी सड़क बबूलों से ढकी हुई है।

यह दुर्घटना करीब 1.30 बजे दिन में हुई लेकिन कोई जिम्मेदार आफिसर इस भयंकर दुर्घटना के बाद मौके पर नहीं पहुंचा। न एस. डी. ओ. पहुंचे, न कलक्टर न डिप्टी पहुंचे, न एस. पी. साहब और न कोई परिवहन अधिकारी पहुंचे। इस मामले में प्रशासन एकदम लापरवाह रहा। हां एस. एच. ओ. इटावा अपने दल बल सहित मेरे पहुंचने के तुरन्त बाद ही वहां पहुंच गये थे। प्रशासन के तो यह हालात हैं कि अभी तक मृतकों एवं गम्भीर रूप से घायलों के लिये कोई सहायता राशि की घोषणा नहीं की गई है।

(श्री हीरालाल आर्य)

मेरे घटना स्थल पर तुरन्त पहुंचने से गम्भीर रूप से घायलों को इटावा में चिकित्सक के छुट्टी पर होने से कोटा, जो बहुत दूर है, पहुंचाना पड़ा। बाकी घायलों को भी इटावा से पुनः कोटा ही पहुंचाना पड़ा क्योंकि वे भी गम्भीर रूप से घायल थे तथा इटावा में समुचित उपचार की व्यवस्था नहीं थी।

अतः मैं मांग करता हूँ कि मृतकों के आश्रितों को 50 हजार रुपये तथा घायलों को 25 हजार रुपये की सहायता राशि प्रशासन एवं परिवहन निगम की ओर से अविलम्ब दी जाये। इटावा में चिकित्सा की समुचित व्यवस्था हेतु रेफरल अस्पताल खोला जाये। रोडवेज की खटारा बसों को अविलम्ब बन्द किया जाये तथा सवारियों की अधिकता को देखते हुए बसों की संख्या बढ़ाई जाये। सार्वजनिक निर्माण विभाग को हिदायत दी जाये कि सड़क पर से बबूल के पेड़ों को अविलम्ब काट कर साफ किया जाये। अन्त में मैं उक्त दुर्घटना पर दुःख प्रकट करते हुए मृतकों की शान्ति के लिये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवार को यह दुःख झेलने का साहस प्रदान करे, साथ ही घायलों के स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूसिंह।

श्री नाथू सिंह (टोडारायसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र की समस्याओं की ओर आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सी. पी. जोशी : आप तो प्रदेश स्तर के नेता हैं।

श्री नाथू सिंह : टोडारायसिंह के पास निर्माणाधीन बीसलपुर योजना से सिंचाई का प्रारूप तैयार किया गया है उसमें टोडारायसिंह तथा क्षेत्र के गांवों को सम्मिलित नहीं किया गया है।...

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य एक हाइपोथेटिक क्षेत्र की बात कह रहे हैं। ये टोडारायसिंह क्षेत्र की समस्या उठा रहे हैं परन्तु सदन को यह विश्वास दिलावें कि क्या अगले चुनावों में इनका निर्वाचन क्षेत्र टोडारायसिंह ही होगा ?

(1.22 म. प)

(श्री पंकज पंचोली, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति : मैं आसन की तरफ से परमिशन दे रहा हूं।

श्री नाथूसिंह : मैं नाथद्वारा नहीं आने वाला हूँ।

जबकि बनने वाले इस बांध की डूब में सारी जमीन उसी क्षेत्र की आती है। डूब में आने वाले गांव के लोगों को वर्तमान दर पर उचित मुआवजा भी नहीं दिया गया है जिससे किसानों में भारी रोष है और पिछले दिनों उस क्षेत्र के किसानों ने आन्दोलन भी किया है, सरकार को ज्ञापन भी दिया है लेकिन सरकार ने अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की है। उक्त परियोजना की डूब में तो उस क्षेत्र की जमीन आ रही है, वहां के खेत उजड़ रहे हैं लेकिन इसका फायदा

(श्री नाथू सिंह)

स्थानीय लोगों को बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है इससे जनता में तीव्र आक्रोश है। इस बांध का काम किसी भी समय बन्द करवाया जा सकता है। इस आक्रोश को देखते हुए सरकार को चाहिये कि सिंचाई के प्रारूप पर उस क्षेत्र को सम्मिलित किया जाये, एक नहर इस बांध से निकाल कर टोडी सागर में पानी डाला जाये एवं दूसरी नहर देवली की ओर निकाल कर उस क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाय, एक नहर से लाम्भा हरिसिंह बांध में पानी डाला जाय ताकि इसका लाभ टोडारायसिंह के ऊपरी हिस्सों को मिल सके। डूब में आने वाले गांवों के लोगों को वर्तमान दर पर उचित मुआवजा दिया जाय एवं उनको उसी क्षेत्र में बसाने की व्यवस्था की जाय। जनसंख्या एवं अन्य मापदण्डों को देखते हुए...

श्री सभापति : टोडारायसिंह...

श्री नाथू सिंह : पढ़ रहा हूँ, साहब।

श्री सभापति : मैं बता दूं आपको।

श्री नाथू सिंह : सभापति महोदय, इस बांध पर जो काम करते हैं उसमें भी वहां के लोकल आदमियों को नहीं रखा जा रहा है। इस बनने वाले बांध पर काफी भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं पहले भी सदन में इस मामले को उठा चुका हूं मगर सरकार कम से कम यह भ्रष्टाचार तो नहीं होने दे। इस तरह से राजनैतिक भेदभाव के कारण उस क्षेत्र में जनसंख्या एवं अन्य मापदण्डों को देखते हुए टोडारायसिंह एवं देवली में अब तक रेफरल अस्पताल खोल दिये जाने चाहिए थे लेकिन सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण वहां अब तक रेफरल अस्पताल नहीं खोले गये हैं। सभापति महोदय, जनसंख्या की दृष्टि से और दूसरे मापदण्ड जितने आते हैं, पहले जो लिस्ट बनी थी जब हरिदेवजी जोशी चीफ मिनिस्टर थे तो टोडारायसिंह का नाम रेफरल हास्पिटल की सूची में था, शिवचरण जी चीफ मिनिस्टर बने, वह नाम काट दिया राजनैतिक आधार पर। इसलिए राजनैनिक आधार पर यह फैसले नहीं किये जाने चाहिए बल्कि कुछ मापदण्डों के आधार पर किये जाने चाहिए।

श्री सभापति : कृपया पढ़ें।

श्री नाथू सिंह : टोडारायसिंह के लिए ए.सी.एम. कोर्ट का मुख्यालय मालपुरा में स्थित है जो कि टोडारायसिंह की जनता के साथ अन्याय है। मुकदमों की संख्या को आधार एवं जनसंख्या को आधार माना जाय तो ए. सी. एम. कोर्ट का मुख्यालय मालपुरा से टोडारायसिंह में किया जाना अत्यावश्यक है।

टोडारायसिंह क्षेत्र की बिजली की समस्या की ओर भी बारबार ध्यान दिलाया गया है। बावड़ी में ग्रिड स्टेशन का कार्य अभी तक पूरा न होने के कारण उस क्षेत्र के गांवों को बिजली दिया जाना सम्भव नहीं लगता। विभाग की लापरवाही के कारण पिछले दो वर्ष से यह अधरभूल में पड़ा हुआ है। उपरोक्त मांगों के मामले में सरकार का ध्यान बारबार आकर्षित किया गया है, धरने दिये गये हैं, मांग पत्र

(श्री नाथू सिंह)

किये गये हैं, प्रदर्शन किये गये हैं, लेकिन सरकार ने उक्त समस्याओं का निराकरण नहीं किया। यदि सरकार ने अभी भी इन समस्याओं का निराकरण नहीं किया तो इसके गम्भीर परिणाम होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अतः सरकार से मांग करता हूँ कि उक्त समस्याओं का अविलम्ब निराकरण करे।....... (व्यवधान) मैं भूख हड़ताल तो इस सरकार को करवा दूंगा। सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की राजनैतिक आधार पर उपेक्षा की जा रही है। अगर सरकार ने वहां रेफरल हास्पिटल नहीं खोला, ए. सी. एम. कोर्ट नहीं खोली और इस बीसलपुर बांध से उस क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई, मैं यह सदन में घोषणा कर रहा हूं, विधान सभा सैशन होने के बाद इस बीसलपुर का काम मैं बन्द करूंगा और इसके बाद अजमेर पानी के लिए रोयेगा, किशनगढ़ रोयेगा, ब्यावर रोयेगा और जयपुर पानी के लिए रोयेगा। सारी सरकार वहां आ जाय, वहां के लोग इस बीसलपुर बांध को नहीं बनने देंगे। उस स्थिति में क्या स्थिति इस प्रदेश की जनता के साथ होगी जो पानी के लिए बांध बनाया जा रहा है। आप सरकार को डायरेक्शन दें। आप सवाईमाधोपुर पानी ले जा रहे हैं, आप बूंदी पानी ले जा रहे हैं, टोडारायसिंह में हमारे गांव खाली हो रहे हैं, वहां पानी नहीं है, वहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं करा रहे है, यह कोई + + +।

श्री सभापति : ऐसा काम नहीं करें। आप सदन के जिम्मेदार सदस्यों में से हैं, ऐसा काम नहीं करेंगे। माननीय श्री कालीचरण सराफ।

एक माननीय सदस्य : इनका जवाब कौनसी मिनिस्ट्री देगी, साहब ?

श्री नाथू सिंह : सामूहिक उत्तरदायित्व है सरकार का।.....(व्यवधान)

श्री सभापति : इनका जवाब मुख्य मंत्रीजी देंगे। आपका जवाब मुख्य मंत्रीजी देंगे।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : नाथू सिंहजी, XXXहमारा राज है।...(व्यवधान)

श्री सभापति : हां, गोविन्द सिंहजी तो देंगे ही पर मुख्य मंत्रीजी देंगे जवाब।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इस + + + शब्द को निकाल दो, साहब, आप। + + + शब्द को निकाल दीजिए, आसन से मेरा अनुरोध है। उन्होंने कहा, + + + शब्द निकाल दो।

श्री सभापति : निकाल दो साहब। + + + यह निकाल दीजिए। एक्सपंज कर दें + + +।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय सभापति महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये आपके माध्यम से राज्य सरकार द्वारा जयपुर के जिला शिक्षा अधिकारी खण्ड 2 श्री अशोक कुमार शर्मा द्वारा

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति माननीय सभापति के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री कालीचरण सराफ)

निजी शिक्षण संस्थाओं को मान्यता दिये जाने में की गई धांधली, पक्षपात एवं भ्रष्टाचार की ओर दिलाना चाहता हूं।

जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर खण्ड 2, श्री अशोक कुमार शर्मा ने दिनांक 29.6.88 को 290 विद्यालयों की एक सूची जारी की जिसमें कई स्कूलों को दि. 30.6.88 तक मान्यता के लिए लिखा गया। कई स्कूलों के आगे दिनांक 1.7.88 को मान्यता समाप्त कर दी गई, यह लिखा गया, कई स्कूलों के प्रकरण विचाराधीन हैं इस प्रकार से लिखा गया एवं कई स्कूलों के आगे स्थायी मान्यता की बात कही गई। मान्यता सूची का सीधा सम्बन्ध सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों के छात्रों के प्रवेश से होता है। दिनांक 29.6.88 को जारी सूची के कारण कई निजी स्कूलों के छात्रों का प्रवेश सरकारी स्कूलों में नहीं हो सकता था तो इस प्रकार की निजी शिक्षण संस्थाओं के संचालक बौखलाये और समाज में अपनी छवि बनाये रखने के लिए एक-मुश्त भारी राशि बतौर रिश्वत जिला शिक्षा अधिकारी खण्ड दो को दी। तो इस अधिकारी ने क्या किया? सभी नियमों को ताक में रखकर 94 स्कूलों को मान्यता दिये जाने सम्बन्धी एक सूची पहली सूची जारी करने के मात्र सात दिन बाद दिनांक 6.7.88 को जारी कर दी एवं 94 स्कूलों की मान्यता एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी। माननीय सभापति महोदय, जबकि इन 94 स्कूलों का अप्रेल, 88 में यानी दो महीने पहले ही निरीक्षण करवाया गया था एवं मई, 88 में इन स्कूलों को निरीक्षण के आधार पर नोटिस देकर कमियों की पूर्ति हेतु लिखा गया था एवं साथ ही यह भी इस नोटिस में लिखा गया था कि यदि दिनांक 20.6.88 तक इन कमियों को पूरा नहीं किया गया तो इन संस्थाओं को सत्र 88-89 की मान्यता प्रदान नहीं की जायेगी एवं स्वतः ही मान्यता समाप्त हो जायेगी। उपरोक्त संस्थाओं ने विभाग द्वारा दर्शायी गई कमियों को पूरा भी नहीं किया इसके कारण दिनांक 29.6.88 को उसकी मान्यता समाप्त कर दी गई परन्तु इस सूची के जारी होने के सात दिन पश्चात् ही दर्शायी गई कमियों की पूर्ति के बिना ही नियमों को ताक में रखकर भारी राशि रिश्वत के रूप में लेकिन दिनांक 6.7.88 को सूची जारी कर 94 स्कूलों को मान्यता प्रदान कर दी गई। माननीय सभापति महोदय, जो नोटिस जारी किया गया उसमें जो कमियां बताई गई वह इस प्रकार की हैं कि जो पांच दिन में पूरी नहीं हो सकतीं, सात दिन में पूरी नहीं हो सकतीं परन्तु क्योंकि एकमुश्त चार लाख रुपये रिश्वत के रूप में लिए इसलिए सारे नियमों को भूल गये, नोटिस दिया उसकी कमियों की कोई चिन्ता नहीं की गई।

श्री सभापति : कृपया आगे पढ़ें।

श्री कालीचरण सराफ : और 94 स्कूलों को मान्यता दे दी गई। जिन स्कूलों के प्रबन्धकों ने रिश्वत नहीं दी उनकी मान्यता समाप्त कर दी गई। यानि केवल 94 स्कूलों को मान्यता दी गई जिन्होंने रिश्वत दी, बाकी को मान्यता नहीं दी। इस प्रकार दोहरा मापदण्ड अपना कर बिना

(110)

(श्री कालीचरण सराफ)

किसी नियम को ध्यान में रखे, मात्र पैसे के आधार पर कई स्कूलों को मान्यता दे दी गई और कई स्कूलों की मान्यता समाप्त कर दी गई। इसके कारण जिन स्कूलों की मान्यता समाप्त कर दी गई उन स्कूलों के छात्र प्रवेश के लिए मारे-मारे फिर रहे हैं परन्तु छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले इस जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि इस अधिकारी को पूर्व शिक्षा मंत्री का संरक्षण प्राप्त है। यह बात ध्यान देने योग्य है, माननीय सभापति महोदय, कि पूर्व शिक्षा मंत्री जो हैं बी.डी. कल्लाजी, उनका इनको संरक्षण प्राप्त है इसलिए इन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इतना ही नहीं इस जिला शिक्षा अधिकारी ने अप्रेल 1988 में सरकारी वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र भारी रिश्वत लेकर कई गैर मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थाओं को दे दिये जिसके कारण प्रश्न पत्र समाचार पत्रों में छप गये जिसके परिणामस्वरूप परीक्षा बीच में स्थगित करनी पड़ी एवं बाकी परीक्षा के प्रश्न पत्र पुनः छपवाने पड़े जिससे समय की बर्बादी हुई एवं लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। परन्तु इस शिक्षाधिकारी का बाल भी बांका नहीं हुआ। परीक्षा संयोजक को बदल कर मामला रफा कर दिया गया। माननीय सभापति महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित कर मांग करना चाहूँगा कि इस भ्रष्ट जिला शिक्षाधिकारी को तुरन्त बर्खास्त किया जावे एवं सम्पूर्ण मामले की जांच करवाई जावे और जिन शिक्षण संस्थाओं ने रिश्वत नहीं दी इसलिए उनको मान्यता नहीं दी जिसके कारण लाखों छात्रों का भविष्य अन्धकारमय हो रहा है उनको भी मान्यता प्रदान की जाय और जो रिश्वत के आधार पर बिना कमियां पूरी किये जिन शिक्षण संस्थाओं को मान्यता दी गई है उनकी मान्यता रद्द की जाय। इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।

श्री दिग्विजय सिंह : सभापति महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत विवशता के कारण अपने इस मुद्दे को विशेष उल्लेख के माध्यम से उठा रहा हूँ। विशेष उल्लेख का एक महत्व होता है लेकिन प्रक्रिया इस तरह की है कि विवशता के कारण ही मेरे को ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि सदन को पूरा बुलाते नहीं हैं, अधिक समय तक चलाते नहीं हैं। थोड़ा समय रहता है तो अपनी समस्या जो भी हो 295 के माध्यम से उठानी पड़ती है।

श्री सभापति : आपकी सिक्वेंस बनी रहेगी, जो लिखा हुआ मैटर दिया है वही पढ़ लें।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं पढ़ रहा हूं, इसमें कोई गलती निकले तो आप टोक देना। राज्य में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र में सार्वजनिक उपयोग के कार्य करने हेतु कहा गया है और जिलाधीशों द्वारा प्रस्ताव भी चाहे गये हैं। इस योजना के तहत ग्राम पंचायत को ग्राम की अधूरी पड़ी योजनाओं को पूरा करना तथा ऐसे कार्य हाथ में लेना

(श्री दिग्विजय सिंह)

है जिन्हें अन्य कोई योजना या मद से राज्य सरकार पूर्ण नहीं करा सकती है।

इसी सन्दर्भ में जिला टोंक में भी ग्राम पंचायतों ने कार्य शुरू किया है और प्रस्ताव भी भेजे हैं। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत अलीगढ़, पंचायत समिति उनियारा, जिला टोंक के सरपंच श्री कैलाश चन्द चतुर्वेदी द्वारा तहसील भवन बनाने का एक लाख का प्रस्ताव जवाहर रोजगार योजना के तहत भेजा जो जिलाधीश टोंक के यहां विचाराधीन है। वहां की जनता इस बात से नाराज है और मांग कर रही है कि इस पैसे का उपयोग अलीगढ़ के अधूरे पड़े कार्यों व अन्य विकास योजनाओं में किया जावे पर सरपंच कैलाश चतुर्वेदी अपनी मनमानी कर रहे हैं। इसलिए वहां पर कोई भी कार्य इस योजना के तहत नहीं हो रहा है।

यही नहीं, श्री चतुर्वेदी सरपंच के पास जो प्रथम किश्त पहुंच गई है उसे वे अभी तक किसी भी कार्य में खर्च नहीं कर रहे हैं, जबकि अन्य ग्राम पंचायतों में कार्य भी पूर्ण हो चुके हैं।

मैं चाहूँगा कि श्री कैलाश चतुर्वेदी सरपंच को कहा जावे कि वे इस पैसे का उपयोग ग्राम पंचायत की योजना में ही खर्च करें न कि राजस्व विभाग के भवन बनाने हेतु काम में लें। क्योंकि तहसील भवन की लागत करीबन 20 लाख रुपये की आती है जबकि ग्राम पंचायत को केवल 80 हजार रुपये ही मिलेंगे जिसे यदि इस भवन में खर्च कर दिया गया तो सर्वथा इस पैसे की कोई उपयोगिता नहीं होगी।

अतः मेरा माननीय मुख्य मंत्री से आग्रह है कि वे हस्तक्षेप करें और जिलाधीश, टोंक को निर्देश करें कि इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करें और इस पैसे को जवाहर रोजगार योजना के तहत बताये गये कार्यों व मापदण्डों के उपयोग में लें।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण
श्री बुलाकीदास कल्ला, सार्वजनिक निर्माण मंत्री का स्पष्टीकरण

श्री बुलाकीदास कल्ला (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : आन ए पाइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन, सभापति महोदय, अभी मैं सदन में नहीं था, कालिंग अटेन्शन मोशन के समय यहां जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने जयपुर के जिला शिक्षा अधिकारी के बारे में कुछ बातें कहीं और यह कहा कि मेरा संरक्षण प्राप्त है। मैं इसका खण्डन करता हूँ। यदि उसने कोई भी अनियमितता की है तो नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाय और मैं सदन के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूँ कि बिना वजह किसी का नाम जोड़ना उचित नहीं है। यदि उनकी कोई बात हो तो लिखित रूप में यहां दें और सदन में कोई भी मेरे से सम्बन्धित हो तो मेरे सामने करें, मैं देखता हूँ, किस तरह से क्या बात हुई है...जब मेरा टर्न नहीं है तो मैं कैसे बैठूंगा। मुझे दूसरे काम भी करने हैं।

श्री देवी सिंह भाटी : यह संरक्षण का क्या सबूत देंगे, वह तो अण्डर हैण्ड...

श्री बुलाकीदास कल्ला : वह तो उनको देना चाहिए। कोई अण्डर हैण्ड नहीं है। किसी की अनुपस्थिति में सदन में यह चीज की जाती है यह अच्छा नहीं है।

श्री सभापति : You have every right to give explanation. ठीक किया आपने। श्री हरिशंकर भाभड़ा।

सुश्री पुष्पा जैन : करप्ट लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करेंगे तो नतीजा क्या निकलेगा.....

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय सदस्य ने कोई शिकायत नहीं की थी यदि करते तो मैं एक्शन लेता मेरे से कोई लिखित शिकायत की, न राजस्थान के किसी दूसरे व्यक्ति ने की।

श्री देवी सिंह भाटी : आप सही कह रहे हो तो कान में जनेऊ डालकर बता दो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं क्या कह दूं, जनेऊ डालकर, जनेऊ आप डाल लो... (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : सभापति महोदय, आप जिस तरह की + + + कर रहे हैं हमारे पर......

श्री सभापति : नहीं, मैं तो सेवा कर रहा हूँ।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : हम पढ़ते हैं तो आप भी एक-एक लाइन पढ़ते हैं और हम एक-एक अक्षर इधर-उधर हो गये तो आप टोकते हैं और अभी मंत्री महोदय मेरे पुकारने के बाद मेरे खड़े होने के बाद भी खड़े होकर बोलते रहे....

श्री सभापति : उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : वह दे चुके थे, फिर आपने मुझे पुकारा, फिर वह खड़े हो गये। यह होता है क्या ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : सभापति महोदय, मंत्रीजी ने आपसे इजाजत ली थी क्या ? आसन से इजाजत लिए बिना ही बोल गये।

श्री सभापति : मैं सहमत हूं आपसे, उनको इजाजत लेनी चाहिए।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आप सहमत हैं तो मैं आपकी इजाजत लेकर जिस मामले को उठा रहा हूँ उसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। इसलिए दो पत्र भी पढ़ूंगा। यह आपकी इजाजत के साथ पढ़ रहा हूँ। नहीं तो आप कहेंगे कि बीच में क्या हो गया... (व्यवधान)

श्री काशीचरण सराफ : सभापति महोदय, अभी मेरे खिलाफ.....

श्री सभापति : उन्होंने आपके खिलाफ कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जो एलिगेशन लगाये गये हैं कि उनका संरक्षण प्राप्त है......

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री कालीचरण सराफ : हां, उनका संरक्षण प्राप्त है अशोककुमार शर्मा को चार लाख रुपये रिश्वत के खाये और उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, उन्होंने कहा कि मेरा कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ : संरक्षण प्राप्त नहीं है तो कार्यवाही क्यों नहीं हुई ? फिर वह शिक्षा मंत्री थे, कार्यवाही करते।

श्री सभापति : उनका राइट है, आपने अपनी बात कही, और उन्होंने अपनी बात कही।

श्री कालीचरण सराफ : ऐसे कहने से क्या हुआ। जब शिक्षा मंत्री थे तो कार्यवाही करते। चार लाख को रिश्वत खा गये और उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, There is no end to it. आपने अपनी बात कही, उन्होंने उसका उत्तर दे दिया। माननीय भाभड़ा साहब.....(व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : सभापति महोदय, यह मिली-जुली कुश्ती बन्द करो। जब कालीचरण सराफ होते हैं तो बी.डी. कल्ला नहीं होते और बी.डी. कल्ला होते हैं तो कालीचरण सराफ नहीं होते। अब काम आगे चलायें सदन का।

श्री सभापति : धन्यवाद। कृपया बोलें।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि मैं जो मामला उठा रहा हूँ उसमें 200 बीघा जमीन अलाट कराने के लिए एक फर्जी पत्र कस्टोडियन से जारी करवाया गया जिसको कलक्टर ने अपनी जांच के बाद फर्जी साबित कर दिया उसके बाद वह जमीन अभी भी लोग उसी तरह उसको बांटकर 200 बीघा को खा रहे हैं और उसमें कई राजनैतिक नेता भी लगे हुए हैं। कलक्टर ने भी बड़ी भारी गलती की, यह तो मान लिया कि वह फर्जी पत्र था मगर पुलिस केस नहीं किया। अभी तक उसका पुलिस केस नहीं हुआ और उस जमीन को लोग बन्दर बांट करके खा रहे हैं इसलिए यह दो पत्र कस्टोडियन के और कलक्टर के लिखे हुए हैं वह मैं पढ़ूंगा जब इसका प्रसंग आयेगा।

राजस्थान विधान सभा की कार्य संचालन प्रक्रिया की नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत निम्न प्रस्ताव की सूचना देता हूँ।

नागौर शहर में दिल्ली दरवाजा के बाहर हनुमान बाग कालोनी के आसपास की राजस्व भूमि खसरा नं. 568, 569, 570, 571, 578, 579, 580, 581, 582, 594 व 564 की लगभग 200 बीघा जमीन पर कई प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण करके तथा राजस्व अधिकारियों की मिली भगत से फर्जी नामांतरण व अवैध बेचान करके भूमि हड़प ली है। अब इसे आवासीय भूखण्डों में बेचा जा रहा है। इस

(११५)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

कार्यवाही से राज्य सरकारी के राजस्व में करोड़ों रुपये की हानि हो रही है।

इस भूमि की खसरा नं. 594 को दिनांक 26.12.64 को अंगोर (समस तालाब) घोषित कर दी गई थी जिसे बाद में सरकार ने 18 जनवरी, 1969 को सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन को आवंटन कर दी। इसी प्रकार खसरा नं. 564 दिनांक 29.9.70 को जिलाधीश, नागौर आवासीय प्रयोजन के लिए नगरपालिका मण्डल, नागौर को आवंटित कर चुके थे जिसकी पुष्टि राज्य सरकार ने 16.8.71 को कर दी। इस भूमि के नामान्तरण भी दिनांक 3.4.72 को हो गया था। खसरा नं. 568, 569, 570, 571, 578 व 582 (पुराने खसरा नं. 558, 559 व 560) की भूमि मूल रूप से काश्तकार वली मोहम्मद खानजादा की थी, जो भारत विभाजन के समय पाकिस्तान चला गया। जिसके कारण उक्त भूमि कस्टोडियन में दर्ज हो गई है। इसके करीब 25 वर्ष बाद दिनांक 6.5.1972 को कालू खां नामक व्यक्ति ने उसका शिकमी काश्तकार होने के नाम जमीन की खातेदारी प्राप्त करने के लिए तहसीलदार, नागौर को आवेदन दिया जबकि कालू खां ने कभी भी बिघोड़ी काश्त जमा नहीं कराई थी। तहसीलदार ने कस्टोडियन विभाग, जयपुर को सनद के लिए सिफारिश करते हुए इस बारे में स्पष्टीकरण चाहा। अब इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान कस्टोडियन के एक पत्र की तरफ दिलाना चाहता हूँ। यह पत्र दिनांक 7.6.1972 का है उसमें लिखा है। विषय कस्टोडियन की भूमि का प्रार्थी को खातेदार विक्रय किये जाने के तय शुदा प्रीमियम की राशि रुपये 2524·49 जमा कराये जाकर नियम अनुसार विक्रय विलेख प्रार्थी के हक में जारी करने हेतु।

उपरोक्त विषय में कालू खां पुत्र दुले खां क्याम खानी, निवासी नागौर के खोताय खसरा नं. 558, 559, 560 वाके मौजा नागौर की सरहद में पुराने कब्जे सुद होने से महकमे कस्टोडियन ने जो आदेश रकम रुपये 2524·49 के किये है तथा जो लिस्ट भेजी है जो आदेश खातेदारी राइट्स देने के हैं तथा जो आदेश नं. आर.एस.सी. बार /एम.ओ./एच.एन.एस./एग्रो-लैण्ड / 749/ पोलो/8211 तारीख 8 नवम्बर, 1965 ऑफ रीजनल सैटलमेंट कमिश्नर राजस्थान, जयपुर (मैनेजिंग आफिसर) रिहेबीटेशन डिपार्टमेंट ने दिये हैं तथा अब खातेदारी देने के भी पावर्स आपको दिये हुए हैं।

अत: स्पष्टीकरण भेजकर लेख है कि उपरोक्त आदेश प्रार्थी श्री कालू खां के नाम सनद देना न्याय के उचित हैं। बंशीधर, अकाउण्ट आफिसर। यह पत्र कालू खां ने जा कर के दिया है। बाद में कलक्टर से पूछा, आपने यह पत्र लिखा तो कस्टोडियन ने जवाब दिया है।

"P.R. Agarwal, Deputy Commissioner-cum-Deputy Secretary, Rehabilitation Department, Devi Sadan, Jamnalal Bajaj Marg, C-Scheme, Jaipur. Dated 19th March, 1974. My dear Shri Jain,

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

kindly refer your letter No. DRA/74/555 dated 14.3.74 regarding issue of clarification for depositing premium by Shri Kalu Khan for Khasra No. 558, 559 and 560. This office has not received any such application nor any letter No. RA dated 12.6.72 was issued by this office. From the above facts it is clear that it is a case of forgery and you are requested to entrust this case to Police for enquiry and if necessary the criminal case of forgery be got registered by you. Action taken by you in this regard may be intimated to this office. With regards, P. R. Agarwal."

इस पर कलक्टर ने जांच की जिसको फर्जी घोषित किया लेकिन दुर्भाग्य से कलक्टर ने उस जमीन का पट्टा तो निरस्त किया लेकिन इस फर्जी केस, इसमें जैसा लिखा हुआ है कि एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई जो अभी तक दर्ज नहीं हुई है। परिणाम यह हुआ कि उस कालू खां का लड़का, कालू खां मर चुका है। वह और दूसरे एक नेता सुखराम एक और नेता मिलकर के उस जमीन के प्लाट बना बनाकर के बेच रहे हैं। जो जमीन पहले सुरक्षा बल के बटालियन को दी थी उनको भी कब्जा नहीं मिल रहा है और जो नगरपालिका को दी थी उसका भी कब्जा नहीं मिला है....

श्री सभापति : खाते में किस के नाम हैं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : खाता तो खत्म हो गया, कस्टोडियन का है, यह तो कालू खां के नाम खत्म हो गया। अब कालू खां का लड़का और वे मिलकर दनादन बेच रहे हैं। तहसीलदार और पटवारी उससे मिले हुए हैं नामान्तरण कर रहे हैं और पटवारी ने इस लूट में 10 बीघा जमीन अपने साले के नाम करवा ली है। इस तरह से जमीन की लूट हो रही है। इसके करीब 25 वर्ष बाद दिनांक 6.5.1972 को कालू खां नामक व्यक्ति ने उसका शिकमी काश्तकार होने के नाम जमीन की खातेदारी प्राप्त करने के लिए तहसीलदार, नागौर को आवेदन दिया जबकि कालू खां ने कभी भी बिघोडी काश्त जमा नहीं कराई थी। तहसीलदार ने कस्टोडियन विभाग, जयपुर को सनद के लिए सिफारिश करते हुए इस बारे में स्पष्टीकरण चाहा। उक्त पत्र का जवाब तो नहीं आया लेकिन एक दस्ती पत्र दि. 12 जून, 1972 जो मैंने पढ़कर सुनाया है जिसमें कालू खां को 2524·49 पैसे जमा करा कर पुराने खसरा नं. 558, 559 व 560 की खातेदारी देने की सलाह दी गई। तहसीलदार ने उक्त पत्र के आधार पर राशि जमा करके दिनांक 15.6.1972 को सनद जारी कर दी। इतना ही नहीं नये व पुराने खसरों नम्बरों का जाल रच कर 68 बीघा के स्थान पर 159 बीघा 10 बिस्वा भूमि की सनद जारी कर दी गई। यह सनद पुराने खसरा नम्बरों से जारी की गई जबकि नये खसरा नम्बर 1959 में आ गये थे। कालू खां ने उपरोक्त खसरान भूमि की रजिस्ट्री भी 12.6.1972 को तुलछी राम नामक व्यक्ति के नाम करा दी।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

इस सारी कार्यवाही की भनक तत्कालीन जिलाधीश को लगने पर 1974 में इस काण्ड की जांच की। जांच में पाया गया कस्टोडियन जयपुर से प्राप्त दस्ती पत्र जाली था उन्होंने जाली पत्र के आधार पर सनद जारी करने के लिये तत्कालीन तहसीलदार, भगवान सहाय सिंघल को नोटिस जारी किया तथा झूठी कार्यवाही करने के कारण उस पर मुकदमा चलाया गया। जिलाधीश ने जारी सनद भी निरस्त कर दी।

इस भूमि हड़प काण्ड में सन् 1980 को नया मोड़ लिया जब 1972 को जिलाधीश द्वारा की गई सारी कार्यवाही को नजर अन्दाज करके नागौर पटवारी ने 25 सितम्बर, 1980 को कालू खां के नाम से नामान्तरण भर दिया। यह नामान्तरण तहसीलदार, नागौर द्वारा स्वीकार कर लिया गया जबकि कालू खां की मृत्यु 6 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। इस नामान्तकरण में बी. एस. एफ. व नगरपालिका को आवंटित भूमि का भाग भी शामिल कर दिया गया। इस काण्ड में प्रमुख भूमिका निभाने वाले पटवारी दुर्गालाल ने 10 बीघा भूमि बतौर महनताने के खसरा नं. 594/542 अपने साले सत्यनारायण के नाम नामान्तरण भर के रजिस्ट्री कर ली।

वर्ष 1987 में जिला कलक्टर, नागौर द्वारा भूमि के बेचान पर स्थगनादेश दे दिया किन्तु इसके बावजूद भूमि की बिक्री इकरार नामा के आधार पर हो रही है जिला कलक्टर के स्थगनादेश के बाद खसरा नं. 572 की साढ़े तीन बीघा भूमि का अवैध बेचान 1988 में किया गया तथा इस भूमि का फर्जी नामान्तरण भर कर इसे 32 लोगों को बेचान किया गया।

अतः मेरी राज्य सरकार से मांग है कि इस भूमि हड़प काण्ड की उच्च स्तरीय जांच कराई जाय तथा इसमें लिप्त दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करके इस सम्बन्ध में हुई अवैध कार्यवाही को निरस्त किया जाय। धन्यवाद।

श्री सभापति : राजस्व मंत्री जी, मामला गम्भीर लगता दिखता है। श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : माननीय सभापति महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये मैं निवेदन करना चाहूँगी कि प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक, झुन्झुनू जिले का वह सहकारी बैंक है जो जिले के काश्तकारों को अपनी भूमि के विकास हेतु कर्जा एवं अन्य सुविधायें तथा कृषि उपकरणों की खरीद हेतु ऋण उपलब्ध करवाने का माध्यम है। परन्तु, इन दिनों इस बैंक के सचिव ने बैंक को अनियमितताओं एवं आपाधापी तथा अपनी मनमर्जी का तथा भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। राज्य सरकार द्वारा नई नियुक्तियों पर रोक के बावजूद अनावश्यक अंधाधुंध नियुक्तियां भारी रकम लेकर अथवा अपने ही रिश्तेदारों को नियुक्तियां देकर की हैं। राज्य सरकार ने 30 जून तक नई नियुक्तियों पर रोक लगा रखी थी। पिछले विधान सभा सत्र में बैंक में अनावश्यक भर्ती के बारे में एक प्रश्न की सूचना दिये जाने पर कुछ कर्मचारियों को हटा दिया गया था, परन्तु जब सैंया भये

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)....

कोतवाल तो डर काहे का। ऊपर तो राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, जयपुर के प्रबन्ध संचालक श्री पी. सी. भगोटिया और प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक के सचिव श्री प्यारेलाल भूकर-दोनों मिल बांट कर काम करते हैं। ऊपर संरक्षण देने को अध्यक्ष, राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक और बैंक के अध्यक्ष और फिर जिला मंत्री जी ठहरे....(व्यवधान)

श्रीमती सुधा देवी : आपके पास इस बात के क्या प्रमाण हैं जो नाम ले रही हैं ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या फरमाया आपने ? क्यों नाम नहीं लें। आप कहेंगी तो नाम नहीं लूंगी।

श्री शीशराम ओला : आप पूरा नाम लो, इसके लिये क्या दिक्कत है ?

श्री डूंगर राम पंवार : नाम लेना कोई पाप थोड़े ही है ?

श्री शीशराम ओला : आप बोलिये, बोलिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सुधा जी को एतराज है, मैं आपका नाम नहीं लूंगी। सुधाजी को आपका नाम लेने पर एतराज है, मैं बिल्कुल नहीं लूंगी आपका नाम।

श्री शीशराम ओला : आपको अधिकार है पूरा अधिकार है। आप अपने अधिकार का सदुपयोग कीजिये।

श्रीमती सुधा देवी : बिना नाम के, हम प्रमाण आपका चाहते हैं, हमें पता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपका धन्यवाद, बहुत बहुत। सरकार के नई भर्ती पर रोक के आदेश के बावजूद सचिव, बैंक झुन्झुनू श्री भूकर ने मरु वेदना नामक एक लोकल साप्ताहिक अखबार, जिसकी केवल 20-30 प्रतियां छपवाई. 5 जून के अंक में विज्ञापन छपवाया। एक पद वसूली अधिकारी का केवल अनुसूचित जाति और जन जाति के लिये सुरक्षित रखा गया और शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर 55 प्रतिशत अंक अथवा अधिक, 3 पद लिपिक-कम-टाइपिस्ट योग्यता स्नातक 55 प्रतिशत अंक या अधिक, साक्षात्कार 23 जून और प्रार्थना पत्र कार्यालय में पहुंचने की अन्तिम तिथि 15-6-89 का होना, मतलब पांच तारीख को अखबार में निकलवाया, 15 तारीख अन्तिम तिथि, केवल दस दिनों का समय दिया। और 23 तारीख को साक्षात्कार हो गया। अखबार में चार पद रिक्त प्रकाशित किये गये, परन्तु सात व्यक्तियों की नियुक्तियां की जा चुकी हैं और तीन का पैनल वेटिंग लिस्ट में रखा हुआ है। जिनकी नियुक्तियों की कार्यवाही चल रही है। लिपिक पद हेतु योग्यता स्नातक-द्वितीय श्रेणी का मापदण्ड बना हुआ है, परन्तु झुन्झुनू प्राथमिक सहकारी बैंक भूमि विकास बैंक में नियोजित सातों व्यक्तियों की शैक्षणिक योग्यता स्नातक द्वितीय श्रेणी की नहीं है। इन सात व्यक्तियों में एक अशोक कुमार भगोटिया, प्रबन्ध संचालक, राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, जयपुर के सपुत्र हैं–जिनको वसूली अधिकारी पद पर नियोजित किया गया है। राजस्थान के किसी भी अन्य बैंक में वसूली अधिकारी की सीधी भर्ती इस तरह से नहीं की गयी है। इस बैंक में पहले

118

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

से ही 10 ऋण सुपरवाइजर कार्यरत हैं। वसूली अधिकारी के लिये तो केवल एक ही आवेदन आया और नियुक्ति के दूसरे दिन ही पूना ट्रेनिंग में भेज दिया गया। इससे प्रतीत होता है कि यह नियुक्ति पूर्व नियोजित थी। नौ महीने के इस डी. सी. बी. एम., डिप्लोमा इन को-आपरेटिव बिजनेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग है, जो पूना में होती है। इस डी. सी. बी. एम. कोर्स का खर्चा प्राथमिक भूमि बंधक बैंक झुन्झुनू करेगा। या राजस्थान सहकारी भूमि विकास बैंक, जयपुर करेगा इसका पता नहीं है। लेकिन यह बात निश्चित है कि इस ट्रेनिंग के बाद में ट्रेण्ड होने के आधार पर श्री कमल भगोटिया की नौकरी पक्की हो जायेगी। नौ महीने की ट्रेनिंग है जिसमें हजारों, बल्कि लाखों रुपये खर्च हो जायेंगे। रोजगार कार्यालय, झुन्झुनू से उक्त पदों हेतु योग्य उम्मीदवारों के नाम अथवा स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है। वसूली अधिकारी पद हेतु अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों की सूची व नाम समाज कल्याण विभाग जयपुर से प्राप्त नहीं किया गया। उक्त पदों पर साक्षात्कार हेतु मुश्किल से 25-30 व्यक्ति ही उपस्थित हुए। यह चयन शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नहीं, अपितु अवैधानिक तरीके से, अर्थात् भाई-भतीजावाद अथवा रिश्वत के आधार पर किया गया है। दो लिपिक, अध्यक्ष, झुन्झुनू सहकारी भूमि विकास बैंक के लिये गये हैं। एक भूमि बंधक बैंक के सचिव ने अपना भतीजी जवाई लिया है। एक सचिव ने अपने व्यक्ति को चौकीदार रख लिया। दो प्रबंध संचालक राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, भगोटिया के लिये हैं। एक सुपुत्र को और एक उनके रिश्तेदार बुंदेला और पीछे बचा केवल एक पद। उस एक पद की जगह तीन नियुक्तियां की गयी हैं और तीनों नियुक्तियां दस-दस और बारह-बारह हजार रुपये लेकर के की गयी हैं।

श्री प्यारेलाल भूकर, सचिव ने झुन्झुनू में पद ग्रहण करने के बाद ओरिएण्टल बैंक शाखा, अजमेर रोड़, हरिदेव जी जोशी के फार्म के पास, उसके अन्दर के बैंक में उनकी पत्नी श्रीमती बरजी देवी के नाम से कुछ दिनों पूर्व 70,000/– रुपये जमा थे। इस पद पर आने के बाद रामनगर सोडाला में डबल स्टोरी, इसके साथ ही साथ झुन्झुनू आने के बाद की बात बता रही हूं, आलीशान बंगला, एक मारुति कार, एक प्रिया स्कूटर, एक मोपेड, एक वी. सी. आर., एक रंगीन टी. वी. जैसी अनेक अन्य विलासिता की छोटी-मोटी, सामान तो मैं कहां तक गिनती कराऊं इतना सब सामान खरीद लिया। यह सब भारी भ्रष्टाचार के कारण यह राशि एकत्र की गयी है। मैं इस आधार पर यह बात कह सकती हूं कि अभी दो दिन पहले मेरे पास दुदवा के सरपंच की एक चिट्ठी आयी है, जिसमें उन्होंने कलक्टर, झुन्झुनू को एक चिट्ठी लिखी है कि दस दिवस के अन्दर-अन्दर आप हमें यदि यह कर्जा नहीं दिलवायेंगे, तो मजबूरन कलक्टर साहब के सामने हम पांच जुलाई से धरना देंगे और उन्होंने उनकी सूची भी दी है, सात आदमियों की, जिनको भूमि विकास बैंक से कर्जा मंजूर करने के बाद में भी चार चार महीने के

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

बाद भी कर्जा नहीं मिल रहा है। सिर्फ इसलिये नहीं मिल रहा है कि वह जब तक वह रिश्वत के रुपये देंगे नहीं, तब तक कर्जा उनको मिलेगा नहीं। इसलिये मैं सहकारिता मंत्री जी यहां पर नहीं हैं, लेकिन, सभापति महोदय, आपके जरिये निवेदन करना चाहूंगी कि इस तरीके से यह जो कमीशन खा करके इतना गड़बड़ घोटाला किया गया है, इन अवैधानिक और अनियमित नियुक्तियों को निरस्त किया जावे, दोषी अधिकारियों को गैर-कानूनी कार्य हेतु दण्डित किया जावे और इन नियुक्तियों को करने में निर्धारित माप-दण्ड और प्रक्रियाओं को बाइपास करके अवैधानिक तरीके से सचिव, प्राथमिक बैंक एवं प्रबंध संचालक, राज्य स्तरीय सहकारी भूमि विकास बैंक ने अवैधानिक एवं अनियमित कार्य करके समस्त बेरोज-गारों के साथ भी खिलवाड़ किया है। अतः मेरा निवेदन है कि इन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जावे।

श्री सभापति : श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, बहुत गंभीर मामला है, कुछ व्यवस्था दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : शीशराम जी क्या करेंगे ?

श्री सुमित्रा सिंह : शीशराम जी का विभाग थोड़े ही है। उन्होंने तो कह दिया कि वह मदद करेंगे। लेकिन वह सहकारिता मंत्री जी भी कुछ करें।

श्री सभापति : इस पर सरकार कार्य-वाही करेगी। श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (डीग) : सभापति महोदय, यह 295 का जवाब ही नहीं आ रहा है हमारे पास।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने कहा है, आखिर मंशा क्या है आपकी ?

श्री सभापति : नरपतराम जी बरवड़ नोट कर रहे हैं, वह सूचित कर देंगे सह-कारिता मंत्रीजी को। श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर : माननीय सभापति महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख डीग कस्बे की जनता को जल व्यवस्था के नाम पर पिछले दस साल व पन्द्रह साल से खारा पानी पिलाया जा रहा है....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय मंत्री महोदय, बैठकर बात करें आप...

(व्यवधान)

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर : मैंने सरकार का ध्यान इस ओर कई बार दिलाने पर भी कोरी कागजी कार्यवाही के अलावा कोई ठोस कार्यवाही आज तक नहीं हो पाई है और जनता मीठे पानी के लिए लगातार तरस रही है। दो साल पहले राजस्थान सरकार द्वारा यू. पी. सरकार से पानी प्राप्त कर डीग की जनता को मीठा पानी दिलाने का आश्वासन दिया गया था परन्तु अभी तक राजस्थान ने उस योजना पर कुछ करना तो दूर उस योजना के अन्दर यू.पी. सरकार से पानी प्राप्त करने की स्वीकृति भी नहीं ली है। इसी हालत में योजना

(श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर)

कार्य करना जनता को केवल धोखा देने की बात है। राजस्थान सरकार ने 95 लाख रुपये डीग को पानी देने हेतु स्वीकृत अवश्य किये परन्तु उस पैसे का क्या हुआ, यह राजस्थान सरकार को ही मालूम है। है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि सरकार घोषणा करती है, स्कीम बन जाती है, पैसा मंजूर हो जाता है पर न वह स्कीम पूरी होती है, न कोई काम उस इलाके में होता है। क्योंकि डीग की जनता मीठे पानी के लिए तो अभी भी वैसी ही तरस रही है। मेरा इस सदन के द्वारा सरकार से आग्रह है कि डीग कस्बे में जल्दी से जल्दी पेयजल की समस्या को हल करें चाहे वह उत्तर प्रदेश से लायें, चाहे वह अपने श्रोतों से.... (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, बातचीत न करें। माननीय सदस्य, कृपया अपनी सीट पर बैठें। माननीय नाथू रामजी, बैठकर बात करें। कृपया बोलें।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर : अगर आपने पीने के पानी की पन्द्रह दिन में व्यवस्था नहीं की तो सीधी कार्यवाही जनता करेगी व मुझे मजबूर होकर आंदोलन भी करना पडेगा जिसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। इसलिए सभापति महोदय, हमारे पहले जो मंत्री थे शीशराम ओलाजी उस समय भी मैंने मार्च के महीने में यह बात उठाई थी और स्कीम की सारी जानकारी सरकार को है, पता नहीं यह स्कीम क्यों और किस कारण से ड्राप भी कर रहे हैं और डीग क्षेत्र की जनता को प्यासी तड़पा रहे हैं बल्कि पूरा भरतपुर जिला पानी के लिए दिन पर दिन तरसता जा रहा है। यहां तक बात हो रही है कि कमर कमर तक गड्ढे होने लग गये है और जनता को भी पानी बहुत कम मिल रहा है। यही आग्रह है और मैं आपसे यही चाहती हूँ कि सरकार इसका जवाब जल्दी से जल्दी दें।

श्री सभापति : सरकार इस बारे में जल्दी कार्यवाही करे और जवाब दे माननीय सदस्या को.... (व्यवधान) अभी नहीं, जवाब दे। जवाब आयेगा न बाद में 295 का। 295 का जवाब भेजेंगे।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर : माननीय सभापति महोदय, 295 का जवाब ही नहीं आ रहा है, मार्च का अभी तक नहीं आया।

श्री सभापति : मैं कह रहा हूँ कि आपके 295 का जवाब भेजे सरकार।

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर : आप अभी भी कह दोगे और बाद में ऐसा ही होता रहेगा। हर सैशन में इस पानी के मुद्दे को उठाकर चलते हैं....

श्री सभापति : इसी सैशन में भेजे सरकार, यह कह रहा हूं।

श्री सम्पत सिंह : सभापति महोदय, माननीय सदस्या का सीधा-सीधा आरोप है कि 95 लाख रुपये की स्कीम बनी थी पानी की और वह गोवर्धन ड्रेन, के. पी. ड्रेन नौ जगह उत्तर प्रदेश सीमा में घुस जाती है और पानी उधर तो बह रहा है और वहां उनके यहां पानी पीने के लिए

(श्री सम्पत सिंह)

नहीं है और सरकार एक तरफ इस स्कीम को ड्राप कर रही है, जवाब क्या देगी।

श्री सभापति : यह बात कह दी।

श्री सम्पत सिंह : इसके लिए आप सरकार को प्रताड़ित करिये। हर गर्मी के सीजन में पानी की उनके यहां समस्या आती है। उन्हें उत्तर प्रदेश तक, मुख्यमंत्री तक और सिंचाई मंत्री तक भागना पड़ता है लिहाजा इसको गम्भीरता से लें।

श्री सभापति : हां। श्री बिरदमल सिंघवी।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) : माननीय सभापति महोदय, जोधपुर में पेयजल की समस्या विकट रहती है, परन्तु जोधपुर लिफ्ट केनाल के नाम पर जो क्रूर मजाक हमारे साथ हो रहा है उसके विषय में मैं विशेष उल्लेख के द्वारा अपनी बात कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, यह केवल हमारे लिए जीवन-मरण का प्रश्न नहीं है, इस प्रश्न को जिस-जिसने भी हाथ में लिया चाहे वह खेत सिंहजी हों, चाहे परस राम जी हों, चाहे चन्दनमल जी हों, चाहे माधव सिंह जी दीवान हों चाहे नरेन्द्र सिंहजी भाटी हों, वे सारे लोग इस लिफ्ट केनाल को हाथ में लेते ही नहीं, मालूम नहीं इनको क्या होता है कि स्थिति बदल जाती है और हमारी यह लिफ्ट कैनाल जहां है वहीं रह जाती है...

श्री सभापति : मतलब अपशगुन है, आपका मतलब यह है ?

श्री बिरदमल सिंघवी : इसलिए सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस विषय में घोषणाएं होती बहुत हैं, घोषणाएं होती हैं। मुख्य मंत्रीजी एक घोषणा कर देते हैं, हमारे विभागीय मंत्री जी एक घोषणा कर देते हैं, केन्द्र को चली गयी कि नहीं चली गयी, हम जानना चाहते हैं, आखिर घोषणाओं से हमको पानी नहीं मिलेगा। आखिर स्थिति क्या है, हमारी स्थिति तो बताई जाय।

श्री सभापति : कृपया पढ़ें।

श्री बिरदमल सिंघवी : निवेदन कर रहा हूँ। जोधपुर शहर की आबादी लगभग नौ लाख की हो गई है, सैनिक आबादी इसके अतिरिक्त है। बढ़ती हुई आबादी व जल प्रयोग के कारण प्रति वर्ष पेयजल संकट के गम्भीर बादल मंडरा जाते हैं। नगर में पर्याप्त जल उपलब्धि न होने से समय-समय पर योजनायें बनी। पाली के हेमावास बांध से नहर द्वारा पानी जोधपुर लाया गया। फिर रामपुरा जवाई, पाल व बाद में रिंगसी गांव से पानी जोधपुर पहुंचाया गया। फिर भी अनुभव किया गया कि इसका स्थायी हल राजस्थान नहर, जो अब इन्दिरा गांधी नहर हो गई है, से पानी लाने से ही हो सकेगा। सभापति महोदय, जोधपुर का दुर्भाग्य है कि पेयजल की आधारभूत समस्या के प्रति भी राज्य सरकार की नीति ढुलमुल एवं उपेक्षापूर्ण रही है। जोधपुर लिफ्ट कैनाल से पानी लाने की योजना लगभग 39 करोड़ की बनी थी। केन्द्रीय जल संसाधन बोर्ड द्वारा इसके महत्व को स्वीकार करते हुए इसकी स्वीकृति भी प्राप्त हो गई थी। राज्य सरकार संवेदनशील होती तो जोधपुर के

(122)

(श्री बिरदमल सिंघवी)

साथ अन्याय नहीं किया जाता तो उतनी राशि में आज तक वह पानी जोधपुर पहुंच गया होता। सभापति महोदय, अब वह एक सौ तीन करोड़ की योजना हो गई है परन्तु राज्य सरकार सदैव उदासीन रही। स्वयं पेयजल विभाग के नये माननीय मंत्री महोदय ने भी 16 जून, 1989 को दिये गये अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है कि इस योजना का विलम्ब "राजनैतिक कारण" से हुआ है, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है। हम जानना चाहते हैं कि ये राजनैतिक कारण क्या थे। सभापति महोदय, राजनैतिक कारण के लिए क्या हम मरते रहेंगे? यह स्पष्ट करें कि राजनैतिक कारण के लिए कौन दोषी था? उन्होंने कहा है कि राजनैतिक कारण से यह हुआ है।

श्री सभापति : कृपया पढ़ें।

श्री बिरदमल सिंघवी : हम जानना चाहेंगे कि यह राजनैतिक कारण क्या थे व इनका दोषी कौन था? सारी स्थिति स्पष्ट होने की आवश्यकता है। जो भी हो, जोधपुर शहर के लोग तो इसके शिकार हो ही गये, योजना धरी रह गई। योजना पर कार्य बन्द हो गया। योजना में परिवर्तन के प्रस्ताव हुए। जोधपुर के लोग पानी के लिए तरसते रहे और परिवर्तन के प्रस्ताव चलते रहें। इसी बीच योजना का आकार एक सौ तीन करोड़ से भी अधिक हो गया। राशि के लिए जो प्रावधान सोचे गये थे, सारे बेकार हो गये। कांग्रेस सरकार के मंत्री मण्डल में परिवर्तन आया और एक नये मंत्री ने इसका चार्ज सम्भाला, आते ही घोषणा की कि 1989 के अन्त तक पानी पहुंचेगा अन्यथा वे त्याग पत्र दे देंगे। न तो पानी जोधपुर में आया और न उनका त्याग पत्र आया हमें बड़ा उत्साह हुआ उस समय, हमने उत्साह के साथ उनकी घोषणाओं को सुना, उत्साह की लहर दौड़ी व इस घोषणा से जन मानस प्रफुल्लित हो गया। मगर किसे पता था कि यह घोषणा भी घोषणा सरकार की ढपोलशंखी घोषणा ही होगी। केवल जनता को लुभाने के लिए यह घोषणा की गई अस्तु न तो पानी ही आया और न त्याग पत्र दिया गया और जोधपुर की जनता तरसती रही।

सभापति महोदय, फिर जोधपुर की जनता को लुभाने यह विभाग हमारे यहां के एक माननीय मंत्री महोदय को सौंप दिया गया और उन्होंने भी आते ही घोषणा की कि इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता वाली योजनाओं में शामिल कर लिया गया है। जोधपुर में फिर उत्साह फैला। जोधपुर ने फिर अपने भाग्य को सराहा कि अब धनराशि की कमी नहीं रहेगी। यह योजना केन्द्र की बन जायेगी परन्तु घोषणा करते वक्त यह भी नहीं सोचा कि सिंचाई व पेयजल की योजनाएं पूरी करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और वह केन्द्र को कैसे सौंपी जायेगी? जब इन्दिरा गांधी नहर परियोजना भी केन्द्र ने नहीं स्वीकारी तो जोधपुर लिफ्ट कैनाल केन्द्र कैसे संभालता? इस तरह के प्रश्न जब उठाये गये तो माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस घोषणा का खण्डन करना पड़ा। स्पष्ट था कि इस घोषणा से जोधपुर

(श्री बिरदमल सिंघवी)

की जनता गुमराह जरूर हुई मगर पानी जोधपुर में नहीं पहुंचा।

सभापति महोदय, इस प्रकार की जो घोषणा होती है उससे हम बड़े विचलित हैं वहां पर स्थिति क्या है ? आज भी, लिफ्ट कैनाल की स्थिति अस्पष्ट है। खुदाई की गई नहर में लाइनिंग के अभाव से मिट्टी भर गयी। पता भी नहीं चलता कि नहर खोदी भी गयी या नहीं, और खोदी गयी तो कितनी ? ईंटों के निर्माण बाबत भी भिन्न-भिन्न वक्तव्य आ रहे हैं सैनिक जीवन बीमा निगम व रेलवे से जो राशि प्राप्त होती है और जिस पर सारा वित्तीय आधार है उसमें क्या प्रगति है यह भी अस्पष्ट है। सभापति महोदय, बार-बार आता हैं कि रेलवे इतना देगा, जीवन बीमा निगम इतना देगा पर हमें मालूम नहीं कि वास्तव में कितना पैसा आ रहा है। इन एजेन्सीज से केवल मांग की गयी है या उन्होंने स्वीकृति भी दे दी है। मैं यह कहता हूं कि खाली आपने मांगा ही है और उन्होंने स्वीकृति नहीं दी है। यदि स्वीकृति दी है तो किन शर्तों पर। राशि प्राप्ति में क्या अड़चन आ रही है यह भी साफ नहीं है। राशि कब तक मिल जायेगी। जो पाइप लाइनें बनेंगी उसमें पाइप की क्या व्यवस्था कर ली गयी है ? पम्पिंग सैटों के निर्माण की क्या प्रगति है व कब तक प्राप्त हो सकेंगे ? मेरी सूचना के अनुसार तो सभापति महोदय, अभी डिजाइन भी फाइनल नहीं हुए हैं। उसके लिये क्या विद्युत की व्यवस्था कर ली गयी है ? उसकी क्या प्रगति है ? यह भी स्पष्ट नहीं है कि जोधपुर शहर के अन्तिम दौर तक कितना पानी पहुंचेगा।

जोधपुर की जनता थोथी घोषणाओं से तंग आ चुकी है। राज्य सरकार के क्रियाकलापों से यह विश्वास नहीं होता कि नवीन घोषणा के अनुसार भी पानी 1992 के मध्य तक आ जायेगा। यह घोषणा केवल चुनावी घोषणा लगती है जिससे जनता चुनावों में यह प्रश्न न करे कि अब तक पानी न पहुंचने में कौन से राजनैतिक कारण थे व विफलता की जिम्मेदारी किस की थी ?

जोधपुर लिफ्ट कैनाल जोधपुर के लिये जीवन मरण का प्रश्न है। मगर इसके साथ जो क्रूर मजाक हो रही है वह निन्दनीय है। राज्य सरकार पूरी स्थिति का स्पष्टीकरण करे। आवश्यक हो तो श्वेत पत्र जारी करे। थोथी घोषणाएं बन्द हो। पानी की व्यवस्था के साथ क्रूर मजाक बन्द हो। लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर विशेष उल्लेख द्वारा सदन का ध्यान आकर्षित किया है। आशा है, सरकार कुछ करेगी। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सरकार के जो भिन्न-भिन्न मंत्री एवं मुख्य मंत्री की घोषणा आ रही है उस सम्बन्ध में जोधपुर की पब्लिक को बतायें तो सही वास्तविक स्थिति क्या है ? हम शांति तो रखें दो साल बाद आयेगी या कब आयेगी ? वास्तविक स्थिति की जानकारी होनी चाहिए भिन्न-भिन्न वक्तव्य दिलाना बन्द करो। हमें वक्तव्य नहीं चाहिए हमें घोषणा नहीं चाहिए हमें पानी चाहिए।

(124)

श्री नारायणराम बेड़ा : क्या यह राजनैतिक कारण पालियामेण्ट के चुनाव हैं ? क्या राजनैतिक कारण पालियामेण्ट के चुनाव मानें हम ।

श्री सभापति : मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप अपने आप से पूछें ।

श्री बिरदमल सिंघवी : क्या स्थिति है ? आखिर देख-रेख का क्या मतलब है ? पैसा आयेगा या नहीं आयेगा आखिर जानकारी तो हो । मंत्री महोदय भी बैठें, राजस्व मंत्री जी बैठें हैं वह जानकारी दे दें ।

श्री सभापति : सरकार आपको जानकारी देगी । सरकार का भी जवाब आयेगा श्री गणेशलाल बैरागी ।

श्री गणेशलाल बैरागी (हिण्डोली) : सभापति महोदय, ग्राम हिण्डोली पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय है एवं पुलिस स्टेशन सहायक अभियन्ता कार्यालय विद्युत मण्डल वन विभाग का रेंज आफिस हायर सैकण्डरी स्कूल भी इसी ग्राम है । राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 12 पर यह ग्राम है होने को तो यहां ग्राम पंचायत मुख्यालय ही हैं परन्तु बहुत बड़ा कस्बा है । पंचायत समिति मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय होने के कारण पूरे क्षेत्र के किसानों को इस गांव से सीधा-सीधा सम्बन्ध है ।

हिण्डोली में मुंसिफ न्यायालय होना चाहिए इस बारे में मैंने व सारे क्षेत्र की जनता ने सरकार से कई बार निवेदन किया है और इसका औचित्य भी सिद्ध किया है । सारा इलाका ग्रामीण है एवं छोटे किसान है वर्तमान में इस क्षेत्र का मुंसिफ न्यायालय नैनवा है जो किसानों के लिए बहुत ही मंहगा है कारण हिण्डोली पंचायत समिति की सीमा एक तरफ भीलवाड़ा जिले से मिली हुई है । दूसरी तरफ टौंक जिले से जुड़ी हुई हैं नैनवा टौंक जिले की सीमा के पास है । हिण्डोली पूरे इलाके के मध्य में पड़ता है इलाके की लगभग आधी जनसंख्या अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति एवं अल्पसंख्यकों की है इनके अलावा ग्राम जनता भी काफी गरीब हैं । उनको न्याय प्राप्ति के लिए नैनवा जाना पड़ता है जो बहुत ही महंगा है और दूसरे छोर से आने वाले लोगों को लगभग 100 किलोमीटर जाना पड़ता है । यातायात के साधनों का अभाव होने के कारण लोगों को न्यायालय में पहुंचने के लिए एक रोज पहले घर छोड़ना पड़ता है और वापिस पहुंचने में भी एक दिन लग जाता है । कम से कम एक दिन न्यायालय में लगता ही है इस प्रकार मामूली से मामूली काम के लिये भी कम से कम तीन दिन का समय देना पड़ता है । और करीब-करीब 80-100 रुपये किराये खर्च में व्यय करना पड़ता है तीन दिन अपना घर छोड़ना पड़ता हैं । इस कारण किसानों को फसल वगैरह में भी काफी नुकसान होता है । अकेला व्यक्ति घर में हो तो उसको भयंकर ही नुकसान होता है । अपने बैल व पशुओं को भी सम्भालने वाला कोई नहीं रहता है ।

हिण्डोली में मुंसिफ न्यायालय होने के औचित्य को राज्य सरकार ने भी स्वीकार किया है इन सारे तथ्यों के अलावा हिण्डोली में न्यायालय के लिये एवं न्यायाधीश के

(श्री गणेशलाल बैरागी)

आवास के लिये भवन भी है इन तथ्यों की जानकारी राज्य सरकार एवं माननीय उच्च न्यायालय ने भी प्राप्त की है। किन्तु फिर भी आज तक हिण्डोली में मुंसिफ न्यायालय नहीं खोलने का कारण समझ में नहीं आ रहा है।

अतः मैं अपने इस महत्वपूर्ण अविलम्बनीय प्रस्ताव के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार शीघ्र हिण्डोली में मुंसिफ न्यायालय खोलकर ग्रामीण जनता को सस्ता न्याय दिलाये अन्यथा जनता में दिनों-दिन असंतोष पैदा होता जा रहा है। जो एक दिन आन्दोलन का स्वरूप भी धारण कर सकता है।

श्री सभापति : श्री डूंगरराम पंवार।

श्री डूंगरराम पंवार (टीबी) : सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख द्वारा निवेदन कर रहा हूं।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र टीबी के रावतसर, जिला गंगानगर के बड़े-बड़े गांवों को बिजली एवं पक्की सड़कों से आज तक नहीं जोड़ा गया है एवं यह क्षेत्र सड़कों से वंचित रखा गया है। जो ग्राम पंचायत मुख्यालय है रावतसर विद्युत लाइन के आसपास ही पड़ते हैं तथा पक्की सड़क से भी नजदीक है परन्तु आने जाने के लिये तथा रावतसर अनाज मण्डी में किसान भाइयों को अपनी उपज का माल लाने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उस क्षेत्र के गांव खोड़ा, हरदास वाली, के तीनों वास, रामपुरा न्यालखी, भैंरुसरी, चक भाखरा वाला, 10 के डब्ल्यू डी, चक 4 सी. वाई. एम., चक 22 ए जी, चक 4 डी डब्ल्यू एम. चक 29 डी डब्ल्यू डी, तथा बागासर कलालों की ढाणी, कुम्हारों की ढाणी, ग्राम बांगासर, चेलासरी, यह सब 18 गांव पक्की सड़कों और बिजली से वंचित है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर विचार किया जाकर इन ग्रामों को पक्की सड़क एवं बिजली से इसी वर्ष में जोड़ा जाये।

श्री सभापति : श्री उदयराम धाकड़।

श्री उदयराम धाकड़ (बड़ी सादड़ी) : सभापति महोदय, 295 के तहत प्रस्ताव, महोदय, ग्राम उम्मेदपुरा, पंचायत समिति बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ में पिछले सत्र में उच्च प्राथमिक विद्यालय (छात्रायें) शिक्षा विभाग द्वारा क्रमोन्नत किया गया था। किन्तु एक वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत होने के उपरान्त भी उक्त विद्यालय में अध्यापक/अध्यापिकाओं का पदस्थापन नहीं किये जाने से छात्राओं की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। अध्यापिकाओं के अभाव में छात्राओं की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की भविष्य में भी पूर्ण संभावना है जिसके कारण छात्राओं का भविष्य अंधकार मय होने की संभावना है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के सम्बन्धित अधिकारियों को भी समय-समय पर शिकायतें की गई किन्तु अभी तक अधिकारियों की अकर्मण्यता एवं निष्क्रियता के कारण अध्यापकों का

(श्री उदयराम धाकड़)

पदस्थापन नहीं हो पाया है। जिसके कारण छात्राओं को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर अन्य स्कूलों में प्रवेश लेने को विवश होना पड़ा। विभाग की इस तरह की कार्यवाही से छात्राओं एवं अभिभावकों में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को नियम 295 के अन्तर्गत सदन में उठाये जाने की अनुमति प्रदान की है। एक तरफ सरकार गांवों में शिक्षा के प्रति कहती है कि बालिकायें भी शिक्षा ले दूसरी तरफ जब बालिकाओं के प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया मगर एक साल से वहां कोई अध्यापक नहीं है। वह गांव की बालिकायें कहां जायेगी पढ़ने के लिए इसलिए मैं सरकार से चाहता हूँ कि कि अविलम्ब वहां अध्यापकों का पदस्थापन करें और वह स्कूल चलाया जायें। धन्यवाद।

श्री सभापति : मैं भी कह रहा हूं कि शीघ्र व्यवस्था करें अध्यापकों की। श्री नारायण राम बेड़ा।

एक माननीय सदस्य : सरकार ने कहां सुना साहब।

श्री सभापति : श्री नारायणराम बेड़ा।

श्री नारायणराम बेडा (भोपालगढ़) : सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये पुस्तकाध्यक्ष की नियुक्ति पर लगे प्रतिबन्ध हटवाने बाबत। मान्यवर जी, उक्त मामले में राजस्थान के शिक्षा जगत में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद का भी महत्वपूर्ण स्थान है। सभी विद्यालयों में पुस्तकालय की व्यवस्था भी समाप्त हो रही है जिससे विद्यार्थियों में बड़ी परेशानी महसूस हो रही है। जिससे शिक्षा जगत में शिक्षकों व अन्य लोगों के साहित्य प्रेमियों को नुकसान हो रहा है।

सभापति महोदय, वस्तु स्थिति इस प्रकार है कि शिक्षा में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद के लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इस प्रकार राजस्थान में प्रति वर्ष दो हजार पुस्तकालयाध्यक्ष को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद भी पिछले पांच वर्षों से प्रशिक्षित पुस्तकालयाध्यक्ष बेकार बैठे हैं सिर्फ इसलिए कि राज्य सरकार ने इस पद पर नियुक्ति पर पाबंदी लगा रखी है।

सभापति महोदय, इस प्रकार पिछले पांच वर्षों से हर वर्ष 2 हजार बेरोजगार पैदा होने के अनुसार राजस्थान में कुल 10 हजार पुस्तकालयाध्यक्ष बेरोजगार बैठे हैं इनमें से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अब ओवर ऐज हो रहे हैं।

साथ ही पिछले दिनों विधान सभा सत्र के दौरान अध्यापकों की नियुक्ति पर लगी रोक अब हटा दी गई है परन्तु पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर लगी रोक भी तुरन्त हटाई जावे। बढ़ती हुई बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए उक्त कार्यवाही की जावे, धन्यवाद।

सभापति महोदय, मेरा 295 का नोटिस है विशेष उल्लेख के जरिये। वास्तव

(श्री नारायणराम बेड़ा)

में हालत बड़ी गम्भीर हो रही है कि जो लोग 5 साल पहले ट्रेनिंग करके आये है वह अब ओवर ऐज हो रहे हैं। उनको अगर कहीं जगह नहीं मिलेगी तो हालत बड़ी गम्भीर होगी इसलिए मेरा निवेदन है कि प्रतिबन्ध हटाया जाये।

श्री सभापति : श्री शंकरलाल आर्य। (अनुपस्थित)

श्री नाथू सिंह : सभापति महोदय, मेरा बड़ा गम्भीर विषय है और जिसमे हम सब सम्बन्धित हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, मेरा 295 में था।

श्री सी. पी. जोशी : कल के लिए है।

श्री देवीसिंह भाटी : कल के लिए...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, नहीं है। अगर होगा तो कल रखेंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : नहीं-नहीं आज क्यों नही रखा मैं अभी अध्यक्ष से बात करता हूँ।

श्री सभापति : अध्यक्षीय व्यवस्था है उसमें नहीं है। श्री नाथूसिंह जी।

श्री नाथू सिंह : सभापति महोदय, जिससे हम, सारा सदन सम्बन्धित है, सारे प्रदेश की जनता सम्बन्धित है। मैंने सभापति महोदय, एक निन्दा प्रस्ताव जो हमारे यूथ डेलिगेशन जो उत्तरी कोरिया गया था....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पाइन्ट आफ आर्डर पर कार्यवाही चल रही है।

श्री नाथू सिंह : कौनसी कार्यवाही चल रही है? मैंने निन्दा प्रस्ताव रखा है।

श्री सी. पी. जोशी : किसकी निन्दा करते हैं, सदन ऐसे कृत्य की निन्दा करता है।

श्री सभापति : पाइन्ट आफ आर्डर पर कार्यवाही चल रही है उसके बीच में आ सकता है यह आप अलग से प्रस्ताव दे दे मैं अलाउ नहीं करूंगा इसे। श्री लक्ष्मी नारायण किसान।

श्री नाथू सिंह : आप सुनिये तो सही मेरा 119 में निन्दा प्रस्ताव दिया हुआ है।

श्री सभापति : आप प्रस्ताव दे दें उस पर कार्यवाही हो जायेगी। मैं सचिवालय से पता करता हूं। श्री लक्ष्मीनारायण किसान।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री लक्ष्मण सिंह, का व्यक्तिग स्पष्टीकरण

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : सभापति महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर, अण्डर रूल 73, इस रूल के अन्तर्गत किसी सदस्य पर चार्जेज लगाये जाते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया दी हुई है। कल सीकर से आने

(श्री लक्ष्मण सिंह)

वाले माननीय विधायक ने मेरी अनुपस्थिति में मुझ पर कुछ चार्जेज लगाये उनके विषय में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, वैसे तो अपेक्षित था कि विपक्ष के नेता महोदय जिस प्रकार की उन्होंने घोषणा की कुछ दिनों पहले, मुझ पर चार्ज लगाते लेकिन उन्होंने यह उचित समझा कि + + + की आड़ में शिकार खेला जाये और सभापति महोदय....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं कह रहा हूँ + + + क्या होता है ? आप जानते हैं क्या ? यह असंसदीय शब्द है। पहले इस शब्द को एक्सपंज करायें।

श्री सभापति : यह शब्द एक्सपंज कर दिया जाये।

श्री लक्ष्मण सिंह : सभापति महोदय, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य की जो संकुचित होती हुई, उनकी अपनी पार्टी में संकुचित होती हुई लीडरशिप है उसके अन्दर या तो पाली से आने वाली विधायिका है या सीकर से आने वाले विधायक। बाकी उनकी लीडरशिप को मानते नहीं इसलिए इन्हीं के माध्यम से उनको यह चार्ज लगाना था।

श्री सभापति : आप एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, दे दीजिए।

सुश्री पुष्पा जैन : यह + + +

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : यह + + + ऐसे शब्द छोड़ दें।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल आर्य : आप हमारे आदरणीय नेता हैं, हम कैसे सुनेंगे इस तरह की बात करना बन्द करवायें हाउस में।

श्री सभापति : + + + शब्द एक्सपंज कर दिया, कृपया बोलें एक्सप्लेनेशन दे दें।

श्री लक्ष्मण सिंह : सभापति महोदय, अंग्रेजी के प्रसिद्ध पोयेट लिप्टन हुए हैं उन्होंने कहा कि "Mind, in it self is a place. It can make a hell of heaven, a heaven of hell." यानि मस्तिष्क की जो सोचने की जो प्रणाली है, दृष्टिकोण है उसी के अनुसार व्यक्ति नर्क को स्वर्ग समझ समता है और स्वर्ग को नर्क। अगर किसी की सोच अच्छे सुन्दर सही विचारों की है तो अच्छे, सुन्दर सही विचार निकलेंगे और किसी को सोच कुत्सित या गिरे हुए विचारों की है तो उसके मस्तिष्क से वैसे ही विचार निकलेंगे और इसी तरह के विचार हमारे सीकर से आने वाले विधायक महोदय ने यहां पर निकाले। सीकर से आने वाले विधायक ने बात कही उसके अन्दर कहा तो उन्होंने यह है कि मैं पूरी निष्ठा के साथ कहना चाहता हूं। लेकिन जो मैं आकर के आगे प्रपोजल

+ + + अभिव्यक्ति/शब्द माननीय सभापति के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री लक्ष्मण सिंह)

देऊंगा अगर आप उसको स्वीकार कर लेंगे तो उसमें आपकी निष्ठा, और 'कर्तव्य-परायणता और अनुभव सब सामने आ जायेंगे। सभापति महोदय, इन्होंने मुझ पर, मुख्य मंत्री माथुर साहब पर अटवाल से पैसे लेने और पंच फैसला मान लेने के लिए, उस फाइल पर हस्ताक्षर, हस्ताक्षरित होने के बाद वह फाइल जब विभाग में गई तो विभाग ने आब्जेक्शन किया। उसके बाद फाइल गई, ये इन्होंने चार्ज लगाये हैं। उस फाइल के ऊपर हमारे हस्ताक्षर बिल्कुल नहीं थे और इस प्रकार की गलत बात को तथ्यों के बिल्कुल विपरीत बताकर इन्होंने यहां सदन को गुमराह करने के लिए प्रस्तुत किया है। जो विषय इन्होंने यहां पर उठाया हालांकि वह विषय सब-जुडिस है इसलिए उस विषय की गहराई को जानना मेरे लिए ठीक नहीं होगा लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने बात कही वह निराधार और बिल्कुल बेसलेस, है। एब्सल्यूटली फाईवोलस और हवा में तीर मारने वाली बात इन्होंने कहीं है। इसके साथ-साथ मैं यह कहता हूं कि मैं सदन में डाक्यूमेंट्स के आधार पर यह बात कह रहा हूँ अगर माननीय विधायक महोदय के पास में डाक्यूमेंट्स हैं और इनके अन्दर हिम्मत है तो वह डाक्यूमेंट सदन के सामने रखे और अगर नहीं है तो अपनी बात को वापिस ले और मैं इसके साथ-साथ आपको यह भी कहना चाहता हूं कि मैं तो इससे भी एक कदम आगे बढ़कर के आपको चैलेन्ज देता हूँ, माननीय तिवाड़ी जी आपने तो सिर्फ यहां ऊंची-ऊंची खोखली बातें ही यहां पर प्रस्तुत करी है और माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने उस दिन कहा था मंत्री पद एक ही झटके में चला गया, एक ही झटके में तो आपका जनता राज चला गया था। मैंने तो आगे आकर के मंत्री पद छोड़ा था। पब्लिक ने आपको मक्खी की तरह से निकाल करके फैंक दिया था। इसलिए मैंने तो मोरेलिटी का एग्जाम्पल पेश किया था। उससे भी आगे बढ़कर के मेरी एक आफर है। सभापति महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि वह किसी भी स्तर से चाहे सदन की एक कमेटी बनाकर के चाहे किसी सरकारी अधिकारी से या किसी भी लेवल पर इस सारे प्रकरण की या तो बिन्दु इन्होंने उसमें उठाये हुए हैं। एक्सेप्ट जो बिन्दु सब-जुडिश हैं, स्वाभाविक हैं, सब-जुडिश की अलग ही बात होती है। इनकी जांच करवा ली जाय और उस जांच के पश्चात् मैं दोषी पाया जाता हूं तो उसमें मैं सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र देने को तैयार हूँ और उस जांच के पश्चात् में अगर माननीय तिवाड़ीजी आप दोषी पाये जाते हैं तो आप भी अभी लिखकर के दीजिए कि आप सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र देने को तैयार हैं और सभापति महोदय, मैं मेरा यह सशर्त त्याग-पत्र आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं....

श्री सभापति : उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया, उन्होंने आपके खिलाफ तो कुछ कहा नहीं हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं एक बात कह रहा हूँ आप सुन तो लीजिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, क्यों इसको बहस का मुद्दा बना रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री भूदरमल वर्मा : माननीय तिवाड़ी जी आप भी आ जाओ मैदान में, आप भी तो केवल आरोप ही लगा सकते हो आप .....(व्यवधान)

श्री सभापति : आॅर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, माननीय सदस्य.......

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, यह घनश्याम तिवाड़ी + + + ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ......सभापति महोदय, इन्होंने एक भी आरोप का जवाब नहीं दिया । मकराना की खान....

श्री सभापति : कृपया बैठें । (व्यवधान)···अंकित न हो ।

श्री राजेश शर्मा : XXX

श्री भूदरमल वर्मा : XXX

श्री घनश्याम तिवाड़ी : XXX

श्री सभापति : कृपया बैठें । आर्डर प्लीज । उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है, ले लिया गया है......(व्यवधान).....श्री सी. पी. जोशी ।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, पिछले लम्बे समय से सदन में माननीय विपक्ष के सदस्य........ (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैंने स्वीकार कर ली चुनौती और आप जांच करवा लीजिए ।

श्री सी. पी. जोशी : आप लिखकर दीजिए ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैंने जो आरोप लगाये वह सही हैं । सब आरोप सही हैं ।

श्री सभापति : श्री सी.पी. जोशी..... (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय सभापति महोदय, एक अच्छी परम्परा राजस्थान के इतिहास में पड़ेगी । विधान सभा के माननीय सदस्य पिछले लम्बे समय से किसी न किसी मंत्री पर गम्भीर आरोप लगाते रहे हैं । एक मंत्री के रूप में माननीय सदस्य ने जो कृत्य किया वह आपके सामने त्याग-पत्र है । उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरे पर जो कोई भी आरोप, जो सब-जुडिश हैं उसके अलावा उनके सम्बन्ध में कोई भी जांच करवा लें, यदि इसमें सत्यता होगी तो मैं सदस्यता से त्याग-पत्र दूंगा । आप लिखकर दे दें........ (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैंने कह दिया

XXX माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय सभापति के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

श्री सी. पी. जोशी : आप राइटिंग में लिखकर दें।

श्री भूंदरमल वर्मा : आप राइटिंग में इस्तीफा दो.....(व्यवधान).......तिवाड़ीजी त्याग-पत्र दो। अगर है कुछ दम तो त्याग-पत्र दो.....(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हाई-कोर्ट के जज को सरकार नियुक्त करे। मैं हाई-कोर्ट जज को इस्तीफा देने को तैयार हूँ और मैं इस बात को स्पष्ट करता हूँ कि मेरे लगाये गये चार्जेज सही हैं।

श्री भूंदरमल वर्मा : तिवाड़ीजी या तो त्याग-पत्र दो ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : राइटिंग में दो, ना, राइटिंग में।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज......(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ आप हाई-कोर्ट के जज को नियुक्त करिये। मैं इस्तीफा लिखित में देने के लिए तैयार हूँ....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : तैयार हैं तो लिखकर दें इस्तीफा।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। श्री सी. पी. जोशी....(व्यवधान)

श्री भूंदरमल वर्मा : आप लिखित में इस्तीफा दीजिये अगर कुछ दम है, सच्चाई है तो.....अधिकारियों को ब्लेकमेल करने की प्रवृत्ति छोड़ दो........(व्यवधान)........ लक्ष्मणसिंहजी ने लिखकर के दिया है, आप भी लिखकर दो...

श्री जगतसिंह दायमा : + + + (व्यवधान)

श्री भूंदरमल वर्मा : आपकी तो + + + ही क्या है ?...(व्यवधान)...आप लोगों का तो + + + करने का काम है।

श्री सभापति : कृपया बैठें, कृपया बैठें, सहयोग करें आसन को।...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, मैं यदि समझ पाया ठीक ढंग से, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि एक अच्छी परम्परा रहेगी आपने लिखकर नहीं दिया, लिख कर दे दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हाई कोर्ट जज नियुक्त करो।

श्री सी. पी. जोशी : लिख कर दे दें इसमें क्या तकलीफ है ? लिखकर के दे दें, मैं आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई हम उनकी इन्टेग्रिटी पर डाउट नहीं कर रहे। हमें विश्वास है कि उन्होंने फुल नालेज में यह बात कही होगी। बिना नालेज के बात करते नहीं हैं। उनकी ट्रेनिंग इस तरह की है। सबके

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री सी.पी. जोशी)

सामने आ जाये। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जायेगा। आप सभापति के लेबल पर एक कमेटी की घोषणा कर दें वह सामने आ जायेगा जो इनके पास डाक्यूमेंट है वह डाक्यूमेंट सदन के सामने रख दें और जांच होगी तो सामने पता पड़ जायेगा कि वस्तु स्थिति क्या है जिससे कम से कम भविष्य में जो भी सदस्य सदन में किसी पर आरोप लगाये तो गम्भीरता से लगाये और सदन में किसी एक सदस्य के ऊपर आरोप लगाकर हम बच जाये या हल्ला करे तो उससे तो किसी सदस्य की महानता कम नहीं होगी। जिस सिन्सियरिटी से माननीय लक्ष्मणसिंह जी ने जिस भावना से सदन में यह त्याग पत्र रखा है उसकी ग्रेविटी को समझते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि आप नई परम्परा को निश्चित तौर पर रखें और विपक्ष के नेता से भी मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप भी खड़े होकर कहें कि इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद यदि हम गलती पर होंगे तो निश्चित तौर पर सजा भुगतेंगे और भविष्य में ऐसी कोई परम्परा नहीं बने तो खाली हम हीयर से के ऊपर आरोप लगा दें। आपने फाइल देखी की नहीं, फाइल की कापी आपके पास है नहीं, आप कहते हैं कि हमारे पास है कापी वैल एण्ड गुड, आप लिखकर दें लेकिन, माननीय सभापति महोदय, यदि इस मैटर को हमने यूं ही टाल दिया तो यह गलत परम्परा हो जायेगी इसलिए मेरा आपसे विनम्र शब्दों में निवेदन है कि आप सदन की एक कमेटी, अध्यक्ष महोदय जिससे भी चाहे जांच करवाकर कम से कम सदन में एक इतिहास बनाये व इससे भविष्य में जो सदस्य मात्र हीयर से के आधार पर किसी सदस्य को काऊ डाउन करें, किसी की इन्टेग्रिटी को डाउन में रखना चाहे, भविष्य में कोई आदमी किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सके इसकी जांच होनी चाहिए, इस सम्बन्ध में आपको कोई न कोई निर्णय लेना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, भीम कान्स्टीट्युएंसी से आने वाले माननीय सदस्य ने आप को दो आफर दिये हैं। एक आफर तो यह कि इस सदन की कमेटी बना दी जाय और दूसरी आफर दी कि जुडिशियल इन्क्वायरी करायी जाय। जुडिशियल इन्क्वायरी का मतलब हाई कोर्ट का जज। आप सब जानते हैं कि चुनाव जल्दी आ रहे हैं, विधान सभा की कमेटी बना दी गयी तो उस का क्या हश्र होगा। लोग सब चुनाव में लगेंगे, कमेटी इस पर कुछ कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, इस में समय लगेगा। इसलिए जो माननीय सदस्य नाथद्वारा से आये हैं उनकी बात का समर्थन करते हुए मैं इस बात को मानता हूँ कि इस मामले की हाई कोर्ट के जज से जांच करायी जाय। माननीय सदस्य चाहते हैं, वैसे श्री घनश्याम तिवाड़ी ने मौखिक कह दिया उस कहने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिखवा कर दे देता हूँ, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति की घोषणा की जाय।

श्री लक्ष्मण सिंह : सभापति महोदय, घनश्यामजी तिवाड़ी लिख कर दे दें, मैं इसके लिए सहमत हूँ ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरकार बोले तो सही । यह मैं, लक्ष्मण सिंहजी नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य और घनश्यामजी के बीच की बात हुई, सरकार क्या कह रही है ?

श्री सी. पी. जोशी : सरकार का इसमें कोई रोल ही नहीं है । सरकार का इस में क्या रोल है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहलवाइये सरकार से कि हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति की जायेगी । सरकार बोली है इसमें ।

श्री लक्ष्मण सिंह : आप पहले लिखकर तो दें, आप को लिखने के अन्दर दो मिनट लगेंगे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरकार कराये जुडिशियल इन्क्वायरी ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हाई कोर्ट के जज से जांच करायी जाय, मैं लिखित में इस्तीफा आप के पास भेज रहा हूं ।

श्री सी. पी. जोशी : सभापति महोदय, हम ने यह रेमेडी आप से मांगी है सरकार से नहीं मांगी है । आप से प्रपोजल रखा है, आप हाई कोर्ट के जज को अपाइण्ट कर दीजिए, सरकार क्यों ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कह दीजिए ।

श्री हरिकुमार औदिच्य : क्या सरकार बीच में नहीं आती इस मामले में ? सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है ?

श्री सभापति : मैं सदन की भावना माननीय अध्यक्ष तक पहुंचा दूंगा, वह निर्णय दे देंगे । श्री लक्ष्मी नारायण किसान ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

फुलेरा तहसील में पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से नहीं जोड़ना

श्री लक्ष्मीनारायण किसान (फुलेरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं नियम 131 के अन्तर्गत तहसील फुलेरा में पंचायत समिति मुख्यालयों को सड़कों से नहीं जोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन है कि एक तरफ तो सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य से इस्तीफा ले लिया...

श्री सभापति : ले लिया नहीं उन्होंने दे दिया, यह भी दे देंगे ।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : और दूसरी तरफ माननीय सदस्य इस्तीफा दे नहीं रहे हैं । उन से भी लिखवा कर लीजिए । यह कहां दे रहे हैं ?

श्री सभापति : यह देना चाहें दे दें, इन्होंने कह दिया ।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा : लिखवा कर लीजिए उनसे भी ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, बैठें ।

श्री बुलाकीदास कल्ला (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : सभापति महोदय, माननीय विधायक श्री लक्ष्मीनारायण किसान द्वारा नियम 131 के तहत दिये गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में विभाग की वस्तु स्थिति निम्न प्रकार से है :—

फुलेरा तहसील में 1500 से अधिक की आबादी के 21 गांवों में से 16 गांव सड़क से जुड़े हैं जो प्रपत्र क के अनुसार है मात्र पांच गांव—बरडोटी, रोजड़ी, ढाणी बोराज, भैंसावा व इटावा जिन की आबादी क्रमश: 2088, 1852, 2782, 2865 व 1775 है, अभी तक सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं । साम्भर से ग्राम बारडोटी, महलाजोबनेर सड़क से ढाणी बोराज, हिंगोनिया-हरसोली सड़क से भैंसावा की सड़कों का कार्य इन गांवों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया था । कार्य हाथ में ले लिया गया था किन्तु यह योजना बन्द हो जाने के कारण इन सड़कों के निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सके । एक हजार से पन्द्रह सौ तक की आबादी के तहसील फुलेरा में संलग्न सूची ग के अनुसार 21 गांव हैं जिन में से 4 गांव डामर की सड़क से व एक गांव ग्रेवल सड़क से जुड़ा हुआ है । शेष 16 गांव सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं । 15 ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से नहीं जोड़ा गया है । उनमें से 11 की आबादी पन्द्रह सौ से कम है । करणसर से भैंसावा तक 5.5 किलोमीटर सड़क का मिट्टी का कार्य व पत्थर की रोड़ी का सड़क पर ढुलाई का कार्य पूरा हो गया है । राष्ट्रीय ग्रामीण भूमिहीन रोजगार योजना के अन्तर्गत कार्य बन्द हो जाने के कारण कार्य नहीं करवाया जा सका । जोबनेर से सिनोदिया वाया कोडी सड़क पर मुण्डवाड़ा तक 11 किलोमीटर डामर का कार्य पूरा कर दिया गया है तथा शेष मुण्डवाड़ा से सिनोदिया 4 किलोमीटर का कार्य इस वर्ष प्रस्तावित है । साम्भर से शाकम्भरी माता तक की सड़क की लम्बाई 26 किलोमीटर है । इस सड़क के कुछ किलोमीटरों में मिट्टी का कार्य अकाल राहत योजना में किया गया था । अकाल राहत कार्यों की समयावधि निर्धारित होने के कारण सड़क का कार्य पूरा नहीं करवाया जा सका । लूणियावास से बधाल 6 किलोमीटर लम्बी सड़क के निर्माण हेतु कोई प्रशासनिक स्वीकृत नहीं दी गयी है । किशनगढ़-रेनवाल सड़क को किशनगढ़-रेनवाल के बाहर से निकालने हेतु कोई प्रस्तावित योजना नहीं है । राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध वित्तीय साधनों को देखते हुए ग्रामों में बाई-पास बनाने हेतु फिलहाल स्वीकृति दी जानी सम्भव नहीं है । किशनगढ़-रेनवाल सड़क से रेलवे स्टेशन तक रिनुअल का कार्य कुलदीप सिंह, ठेकेदार को दिनांक 21.12.1986 को करने हेतु आदेश दिये गये थे । ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं करने के कारण उसके विरुद्ध अनुबन्ध की धारा के तहत आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । बागावास गांव की सम्पर्क सड़क फुलेरा तहसील में ग्रामीण सड़क के अन्तर्गत निर्मित की गयी है तथा इस सड़क के तीन किलोमीटर में मेढा नदी पर रपट अभी तक नहीं

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

बनायी जा सकी है। वर्षा ऋतु में नदी में पानी आ जाने पर यातायात में असुविधा रहती है। यह हिस्सा लगभग 100 मीटर की लम्बाई में है जिसे विभाग द्वारा समय समय पर ठीक करवाया जाता है। संवत् 2044 में राहत कार्यों में इसकी स्वीकृति जिलाधीश, जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक 17439-49 दिनांक 6.6.1988 के तहत निम्न प्रकार से जारी की थी। मजदूरी की चाही गयी राशि डेढ़ लाख रुपए और स्वीकृत राशि पचास हजार रुपए। सामग्री की चाही गयी राशि साढ़े चार लाख रुपए और स्वीकृत राशि डेढ़ लाख रुपए। परन्तु अकाल राहत कार्यों की अवधि खत्म हो जाने से पूर्व स्वीकृत राशि में से 1.02 लाख सामग्री पर व 0.21 लाख मजदूरी पर खर्च किये जा सके। यह सामग्री कार्य स्थल पर सुरक्षित पड़ी है। पचकोडिया से भाबदा डामर की सड़क बनी हुई है तथा इस के 8 किलोमीटर के हिस्से पर फिर से डामरीकरण हेतु दिनांक 12.6.1989 को आदेश दे दिये गये हैं। शेष लम्बाई में आवश्यकतानुसार डामर के पैच रिपेयर आदि करवाने की व्यवस्था विभाग द्वारा की जा रही है। हिंगोनिया से लालपुरा सड़क पर समय समय पर आवश्यकतानुसार पैच रिपेयर का कार्य करवाया जाता रहा है तथा आवश्यकतानुसार इस वर्ष भी पैच रिपेयर आदि का कार्य करवा दिया जायेगा।

अतः उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि सार्वजनिक निर्माण द्वारा उपलब्ध वित्तीय साधनों के अन्तर्गत समुचित कार्य करवाया जाता रहा है व करवाया जा रहा है। अतः उक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में उन्होंने जो पाइण्ट्स उठाये उस बारे में मैंने आपसे निवेदन कर दिया।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : माननीय सभापतिजी, 43 ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं। 43 में से, आप बता रहे हैं कि 24 या 25 सड़कों से जोड़ दिये गये लेकिन जो सड़कें मुख्यालय से 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर चली गयीं उनका जोड़ना न जोड़ना बराबर है। इस प्रकार सिर्फ 13 पंचायत मुख्यालयों पर ही सड़क जाती है और बाकी 30 पर नहीं। 10 पंचायतें ऐसी हैं जिनकी आबादी 1971 के हिसाब से 1500 से अधिक थी और बाकी 30 पंचायतें ऐसी हैं जिनकी आबादी 1981 के अनुसार 1500 से अधिक हैं। बाकी ऐसे कई महत्वपूर्ण स्थान हैं जिनको सड़क से नहीं जोड़ा गया है। मैं निवेदन करूं कि जयपुर से दांता रामगढ़ सड़क 1976 में बनी। वह 80 किलोमीटर है। बधाल और बागावास एरिया में 16 किलोमीटर और चार किलोमीटर सड़क और बनी है। इस प्रकार 110 किलोमीटर सड़क, कालाडेरा से आगे जाने और फुलेरा तहसील की 80 हजार की आबादी और 40 हजार की दांतारामगढ़ की आबादी, एक लाख बीस हजार की आबादी के लिए अगर माननीय मन्त्रीजी या विभाग के कोई अधिकारी यह बता दें, इसमें कहीं ट्रक पास होता हो। सिंगल टायर की बस या जीप जाती हो तो बात दूसरी है। सड़क इतनी अन्दर बनी हुई है लेकिन इनके सिर्फ 4 किलोमीटर लूणियावास से बधाल 6 किलोमीटर आसपुर से इटावा और तीन किलोमीटर की बाघावास की रपट, तीन चीजें हैं जिनके नहीं बनने से करोड़ों रुपयों की सड़कों का कोई उपयोग

(श्री लक्ष्मीनारायण किसान)

नहीं होता । और बार-बार यह कहते हैं कि उपयोग हो जाती है । माननीय सभापति जी, उपयोग नहीं होती है, डबल टायर की बस नहीं जाती है । सिंगल टायर की बस जाती हो तो पता नहीं । और सवा लाख की आबादी उस क्षेत्र की, चारों तरफ से कटी हुई है, उनके लिये कोई साधन नहीं है । इस प्रकार के वहां हालात हैं ।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, जयपुर से जोधपुर सीधी रोड मिलायी गयी है । हरसोली तक 4 किलोमीटर को रोड़ की स्वीकृति हो जाती है तो जयपुर से जोधपुर को 50–60 किलोमीटर दूरी कम हो जाती है और इसी उद्देश्य से यह सड़क बनायी गयी थी ।

इसके अलावा जितनी भी सड़कें हैं उनकी डामर टूट फूट गयी है, उनकी हालत खराब है । आपने कई जगह डामर के लिये, नयी बनाने के लिये स्वीकृति दी है, उसके लिये पहले ही हम आपके आभारी हैं । लेकिन जो रोड्स राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम योजना के तहत जैसे भैंसावा को 7 किलोमीटर की सड़क थी, और उसकी स्वीकृति को पूरी राशि उस सड़क पर मिली नहीं बतायी । इसलिये जिन सड़कों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत लिया गया था, उस योजना को खतम करके जवाहर योजना के नाम से चालू कर दिया गया है, पर जिन सड़कों पर करोड़ों रुपया लग गया, जिनकी आपने स्वयं ने स्वीकृति दी है, उन्हें बन्द कर दिया गया । उन्हें दुबारा चालू करवाया जाय । इसलिये मेरा निवेदन है कि जितने कामों के लिये आपने स्वीकृतियां दी हैं उसके लिये तो उस क्षेत्र के हम लोग आपके बहुत बहुत आभारी हैं और हम पुनः आभार प्रकट कर रहे हैं कि जो थोडे-थोड़े 2-2 किलो मीटर के सड़क के टुकडे रह गये हैं उनकी भी स्वीकृतियां देकर हाथ में ली जायं ताकि सरकार के लगे हुये जन-धन का उपयोग हो जाय, जनता का भला हो जाय । यह निवेदन करता हूँ, बाकी आपने जवाब दिया उससे हम बहुत संतुष्ट हैं ।

श्री सभापति : सन्तुष्ट हैं, आप कहां उठ रहे हैं । विधायी कार्य—**श्री** नरपतराम जी बरबड़ ।

विधायी कार्य

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1989

श्री नरपतराम बरबड़ (राजस्व मंत्री) : सभापति महोदय, मैं राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1989 पुरःस्थापित करने को आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूँ ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1989 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी ।

श्री नरपतराम बरबड़ : सभापति महोदय, मैं राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1989 को पुरःस्थापित करता हूँ ।

श्री सभापति : अध्यादेश को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री नरपतराम बरबड़ : सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63 (1) के अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 1989 (1989 का अध्यादेश संख्या 7) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूँ।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1989 पर विचार

श्री सभापति : राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1989 पर अग्रेत्तर विचार–श्री सी. पी. जोशी।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात प्रारम्भ करूंगा कि जो संविधान में हमने कल्पना की थी कि लोकतंत्र for the people, of the people and by the people. हमने मन में यह कल्पना की थी और 40 साल के बाद जो कुछ हमारा अनुभव है चाहे हम सत्ता में बैठे हैं, चाहे हमारे साथी जो विपक्ष में बैठे हुये हैं वह भी कुछ समय तक सत्ता में रहे हैं, उनका अनुभव भी शायद, मैं समझता हूँ वह भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि यह जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है यह ऐसी बिल्कुल नहीं है। It is for the government servants, of the government servants, and by the government servants. यदि हम इस अवधारणा को नहीं समझ पाये तो हम लोकतंत्र में जिस तरह के विकास की कल्पना करते हैं, जिस तरह की हमारे मन में अवधारणा है कि हम लोकतंत्र के माध्यम से समाजवादी व्यवस्था को ठीक ढंग से लागू कर पायेंगे, उस व्यवस्था को हम ठीक ढंग से लागू नहीं कर पायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की कुल जन संख्या का 2 पर्सेण्ट सरकारी कर्मचारियों की संख्या है। सेमी गवर्नमेण्ट और गवर्नमेण्ट सर्वेन्ट को मिला लें तो कुल संख्या 7 लाख के करीब है, और राजस्थान की जनसंख्या 3 करोड़ से ऊपर है। कुल जनसंख्या का केवल मात्र 2 पर्सेन्ट है। उस 2 पर्सेन्ट की जनसंख्या को नीड्स को केटर कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, सातवीं पंचवर्षीय योजना 3 हजार करोड़ रुपये की थी। 3 हजार करोड़ में से ढाई हजार करोड़ रुपया तो केवल मात्र कमिटेड लायबिलिटी थी, बाकी 500 करोड़ रुपयों में, सभापति महोदय, हमने शताब्दी के भयंकर अकाल का मुकाबला भी किया, 500 करोड़ रुपये से हम विकास कार्य भी कर रहे हैं, स्कूल भी खोल रहे हैं, डिस्पेन्सरी भी खोल रहे हैं, सड़कें भी बना रहे हैं, इरिगेशन के प्रोजेक्ट भी हम कर रहे है, पी. एच. ई. डी. की समस्या को भी हम हल कर रहे हैं। टोटल इन्वेस्टमेण्ट का जो आउटले है, यदि हम कमिटेड लायबिलिटीज निकाल दें तो 500 करोड़ रुपया कुल इनके लिये है।

हमारी सर्विसेज पर, सैलेरीज पर, 83 पर्सेन्ट का पेमेन्ट कर रहे हैं। 2 पर्सेन्ट जनसंख्या पर हम, व्यवस्थाओं के आधार पर, दारमोदार करके चल रहे हैं। इसलिये, सभापति महोदय, जैसा मैंने पहले कहा,

(श्री सी. पी. जोशी)

इस लोकतंत्र में चाहे हम कांग्रेस पार्टी की सरकार बना लें, चाहे सरकार विपक्ष की बना लें, but it is by the Government servant, of the Government servant and for the Government servant. मिनिस्टर्स का 90 पर्सेन्ट टाइम, और जन प्रतिनिधि हैं, उनका 90 पर्सेन्ट टाइम केवल मात्र ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स के अन्दर खर्च होता है। हम अपनी टोटल गुड बिल, जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनकी गुड बिल, चाहे किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो, उन कार्यकर्ताओं को इगो को, गुड बिल को केवल मात्र सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर्स और पोस्टिंग्स पर इन्वेस्टमेण्ट कर रहे हैं।

और सरकारी कर्मचारियों की क्या स्थिति है ? माननीय सभापति महोदय, पाली के उप-चुनाव का मुझे ध्यान है, चूरू के उप चुनाव का माननीय भाभड़ा साहब को ध्यान होगा। टोटल सरकारी कर्मचारी वोट कास्ट करते हैं एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 300-400। जहां पर 8 लाख मतदाताओं में से लगभग 4 लाख मतदाता अपना वोट कास्ट करते हैं वहां पर सरकारी कर्मचारी वोट कास्ट करते हैं ढाई सौ या तीन सौ। अब ढाई सौ-तीन सौ को मल्टीप्लाई कर लें 25 पार्लियामेन्ट्री कान्स्टीट्यून्सीज से 250-300 को मल्टीप्लाई करें हम 200 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से। माननीय सभापति महोदय, इन आदमियों की व्यवस्था पर हमारा 90 पर्सेन्ट टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। आने वाले समय में यदि राज पलट भी जाय जैसा कि हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य अवधारणा रखते हैं कि हम राज पलट लेंगे, तो भी मैं नहीं समझता कि इसमें कोई परिवर्तन कर पायेंगे।

इसलिये आज आवश्यकता इस बात की है, सभापति महोदय, कि हम इस सम्बन्ध में नये ढंग से सोचें-समझें कि गवर्नेन्स करने का जो हमारा कन्सेप्ट है वह गवर्न करने का कन्सेप्ट इर्रेलेवेण्ट हो गया है, आउटडेटेड हो गया है, वह हमारी नीड्स को केटर करने वाला नहीं रह गया है। आज हालत क्या हो गयी है, माननीय सभापति महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे। किसी मंत्रिमण्डल के सदस्य के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, हमारे मिनिस्टर्स चाहे किसी भी पार्टी के हों, हरियाणा के हों, चाहे कर्नाटका के हों, चाहे आन्ध्र प्रदेश के हों, किसी भी पार्टी के मंत्री हों उन मंत्रियों का स्ट्रेचर डिस्ट्रिक्ट लेबल का स्ट्रेचर नहीं है। वह मंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने निर्वाचन क्षेत्र के स्ट्रेचर का ही आदमी है। यह हमारा दुर्भाग्य है, सभापति महोदय, विजन जो स्टेट का होना चाहिये, जब तक स्टेट के विजन के सम्बन्ध में हमारी कल्पना नहीं होगी, स्टेट की प्राब्लम के सम्बन्ध में हम समझ नहीं पायेंगे, तब तक मिनिस्टर बनकर भी हम डिपार्टमेण्ट के अन्दर आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर सकेंगे।

आज राजस्थान के कान्टेक्स्ट में तो बहुत जरूरी है हम पहले मन में कोई भी अवधारणा कर लें। हमारे पास खुद के बिजली के कोई सोर्स नहीं हैं, पानी के हमारे खुद के सोर्स नहीं हैं, इण्डस्ट्रियलाइजेशन के हम एक्सपेक्टेशन करना चाहें तो रा-मैटीरियल हमारे पास अवेलेबल नहीं

(श्री सी. पी. जोशी)

है और फिर हम मन में कल्पना करना चाहते है कि राजस्थान का इण्डस्ट्रियलाइजेशन हो जायेगा, राजस्थान में बेरोजगारी की समस्या का निदान हो जायेगा, राजस्थान में इन सब समस्याओं का निदान हो जायेगा तो यह कैसे होगा ? माननीय सभापतिजी, इस सम्बन्ध में हम चिन्तन और मनन नहीं कर रहे हैं । तो मैं सोचता हूं कि इस लोकतंत्र में आने वाले 5-6 महीने के अन्दर जनता के बीच में जायेंगे, जनता यह होप्स रखती है वह सोचती है कि यह जाने वाला आदमी जायेगा अच्छा जायेगा, यह पार्टी अच्छी है । उनकी होप्स को भी हम कैपिटलाइज्ड कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं । और शोषण करने के बाद भी आशा फिर चलती है कि शायद यह परिवर्तन होगा, वह ठीक परिवर्तन होगा, लेकिन हर परिवर्तन ने लोगों के साथ धोखा दिया । एक्सपेक्टेशन लोगों में बढ़ी है और यह आने वाले समय में इस डेमोक्रेसी के लिये बहुत बड़ा चैलेन्ज हो जायेगा ।

इसलिये, माननीय सभापति महोदय, खास तौर से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि विदिन दी फ्रेम वर्क, मैं कोई रिवोल्यूशन की कल्पना नहीं करना चाहता । सम्पूर्ण क्रान्ति के नाम पर हमने समाज बदला सन् 1977 में, सब लोगों को कहा कि हम समाजवादी परिवर्तन कर देंगे, सम्पूर्ण क्रान्ति के नाम पर राज भी आया, लोग मंत्री और मुख्य मंत्री भी बने पर सम्पूर्ण क्रान्ति की अवधारणा ठीक नहीं हो पायी । तो हमको, जो हमारा कन्सेप्ट डेमोक्रेसी का है, उसके अन्दर ही बेस्ट पासिबल क्या हो सकता है, उस सम्बन्ध में सोचने की और समझने की आवश्यकता है । मैं निश्चित मत का हूं कि विदिन दी फ्रेम वर्क ऐसा स्कोप, अमेण्डमेंट करेंगे ।

सभापति महोदय, आज आवश्यकता इस बात की है कि हम एक और ग्रुप बनायें । यह जो कन्सेप्ट है मिनिस्टर्स का, हमने मिनिस्टर बनाये, इरिगेशन का, पी. डब्ल्यू. डी. का, को-आपरेटिव का, आज यह सिस्टम आउटडेटेड हो गया । आज आप कल्पना करें इरिगेशन की, आप कल्पना करें आई. जी. एन. पी. की, आप कल्पना करें सी. ए. डी. की, और आप कल्पना करें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की । अब आई. जी. एन. पी. का मिनिस्टर अलग होगा, सी.ए.डी. का मिनिस्टर अलग होगा, इरिगेशन डिपार्टमेंट का मिनिस्टर अलग होगा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का मिनिस्टर अलग होगा, और फिर हम आशा करें कि इसमें इन्टीग्रेटेड एरिया का डवलपमेंट हो जायेगा, यह नहीं हो सकता । और सब हो जायेगा, तो कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में हम क्या करेंगे, इसकी कल्पना हमने नहीं की । यह हमारा दुर्भाग्य है लोकतन्त्र में । कल माननीय नाथूराम जी मिर्धा भाषण दे रहे थे । जिन लोगों के हाथों में आज़ादी के बाद इस देश की संरचना करने का भार आया उनमें एक श्री नाथूराम जी मिर्धा भी थे । 28 साल की उम्र में मंत्री बन गये, केबिनेट मिनिस्टर बन गये, तीस साल की उम्र में श्री रामनिवासजी मिर्धा विधान सभा के स्पीकर बन गये, 10 साल तक स्पीकर रहे । 32 साल का नौजवान श्री रामनिवास मिर्धा राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष के पद पर ठीक ढंग से

(140)

(श्री सी. पी. जोशी)

गवर्नेंस कर रहा था, 28 साल का श्री नाथूराम जी मिर्धा इन्टर वाटर डिस्प्युट में समझौता कर रहा था और अब 60 साल का श्री नाथूराम जी मिर्धा यह कह रहा है कि नौजवान प्रधानमंत्री देश को डुबो देगा।

माननीय सभापति महोदय, यह विचित्र विडम्बना है। जिस आदमी की अल्प आयु में काम करने की क्षमता थी उस समय उस आदमी ने काम करके कुछ बताया वह आदमी आज एक नौजवान प्रधान मंत्री के सम्बन्ध में यह चिन्तन और मनन करे, तो ताज्जुब है मैं समझता हूं हमारा जो कसेप्ट है उम्र का, 25 साल का, 50 साल का और सौ साल का जो हमारा कांसेप्ट है, उस कांसेप्ट में जाकर हमें लगता है कि 60 साल की उम्र में सत्ता का मोह इतना लग जाता है कि हम सत्ता के मोह के आगे निकलना ही नहीं चाहते। यदि राजस्थान में एनीमल हस्बैण्डरी डवलप नहीं हुई, यदि राजस्थान में एग्रीकल्चर डवलप नहीं हुआ, यदि राजस्थान में इरिगेशन डवलप नहीं हुआ, यदि राजस्थान में कानून व्यवस्था बिगड़ी, तो उसके लिए जिम्मेदार वह आदमी है जो आज विपक्ष में बैठकर लोगों को कहता है कि सत्ता का परिवर्तन होगा और हम राज में आयेंगे। जब वे जिम्मेदार थे, 25 साल के मंत्री थे, एनीमल हस्बैण्डरी के नाम पर लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दिया। वैस्टर्न राजस्थान की इकानोमी नहीं सुधरी। आज वैस्टर्न राजस्थान में एनीमल हस्बैण्डरी की स्थिति है? मैं समझता था कि हम वहां इकानोमी चेंज कर देंगे। राजस्थान की इकोनोमी वहां नहीं बदली। एग्रीकल्चर प्राइसेज कमीशन के चेयरमैन रहे, चेयरमैन के रूप में कभी यह नहीं सोचा कि इनपुट की कास्ट कितनी होनी चाहिए और आउटपुट की कास्ट कितनी होनी चाहिए। क्या रिकमण्डेशन्स थी उनकी? और आज मन में अवधारणा कर रहे हैं कि हम राज पलट कर इन समस्याओं का समाधान कर लेंगे। मैं समझ नहीं पाता, कांग्रेस में रहकर जो नीतियों का परिवर्तन करता है उस समय तो विपक्ष के लोगों को चिन्ता लगती है। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जिस तरह की फाईनैंस पालिसी बना रहे थे तो देश डूब जायेगा, रिवोल्यूशन होगा, यह होगा, अब वह कांग्रेस छोड़कर देश का प्रधान मंत्री बन जायेगा तो समस्याओं का निदान हो जायेगा। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है, सभापति महोदय, पब्लिक मेमोरी शार्ट और उस शार्ट मेमोरी के आधार पर हम यह कर लेंगे, पर मैं कहना चाहता हूँ, सभापति महोदय, कि श्री नाथूराम जी मिर्धा भी अगर राजस्थान के मुख्य मंत्री बन जायें पर यह जो गवर्नेंस करने का for the Government Servent of the Government Servent and by the Government Servent की अवधारणा है, उसको नहीं बदल सकते।

करौली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आपने माइन्स में रूल बना रखे हैं। श्री सुखाड़ियाजी के बाद आपने तीन किलोमीटर से 10 किलोमीटर कर दिया। मैक्सिमम किसी आदमी को 10 किलोमीटर मिल सकता है। 10 किलोमीटर के बाद में डिस्क्रीशन लिख रहा है। डिस्क्री-

(श्री सी. पी. जोशी)

शन कितना हो, यह डिफाइन नहीं कर रखा। मैं पूछना चाहता हूं कि जनता पार्टी की सरकार के मन में यह कल्पना नहीं थी कि हम क्यों नहीं इसमें यह करें कि 10 की जगह 10 और लगा सकते है, 20 हो सकता है, पर राज पलटने पर संविधान में, नियमों में, कानूनों में परिवर्तन करने का समय किसी को नहीं मिला और मैं कहना चाहता हूं आज दुबारा आवश्यकता इस बात की है कि हमने जो एक्ट बनाये हैं उन एक्ट का...

श्री शिवचरण सिंह : लाइमस्टोन जो डेढ़ सौ बाई डेढ़ सौ के रूल बना दिये।

श्री सी. पी. जोशी : आपने लाईमस्टोन में डेढ़ सौ बाई डेढ़ सौ इसलिए किये कि लाइम-स्टोन की मोनोपाली नहीं है। माननीय शिवचरण जी, आप मुझे समझायें किसने रोका था ? उस एक्ट में अमेन्डमेंट करने के लिए 10 किलोमीटर से अधिक डिस्क्रीशन रहे।

श्री शिवचरण सिंह : 10 किलोमीटर उसके बाद में हुआ है।

श्री सी. पी. जोशी : उसके बाद में क्या लिखा हुआ है ? More than 10 Km. is at the discretion of the Minister. Why had you not to put a rider that it will not be active for more than 20 Kms. ?

श्री शिवचरण सिंह : No, No.

श्री सी. पी. जोशी : Still the Rules says, according to Act, the Government is competent to give more than 20 Kms. It is not above or how much you can give. जो धौलपुर लाइम-स्टोन की क्रक्स आफ दी प्राब्लम है वह क्रक्स आफ दी प्राब्लम यही है कि 10 किलोमीटर के बीच 90 किलोमीटर उसके पास में है तो उसका कम क्यों नहीं हुआ क्योंकि the word is 'the discretion'. वहां यह डिफाइन नहीं कर रखा है कि 10 की जगह 10-20 से ज्यादा नहीं हो पायेगा। मैं तो एक उदाहरण देना चाहता हूँ। I have cited common example, कि जब हम एक्ट में अमेण्डमेंट करके इन दोनों के सम्बन्ध में परिवर्तन कर सकते थे लेकिन परिवर्तन इसलिए नहीं कर पाये कि राज पलटने से राज की व्यवस्था नहीं बदलती है।

आज की स्थिति क्या हो गयी ? 30 साल के अनुभव का तो हमारा सेक्रेटरी है। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, मेरे कुछ यंग मिनिस्टर नाराज होंगे। 30 साल का अनुभव जिस आदमी का है वह तो डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है। 28 साल का मिनिस्टर है, उसके नीचे उसका जो सेक्रेटरी है उसकी उम्र है 48 साल, 50 साल जिसको 30 साल का एडमिनिस्ट्रेशन का अनुभव है। आप किस तरह की लीडरशिप देना चाहते हैं ? लीडरशिप नहीं हो सकती और जनरेशन का जो गेप आ गया है ब्यूरोक्रेसी और पालिटिशियन्स में यह जनरेशन का गेप आने वाले समय में बहुत बड़ी प्राब्लम क्रिएट करेगा। आज सारे एक्ट की दुबारा सोचने, समझने और चेंज करने की आवश्यकता है, हर डिपार्टमेंट में। मैं विधान सभा का उदाहरण देना चाहता हूँ। इस

(श्री सी. पी. जोशी)

विधान सभा के सेक्रेटेरियट में दो आदमी हैं एक तो रिटायर हो गये चुन्नीलाल जी, एक हरीशजी बचे हैं, दो चार और आदमी बचे होंगे जो विधान सभा की परम्परा, नियम, कानून कायदे को जानते हैं। हर डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी बैठा हुआ है। बूढ़ा आदमी जिसने 25 साल पहले एल.डी.सी. की नौकरी शुरू की, वह बन गया आफिस सुपरिटेंडेंट। उस आफिस सुपरिटेंडेंट के नोट को अन-डू करने की हिम्मत; उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर की बात छोड़ दें आप, उस डिपार्टमेंट का सैक्रेटरी उसको अन-डू करने की स्थिति में नहीं है और राज कांग्रेस से बदल कर जनता पार्टी का हो गया तो बिरदमल सिंघवी मिनिस्टर बन गये पर उनके पी. ए. वे ही थे जो हनुमान प्रभाकर जी के पी. ए. थे या गुलाबसिंह जी के पी. ए. थे। यह राज चलाते हैं, पी. ए., पी. एस.। इसमें परिवर्तन हमने नहीं किया। हमने राज में परिवर्तन तो कर दिया, राज जनता पार्टी का तो आ गया लेकिन जनता पार्टी के राज में आने के बाद भी सरकार चलाने वाले आदमी में परिवर्तन नहीं हुआ। सरकार चलाने वाले, टेलीफोन करने वाले, टेलीफोन पर एक्जीक्यूट करने वाले पी. ए. पी. एस. जो उनके थे वे वही आदमी थे। कभी भी सरकार बदल दो, मिनिस्ट्री का एक्सटेंशन कर दो, मिनिस्ट्री ड्राप कर दो, नये मिनिस्टर ले आओ, वह गाड़ी जब गवर्नर हाऊस के पास लगती है तो ड्राइवर उसमें फिक्स है, पी. ए. उसमें फिक्स है और पी. एस. उसमें फिक्स है। आप घुमाकर के सारा निरीक्षण कर लें, इस व्यवस्था में कभी परिवर्तन नहीं हो सकता।

माननीय मानिकचन्द जी सुराणा फाइनेंस मिनिस्टर थे। मिनिस्टर के बाद के उनके अनुभव हैं कि हमने राजस्थान कैनाल फर्स्ट स्टेज में इतना किया, इतना हम इनवेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी भाषण देंगे, मैंने सुन रखा है। उनके भाषण में एक बात जरूर आयेगी कि हम इतना करोड़ रुपया इसमें और लगा सकते थे। किसने रोका था मानिकचन्द जी फाइनेंस मिनिस्टर को कि इसको मत करिए? किसने रोका था भैरोंसिंह जी शेखावत को, एग्रीमेंट टू सेल के आधार पर लाखों करोड़ों रुपया राजस्थान में रेवेन्यू के नहीं आये हैं और लोगों ने मकान बना लिये। किसने रोका था? एग्रीमेंट टू सेल का क्लाज 1980 के बाद वेलिड होगा पर एग्रीमेंट टू सेल के आधार पर इस जयपुर में जमीनें सन् 1960 के बाद बिक रही थीं। एग्रीमेंट टू सेल को हमने उस समय चेंज करने की सोची?

आज हमारी राजस्थान कैनाल के अन्दर जिस तरह की व्यवस्था है, उसमें पैसा लगाकर हम डवलपमेंट कर सकते थे तो हम डवलपमेंट क्यों नहीं कर पाये? मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता सभापति महोदय, इस सिस्टम में परिवर्तन चुनाव के आधार पर जो हम कलक्टर बना रहे हैं, विपक्ष के लोग कलक्टर बनाना चाहते हैं, मानिकचन्द जी सुराना की सोशलिस्टिक इमेज, कल्याणसिंह जी की राजपूती, नाथूरामजी की जाट की इमेज और भैरोंसिंह जी का बी. जे. पी. का गढ़ सब मिलकर हम राज ले लेंगे। यह राज

(श्री सी. पी. जोशी)

लेने के बाद भी, सभापति महोदय, इस इमेज में परिवर्तन नहीं कर पायेंगे। यह परिवर्तन की प्रक्रिया एक स्लो प्रक्रिया है। स्लो इन दी सैंस कि एक काश्तकार जब अपने खेत में पानी पिलाता है तो पहले क्यारे बनाता है, फिर एक क्यारे को पानी पिलाता है, फिर दूसरे क्यारे को पानी पिलाता है, और आशा करता है कि अच्छी फसल होगी। लेकिन उसमें बरसात हो जाय, पाला पड़ जाय, तो फसल खराब हो जाती है, कोई जानवर लग जाय तो फसल खराब हो जाती है। इस लोकतन्त्र में आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है वह बहुत स्लो प्रक्रिया है। हमने कोशिश की हम परिवर्तन करेंगे, और परिवर्तन करेंगे इस बात का कि हमारे जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स और ओ. बी. सी. के लोग हैं उनकी माली हालत सुधरे। पर पिछले तीस सालों में हमने मैसिव इनवेस्टमेंट किया है, एरिया डवलपमेंट किया, पर हुआ क्या ? हेट्रोजीनियस डवलपमेंट हो गया। हमने चरणसिंह जी को पैदा कर दिया, हमने नाथूराम जी को पैदा कर दिया। जो लोग कांग्रेस के नाम से ताकत ले रहे थे और कांग्रेस से ताकत लेकर जिनकी हैसियत बन गयी तो कांग्रेस को छोड़कर चले गये। आज हमने क्या किया, सभापति महोदय ? गंगानगर में जहां आज सबसे ज्यादा टेरेरिस्ट एक्टीविटीज हैं वहां तीन फसल मिलती हैं, टोटल एरिया ईरिगेटेड है जहां पर सबसे ज्यादा टेरेरिस्ट एक्टीविटीज हैं। वहां तीन फसल अश्योर्ड एरिया है। सभापति महोदय, वहां एक काश्तकार के घर में तीन लाख रुपये से पांच लाख रुपये पर एनम कमाई हो रही है। उसके लड़कों को काम नहीं करना पड़ता है, खेत वालों को भी काम नहीं करना पड़ता है। माईग्रेटेड लेबर वहां पर काम कर रहा है और काश्तकार का लड़का हर साल अपनी एक फसल के बाद नयी रिवाल्वर ला रहा है, नई ओटोमोबाइल ला रहा है, नये इक्विपमेंट्स ला रहा है। यही स्थिति हमने गंगानगर में पैदा कर दी। चालीस साल में आपने मेसिव इन्वेस्टमेंट किया है। 460 किलोमीटर की हमने एक कैनाल बनाई, राजस्थान कैनाल। उस 460 किलोमीटर में जितना इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट के बाद हमने फैसला क्या किया ? मानिक चन्द जी सुराना सोशलिस्ट भी मांग कर रहे हैं खालों की कीमत माफ होनी चाहिए। नाथूरामजी मिर्धा भी मांग कर रहे हैं कि खालों की कीमत माफ होनी चाहिए और किसानों के नेता के रूप में भैरोंसिंहजी भी कह रहे हैं कि खालों की कीमत माफ होनी चाहिए। सोशल जस्टिस की हम बात कर रहे हैं। 110 करोड़ रुपया हम माफ करा रहे हैं उन काश्तकारों को जिनकी हैसियत बनी है और जो कण्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उस समाज के वेलफेयर के लिए। आज मेवाड़ में लैण्ड होल्डिंग है दो बीघा, डेढ़ बीघा, चार बीघा, तीन बीघा। अच्छी बरसात भी हो जाय, तो चार बोरी मक्की होती है, पांच बोरी मक्की होती है। वहां पर गेहूँ जो होता है, उसकी कीमत भी वही है जो दूलारामजी के फार्म के गेहूँ की कीमत होगी। दूलारामजी जयपुर में रहते

(श्री सी. पी. जोशी)

हैं, खेती करता है कोई रामलाल। गेहूँ की फसल दूलारामजी के खाते में जा रही है। लेकिन मेवाड़ का जो काश्तकार है वह बैल लगाकर खेती कर रहा है। यह सोशल जस्टिस की बात कौन करेगा? मानिक चन्दजी सुराना नहीं करेंगे। खालों की कीमत माफ होनी चाहिए। आपको मांग करनी चाहिए, शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब का कोआपरेटिव लोन माफ होना चाहिए। खालों की कीमत पहले माफ नहीं होनी चाहिए। हम सोशल जस्टिस की बात नहीं करेंगे। हमें तो वोट लेने हैं। वोट लेने के लिए हम गंगानगर के किसान को कैसे तैयार कर सकते हैं। हमें मांग करनी पड़ेगी कि जहां हमने इन्वेस्टमेन्ट किया है, उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हमको मिले। यदि इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हमको नहीं मिले तो हम सोशल जस्टिस नहीं कर पायेंगे। एक हैट्रोजीनियस सोसायटी डवलप हो जायगी। आज स्थिति क्या बन गई है? वाटर मैनेजमेन्ट का हमारा कन्सेप्ट है। (व्यवधान)

श्री नवरंग सिंह : माननीय सी. पी. जी, आप इसको नहीं मानते हैं तो महाराष्ट्र में कैसे माफ किया इसको? वहां तो सरकार कांग्रेस (आई) की है। आप यह कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेन्ट नहीं है और किसानों के खिलाफ...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप व्यवधान पैदा कर रहे हैं।

श्री नवरंग सिंह : हरियाणा से भी पहले महाराष्ट्र ने माफ किया है। आप ऐसी बात कर रहे हैं, मैंने तो इसलिए पूछा है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान पैदा नहीं करें। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री डूंगरराम पंवार : गंगानगर को आपने सम्पन्न बताया, वह आपने नहीं किया। गंगानगर जिले का किसान...

श्री सभापति : अंकित नहीं करें।

श्री डूंगरराम पंवार : XXX

श्री सभापति : माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे हैं, आप अपनी बात बाद में कह दें।

श्री डूंगरराम पंवार : XXX

श्री सभापति : आप व्यवधान पैदा नहीं करें।

आप अपने विचार रखिये।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, मुझे क्षमा करेंगे, डूंगरराम जी हमारे माननीय सदस्य है, इनकी जितनी जमीन होगी, मेवाड़ में किसी ठिकाने वाले की इतनी इनकम नहीं होगी। Don't compare yourself with others. आज जो किसान की बात कर रहे हैं, चाहे शरद जोशी हो, चाहे टिकैत

XXX माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री सी. पी. जोशी)

हो, चाहे और कोई आदमी हो, यह सब बड़े किसान हैं, कुलक्स हैं और यह बात करते हैं किसानों की। आज स्माल फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनकी इनपुट की बात नहीं करते। जिसकी बात करते हैं उसका एडवान्टेज मिलना चाहिए बड़े काश्तकार को। भारत कृषक समाज बनेगा, भारत कृषक समाज की सब्सिडी मिलेगी तो बड़े काश्तकार के लिए मिलेगी। शरद जोशी की कामर्शियल क्राप मिलेगी तो उसका फायदा बड़े काश्तकारों को टिकैत बात करेगा बड़े काश्तकारों की बात करेगा। आज दिन तक छोटे काश्तकारों की जो स्माल होल्डिंग है, स्माल फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, वह इकानामिकली वीक है, इल्लीट्रेट हैं. उनकी सोशल प्राब्लम्स ज्यादा हैं, आज जो काश्तकार के नाम पर इण्टरमीजिएट कास्ट है, हमारे इलाके में काश्तकार हैं, गूजर, डांगी, खबरचना राजपूत, उनमें इल्लीट्रेसी ज्यादा है। उनकी टोटल जो इनकम है, सभापति महोदय, उस टोटल इनकम का 90 पर्सेन्ट सरकारी कर्मचारी खा रहे हैं। चाहे पुलिस का आदमी हो— (व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह : वह बड़े किसान नहीं हैं।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय शिवचरणसिंह जी, जैसे आप छोटे माइन ग्रोनर हैं वैसे मेरे यहां माइन ग्रोनर नहीं हैं। कानून तोड़ना है, व्यवस्था करनी है, जो आपको मालूम है माइन में वह काश्तकार को भी मालूम है। अभी तो हल्ला हुआ था कि बूटासिंहजी ने इतनी जमीन बेनामी ले ली। जैसे वे ले सकते हैं आपने ले रखी होगी। इसलिए कागजों में कोई छोटा मोटा काश्तकार नहीं है। पर जो भी आज काश्तकार के नाम पर काम कर रहे हैं, वह काश्तकार की बात कर रहे हैं केवल मात्र कामर्शियल क्राप पैदा करने वाले काश्तकार की। बड़े काश्तकार, जिसकी हैसियत है, मैकेनाइज्ड फार्मिंग करते हैं उसकी बात करते हैं। लेकिन जो स्माल फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, और खासकर मेवाड़ के इलाके में शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राईब, उनके पास लैण्ड होल्डिंग नहीं है। एक अच्छा राजपूत हो सकता है उसकी हैसियत आज गंगानगर के शिड्यूल्ड कास्ट के काश्तकार की हैसियत कम है। हमको समझना पड़ेगा, सोशल जस्टिस के रूप में कि हम क्या करना चाहते हैं। सोशलिस्टिक मेजर्स के नाम पर हम कहते हैं, किसानों के कर्जे माफ होने चाहिए। पर कौनसे किसानों के कर्जे माफ होने चाहिए? नत्थीसिंहजी किसान नहीं हैं, इनके कर्ज माफ नहीं होने चाहिए। किसान रामलाल जिसके पांच हजार रुपये का लोन है, व्यवस्थापक ने उसके खाते में जमा नहीं कराया, उसका लोन माफ होना चाहिए।

श्री सम्पत सिंह : यह रामलाल हिमाचल प्रदेश वाला है क्या?

श्री सी. पी. जोशी : मान लो उसको, जनता पार्टी में है। मैंने सोच-समझकर रामलाल के नाम के लिए कहा, मुझे मालूम था।

(146)

श्री सम्पत सिंह : हम इस बात से नहीं डरते कि हमारी पार्टी में है। कोई भी हो।

(3·25 म. प.)

(श्री रामचन्द्र जाट, सभापति, पदासीन)

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, आज हमें यह समझने की आवश्यकता है। आप जानकर ताज्जुब करेंगे कि कोर्ट के निर्णय आज किस तरह से हो रहे हैं। कोर्ट के निर्णय आज किस तरह हो रहे हैं। कोर्ट के निर्णय भी आज उन व्यक्तियों को ताकत दे रहे हैं जो व्यक्ति कानून तोड़ने की हैसियत में है। आज कोर्ट का निर्णय गरीब आदमी के पक्ष में नहीं हो रहा। आज कोर्ट का निर्णय छोटे किसान के हक में नहीं हो रहा। आज हमको यह सोचने की आवश्यकता है कि यदि डेमोक्रेसी में डवलपमेन्ट करना है, गरीब आदमी की हैसियत सुधारनी है, तो कमिटेड जुडिशियरी लानी पड़ेगी। मैं कमिटेड जुडिशियरी की बात करता हूं तो सोच-समझकर करता हूं। कमिटेड जुडिशियरी से मेरा मतलब जो संविधान की रीति-नीति है, संविधान के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, आज उसके कमिटमेन्ट में अगर वायोलेशन हो रहा है, तो उनके ऊपर हमारी कोर्ट का निर्णय नहीं होना चाहिए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री हरिशंकर भाभड़ा : मैं आपसे क्लेरीफिकेशन चाहता हूँ। कमिटेड जुडिशियरी का मतलब सामान्यतया यह लिया जा रहा है कि सत्तारूढ़ दल से कमिटेड हो...

श्री सी. पी. जोशी : कमिटेड जुडिशियरी से मेरा मतलब जो कान्स्टीट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनके कमिटमेन्ट के लिए।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : वह तो आलरेडी है। उनको तो संविधान की शपथ लेनी पड़ती है।

श्री सी. पी. जोशी : किर्लोस्कर छूट रहा है, रामलाल छूट रहा है, इसलिए कह रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : जज बनने से पहले कान्स्टीट्यूशन की निष्ठा की शपथ लेते हैं। इसलिए आप उनके प्रति तो कमिटेड हैं। कमिटेड का असली मतलब बताओ।

श्री हीरालाल आर्य : यह चाहते हैं कि जो यह कहें वह करें। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : मैं कमिटेड जुडिशियरी की बात कह रहा हूं जो फुल्ली वेल नोन है। आप जैसा डिसग्रंटिड आदमी, आपका भी राज आ सकता है। आप कमिटेड जुडिशियरी से मतलब यह क्यों समझते हैं कि राज हमारा रहेगा। कमिटेड जुडिशियरी का मतलब राज जिसका भी आये, आपके राज में भी जो पब्लिक मेण्डेट मिला है, उस मेण्डेट को एडेयर करने के लिए जुडिशियरी को उसके अनुसार होना चाहिए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। तेलंगाना आन्दोलन कैसे शुरू

(श्री सी. पी. जोशी)

हुआ....(व्यवधान) It may be your interpretation. You are learned and quite distinguished. It is not my interpretation.

श्री मोहन छंगाणी : आप गलत कह रहे हैं। कमिटमेन्ट से मतलब कान्स्टीट्यूशनल कमिटमेन्ट होता है, उनको शपथ दिलाई जाती है। कमिटेड जुडिशियरी का मतलब यह है कि जुडिशियरी हमारे सोशियो इकानामिक प्रोग्राम में बाधा बन रही है इसलिए हमारे प्रोग्राम में बाधा बने ऐसी जुडिशियरी को स्थापित करना चाहिए। यह कमिटेड जुडिशियरी है।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय छंगाणी साहब, पता नहीं आपकी उम्र ज्यादा हो गई है या आप भी आज कल आउट ऑफ डेट हो गये हैं। तेलगाना का जो आन्दोलन हुआ, मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ, तेलंगाना आन्दोलन इसलिए चला कि हाई कोर्ट की एक रूलिंग इस तरह की आ गई, उस रूलिंग के आधार पर तेलगाना आन्दोलन हुआ।

श्री बिरदमल सिंघवी : यह आपकी आइडियोलाजी नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी : यह मेरी आइडियोलाजी नहीं है। आपकी आइडियोलाजी रख देना, जहां भी हो, नहीं तो किसकी होगी।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूँ कि जो हमारा गवर्न करने का कन्सेप्ट है उसमें आमूलचूल परिवर्तन किये बिना हम समाज में राज बदलने की कल्पना करेंगे, जो लोगों से वोट लेने की कल्पना कर रहे हैं, उससे समाज की व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। और जब तक यह नहीं हो सकता तब तक हमने जो नया कन्सेप्ट दिया है उसके सम्बन्ध में भी चिन्तन और मनन करने की आवश्यकता है। पंचायत राज के चुनाव के सम्बन्ध में हम डिस्प्यूट कर सकते हैं कि यह बिल गलत टाइम पर आया। It may be a matter of dispute. लेकिन यह बात सही है कि जो आज जो कण्ट्री में क्राइसेस है वह क्राइसेस है लीडरशिप का। आज लीडरशिप जो तहसील स्तर की है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, वह किसी भी पार्टी में स्तर की लीडरशिप नहीं है। अब इलेक्शन में जीत कर आ रहे हैं, एम. एल. ए. भी बन रहे हैं, मंत्री भी बन रहे हैं, पर हमारा स्टेटस जो आज लीडरशिप का होना चाहिए वह लीडरशिप का स्टेटस हमारा नहीं है।

आज पार्टी के चुनाव नहीं होते। पार्टी के चुनाव नहीं होने के बाद इस तरह की स्थितियां बनी हुई है, उसमें लीडरशिप इमर्ज नहीं हो सकती। आप भले ही किसी को एम. एल. ए. मान लो, किसी को मिनिस्टर मान लो, पंचायत राज के चुनाव कांस्टीट्यूशन के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर होते नहीं, मैंडेटरी है, किसी सरकार के आधार पर निश्चित नहीं है। और उनको इकॉनामिक पावर मिले, फाइनेन्सियल पावर मिले उस आधार पर यदि पंचायतों के चुनाव ठीक समय पर कराते रहे तो मैं नहीं समझता कि आने वाले समय में इस क्राइ-

(श्री सी. पी. जोशी)

सेस को हम ग्रोवर कम नहीं कर पायेंगे। ग्रासवुड की लीडरशिप ग्रायेगी, ग्रच्छे सरपंच ग्रायेंगे, ग्रच्छे उसमें कुछ प्रधान बनेंगे, कुछ एम. एल. ए. बनेंगे, कुछ मिनिस्टर बनेंगे। पर सिस्टम का जो टोटल इरोजन हो गया है उस सिस्टम को दुबारा रिवाइव ग्रौर स्ट्रेन्थन करने की जरूरत है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं ग्राज लैंड टैक्स की जो हमारी रेवेन्यू हैं, इस सम्बन्ध में सोचने ग्रौर समझने की ग्रावश्यकता है। ग्राज जितने शहर हैं, उन शहरों के ग्रन्दर लोगों ने ग्रपने प्लाट्स को कार्माशियल में चेन्ज कर दिया। उनको मकान बनाने के लिए प्लाट्स दिये गये ग्रौर उन्होंने दुकानें बना ली। उसका ग्राज हम कुछ नहीं करना चाहते। हम टैक्स वसूल करना चाहते हैं गरीब ग्रादमी से, रोडवेज पर टैक्स बढ़ा दिया हमने, दुकानदारों पर टैक्स बढ़ा दिया। जो छोटे काम करने वाले ग्रादमी हैं, कोई मूर्ति बनाने वाला है, उस पर टैक्स लगा दिया ग्रौर किसी पर टैक्स लगा दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिन लोगों ने यूज चेन्ज किया ग्रर्बन लैंड पर मकान बनाने की इजाजत थी जिनमें दूकानें बना दीं, उन पर ग्राप टैक्स लगा दें। ग्राप कह दें पांच सौ रुपया, हजार रुपया सालाना, ऐसी व्यवस्था करेंगे तो मैं समझता हूं 400-500 करोड़ रुपया ग्राप निश्चित तौर पर वसूल कर सकते हैं। ग्रौर लोग देंगे, उनकी हैसियत भी है। लेकिन पांच सौ करोड़ रुपया उनसे वसूल नहीं करेंगे। ग्राप तो वसूल करेंगे पचास साठ करोड़, चार-पांच हजार ग्रादमियों को इफेक्टि करके।

सभापति महोदय, हमारा टैक्स रियलाइजेशन करने का जो कन्सेप्ट है, वह कन्सेप्ट पालिटिकल मेनडेट के खिलाफ है। मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का मेण्डेट है शियूल्ड कास्ट, शियूल्ड ट्राइब, ग्रो. बी. सी. के ग्रादमी, जिनका ग्रपना ग्रार्टिक्यूलेशन नहीं, जो ग्रपनी बात कह नहीं सकते, जो इल्लीटरेट हैं, जिनका सोशल शोषण सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं, उन लोगों की हैसियत बढ़ाने के लिए ग्रौर जिन लोगों की हैसियत ठीक है, उनके ऊपर टैक्स लगाने के लिए।

ग्राज बड़े-बड़े शहरों में, माननीय सभापति महोदय, लोग बैंकों में पैसा जमा नहीं करा रहे हैं, लैंड के ग्रन्दर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ग्राप जाकर देख लें, 80 पर्सेन्ट सरकारी कर्मचारी हर नगरपालिका ग्रौर शहर के ग्रन्दर प्लाट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ग्राज ग्राप किसी लैंड के ऊपर 5 हजार रुपया इन्वेस्ट करें तो पांच साल बाद उसकी कीमत हो जायेगी 25 हजार रुपया। बैंकों का ब्याज नहीं है, लोगों को मालूम पड़ गया है कि लैंड में इन्वेस्टमेंट करके हम पैसे की हैसियत बना सकते हैं। सभापति महोदय, ग्रापको कानून में प्रावीजन करना पड़ेगा कि मकान बनाने की जो एक्टीविटी है या तो ग्राप प्रांइवेट सैक्टर में दे दो या दो साल में जो प्लाट नहीं बनायेगा उसका प्लाट कैन्सिल कर देंगे। बाकी ग्राज इस तरह से मेसिव इन्वेस्टमेंट होकर गरीब ग्रादमी को प्लाट नहीं मिल रहा है। ग्राज जयपुर शहर के 25 किलोमीटर के ग्रासपास चले जाइये, गरीब ग्रादमी को रहने के लिए मकान नहीं मिल

(श्री सी. पी. जोशी)

सकता, प्लाट नहीं मिल सकता लेकिन जिसके पास पैसा है उसने ग्राज सोसाइटीज में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है।

हमने पेररुल व्यवस्था कर दी, सभापति महोदय, यू.ग्राई.टी. हमारी बनी हुई है, कोग्रापरेटिव सोसाइटीज ने हमारी यू.ग्राई. टी. को रिडन्डेन्ट कर दिया, ग्राऊट ग्रॉफ डेट कर दिया.....

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

ग्राज ग्रर्बन डवलपमेंट का सारा कान्सेप्ट इस कोग्रापरेटिव सोसाइटीज ने खत्म कर दिया ग्रौर कोग्रापरेटिव सोसाइटीज को संरक्षण कौन दे रहे हैं, हम पोलिटीशियंस । पोलिटिकल एक्टीविस्ट्स, सरकारी कर्मचारी ग्रौर पैसे देने वाले फाइनेन्सरस । इन ग्रादमियों ने मिलकर इस सारी व्यवस्था को गड़बड़ कर दिया। इसलिए हमें यह भी सोचने की ग्रावश्यकता है।

हम नान-टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की क्या व्यवस्था कर रहे हैं? राजस्थान में माइन्स डिपार्टमेंट, माननीय सभापति महोदय, ग्राप जानकार ग्राश्चर्य करेंगे, 15 या 20 ग्रादमी हैं राजस्थान में, जिन्होंने मोनेपोली कर रखी है माइन्स के ऊपर। मैंने उस दिन भी उदाहरण दिया था ग्राज भी उदाहरण देना चाहता हूं। ग्रापने नियम बना रखे हैं कि डाइरेक्टर माइन्स इतने स्क्वेयर किलोमीटर से ज्यादा कोई प्लाट सैंक्शन नहीं कर सकता। वह फाइल ग्रा जाती है सैक्रेटरियेट में ग्रौर सैक्रेटेरियेट में ग्राप एक बाबू को एक हजार रुपये दे दो, वह फाइल निकालेंगे नहीं ग्रौर नये लोगों को प्लाट नहीं मिल सकता। 1946 में जो लोग क्लर्क थे, एल.डी.सी. थे वह ग्राज माइन्स में 50 हजार 60 हजार, एक लाख रुपये पर डे की इन्कम कर रहे हैं। हमने क्या प्रोवीजन बना रखा है? हमें ग्रपने नियमों में परिवर्तन करने की ग्रावश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, रोडवेज के बारे में ग्राप सभी जानते हैं, माननीय मंत्रीजी भी जानते हैं, 8 लाख रुपये का एक वीडियो कोच ग्राता है। ग्राज राजस्थान में यदि 100 ग्रवैध कोच चल रहे हैं तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 8, इतने लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट करके फुल्ली नोइंग वैल कि इल्लीगल काम कर रहे हैं, उसके बाद वह प्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे कानून में इस तरह की व्यवस्था है जिसमें इस तरह के ग्रादमी पनप सकते हैं। एक ग्रादमी जो क्लीनर था, ड्राइवर था उससे मोटर मालिक बना, वह तो भूखे मरेगा ग्रौर जिसके पास सरप्लस मनी है, वह वीडियो कोच लगाकर उदयपुर से बम्बई, उदयपुर से नाथद्वारा गाड़ी चलायेगा। इस व्यवस्था में, सभापति महोदय, हमारा पोलिटिकल कमिटमेंट ठीक नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा, सभापति महोदय, गंगानगर के 8 हजार काश्तकारों के लिए हम एक बिल ला रहे हैं कि 50 हजार रुपया देकर वह खातेदारी राइट्स ले सकते हैं। ग्रौर ऐसे लाखों करोड़ों किसान हैं, काश्तकार हैं, गरीब ग्रादमी हैं जो बिला नाम जमीन पर बैठे हुए हैं, जो चरनोट की जमीन पर बैठे हुए हैं। ग्राज ग्रावश्यकता इस बात की है कि जो लोग

(श्री सी. पी. जोशी)

बिला नाम जमीन पर बैठे हुए हैं उनकी रेट आप फिक्स कर लें, आप कह दें कि हम 500 रुपये बीघा लेंगे, 1000 रुपये बीघा लेंगे, कोई रेट फिक्स कर लें, उस पैसे से आपकी आमदनी होगी। यदि 400 करोड़ रुपये आप इकट्ठे कर सकते हैं, उनको खातेदारी राइट भी मिल जायेगा, वह जमीन आपके पास आ नहीं सकती। 18 करोड़ रुपये का रेवेन्यू हम वसूल करते हैं, सभापति महोदय, खाली राजस्थान में। मैं सरकार से मांग करूंगा कि 18 करोड़ रुपये का रेवेन्यू माफ कर दो, काश्तकार मुक्त हो जायेगा, पटवारी को आप हटा दें। काहे को 180 करोड़ रुपये खालों के माफ कर रहे हैं आप ? यदि लैंड रेवेन्यू के सम्बन्ध में हमने परिवर्तन नहीं किया, सभापति महोदय, तो हम लोगों के साथ न्याय नहीं कर पायेंगे। एक गरीब आदमी, इल्लीट्रेट आदमी आज तहसील के चक्कर काट रहा है, पटवारी के चक्कर काट रहा है, चरनोट की जमीन पर पैनल्टी क्या लगेगी इसके हमने नियम नहीं बनाये हैं It is on the whims of the Tehsildar and Patwari. वह नेगोशियेट करता है चरनोट की जमीन के लिए कि तेरे से 400 रुपये लेंगे, 100 रुपये दिये पटवारी को तो 50 रुपये में फैसला हो जायेगा। हमें ब्लैक एण्ड व्हाइट में नियम बनाने पड़ेंगे कि चरनोट की जमीन यदि एक साल पर है तो उसको इतना पैसा लगेगा, दो साल से काबिज है तो इतना पैसा लगेगा, तीन साल से काबिज है तो इतना पैसा लगेगा। हमने यह डिसक्रियेशन यूज करने का अधिकार भी पटवारी को दे रखा है, तहसीलदार को दे रखा है जो लोगों का शोषण कर रहे हैं। इसलिए, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं, मेरा फर्म कनविक्शन है लोगों ने हमें ताकत दी हैं, because it is a political Government, हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी हैं उन लोगों की नीड्स को केटर करने की। उन लोगों की नीड्स केटर नहीं हो सकेगी, यदि ब्यूरोक्रेसी में काम करने वाले आदमी और इन्फ्लूएंसिव आदमी मिलकर इस तरह के निर्णय कर लें कि 50 हजार रुपये आप जमा करा दो तो 33 करोड़ रुपये गंगानगर से इकट्ठे होगी। इसलिए वहां तो खातेदारी राइट्स मिल जायेंगे। दूसरी जगह खातेदारी हक नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर खातेदारी राइट गंगानगर के काश्तकारों को मिलेगा तो राजस्थान में कौने-कौने में रहने वाला गरीब आदमी जो शिड्यूल्ड कास्ट का है, शिड्यूल्ड ट्राइब का है, गरीब आदमी है, किसी भी जाति का है, उस आदमी को भी बिला नाम जमीन का खातेदारी राइट मिलना चाहिए। इसमें आप पैनल्टी लगा दीजिये, दो हजार की, तीन हजार रुपये की, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हम इस तरह के नियमों में परिवर्तन की अव्यवस्था नहीं करेंगे। सभापति महोदय, अन्त में, मैं जानता हूँ समय बहुत हो गया है, हमने व्यवस्था क्या कर दी है, बेरोजगार आदमी, जिसमें थोड़ी बहुत भी एन्ट्रेप्रिन्यूरिअल एक्टीविटी है, वह दो काम कर सकता है। एक तो मर्डर कर दे किसी का, उसको प्रोटेक्ट करने वाला हम जैसा पोलिटिशियन मिल जायेगा तो उसकी एन्टीसीपेटरी बेल हो जायेगी। जिस

(श्री सी. पी. जोशी)

दिन उसकी एन्टीसीपेटरी बेल हो जायेगी उस दिन उसकी गांव में दो हजार रुपये की कमाई हो जायेगी। आज जितने आदमी मर्डर करने वाले एन्टीसीपेटरी बेल पर घूम रहे हैं जिनको आज सजा होती नहीं है, वह सब आदमी जमीन खाली करवाने का धन्धा कर रहे हैं। वह सब आदमी इलीसिट लीकर का धन्धा कर रहे हैं, वह सब आदमी पोलिटिकल पार्टीज के एक्टीविस्ट मेम्बर बन गये हैं। उन लोगों को मालूम पड़ गया है कि रोजगार लेने का कोई धन्धा है तो इलेक्शन में भाग लेने का धन्धा है। इस व्यवस्था से, सभापति महोदय, हालात क्या हो गई है, आज पुलिस के थानेदार को मालूम है कि एक गांव में 25 आदमी बदमाश हैं, पुलिस के रिकार्ड पर है, 25 आदमियों से समाज आतंकित है लेकिन वह थानेदार 25 आदमियों का कुछ नहीं करता, 25 आदमी कमाई कर रहे हैं उन लोगों से, कमाई कर रहा है डीवाई.एस.पी. और डीवाई.एस.पी. से कमाई कर रहा है एडीशनल एस.पी.। हम व्यवस्था क्या कर रहे हैं?

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं आप म्यूनिसीपैल्टी में जायें, किसी गरीब आदमी का पट्टा है पर मकान बनाने की परमिशन नहीं है। आप इल्लीगल मकान बना लें, तो आपको कोर्ट से स्टे मिल जायेगा कि इस मकान को डीमालिश नहीं किया जाये। और दस पन्द्रह साल बाद एक फैसला हो जायेगा कि क्योंकि मकान आपने बना ही लिया है अतः पैनल्टी लगा करके इस मकान को रेगुलराइज किया जा सकता है। हमारे डेमोक्रेटिक सैट अप में लोअस्ट पेड आदमी है उसके पास हाइएस्ट पावर है, पटवारी जो जमीन की किस्म को बदल दे, उसको अन-डू करने की क्षमता केवल मात्र रेवेन्यू बोर्ड की है। पुलिस का जो हैड कांस्टेबल है जो एफ.आई.आर. दर्ज कर लें उस एफ.आई.आर. को अन-डू की करने की क्षमता केवल हाई कोर्ट में है। यदि मर्डर केस में किसी का नाम लिख दिया····

श्री हरिशंकर भाभड़ा : रेवेन्यू बोर्ड पटवारी द्वारा की गई गिरदावरी को नहीं बदल सकता.....

श्री सी. पी. जोशी : आप पी-14 में एक हजार रुपया एक साल तक देते रहे, दस साल में जमीन आपके खाते में हो जायेगी। नेशनल हाइवे के आसपास कहीं चले जायें आप, किसी बड़े शहर के आसपास चले जायें आप, वहां सब जमीन चिकवाने का धन्धा इसी तरह से पहले पी-14 में लोगों ने जमीन अलाट करवा ली, पी-14 में दर्ज करवा दी, काबिल काश्त बता दी, काबिल काश्त है नहीं और लोगों ने किस्म चैन्ज करके प्लाट बनाकर बेच दिये, लाखों करोड़ों रुपये बना लिए। आज हमारा डेमोक्रेटिक सैट अप इल्लीगल एक्टीविटीज को पैट्रोनाइज करने के लिए मजबूत है। थानेदार को कहें बदमाशी की है जूते मत मारना, थानेदार जूते नहीं मारेगा, पर थानेदार को कहो यह गुण्डागर्दी कर रहा है तो दो गवाह लाओ। मतलब डेमोक्रेटिक सैट अप में हमारी व्यवस्था इल्लीगल एक्टीविटीज को जनरेट करने की हो गई।

(श्री सी. पी. जोशी)

इसलिए, सभापति महोदय....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि व्यवस्था के परिवर्तन करने के लिए चाहे हम कोई भी गुट बना लें, चाहे हम किसी भी पार्टी से एलायंस कर ले, जाति के नेताओं के एलायंस बिना पोलिटिकल फिलास्फी के एलायंस इस समाज की व्यवस्था में परिवर्तन नहीं कर पायेंगे। समाज की व्यवस्था में परिवर्तन के करने की जो परिकल्पना है उसमें गाड-गिल फारमूला भी आयेगा, फाईनेंस फंक्शन भी आयेगा, सेन्टर का राइडर भी आयेगा, फाइनेन्स की अवेलेबिलिटी भी आयेगी और आपकी स्टेट की जो ज्योग्राफी है, या स्टेट में अवेलेबल जो रा-मैटीरियल है, बिजली है, पानी है, यह सब आपके डवलपमेंट में राइडर होंगे। इन राइडर के आधार पर हम आने वाले समय में राजस्थान की कल्पना कर सकें ऐसा मैं सोचता हूँ, सभापति महोदय, हमारा चिन्तन और मनन होगा कि समाज में परिवर्तन की बात हम ठीक ढंग से कर पायेंगे। मैं तो आज भी होपफुल हूं, 40 साल में हमने जो परिवर्तन किया है, हो सकता है जितना हम चाहते हैं उतना परिवर्तन नहीं किया है लेकिन परिवर्तन की तरफ हम आगे बढ़े हैं और हम विश्वास करते हैं.....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री सी. पी. जोशी : कि आने वाले समय में पब्लिक का हमारा मेन्डेट मिलेगा और मेन्डेट के आधार पर हम इस तरह की नीतियां बनायेंगे जिससे समाज का वह वर्ग जो इस व्यवस्था से फायदा उठाकर इस व्यवस्था को कमजोर कर रहा है उनके ऊपर टैक्स लगायेंगे, उनके ऊपर कानून लागू करेंगे, और गरीब आदमी के साथ न्याय कर पायेंगे। ऐसी व्यवस्था को सुदृढ़ करने का हम प्रयास करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ, आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री सम्पत सिंह।

श्री सम्पत सिंह (नगर) : सभापति महोदय, अभी विनियोग विधेयक पर बहस करते हुए नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें कही हैं उनमें निश्चित रूप से बहुत कुछ बातें तर्क संगत थीं......

श्री माणक डाणी : सारी की सारी, थोडी बहुत नहीं...

श्री सम्पत सिंह : और उन्होंने अपनी पार्टी में क्या क्रांतिकारी परिवर्तन चाहा है...(व्यवधान)

श्री माणक डाणी : जो बातें नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कही हैं वह कोई राजनीति में रहने वाला व्यक्ति भी बात नहीं करता......

श्री सम्पत सिंह : मैं स्वयं कह रहा हूँ....

श्री माणक डाणी : इसे स्वीकारिये, थोड़ी बहुत नहीं, सारी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री सम्पत सिंह : मैं बहुत गम्भीरता से इस बात को तसलीम कर रहा हूँ कि उन्होंने जो राजनैतिक सोच और आर्थिक सोच, जिसमें क्रांतिकारी झलक देखने को मिलती है, वह कहने की कोशिश की। जो उनकी पीड़ा है वह हमारी भी पीड़ा है। आज हम किस राजनैतिक व्यवस्था से गुजर रहे हैं वही संक्षेप में मैं निवेदन करना चाह रहा हूं। सभापति महोदय, वर्तमान मुख्य मंत्री से मैं अपनी क्षेत्र की किसी समस्या के मुत्तलिक मिला। उन्होंने मुझ से पूछा कहिये क्या प्रतिक्रिया है? मैंने बहुत विनम्रता से यही निवेदन किया जो जोशी जी अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे मैं उनकी बात को ताइद करते हुए यही संक्षेप में निवेदन कर रहा हूं मैंने कहा कि कोई रेडिकल चेन्ज की उम्मीद नहीं थी। जोशी जी हट गये माथुर साहब आ गये। कोई रेडिकल चेन्ज होने की हमारी आप से उम्मीद नहीं है लेकिन कोई नोवल चेन्ज भी नहीं हुआ। सभापति महोदय, जैसे बुजुर्ग नेता किसी चीज को लेते हैं, उन्होंने हंस कर यह बात सुनी और मुझे पूरा-पूरा यकीन था कि उन्होंने बुरा नहीं माना।

इसी बात की ताइद में मैं निवेदन कर रहा हूँ कि कैसे रेडिकल चेन्ज नहीं हुआ। अगर हम कुल दस वर्षों का तखमीना लगावें तो हमारे कृषि और उद्योग दोनों अहं मुद्दे हैं आर्थिक विकास के, इन पर एक रोक आ गई है। जिस गति से तरक्की करनी चाहिए थी अपने प्रांत में, वह हम नहीं कर पा रहे हैं। चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो, और मैं बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं, चाहे वह हमारी जनता दल की सरकार होती, कमोबेश यही प्रगति होती। आज उसमें एक रुकावट आ गई है। रुकावट कैसे आ गई? कृषि हमारी 57 फीसदी सकल उत्पादन का जरिया है देश का और प्रांत का। जहां खेती कर सकते हैं वहां बिजली का कनेक्शन नहीं है, जहां बिजली का कनेक्शन उपलब्ध है, वहां पर कुआ नहीं है। कल मेरी पार्टी के नेता महोदय जो निवेदन कर रहे थे कि राजस्थान में अन्डर ग्राउन्ड वाटर है। इन कुओं से जितनी सिंचाई हो सकती है उतनी नहरों से सम्भव नहीं है, लेकिन कुओं पर कोई तवोज्जह नहीं है। नहरों पर हम चींटी की रफ्तार से काम कर रहे हैं। सरकार की जो पोलिटिकल विल है इन योजनाओं के पीछे, वह भी बिलकुल मन्थर गति से चल रही है। नहर का वह उपयोग नहीं ले रही है, जिसका नतीजा यह है कि रोज-रोज कीमतें बढ़ रही हैं, हमारी योजनाएं सुरसा की तरह मुंह फाड़ती जा रही है। इन योजनाओं के सामने हमारा इन्जीनियर बौना है। हमारा राज नेता बौना है। समाज का हर नागरिक इन चीजों को कौतुहल से देख रहा है। आज हम वह उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। क्या वजह है? मध्य प्रदेश के बाद क्षेत्रफल में हमारे प्रांत का नम्बर आता है और फिर भी हम दाने-दाने के लिए हर साल मोहताज हो जाते हैं और अकाल जैसी विडम्बना हमारे सामने आती है। सभापति महोदय, जो हमें खेती पर उम्मीद थी उस उम्मीद के मुताबिक हम पैदा नहीं कर रहे हैं बावजूद इसके कि हमारे पास एक से एक

(श्री सम्पत सिंह)

कृषि वैज्ञानिक मौजूद हैं। हम सिर्फ कल्याण सोना में ही उलझ रहे हैं। कोई सकल उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं कर पाये हैं।

यही हालत हमारे उद्योगों की है। एक दर्जन से ज्यादा राजस्थान के बड़े उद्योग या तो बीमार हैं या तालाबन्दी के शिकार हैं। मजदूरों को तनख्वाह देने में ही उनकी सारी आमदनी जा रही है। मुझे भरतपुर की सीमको फैक्टरी का अनुभव है। हम मजदूरों को तनख्वाह दे रहे हैं, हमारी तो यही आमदनी बहुत है। जहां बड़े उद्योग यह सोच लें, तो उस देश, प्रदेश की क्या उन्नति होगी? प्रांत के 70/80 फीसदी लोग रोजी रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं, उस आदमी को हमारा उद्योग क्या दे रहा है? पढ़े लिखे नौजवान को क्या दे रहे हैं? जब विधान सभा का सत्र आता है, विधान सभा के सामने आते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। पढ़ा लिखा नौजवान इन्जीनियर बूट पालिश करता है, अपनी दुख की पीड़ा को बताने के लिए, बूट पालिश जैसे काम उपयोग में ले रहा है। उसकी बुद्धि का, उसके कौशल का हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। नतीजा यह है कि जो बिजनेसमैन है, जो प्राइवेट सैक्टर है, वह अपनी पूंजी बढ़ाने में लगा हुआ है और जो सरकारी उद्योग हैं वह विलासिता में, नौकरशाही में, राजनैतिक हथकण्डों में पड़ कर बीमार है। जैसा करौली से आने वाले माननीय सदस्य कल कह रहे थे, खनिज, कृषि, उद्योग और एक्साइज यह हमारे आमदनी के जरिये हैं, उन्हीं में हम खास तौर से पिछड़ रहे हैं। उद्योग हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। आधुनिक समाज में, आधुनिक युग में जहां हम कम्प्युटर साइन्स की बात करते हैं, इक्कीसवीं सदी के सिर्फ 12 पायदान रहे हैं, सभापति महोदय, आज भी हमारे उद्योग हथौड़े की रफतार से चल रहे हैं और उनमें आधुनिक मशीनें नहीं आ रही हैं। जहां मशीनें हैं वहां पर मनुष्य काम पर नहीं आ रहा है और जहां मनुष्य है वहां हालात यह पैदा हो गयी हैं कि किसी न किसी बहाने से उद्योग पर तालाबन्दी लगी हुई है।

सभापति महोदय, इसी परिप्रेक्ष्य में आज देखेंगे, आज राजस्थान में, हिन्दुस्तान के तमाम प्रांतों के मुकाबले बेरोजगारी का औसत बढ़ा है। मैंने अभी इन्जीनियर्स के बाबत निवेदन किया, लेकिन हर क्षेत्र में चाहे बगैर पढ़े लिखे लोग हों, चाहे वह दूसरी पढ़ाई पढ़े हों, आज हमारे यहां बेरोजगारी का औसत बढ़ा है। जहां देश में 60 फीसदी औसत बढ़ा है, हमारे यहां 200 फीसदी बेरोजगारी का औसत बढ़ा है। क्या वजह है कि इतना बढ़ा? प्रांत में हम बेरोजगारी पर काबू नहीं पा रहे हैं? आखिर कौन सी व्यवस्था कांग्रेस की हो, जनता दल की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो? अगर हमने पढ़े लिखे नौजवानों को, गरीब, अनपढ़, शोषित, दलित आदमी को रोजगार नहीं दिया तो, सभापति महोदय, यह सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, कभी जनता तड़फ-तड़फ कर अपना माथा देकर इसको मिटा देगी, अपनी हस्ती को मिटा देगी।

सभापति महोदय, इन्हीं चीजों को देखते हुए आज मजदूरों में कितना असतोष है। आज सवेरे बहस हो रही थी, हनुमान-

(श्री सम्पत सिंह)

गढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य, बता रहे थे कि मजदूर कितना तड़फ रहा है रोजी रोटी के लिए। उनमें असन्तोष है। उन्हें छः छः महिने तक पगार नहीं मिलती है। उनमें असन्तोष भड़क रहा है। इसका सीधा असर, कृषि और उद्योग की शिथिलता से बंधा हुआ, कि गरीबी की रेखा दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ रही है। मुझे याद आ रहा है जब श्री हरिदेव जोशी, मुख्य मंत्री, भरतपुर की बीस सूत्री कमेटी की मीटिंग में पधारे थे। उनके सामने गरीबी की रेखा का यह पहला बिन्दु आया था। हमने निवेदन किया कि एक भैंस आपने किसान को खरीदवा दी। अव्वल तो रुपया मिला नहीं। हमारे यहां 1500/- रुपये में भैंस खरीदी जा सकती है। अव्वल तो यह कागजों पर ही खरीदी जाती है, यथार्थ में नहीं खरीदी जाती है। 1500/- रुपये में जो भैंस खरीदी जायेगी उसके नीचे आधा किलो दूध नहीं मिलता है। हमारे समाज में पशुपालन जो जीवन-यापन का साधन है, 15/20 मवेशी कोई किसान रखता है तो वह भी अपना जीवन-यापन नहीं कर सकता है। आप कोशिश कीजिये कि उस गरीब की क्रय शक्ति बढ़े। हर क्षेत्र में, भरतपुर में भरतपुर की समस्या है, उदयपुर में उदयपुर की भौगोलिक स्थिति है, अजमेर में अजमेर की स्थिति है। जहां जैसा भी इन्फ्रास्ट्रक्चर है और कच्चा माल है उस तरह के उद्योग लगाइये, उस तरह के कृषि उद्योग लगायें। चाहे कुटीर उद्योग दीजिये या और कोई योजना दीजिये।

ग्राम जनता गरीबी की रेखा के नीचे जा रही है जिसकी आमदनी 100/200 रुपया महिना है, उन लोगों से हम यह उम्मीद करें कि वे हमारे बजट की सराहना करें, हमारे देश के लिए प्रभात फेरी में निकलें, देश की एकता और अखण्डता के लिए नारे लगाते रहें, सभापति महोदय, यह बिल्कुल सम्भव नहीं है। मैं निवेदन करूं, हमारी योजनाएं क्यों ठप्प हो रही हैं। आज हमारे पास तनख्वाह देने के लिए रुपया नहीं है। चाहे सरकारी उपक्रम हो, नगरपालिका, नगरपरिषद हो, वहां हरिजन जैसे मजदूर को तनख्वाह देने की व्यवस्था नहीं है। इसकी वजह क्या है? हमने आमदनी का जरिया नहीं बढ़ाया। कहां से रुपया मिलना चाहिये? केन्द्र सरकार से, जो हमारा हक है उसमें हम हर साल पिछड़ते जा रहे हैं। केरल, बंगाल, असम, त्रिपुरा जैसे छोटे-छोटे प्रान्तों के मुकाबले में हम पीछे हैं। मैं पंजाब की बात नहीं कहता, वहां दूसरी राजनीतिक समस्या है इसलिए पंजाब हमसे ज्यादा ले जाता है, लेकिन राजस्थान की हमेशा से यह बदकिस्मती रहती है कि वह केन्द्र से जो समुचित सहायता मिलनी चाहिए, वह भी नहीं लेता है। ज्यादा की बात तो सोचना ही गलत है, जैसे तपती धूप में पानी में नहाने जैसा ख्वाब देखना है। सभापति महोदय, इस ओर आप देखेंगे तो कम से कम दो अरब रुपया केन्द्र से लेना चाहिए था वह हम नहीं ले पाये। केन्द्र सरकार ने ज्ञापन दिया और जो उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया न्यूनतम मजदूरी का, उसके बाबत आप अपील में गये। उस अपील का बहाना ही लेकर केन्द्र सरकार ने आपकी सहायता

(156)

(श्री सम्पत सिंह)

काट दी। आपको उतना रुपया दिया जिससे काम भी नहीं चल सकता। इस तरह की व्यवस्था से हम कैसे उम्मीद करें कि हमारे प्रान्त में काम द्रुत गति से चल सकेगा। सभापति महोदय, हम केन्द्र के ऊपर आंखें फाड़ते रहे। नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने एक दिन निवेदन किया कि राजस्थान की लाबिंग नहीं है केन्द्र के सचिवालयों में। और तो और हमारे जो रेजीडेन्ट कमिश्नर हैं दिल्ली में, उन तक को यह खबर नहीं होती कि हमारे श्रमिकों की क्या हालात है। हमारी केन्द्र में क्या-क्या लाबिंग करनी चाहिए वह नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इनको छोड़ें, हम खुद जो हमारे हाथ में चीज है वह तो करें।

राजस्थान के मस्तिष्क पर सबसे बड़ा कलंक रेगिस्तान का है। हम रेगिस्तान को नहीं रोक सकते। जब हम रेगिस्तान नहीं रोक सकते तो खेती और अन्न कहां उपजायेंगे? सभापति महोदय, एक एक चुन चुन के अगर मैं आपको उदाहरण निवेदन करूं, न तो मैं आपका समय खराब करना चाहता हूँ, न मैं सदन का समय खराब करना चाहता हूँ। न तो रेगिस्तान पर हमारी पूरे मनोयोग से हमने कोशिश करी कि रेगिस्तान रुके, न हमने अरावली विकास की योजना बनाई। उस पर कोई वैज्ञानिक सोच आज तक नहीं आया। हमने अभी-अभी पिछले दो साल पहले मेवाड़ विकास बोर्ड बनाया, मेवाड़ विकास बोर्ड की तर्ज पर। लेकिन, सभापति महोदय, आपको ताज्जुब होगा, सदन के माननीय सदस्यों को ताज्जुब होगा, पांच पंचायत समितियों में, पांच तहसीलों में आप रखते हैं बजट 70 लाख रुपया। 70 लाख रुपये से कौनसी पंचायत समिति के हल्के में, कौनसी तहसील के हल्के में, कौनसी आप विकास की योजना शुरू कर रहे हैं? नतीजा यह है, उस मेवात क्षेत्र का आदमी दिल्ली में, बदरपुर में जा कर दो दो, चार चार, छः छः रुपये दिन भर में कमाने के लिये काम कर रहा है, रिक्शा चला रहा है और तबाह हो रहा है।

सभापति महोदय, हमने बोर्डर विकास योजना बनाई। उस पर हम आज रोज देख रहे हैं, क्या हशीश की तस्करी हो रही है। हमारे देश और प्रान्त के राजनैतिक सार्वभौमिक सत्ता पर आंच आने जैसी हरकतें बायावक्त हो जाती हैं और हम बोर्डर विकास तक नहीं कर पाये। और तो और भरतपुर, धौलपुर में हमने डाकू उन्मूलन समस्या पर करोड़ों करोड़ों रुपयों का बजट रख दिया, लेकिन हम उसमें भी कुछ नहीं कर पाये। मैं उसी भावना से निवेदन कर रहा हूं जैसे नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। यह राजनैतिक सत्ता, सार्वभौमिक सत्ता आखिर है क्या चीज? कोई भी काम हम हाथ में लेते हैं वह पूरा नहीं होता है। इसकी वजह क्या है?

सभापति महोदय, हमने सैनिकों पर क्या किया? अभी माथुर साहब ने बड़े जोरदार शब्दों में अपनी किताब में, विनियोग विधेयक में, बजट के विधेयक में लिखा है कि हमने सैनिकों को बड़ा प्रोत्साहन दिया है। देश में राजस्थान एक ऐसा प्रान्त है जो तमाम प्रान्तों से ज्यादा इस देश की आजादी को बरकरार रखने

(श्री सम्पत सिंह)

के लिये सैनिक देता है। इस प्रान्त में भरतपुर, अलवर, बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर ऐसे जिले हैं जहां से हर घर में से नहीं तो कम से कम हर दूसरे तीसरे परिवार में से कोई न कोई सदस्य सैनिक होता है। लेकिन जब वह रिटायर होकर आता है, समाज में उसके पास कोई रोज़गार नहीं हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, मैं कम से कम अपनी बात कह लूं तब तक मुझे आप मोहलत देंगे। मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ समय नहीं नष्ट करूंगा।

श्री सभापति : आप कितना समय और लेंगे ?

श्री सम्पत सिंह : माननीय जोशीजी ने लिया था, उससे आधा लूंगा। ईमानदारी से आधा लूंगा।

सभापति महोदय, हमारे विकास में एक बहुत बड़ी बात कही जाती है। आज नहीं हैं राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य उन्होंने शुरू शुरू में यह बात बड़े जोरदार शब्दों में कही थी कि हम कुछ नहीं कर सके, जो महात्मा गांधी ने कौतुहल व्यक्त किया जयपुर में आते ही, यहां बड़ी रेल लाइन तक भी हम नहीं बना सके। आज हमारी राजधानी बहुत कम ऐसी बदकिस्मत राजधानियों में से एक है जो देश में बड़ी रेल लाइन से जुड़ी हुई नहीं है। कोई विकास का काम होगा, कोई भी आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक योजनाओं का काम होगा, बड़ी रेल लाइन के मामले में हम हमेशा फिसड्डी चले आ रहे हैं। ऐसी आधुनिक जिन्दगी में भी हम यह नहीं कर पाये।

सभापति महोदय, एक एक अगर मैं चीज गिनाऊं तो बहुत वक्त लगेगा, मैं सिर्फ बानगी के लिये निवेदन करूंगा। हमने गैस बेस्ट जो कारखाने चलाने की बात कही थी, उसमें हम फेल हो गये, उसमें विफल हो गये। तमाम प्रान्तों को दो दो कारखाने मिले, हमको मिलने चाहिये थे, नहीं मिले। एक मिला वह भी सवाई माधोपुर से कोटा बदलने की बात हो रही है। कोटा ही लगाइये, लेकिन उसको शुरू करिये। यह क्या है, यह तो वेस्ट है, इसको ही अगर हम कलेक्ट करके उद्योगों में लाकर नहीं दे सकते, तो हम कौनसा तकनीकी कारखाना जापान के मुकाबले लगा लेंगे जो हम गैस बेस्ड कारखाना भी नहीं लगा पा रहे।

सभापति महोदय, मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब साम्प्रदायिकता का नाम आता है। मैंने एक दिन पहले भी निवेदन किया था, उसमें हमारी न पूंजी लगने की बात है, न कोई और राजनैतिक, आर्थिक सोच की बात है। साम्प्रदायिक दंगों तक को हम नहीं रोक पाते। कहने को हम बड़े फक्र के साथ कहते हैं कि राजस्थान में कानून व्यवस्था और प्रान्तों के मुकाबले ठीक है। लेकिन क्या हम यह चाहते हैं जो पंजाब में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में दंगे होते हैं, वह यहां होने चाहिये ? अगर एक भी वारदात होती है तो यह हमारे ऊपर कलंक है। मैं आपका ध्यान आकर्षित

(श्री सम्पत सिंह)

करना चाहूंगा, टौंक में साम्प्रदायिक दंगा हुआ। मुख्य मंत्रीजी की तस्वीर इसमें दिखती है, गृह मंत्रीजी की तस्वीर इसमें दिखती है। लेकिन पट्टी मरहम लगाने से कानून व्यवस्था नहीं रहती, सभापति महोदय कानून को अगर हम दृढ़ता से लागू नहीं करेंगे, एक के बाद एक साम्प्रदायिक दंगे होते रहेंगे और कोई भी सरकार इतनी हैसियत नहीं रख पायेगी कि जो इन साम्प्रदायिक दंगों को रोक दे।

सभापति महोदय, इसी तरीके से मकराना में साम्प्रदायिक दंगा हुआ। वजह क्या थी? खाली एक सलमान रूशदी की किताब। कब छपी, कब बात हुई, और मकराना में किसी सिर फिरे आदमी ने दंगा छेड़ दिया। कहां छपी? अपने देश में भी नहीं छपी। बहाना चाहिये साम्प्रदायिक आदमी को, राष्ट्रद्रोही को, देशद्रोही को। हम इसमें दृढ़ता से कोई काम नहीं करते। या तो कोई टेलीफोन की अड़चन आ जायगी पकड़ते ही, गिरफ्तार करते ही, या हम स्वतः ही कुछ नहीं कर पाते। सभापति महोदय, एक जगह ही नहीं है, जालौर में भी यही हालात हुए, सोजत और पाली में भी यही हुआ। एक एक जगह, खुद बीगोद में हुआ। मैं संकोच कर रहा था मुख्य मंत्रीजी के खिलाफ कहने में, लेकिन सीकर से आने वाले माननीय सदस्य मेरी याददाश्त को बढ़ा रहे हैं, जहां मुख्य मंत्री स्वयं का चुनाव क्षेत्र है, उस में किसी की हिम्मत हो जाय, वहां साम्प्रदायिक दंगा कर दे और हफ्तों-हफ्तों बाजार बन्द रहे। क्या हालात होती है जिन दिनों कर्फ्यू लगता है किसी कस्बे में, माननीय सदस्यों को खूब अनुभव है। लेकिन हमारे पास कोई इलाज नहीं है इस लाइलाज बीमारी का।

सभापति महोदय, तस्करों की बात है। टौंक से आने वाले माननीय सदस्य अक्सर कहा करते हैं, हेरोइन पकड़ी जाती है हमेशा और हीरों का कोई कहीं पता नहीं लगता। यह वह खाली मजाक में नहीं कहते, इसके पीछे बड़ी पीड़ा और व्यंग्य छिपा हुआ है। यह एक बड़े ताज्जुब की, कौतुहल की बात है। आज हमारे पास वायरलैस से लेकर कितने बड़े-बड़े उपकरण मोजूद हैं, पर वह देशद्रोही पकड़े नहीं जाते। उसके खिलाफ कोई कानूनी सलूक नहीं किया जाता। उसके खिलाफ कोई चालान तक पेश करने की हमारी हैसियत नहीं है। वह दिन दहाड़े धड़ल्ले से तस्करी कर रहे हैं पर उनको पकड़ने की हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। फिर हम कहते हैं कि हम समाज में राजनैतिक चेतना लायेंगे। कैसे लायेंगे राजनैतिक चेतना? जब मेरे पड़ोस में कोई गुलछर्रे उड़ा रहा-होगा और मेरे पास पढ़ने लिखने, दवाई जैसी चीज के लिये पैसा नहीं होगा, ऐसे हालात में समाज में परिवर्तन नहीं आ सकता है।

सभापति महोदय, पुलिस प्रशासन अमूमन इस विषय पर इतनी चर्चा होती है कि आदमी बोलने में झिझकता है। कहां तक बोले? आखिर कोई मियाद भी होगी। पुलिस प्रशासन के बारे में जितना कहा जाय उतना थोड़ा है। नीचे से लेकर ऊपर तक, चाहे कोई भी राज पलट जाय, उनकी रीतियां-नीतियां अलग होती हैं उस पर हमारा कोई काबू नहीं है। फौज के बाद आखिर हम आसरा करें किसी पर कानून

(श्री सम्पत सिंह)

व्यवस्था के लिये तो वह हमारी पुलिस ही तो है। लेकिन चाहे उनमें 50 फीसदी ईमानदार लोग हैं, चाहे उनमें 50 फीसदी लोग संजीदा हैं, साहसी हैं, मुजरिमों को पकड़ने, डाकुओं को पकड़ने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन निश्चित रूप से 50 फीसदी आदमी नाकारा हैं, इसे कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। या तो उसकी शारीरिक क्षमता ऐसी नहीं है, उम्र के हिसाब से, कि वह कोई काम का हो।

सभापति महोदय, हरिजनों के लिये मैं एक बात सिर्फ निवेदन करना....

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री सम्पत सिंह : सभापति महोदय, मैं इस विषय को संक्षेप में ही बन्द किये देता हूं। हरिजनों पर कहां-कहां कितने-कितने अत्याचार होते हैं, इस चीज पर भी हम कोई काबू नहीं पा सकते। चार बड़े बिन्दु हैं किसी राज को देखने और परखने के लिये। अगर इन चार बिन्दुओं पर हमारी सरकार खरी उतरती है तो आप फैसला करें, यह सदन फैसला करे कि विनियोग विधेयक को हम पास करें या नहीं करें। मैं ज्यादा नहीं, सिर्फ पतीली में से चावल जैसे उदाहरण निवेदन कर रहा हूँ। पहला जो सबसे बड़ा है, भ्रष्टाचार। रोज बात होती है, बड़ी बड़ी हस्तियों के बाबत हम यहां टाटा बिड़ला को कभी नहीं कोसते लेकिन उनको कोसते हैं जिनके हाथ में राजतंत्र है। आज बूटासिंहजी, बलरामजी जाखड़, कितने नाम गिनायें आपको ? आज हमारा यह हक बनता है कि हम यहां राज में रह कर इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठकर भी साधारण आदमी से भी बदतर हालत में जमीनों पर काबू करें। दो दिन पहले, सभापति महोदय, आपने सारा नजारा देखा होगा। यदि हम इन चीजों के बारे में यूं ही अपनी लालसा जाहिर करते रहे तो न कोई सामाजिक चेतना आयेगी, न कोई राजनैतिक क्रान्तिकारी परिवर्तन होगा।

सभापति महोदय, इस भ्रष्टाचार में सहकारिता का क्या हाल हो रहा है। मैं सिर्फ एक उदाहरण राजस्थान का निवेदन करूंगा, अभी सुबह पिलानी से आने वाली माननीय सदस्या कह रही थी, हमारे प्रबन्धक संचालक, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, जयपुर के श्री पी. सी. भगोदिया है, के बारे में, झुंझुनू जिले के बारे में इन्होंने बहुत कुछ बताया। लेकिन मैं पूरे प्रान्त के बारे में वह कैसी व्यवस्था कर रहे हैं, कैसा प्रबन्ध कर रहे हैं, संक्षेप में अगर आपको निवेदन करूं तो आपके स्वयं के रोंगटे खड़े हो जायेंगे। जहां तनख्वाह बांटने को पैसा नहीं है, जहां मजदूरों को, छोटे काश्तकारों को वसूली के नाम पर मुर्गा बना कर पीटा जा रहा है, आज आधुनिक समाज में उनको मुर्गा बना कर पीटा जा रहा है।

श्री के. सी. बिश्नोई : यह मुर्गा क्या होता है ?

श्री सम्पत सिंह : मुर्गा नहीं जानते आप ? आपकी सेहत का एक मात्र जरिया है और आप मुझसे ही पूछ रहे हो कि मुर्गा क्या होता है।

श्री हरिमोहन शर्मा : मुर्गा बनते तो आप हो और सेहत इनकी बढ़ रही है ।

श्री डूंगर राम पंवार : इस्तेमाल करके देखो उसका टेस्ट क्या है । (व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : हमारे पास घड़ी नहीं है इसलिए जब मुर्गा बोलता है तो हमको खबर लगती है कि सुबह हो गयी । सभापति महोदय, जहां तनख्वाह बांटने का इन्तजाम नहीं वहां उन्होंने नयी एम्बेस्डर कार खरीदी है । मनोरंजन पर कितना रुपया खर्च कर रहे हैं ? बेहिसाब रुपया खर्च कर रहे हैं । विज्ञापनों पर, पता नहीं क्या विज्ञापन करवाते हैं, कोआपरेटिव बैंक सहकारी भूमि विकास बैंक, किस चीज का विज्ञापन होना चाहिए या नहीं, उस पर हम खर्च कर रहे हैं । नियुक्तियां कर रहे हैं, दशरथसिंह, शंकरसिंह, बनवारीलाल, रामचन्द्र । बिना बात के इन्होंने कर्मचारी भर लिये और कभी न कभी उनकी भी तनख्वाह नहीं बटेगी, जो 20-20, 30-30 साल से इस संस्था में कर्मचारी है । सभापति महोदय, इसी कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारा एक बड़ा संवेदनशील विषय है...

श्री सभापति : माननीय श्री सम्पत सिंहजी, समाप्त करें ।

श्री सम्पत सिंह : मैं खत्म ही कर रहा हूँ । बलदेव प्लाजा, सभापति महोदय, अगर इसके इतिहास में ब्यौरेवार जावें तो सन् 1969 से यह चाल चल रहा है । 4 बीघा 14 बिस्वा कुल जमीन है, करोड़ों की आज इसकी कीमत हो गई है । इसको सहदड़ा मारबल उद्योग के नाम से दूसरी प्राइवेट कम्पनी लिमिटेड ने खरीदा है । हमारे ए. सी. एम. जैसे आदमियों को यह खबर नहीं है कि जिस चीज पर स्टे लगा हुआ है, अपीलेट अथोरिटी से उसको ही उन्होंने आवंटित कर दिया । कभी उद्योग के नाम पर आवंटित कर दिया और कभी रुपया जमा कराके उद्योग को आवासीय और व्यवसाय के नाम पर आवंटित कर दिया । सभापति महोदय, मैं सिर्फ खास तौर पर यह निवेदन कर रहा हूं कि जब राजस्व सचिव ने यह फाइल अपने पास मंगवा कर रख रखी है, जब रामनिवास मिर्धा जैसे हैसियत के आदमी और उनका लड़का या उनका कोई रिश्तेदार इस तरह से जमीन लेंगे तो किस को मोह रह जायेगा इस राजस्थान की जनता से, किसको मोह रह जायेगा इस राजस्थान की हल्दी घाटी से जहां का गौरवशाली इतिहास है फिर यह चाहेंगे कि हमारे लिए राजस्थान अगर बरबाद होता है, गुलाम होता है तो होवो हमको क्या परवाह है । सभापति महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाह रहा हूँ कि अगर इन चीजों को हमने रोका तो....

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य ।

श्री सम्पत सिंह : मै आखिरी पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं । इतनी मोहलत मुझे माफ करना, मैं अपनी बात कन्क्लूड कर लूं ।

श्री सभापति : कृपया बिराजें । मान-

(श्री सभापति)

नीय सम्पत सिंह जी आपने बहुत समय ले लिया है।

श्री सम्पत सिंह : सभापति महोदय, मैं इन चीजों को इसलिए निवेदन कर रहा था, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने राजनैतिक चेतना की परिवर्तन की बात कही, उन्होंने एक उदाहरण दिया राजीव गांधी के लिए कोई आलोचना करते हैं तो वह कहते हैं कि उम्र के हिसाब से और नाथूरामजी मिर्धा और रामनिवासजी मिर्धा के लिए कह रहे थे कि वह 28-28 साल के जब मंत्री बने थे, सभापति महोदय, हमें सोशल बैक ग्राउण्ड का पता रखना चाहिये। कौन आदमी, आज होचीमिन्ह कहां से आया, माओ छह साल का हरा चारा काटता रहा अपने जंगल से, लेनिन किन परिस्थितियों में जाकर के शिखर पर पहुंचा लेकिन आज अगर मैं हवाई जहाज के काकपिट से निकल कर सीधे प्रधान मंत्रीजी की कुर्सी पर पहुंचा तो मुझे सैक्रेटरी ही नहीं एक दफ्तर का चपरासी पुल आफ कर देगा। सभापति महोदय, जिसको देश की, जिसको प्रांत की, जिस को समाज की कमजोरियों का पता नहीं हो, औद्योगिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक तमाम चीजों की, हमारी जो राष्ट्रीय है हमको नहीं पता हो और कैसे युवक से उम्मीद करते हैं। मैं भी युवक हूं और और अगर राजनैतिक सामाजिक परिवर्तन मैं अपने आपको लगाना चाहता हूं लेकिन हमको सोचना चाहिये, हम कैसा युवक तैयार कर रहे हैं। अगर भ्रष्ट युवा पीढ़ी आ रही है, अगर हम हप्सी स्पीक स्कूल में जाकर और अपनी मां समान अध्यापिका को छेड़ दे, चार साल बाद में आप उस युवक को राजस्थान की विधान सभा में भेजेंगे, हिन्दुस्तान की संसद में भेजेंगे...

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री सम्पत सिंह : इन चीजों पर हमको एतबार बरतना होगा और जिस आदमी को इस देश का, इस धरती का जिस आदमी को ज्ञान है, इसके राजनैतिक और आर्थिक सामाजिक परिवर्तन के लिए जिस आदमी की दौड़ है उस आदमी की न उम्र देखी जायेगी, उस आदमी का सिर्फ देखना यह रह जायेगा कि यह आदमी देश के परिवर्तन के लिए कोशिश कर रहा है। इसलिए चन्द नवजवानों के खातिर जो सिर्फ बड़े बापों के बेटे हैं, जिनके 2-4-6 कारखाने लगे हुए हैं।....

श्री सभापति : माननीय सम्पत सिंह जी, समाप्त करें।

श्री सम्पत सिंह : आज, सभापति महोदय, बड़ी पीड़ा होती है गांव में और छोटे कस्बे में...

श्री सभापति : मैं दूसरा नाम पुकार रहा हूं। कृपया विराजें।

श्री सम्पत सिंह : तो ऐसी हालत में आदमी यह सोचता है कि ऐसी सरकार चाहे इधर की हो, चाहे उधर की हो "ए मेरे दिल कहीं और चल इन दरख्तों के साये में धूप लगती है।" ऐसी राजनैतिक

(श्री सम्पत सिंह)

हालत में कांग्रेस की सरकार केले के छिलके पर खड़ी हुई है कब फिसल जाये इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए इस विनियोग विधेयक को पास नहीं करना चाहिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी थोड़ी देर पहले माननीय भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने अपना त्याग पत्र दिया था और मैंने कल चार्ज लगाये थे मैं उन चार्जेज पर स्ट्रिक्ट हूँ। 18 तारीख को लगाय गये सारे आरोप मेरी जानकारी के अनुसार सही है। वैसे विपक्ष के सदस्यों को चार्ज लगाने चाहिये लेकिन त्याग पत्र मेरे से वह मांगें वह उचित नहीं है। यह सारे का सारा उनका मामला हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। हाई कोर्ट में वह जाये और आरोपों से बरी हो लेकिन फिर भी मैंने कल कहा था कि मैं भी अपना सत्यता के साथ चार्ज लगा रहा हूँ उसी चार्जेज के हिसाब से मैं भी अपना त्याग पत्र लिख कर आपको दे रहा हूं, यह लिखा हुआ त्याग पत्र आपको पेश कर रहा हूँ। हाई कोर्ट के जज को नियुक्त कर दिया जाय और 18 तारीख को मेरे लगाये गये, प्रोसिडिंग्स है वह उसके हवाले कर दी जाय और हवाले करके उसकी जांच कर ली जाय अगर प्रमाणित नहीं होता है तो मेरा त्याग पत्र स्वीकार कर लिया जाय, आज जो दे रहा हूँ। अगर प्रमाणित होता है तो त्याग पत्र उनका आ गया और मुख्य मंत्रीजी का भी त्याग पत्र साथ-साथ माना जाय क्योंकि मुख्य मंत्रीजी पर, दोनों पर चार्ज लगाये हैं कांस्पीयरेसी करने के। मुख्य मंत्रीजी ने उनको कहा है, उनको भीष्म पितामह बनाया है। विपक्ष के नेता के कहने से अगर मैं कह रहा हूं, मैं विपक्ष के नेता का शिष्य हूँ लेकिन शिखंडी नहीं हूं, अर्जुन हूँ और अर्जुन भी गांडीवधारी अर्जुन हूँ, मेरा बाण सही निकलेगा और उनको परास्त होना पड़ेगा। यही मुझे कहना है। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री माणक डाणी।

श्री माणक डाणी (ब्यावर) : माननीय सभापति महोदय, 1947 में जब इस देश को आजादी मिली उस समय इस देश में कोई लोकतान्त्रिक आधार नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने, इस देश के नेताओं ने जब इस देश को आजादी दिलाई, आजादी दिलाने के बाद 1952 के अन्दर इस देश के अन्दर पहला लोकतान्त्रिक ढांचा बन कर तैयार हुआ और तब से लेकर के आज तक लोकतान्त्रिक परम्पराएं हैं इस देश के अन्दर जिन्दा है। इस देश में आपात काल लगा, विपक्ष ने इस बात की आलोचना की कि शायद कांग्रेस चुनाव नहीं कराना चाहती, चुनाव से दूर हटना चाहती है, सत्ता से चिपके रहना चाहती है। सभापति महोदय, यह वही कांग्रेस है जिसने इस देश में 100 साल से जनतांत्रिक इतिहास कायम किया और उसने इस देश के अन्दर चुनाव कराये। हमें चाहे सत्ता से हटना पड़ा, हम हटे लेकिन हमने चुनाव से मुंह नहीं मोड़ा।

ढाई साल के लिए इन लोगों ने इस देश में सत्ता की बागडोर सम्भाली। जनता

(श्री माणक डाणी)

को बहुत बड़ी उम्मीद थी कि शायद यह लोग सत्ता के आने के बाद इस देश में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे, कई नई शिक्षा नीति का संचार करेंगे और बेरोजगारों को रोजगार नीति बनाकर देंगे लेकिन इन्होंने क्या कर्म किये, क्या बजट दिया, मैं अगर आपके और इस सदन के माध्यम से वह बात कहूँ.. (व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : राजस्थान के सारे कारखाने बन्द पड़े है। छः लाख लोग बेरोजगार हो गये हैं।

श्री डूंगरराम पंवार (टीबी) : जनता शासन में जितना अढ़ाई वर्ष में काम हुआ, आप बीस वर्ष में नहीं कर सकते, उसके साथ तुलना भी नहीं कर सकते। (व्यवधान) पूंजीपतियों की खरीदी हुई सरकारों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? (व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य : ब्यावर की कृष्णा मिल के आंसू सूखे ही नहीं, बोल क्या रहे हैं?

श्री दाऊदयाल जोशी : वह स्वर्णिम काल था, ढाई रुपये किलो में शक्कर बिकी थी। अभी शक्कर दस रुपये किलो है।

एक माननीय सदस्य : गुणगान मत करो, गुणगान करना तो भाटों का काम होता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठें।

कोई रिकार्ड नहीं किया जाय। माणक डाणी साहब, चालू करें।

श्री माणक डाणी : सभापति महोदय, बहुत बड़ी तकलीफ हुई, ढाई साल इनको राज दिया। इस देश के व्यक्ति के वोट ने इनको सत्ता में लाकर बिठाया इस बात के लिए कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश में आएगा, बहुत बड़ा जादू करके ले आयेंगे लेकिन यह लोग क्या कर पाये, क्या नहीं कर पाये। आप इसकी एक झांकी देखिये– इन्होंने विद्युतीकरण, शिक्षा और चिकित्सा के नाम पर इस देश को क्या दिया? आप अन्दाजा लगाइये। शिक्षा में इस देश के अन्दर इन्होंने मात्र 520 प्राथमिक विद्यालय 1977-78 में देने की बात कही और खोले 486 विद्यालय, 1978-79 में 845 और 1979-80 में 1085 की बात कही लेकिन जब कांग्रेस का राज तो तीन हजार प्राथमिक विद्यालय खोलने जा रहे हैं। कहां इनके 520 और कहां दस साल में छः गुना बजट प्रोविजन। यह कहते है कि रुपये की कीमत हुई, अगर कीमत कम हुई तो 520 स्कूलों के मुकाबले में हमारे राज में तो सौ ही स्कूल खुलने चाहिए लेकिय हमने तीन हजार स्कूलों का बजट प्रोविजन किया है। इन्होंने 1977-78 में 410 मिडिल स्कूलों की बात कही ..

श्री डूंगरराम पंवार : आपने खोले ही नहीं और खोले हैं तो उनमें मास्टर नहीं है।

श्री माणक डाणी : यह तो समय बता रहा है कि क्या किया। (व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : मक्खियों के छत्ते की तरह प्राइवेट स्कूल कितने खुल रहे हैं, ब्यावर में करीब सवा सौ प्राइवेट स्कूल चल रहे है माननीय सदस्य जिन्होंने दुकानें लगा रखी हैं। (व्यवधान)

श्री माणक डाणी : सभापति महोदय, इसके 410 मिडल स्कूलों की बात तो गई, आप आश्चर्य करेंगे, हर साल इस देश का बजट बढ़ा है, उत्पादन बढ़ा है, हर साल उन्नति हुई। 410 मिडिल स्कूल खोलने वाले थे 1978-79 में और 100 मिडिल स्कूलों पर आ गये और आज हम खोल रहे हैं 600 मिडिल स्कूल। हमने दो सौ मिडिल स्कूलों से कम नहीं खोले आपने पांच साल के शासन में हर साल हमने स्कूल बढ़ायी। इनके तीन साल का बजट एक तरफ और हमारा एक साल का बजट एक तरफ। आप अन्दाज लगाइये, सभापति महोदय, कांग्रेस इस देश को कहां ले जाना चाहती है। अगर भूल से सत्ता इन लोगों के हाथ में चली गई तो यह देश सौ साल पीछे चला जायेगा यह तो सौ साल वाली कांग्रेस पार्टी का इस देश में शासन है जो इस देश को आगे ले जाना चाहती है। कांग्रेस के सशक्त हाथों में इस देश का शासन है इस राज्य को आगे बढ़ाने की ओर तत्पर है।

चिकित्सा के विषय में सभापति, महोदय, गांव-गांव में हमने सब सेंटर खोले, हर पंचायत समिति मुख्यालय पर रेफरल अस्पताल की व्यवस्था की है लेकिन इन्होंने 1977–78 में मात्र 203 एड पोस्ट डिस्पेंसरी खोलीं। फिर बजट घटा। जबकि पूरे साल का बजट इनके हाथ में दिया तो 110 एड पोस्ट डिस्पेंसरी खोलने की बात कही और हम खोल रहे हैं 200 एड पोस्ट डिस्पेंसरी। इन्होंने 4 सब सेंटर को पी. एच. सी. में कन्वर्ट किया 1978-79 में और हम कह रहे हैं 50 रेफरल नये 50 पी. एच. सी.। यह आपका बजट है और यह हमारा बजट है। कहां आपके रुपये की कीमत और कहां हमारे रुपये की। कहां आपका बजट और कहां इस प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का बजट। जो लोग बोलना जानते हैं, जो मात्र एक आलोचना करने के लिए ही आलोचना करते हैं, जिनके पास कोई कार्यक्रम नहीं। जिनके हाथों में कुछ नहीं, कोई नीति नहीं कोई सिद्धान्त नहीं, कोई योजना नहीं और इनके बिना ही बात करने वाला विपक्षी दल किस बात पर जनता को भ्रमित करना चाहता है इस बात को जनता अच्छी तरह समझती है।

मैं ज्यादा लम्बा नहीं कहना चाहता। अभी नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस देश में सघन उत्पादन की बात कही। मैं बताना चाहता हूँ कि कहां 58 प्रतिशत की बात आप कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूँ, 1980-81 में इस देश में 1·6 प्रतिशत इसकी दर थी और सीमित साधन और संसाधन होने के बावजूद इस देश में 1985-86 में 2·30 प्रतिशत दर हुई और 1989-90 में 2·5 प्रतिशत की दर से बढ़ी। यह किस चीज का मुकाबला करना चाहते हैं, किस बात की तुलना करना चाहते हैं? इस कांग्रेस के शासन में इस देश की आर्थिक दर बढ़ाने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए, गरीब जनता को ऊपर उठाने के लिए हमने एक जवाहर योजना प्रारम्भ की

(श्री माणक डाणी)

और गांव-गांव में आज गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति हैं उनको साल में कम से कम 100-200 दिन काम मिल सके इसके लिए हमने पंचायती राज संस्था को मजबूत करते हुए उस गांव के भार को, सरपंच के हाथ में सत्ता सौंपी, इस बात के लिए कि वह स्वयं योजना बनाये... (व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : एक बात बताइये, कितने दिन काम दोगे। केवल 50 दिन, फिर बाद में क्या करेंगे + + + (व्यवधान)

श्री नवरंग सिंह : अगर ताकत है तो काम के अधिकार को संविधान से जुड़वाओ, गारन्टी दो।

श्री माणक डाणी : हम 365 दिन काम देना चाहते हैं। अगर हमने 365 दिन काम दे दिया तो, सभापति महोदय, इस देश में हल कौन चलायेगा। इसलिए सोच समझ कर इसकी व्यवस्था की है कि कम से कम 100-200 दिन काम मिले, किसी तरह की परेशानी न हो, उस व्यक्ति के घर में खाने का अनाज रहे इस बात के लिए हमने व्यवस्था की है। और नेहरू रोजगार योजना के माध्यम से गांव-गांव में वहां के किसान, वहां के सरपंच बैठ कर योजना बनाये जो चीज उचित समझे, तालाब की आवश्यकता हो, मरम्मत की आवश्यकता हो....

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री सभापति : आप 10 मिनट ले चुके हैं, 4·10 पर बोलना आरम्भ किया था। जल्दी समाप्त करें।

श्री माणक डाणी : सभापति महोदय, आज 440 लाख परिवारों को इस जवाहर लाल नेहरू योजना के माध्यम से इस देश के अन्दर गरीब लोगों को रोजगार मिलेगा। कल नाथूरामजी मिर्धा साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि इस देश के अन्दर हवाई जहाज में बैठने वाले लोग कितने हैं। सभापति महोदय, जिस देश के अन्दर सुई नहीं बनती थी अगर आज वहां हवाई जहाज बनने लग जाय, आज हवाई जहाज का कारखाना लग जाय तो हमारे देश के विपक्ष को क्यों तकलीफ होती है। फिर आप काहे को औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं। मत करिये......

श्री नाथूराम मिर्धा : कारखाने का नहीं कहा, 21 करोड़ रुपया का हवाई जहाज खरीदने की बात थी।

श्री माणक डाणी : आपने बैठने की भी बात कही थी, कल आपने बैठने की बात कही कि कितने पर्सेन्ट लोग उसमें बैठते हैं। तब हमने आपसे यह बात कही कि बैठने और खरीदने से क्या फर्क पड़ता है? इस देश की प्रगति के साथ-साथ दुनियां का जिस तरह से स्तर बढ़ा है, उस ढंग से इन सब चीजों की आवश्यकता है। आज अगर आपको नागौर से यहां आना हो तो

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री माणक डाणी)

ट्रेन में बैठकर आयेंगे, कार में बैठकर जायेंगे, आप स्वयं सोचेंगे कि मैं रोडवेज की बस में बैठ कर नहीं जाऊं। छः घण्टे खराब नहीं करूं, छः घण्टे पसन्द नहीं करेंगे खराब करना। हर दृष्टिकोण से यह देश आगे बढ़ा है......

श्री शोपत सिंह : आपको उन लोगों का ख्याल नहीं है जिनको दो वक्त की रोटी नहीं मिलती।

श्री रतनलाल ताम्बी : आप प्रगति की बात छोड़िये, आप प्रगति नहीं कर सकते।

श्री माणक डाणी : सभापति महोदय, हमने इस देश के अन्दर गरीबी उन्मूलन का काम हाथ में लिया है। छठी पंचवर्षीय योजना में हमारे पास में 48 प्रतिशत जनता गरीबी की रेखा से नीचे थी, जो घट कर गरीबी उन्मूलन योजना के अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजना के पूर्ण होने पर मात्र 37 प्रतिशत रह गयी और आज यह विकास की दर, जो सातवीं योजना में हैं, वह 25 प्रतिशत रह जायेगी। इस देश में कांग्रेस की जो नीतियां, कार्यक्रम हैं, गरीबी की रेखा को कम करने की ओर देश अग्रसर हो रहा है। आज इस देश का बड़े से बड़ा व्यक्ति, चाहे सत्ता में हो, चाहे सत्ता से बाहर हो, हर व्यक्ति ने कहा कि इस देश में शिक्षा के अन्दर आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हमने एक बात कही। अगर इस देश में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, तो रोका किसने है ? कर दीजिये। इस बात को इस देश के नौजवान प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने सम्भाला। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हम यह चाहते हैं कि हम यह काम करेंगे और उन्होंने आम व्यापक बहस का मौका दिया और इस देश में व्यापक बहस के बाद आमूलचूल परिवर्तन करके दिया...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

नवोदय विद्यालय को गुरुकुल प्रणाली के खिलाफ ला करके खड़ा करने की दिशा में एक कदम है जिसके लिए उन्होंने यह बात कही है। एक बात मैं कहना चाहता हूं इस देश के कानून के सम्बन्ध में। आज इस देश में सामाजिक कानून की बात कही जाती है।

श्री सभापति : कृपया चर्चा समाप्त करें। काफी समय मैंने दे दिया है। कृपया समाप्त करें।

श्री माणक डाणी : सामाजिक कानून सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त कानून है। अगर आज कोई समाज में, बिरादरी में, व्यक्ति बैठ कर समाज के नियमों के खिलाफ काम करे, तो उसके खिलाफ एक्शन होता है। डरता हुआ आदमी काम नहीं करता। लेकिन इस देश के कानून से नहीं डरता है। आखिर कारण क्या है ? जनता में इस बात को समझना होगा, हम लोगों को इस देश का कानून बनाते समय सामाजिक मान्यताओं के कानून से, अगर हम कहीं छोड़ पाये, तो इस देश को एक बहुत बड़ा फायदा मिल पायेगा। मैं एक-दो अपने क्षेत्र की बात कहूंगा।

श्री सभापति : मैं समय नहीं दूंगा। कृपया समाप्त करें। अब जल्दी समाप्त कर दे (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : बोलने दो, साहब।

श्री सभापति : माननीय ताम्बीजी, आप इन्टरवीन न करें, कृपया बिराजें।

श्री माणक डाणी : दो बातें कहूँगा, सभापति महोदय, एक रेलवे लाइन की बात और एक हवाई अड्डे की बात। अभी नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बहुत अच्छी बात कही। इस राज्य के अन्दर रेलवे की क्षमता का जो विस्तार होना चाहिए था, वह विस्तार नहीं हुआ। मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप केन्द्र में रहे हैं, राजस्थान की बात केन्द्र में आपके अच्छे सम्पर्कों के कारण जा करके वहां कहें और डबल रेलवे लाइन इस राजस्थान में बननी चाहिए। आप अपने प्रभाव का सदुपयोग कीजिए और अधिकतम बजट राजस्थान के विकास में इन रेलवे लाइनों के माध्यम से हो सकता सकता है। तो आप बड़ी रेलवे लाइनों के लिए प्रयास कीजिए। इसके साथ ही साथ मैं हवाई अड्डे की बात कहता हूं। केन्द्र सरकार तैयार है, अजमेर में हवाई अड्डा बनाने के लिए, पैसा देने के लिए तैयार है, बजट देने के लिए तैयार है, लेकिन अजमेर में जमीन का संसाधन उपलब्ध न होने के कारण आज वह हवाई अड्डा बनाने की स्थिति में नहीं है। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि चाहे राजस्व मंत्रीजी इस बात की व्यवस्था करें, चाहे मुख्य मंत्रीजी इस बात को देखें, लेकिन अजमेर के अन्दर आप हवाई अड्डे की व्यवस्था कीजिए और वहां पर हमें जगह दीजिए ताकि केन्द्र सरकार के इस पैसे का सदुपयोग करके पुष्कर में और अजमेर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़े हुए इन क्षेत्रों के अन्दर हम इस बात की व्यवस्था कर सकें।

एक अरावली रेंज की बात है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें, माननीय डाणी साहब।

श्री माणक डाणी : हमारा जवाजा क्षेत्र पूरी अरावली रेंज से जुड़ा हुआ है। अरावली रीजन की एक बहुत बड़ी योजना केन्द्र सरकार से सम्बन्धित है। वह योजना यहां आयी हुई है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इस योजना में अरावली रीजन के अन्दर मेरे जवाजा क्षेत्र के जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उन्हें रोजगार मिल सकता है। गौ-पालकों के नाम से, पशु-पालकों के नाम से एक बहुत बड़ी योजना अरावली रीजन के नाम से आयी हुई है। राज्य सरकार इस पर मनन कर, इस योजना को लागू करने के लिए कार्यवाही करें तो निश्चित रूप से जवाजा पंचायत समिति क्षेत्र के लोगों को फायदा मिलेगा।

मेरे यहां कुएं, तालाबों की बात मैंने सवेरे कही है एक ब्यावर को जिला बनाने की बात कही है। सभापति महोदय, अगर राजस्व की दृष्टि से......

(व्यवधान)

(168)

(श्री माणक डाणी)

एक मिनट बात कहूंगा । मैं बैठ जाऊंगा, सभापति महोदय ।

श्री सभापति : कृपया बिराजें, माननीय सदस्य, मैं अनुमति नहीं दूंगा । रिकार्ड नहीं किया जाये ।

श्री माणक डाणी : XXX

श्री सभापति : मैं आपको बोलने भी नहीं दूंगा । आपने अन्तिम बात कह दी । आपने हवाई पट्टी के लिए अपनी अन्तिम बात कही, मैंने सुन ली । कृपया बिराजें माननीय सदस्य ।

श्री माणक डाणी : XXX

श्री सभापति : लिखेंगे ।

श्री माणक डाणी : सभापति महोदय, राजस्व की दृष्टि से राजस्थान में कई जिलों से ब्यावर बड़ा है । लेकिन उसके बावजूद ब्यावर को जिला बनाने की बात नहीं की जाती । कम से कम राज्य सरकार अगर बारां, हनुमानगढ़ और राजसमन्द को जिला बनाने की बात करें तो उसमें ब्यावर को भी सम्मिलित करें, ब्यावर के औचित्य पर विचार करें ।

सिंचाई मंत्री ने कल ब्यावर की कोटड़ा कावड़ा फीडर पर 90 लाख रुपये की स्वीकृति जारी करने की बात कही है । मैं माननीय सिंचाई मंत्री महोदय का आभारी हूं और इस बात के लिए कहना चाहता हूँ कि कृपा करके इसकी स्वीकृति शीघ्र जारी करें......

श्री सभापति : कृपया बिराजें ।

श्री माणक डाणी : ताकि पंचायत समिति जवाजा के किसान उन्नत हो सकें, आर्थिक जीवन में वह आगे बढ़ सकें, आर्थिक जीवन में सुधार आ सके और वह कोटड़ा कावड़ा फीडर के माध्यम से विकास के नये आवाम वहां बन सकें । पी.एच.ई.डी. के माध्यम से ब्यावर में पेयजल की समस्या के समाधान में राज्य सरकार अपना ध्यान देगी, इस ओर सहयोग करेगी, जो लाइन हमारे लायला तक आ करके रुक गयी है, वह ब्यावर तक लाने का, जवाजा तहसील में लाने का प्रयास करेंगे । धन्यवाद । जयहिन्द ।

श्री सभापति : श्रीमती विद्या पाठक (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सदस्य जब बोल रहे थे तो जनता पार्टी के राज में जो स्कूल खुले हैं उसकी उन्होंने फिगर्स दी है, मैं उनको करेक्ट करना चाहूंगा ।

श्री सभापति : माननीय भंवरलालजी शर्मा, यह जवाब दे देंगे आपके दल के ।

श्री रतनलाल ताम्बी : बीच में जवाब देने का तो कोई तरीका है ही नहीं ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जवाब नहीं दे रहा हूं ।

XXX माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री सभापति : कोई आवश्यक नहीं है। कृपया विराजें, माननीय सदस्य। माननीय सदस्या बोलेंगी, आपके दल के माननीय सदस्य बोलेंगे, उनको आप दे देंगे।

श्री दीपचन्द राठौड़ : सभापति महोदय, जनता पार्टी के राज में स्कूल खुले हैं, इन्होंने राजनीतिक आधार पर लोगों को अपाइन्टमेंट्स दिये हैं....(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : यह सब आपके बजट भाषण में ही है।

श्री सभापति : श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : सभापति महोदय, 1988-89 का बजट, 1989-90 का बजट पेश हुआ, ऐसा लगता है कि सरकार ने सारी मान्य जितनी प्रक्रियाएं थीं वह जेब में रख रखी हैं। कोई ऐसी एक्स्ट्रा आर्डिनरी सिचुएशन नहीं थी कि ऐसा अनकन्वेन्शनल स्टेप लिया जाता, वोट आन अकाउण्ट लिया जाता और ऐसी स्थिति में जब न विपक्ष के नेता का भाषण हुआ, न सदन के नेता का जवाब हुआ और अब वह सारी प्रक्रिया फिर से दुहरायी जा रही है। कोई एक्स्ट्रा आर्डिनरी सिचुएशन नहीं थी। यह प्रक्रिया में जो पाल्यूशन है, यह एक बहुत बुरा लक्षण है प्रजातन्त्र से जीवन के लिए। 1988-89 की 710 करोड़ की वार्षिक योजना थी और 1989-90 की 995 करोड़ की वार्षिक योजना है। यह ये कहते नहीं थकते कि 12 प्रतिशत ज्यादा है। पर यह हमेशा भूल जाते हैं कि महंगाई मार्च-अप्रेल तक ही 15 प्रतिशत बढ़ चुकी थी और उसके बाद अब 20 प्रतिशत पिछले चार महिनों में बढ़ गयी है, 20 पर्सेन्ट जो इन्फ्लेशन हुआ, उसको इन्होंने कन्सीडर करते हुए, मुझे नहीं मालूम कि विकास के क्या काम इसमें कर पायेंगे यह आन गोइन्ग स्कीम्स को भी चला पायेंगे, यह डाउटफुल है।

केन्द्रीय सहायता की बात करते हैं। हर इश्यू को, मेरे ख्याल से बजट को अपने दिखा करके, इस राजस्थान की स्थिति देख कर बात करने की बजाय पालिटिकल भाषा के लिए इस फोरम, इस मंच को यूज करते हैं, राजस्थान विधान सभा को। अगर गम्भीरता से देखा होता तो राजस्थान को आप केन्द्रीय सहायता मिल रही है गाडगिल फार्मूले के आधार पर, जिसका प्रमुख आधार है जनसंख्या और संसाधन कितना दे सकते हैं, कितना जुटा सकते हैं, उसके प्रपोर्शन में सहायता मिलती है। हमारे स्टेट का दो तिहाई रेगिस्तान है, पिछड़ापन पर्पेचुअल फीचर बना हुआ है, बार-बार निरन्तर अकाल पड़ रहा है, ज्यादा अच्छा होता अगर इस राजस्थान विधान सभा का प्रेशर और पब्लिक ओपीनियन की मार्फत से होता और केन्द्र में बैठे हुए हमारे जो 25 एम. पीज हैं, अगर वह अपना प्रेशर यूज करते, यहां और कोई कोष फार्मेशन की बात करते क्योंकि राजस्थान में जो अकाल का नेचरल फीचर बन चुका है उसको दूर करने के लिए आपात कोष की स्थापना करते, कोई नये आइडियाज की बात करते, कोई कुछ नया अचीवमेंट करके दिखाते, इतनी बड़ी लॉबी है तो इनका कोई सब्सटेन्शियल बेनीफिट सरकार को, राजस्थान को मिल पाता

170

(श्रीमती विद्या पाठक)

परन्तु इन लोगों के संसाधन भी नेचरल है, जब पिछड़ापन है, निरन्तर अकाल है तो संसाधन में भी कमी आयेगी और उस संसाधन में कमी आयेगी तो केन्द्र से पैसा भी कम मिलेगा, कम मिलेगा तो विकास भी कम होगा। यह एक ऐसी साइकिल है जिसको तोड़ने की जरूरत है। महिला जागृति की बात करते हैं। केन्द्र से आप पूछिये कि इनके महिला जागृति कार्यक्रमों पर कब से धन नहीं मिल रहा है मगर किसी ने इसको रिप्रजेन्ट नहीं किया। महिला जागृति की बात करते हैं, तीस पर्सेन्ट वोटों की बात करते हैं। जो बात करते हैं वह आधार हीन करते हैं, केवल राजनीति से प्रेरित और जिसका कोई साउण्ड बेस नहीं है। तीस प्रतिशत महिलाओं को वोटों में एब्जोर्ब करना चाहते हैं मगर उनके विकास के लिए क्या कर रहे हैं ? कितने वर्षों से आपके पास उसके लिए धन नहीं आ रहा और कितने वर्षों से आप उसके लिए धन खर्च नहीं कर रहे, इसकी चर्चा किसी ने नहीं की है।

माननीय सभापति महोदय, पब्लिक को, जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। राज्य के हितों और सुविधाओं से खिलवाड़ कर रही है यह राजस्थान की कांग्रेस सरकार। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है, प्रशासन बिल्कुल अनरेस्पोन्सिव है, ऐसा लगता है, कि मान लो पब्लिक से कोई कमिटमेंट नहीं, कोई अकाउण्टेबिलिटी नहीं और प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है और उसकी क्वालिफिकेशन ? जो कमिटमेंट, सोशल कमिटमेंट और पब्लिक का कमिटमेंट होना चाहिए वह नहीं है और किसी तरह का उत्तरदायित्व भी नहीं। मैं माननीय, सभापति महोदय, बताना चाहती हूं कि यहां इतनी बात करते हैं, तीस प्रतिशत महिलाओं को चुनाव में लाने की भी बात करते हैं, इतनी ऊंची-ऊंची बातें करते हैं पर जब ये चुनाव में जायेंगे तो अभी तो यह आपस में ही मारते-पीटते रहते हैं फिर वहां पब्लिक जो पीटेगी तो पता लग जायेगा इनको। माननीय सभापति महोदय, मैक्सीमम टैक्स हमारी राजस्थान की सरकार पर, इण्डिया पर टैक्स है और पिछड़ा हुआ होते हुए भी राजस्थान पर भी नेचुरली मैक्सीमम टैक्स है। ऐसी स्थिति में जब एक तरफ पिछड़ापन, गरीबी, निरन्तर अकाल, केन्द्र से कम सहायता और उसके ऊपर सबसे ज्यादा टैक्स और केवल केन्द्र की तरफ से ही ज्यादती हो ऐसा नहीं है, राजस्थान की सरकार कसर नहीं छोड़ती। यह टैक्स को उगाहती नहीं है, टैक्स को माइनिंग करती है। इन्होंने एक मुश्त टैक्स लेना चाहा अग्रिम टैक्स, रोड टैक्स में एक मुश्त टैक्स लिया, आगे देने की जरूरत नहीं। लैण्ड एण्ड बिल्डिंग में एक बार टैक्स दे दीजिए, आगे देने की जरूरत नहीं......

श्री माणक डाणी : सभापति महोदय, महिलाओं वाली बात आपने कही, इस देश में तीस प्रतिशत महिलाओं को राइट किसने दिया ?

श्रीमती विद्या पाठक : Now please don't interrupt. What actually you are doing for them, that is the question.

श्री सभापति : माननीय डाणी साहब, कृपया बिराजें। इन्ट्रप्ट न करें, माननीय डाणीजी।

श्री माणक डाणी : तीस प्रतिशत महिलाओं को राइट किसने दिया ?

श्री सभापति : माननीय डाणीजी।

श्रीमती विद्या पाठक : आप कर क्या रहे हैं ?

श्री माणक डाणी : आज तीस प्रतिशत महिलाओं को राइट के साथ-साथ महिलाओं को रोजगार देने की......

श्री सभापति : कृपया बिराजें, माननीय डाणीजी। रिकार्ड नहीं किया जाय।

श्री माणक डाणी : XXX

श्रीमती विद्या पाठक : आपकी सरकार क्या रोजगार दे सकती है ?(व्यवधान)

श्री माणक डाणी : XXX

श्री सभापति : माननीय डाणीजी।

श्री हरिमोहन शर्मा : अब के डाणीजी को टिकट दे देना, महिलाओं को तीस प्रतिशत...(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बिराजें।

एक माननीय सदस्य : दाऊदयालजी को अलाउ है।

श्री माणक डाणी : XXX

श्री सभापति : रिकार्ड न किया जाय। माननीय डाणीजी।

श्री शोपत सिंह : XXX

श्री शिवचरण सिंह : XXX

श्री हरिशंकर भाभड़ा : XXX

श्री सभापति : माननीय भाभड़ा साहब...

श्री हरिमोहन शर्मा : XXX

श्रीमती विद्या पाठक : पर आप आपस में बात किस की अनुमति से कर रहे हैं ? आसन से तो अनुमति ले लीजिए।

श्री शोपत सिंह : XXX

श्री सभापति : शोपत सिंहजी, आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं ?

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रही थी कि राजस्थान राज्य के टैक्सेज का माइनिंग कर रहे हैं, रोड टैक्स एक मुश्त दे दिया जाय, लैण्ड एण्ड बिल्डिंग टैक्स एक मुश्त दे दिया जाय, गृह-कर एक मुश्त दे दिया जाय। ये यह नहीं सोचते कि आगे भी समय आयेगा और किसी न किसी की सरकार, सम्भव है इन्हीं की सरकार हो, सम्भव है कि दूसरी सरकार हो, पर जो कोई सरकार आयेगी, रेवेन्यू आगे ले लेना यह क्या उचित है ? क्या यह प्रशासन के नियमों के अनुकूल है ? क्या यह इकानामिक एण्ड पालिटिकल ऑनेस्टी है ? इस

XXX माननीय सभापति के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(172)

(श्रीमती विद्या पाठक)

बात को देखने की जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, यह नागरिकों की मेहनत, सरकार तो यह समझती है कि हर नागरिक की मेहनत और उसकी इनकम पर जैसे इनका बिल्कुल पुश्तैनी हक है और जितना यह कुछ टैक्स और भ्रष्टाचार के बाद छोड़ देती है वह बड़ी कृपा है। राजस्थान के आम नागरिक पर और यह बड़ी मेहरबानीपूर्वक उसको गिफ्ट दे रहे हैं, उस वोटर को, जिसको ये यह मानकर चलते हैं कि वह अनडिजर्विंग है और अनग्रेटफुल है तो ये जितना छोड़ देते हैं वह भी बड़ी कृपा है। यह दृष्टिकोण और यह नजरिया जो सरकार लेकर चलती है उसका कोई भविष्य नहीं हो सकता। परन्तु जिस आर्थिक स्थिति में ये भविष्य को मोर्टगेज कर रहे हैं और जिस तरह इनके मिडिल मैन बीच में अटके हुए हैं पर, माननीय सभापति महोदय, यह सब कुछ तो है परन्तु स्टेट पर ऋण कितना इन लोगों ने चढ़ा दिया है। आप देखिये ? 1.4.88 को राजस्थान पर ऋण है दो लाख सड़सठ हजार, दो सौ छह लाख, राउण्ड फिगर में दो सौ सात लाख और यह तो केन्द्र का है, दूसरी संस्थाओं का है 59 हजार, 149·84 लाख रुपया, इसको करोड़ों में कन्वर्ट करिये तो फिगर्स बड़े डरावने लगते हैं और इस पर यह ब्याज दे चुके हैं 22 हजार, 759 लाख रुपये। यह 1.4.88 में आपको और इस साल के जब फिगर्स आयेंगे तो विभिन्न एजेन्सियों से जो ऋण इन्होंने लिया है, उस ऋण की अदायगी भी बहुत डरावनी है। बाजार के ऋणों पर इन्होंने 5221 और आन्तरिक ऋणों का 633·49 लाख रुपये, इतना इन्होंने आन्तरिक ऋण ले रखा है। कोई एजेन्सी ऐसी नहीं है और कोई योजना के लिए, कोई केन्द्र परिवर्तित योजना के लिए, योजनाओं के लिए और ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके लिए इन्होंने उधारी नहीं ले रखी, ऋण नहीं ले रखा हो और इसमें इनका जितना बजट है उसका सत्तर प्रतिशत से ज्यादा नान प्लान पर खर्च कर रहे हैं। तो यह स्टेट का क्या वेलफेयर करने वाले हैं ? नान प्लान का इनका बजट बढ़ता जा रहा है। आपको आश्चर्य होगा 1984-85 को एक वर्ष में इन्होंने जितना ऋण लिया था उस एक वर्ष के ऋण पर 8769·39 लाख रुपया ब्याज, सिर्फ एक वर्ष के ऋण पर इतना ब्याज चुकाया जा रहा है। उस एक वर्ष में इनकी क्या उपलब्धि थी, क्या किया था इन्होंने ? यह पूछने के लिए कोई इसकी चिन्ता नहीं करता। तो इस तरह से जो डेड ट्रेप में आ गयी है सरकार और कोई डिटरमिन्ड एफर्ट्स भी नहीं है उसमें से निकलने की, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इतना तो ऋण है और बेरोजगारी के फिगर्स इतने डरावने हैं, यहीं सदन में, प्रश्न में जवाब दिया है 1 अप्रैल, 1989 को कि कुल आठ लाख इकसठ हजार आठ सौ छब्बीस शिक्षित और अशिक्षित रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड और निश्चित ही इससे ज्यादा होंगे इतने तो हमारे राज्य में बेरोजगार हैं और उनमें से शिक्षित हैं 5 लाख 70 हजार 250 करीब-करीब। यह जो पांच लाख सत्तर हजार 249 हैं यह पिछले वर्ष 1988 में 2 लाख 52 हजार 83 थे यानि करीब-करीब 3 लाख इस एक वर्ष में बढ़ गये। अगर इसी प्रपोर्शन में बेरोजगार

(श्रीमती विद्या पाठक)

शिक्षित बढ़ते रहे तो इनका क्या कबाड़ा बैठाने वाले हैं यह कल्पना भी नहीं कर सकते।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह अशिक्षितों की संख्या, अर्द्ध शिक्षितों की संख्या तो गिनते-गिनते हम गिनती ही भूल जायेंगे इसमें शिक्षितों में आई. आई. टी. के करीब-करीब ग्यारह हजार, इंजीनियर 1902, डाक्टर्स 195, बी. एड. 29700 और इसमें भी शिड्यूल्ड कास्ट के एक लाख 16 हजार 51 जिनमें पिछले एक वर्ष में रोजगार उपलब्ध कराया एक लाख 437 लोगों को। शिड्यूल्ड ट्राइब के हैं 52 हजार 42, रोजगार पिछले वर्ष उपलब्ध कराया है 885 को। रजिस्टर्ड महिलायें हैं जो अनएम्पलाइड हैं वह 63,262 हैं, इतनी अनएम्पलाइड हैं और उनमें से पिछले वर्ष रोजगार उपलब्ध कराया है 3777। अब ये फिगर्स इन्होंने इतने छिपे हुए दिये हैं क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि इतना रोजगार इन्होंने उपलब्ध नहीं कराया। अब इनकी जवाहर रोजगार योजना या कोई दाना योजना या एन. आर. ई. पी. या जो कोई भी योजना कह लीजिए, जितनी योजनाएं हैं अगर उनमें पार्शल एम्पलोयमेंट लिमिटेड पीरियड के लिए दिया होगा तो ये उसको एम्पलोइड मानकर चलते हैं, उस दिन के फिगर्स में जिस दिन फिगर्स कलेक्ट हुए, now this is again a political dishonesty, जो यह राजस्थान की स्टेट में फ्राड कर रहे हैं। कुछ उदाहरण हैं जिसमें किस तरह से, जो मैट्रिकुलेशन के लिए कुछ पोस्टें एडवरटाइज हुई उसमें एक पोस्ट के लिए 140 लोगों ने अप्लाई किया, रेल्वे भर्ती बोर्ड में और उसमें प्रपोर्शन पढ़ो, एक पोस्ट के लिए 150 लोगों का होना... और इसमें हायर सैकण्डरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी उसमें 30 प्रतिशत ग्रेजुएट्स ने एप्लाई किया। याने इतना मेग्नीटयूट है अनएम्प्लायमेण्ट का, एज्यूकेशन के मार्फत लोग शिक्षित तो हो ही रहे हैं और इतनी अनएम्प्लायमेण्ट की सेना बढ़ती जा रही है इसमें फ्रस्ट्रेशन आ गया, जिस तरह से एक्सप्लायट्स के चंगुल में फंसे हुए हैं उसमें फ्रस्ट्रेशन आ गया तो क्या आश्चर्य है कि यह आउट लोज बन जायेगी। कितना स्टेट उसको रोक सकती है और फिर यह किसकी जिम्मेदारी होगी क्या सरकार को यह नहीं सोचना चाहिए। ठीक है रोजगार पर उन्होंने बैन लगाया पर इस बेरोजगारी की फौज का यह क्या करने जा रहे हैं। सेल्फ एम्प्लायमेण्ट स्कीम बन्द पड़ी है, लोन दे नहीं सकते हैं, जिस चीज के लिए लोन देते हैं उसका मेटीरियलाइजेशन दिखता नहीं। तो यह एक नवयुवक के लिए फ्रस्ट्रेशन की बात हो रही है। जो पोस्टें हैं उनको खत्म किया जा रहा है। पहले ही इनकी प्लानिंग ठीक नहीं है और बेरोजगार नवयुवक, उसके साथ सबसे बड़ा फ्राड यह राजस्थान सरकार कर रही है। हर मां और बाप अपने बच्चों को यह सोचकर पढ़ा रहा है कि किसी दिन हमारा सहारा बनेगा। अगर 30 साल और 25 साल का युवक लटका हुआ मुंह लेकर आता है तो उसके मां-बाप का कितना डिसकण्टेमेन्ट होगा और इन सब का अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा। यह स्टेट्स मेन सोच सकता है कल की बात सोचने वाला, वोट की बात सोचने वाला पोलिटिशियन इसको नहीं सोच सकता है। माननीय सभापति महोदय, इसी तरह महगाई अपने आप नहीं बढ़ी।

(श्रीमती विद्या पाठक)

यह सरकार की करतूतों से बढ़ती है, मैंने पिछली बार जब बजट भाषण शुरू हुआ था उसमें मैं जो मुद्दे बोली थीं उनको टालकर बोलूंगी। एक भी रिपीट नहीं करूंगी। माननीय सभापति महोदय, 23 फरवरी, 1989 को 11 प्रतिशत रेल भाड़ा केन्द्रीय सरकार ने बढ़ाया। मैं केन्द्र की विशेष बात सिर्फ उस रेफरेंस में करूंगी जो स्टेट की रेफरेंस में आती है और उसकी वजह से जो 11 प्रतिशत रेल भाड़ा बढ़ा उसकी वजह से 2 प्रतिशत मंहगाई तो आटोमेटीकली बढ़ गयी, मगर उसकी वजह से पैट्रोल, मिट्टी का तेल, खाद्य तेल, कोयला, गेहूँ, चीनी, दाल, घर तक पहुंचने वाली हर चीज 2 से 10 प्रतिशत स्वतः ही मंहगी हो गयी और इसी तरह यह जो "कोर सैक्टर" में जो विकास का प्रमुख अंग होना चाहिए और जो कोर सैक्टर विकास में सहायता करता है, उसके लिए सभापति महोदय, चीजें मंहगी हुयी और जब गृहिणी का बजट असंतुलित होने लगा तो यह स्वाभाविक है कि राजस्थान का विकास तो हुआ ही नहीं। यह मंहगाई यहीं नहीं रुकी। जनवरी, 1989 को केन्द्र सरकार ने कोयले के दाम बढ़ा दिये, कोयले के दाम बढ़ाये 13½ प्रतिशत 13 रुपये प्रति टन के हिसाब से उन्होंने दाम बढ़ाये। स्वाभाविक था कि उसकी वजह से कोयले से बनने वाली हर चीज मंहगी हो गयी। कोयला जिस चीज में काम आयेगा हर चीज मंहगी हो गयी। इसमें कागज, उर्वरक, बिजली उत्पादन, स्टील, सीमेण्ट, यह पूरी कोर सैक्टर की चीजें है, जो स्वतः 8 प्रतिशत मंहगी हो गयी। एक स्ट्रोक ऑफ पेन के तहत, मंत्री के आदेश से हर चीज हिन्दुस्तान में 8 प्रतिशत मंहगी हो गयी। 30 सितम्बर, 88 को पार्सल की दर बढ़ा दी, यानी जो चीज आ सकती है उनमें जितना छोटे से छोटा नोमीनल कोर्नर दिखा टैक्स का, वहां टैक्स लगा दिया। फिर राज्य ने भी कसर नहीं छोड़ी। सभापति महोदय, दिसम्बर, 88 में उन्होंने कोयले पर जिस पर केन्द्र सरकार ने बढ़ाया था उस पर 4 प्रतिशत बिक्री कर दिसम्बर में ही बढ़ा दिया। इसके अलावा एक मुश्त सड़क कर पर 10-15 प्रतिशत वृद्धि कर दी और 10 प्रतिशत सरचार्ज उन्होंने दिसम्बर में ही बढ़ा दिया। बसों के किराये बार-बार बढ़ाते रहते हैं। यही नहीं स्टेट ने जहां पैसे बढ़ाये—दूध पांच वर्ष में 10 बार, घी पांच वर्ष में 10 बार, यहां तक कि राशन का गेहूँ जो फेयर प्राइज शॉप के लिए स्टेट कमीटेड है, उसमें 1.95 रुपये से गेहूँ 2 रुपये 15 पैसे कर दिया। सिर्फ यही नहीं मसालों में 45 प्रतिशत की गत वर्ष वृद्धि हुयी, दालों में 26 प्रतिशत की वृद्धि हुयी, खाद्यान्न में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुयी, मिर्च में 108 प्रतिशत की वृद्धि हुयी और चीनी तो शहरों में 11–11 1/2 और गांवों में 15-16 रुपये प्रति किलो में मिल रही है वह भी छिपे तौर पर कहीं थोड़ी बहुत दी जाती है। गांवों में फेयर प्राइज शाप दुकान से चीनी नहीं मिलती। चाहे सरकार कितना ही कहे कि इतने टन आ गयी, इतने ट्रक आ गये। काबुली चना जो मामूली चीज है, रोज की दाल रोटी की चीज है 23 रुपये किलो मिल रहा है। मंहगाई का यह हाल है। माननीय सभापति महोदय, इस मंहगाई के साथ-साथ मिलावट भी बहुत ज्यादा है। माननीय मंत्री

(श्रीमती विद्या पाठक)

महोदय ने खुद एक, दो जगह जाकर पकड़ा है। उन्होंने धनिये में घोड़े की लीद, चाय में और कोई चीज, इस तरह की मिलावट है, उस पर सरकार कण्ट्रोल नहीं रख पा रही है।

इसी तरह मैं कहना चाहूंगी हूं कि इन्सपेक्टिव अधिकार है वह इतने कनफयूज्ड कर दिये कि पैट्रोल पम्प को दूसरा चैक करेगा, गेहूं की दुकान को कोई दूसरा चैक करेगा और दूसरी एमीनटीज को और कोई दूसरा चैक करेगा। जहां एक साथ पैसे खाने का सवाल आता है माननीय सभापति महोदय, इनमें से कोई भी पीछे नहीं रहेगा। सब एक आवाज में बोलेंगे। एक उदाहरण मैं उनको बताना चाहूंगी...

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

माननीय सभापति महोदय, पांच मिनिट में। केन्द्रीय सरकार ने एक आदेश निकाला कि अब नमक आयोडाइज्ड यूज होगा। यानी बिना इस बात को देखे कि आयोडाइज्ड नमक की जरूरत है या नहीं? किस तरह के आयोडीन की जरूरत है और उनका जो आब्जरवेशन है उसको मैं पढ़ने की इजाजत चाहूंगी।

"The economy of iodized salt assumed a political dimension. The uncommon salt costs almost three times more and then forces the common poor either to forego salt altogether or to face the hazard of transacting in black for the white commodity.

Why can't the administration, so anxious to protect the mental health of the citizens subsidise the iodized salt and sell it at the common salt price? Or have the bigwigs of industry, who have set up their iodized salt plants with amazing alacrity, lobbyed so strongly for their product, that the Government has no choice but to declare the common salt as a deadly poison?"

याने अब तक जो नमक खाते आ रहे थे वह तो जहरीला हो गया और सरकार को हमारी हेल्थ की वेलफेयर का इतना ख्याल आया कि हमें आयोडाइज्ड नमक के अलावा कुछ नहीं खाना चाहिए। जबकि वैज्ञानिक कहते हैं कि समुद्र से दूर जो वेली एरियाज हैं उनमें कहीं कहीं आयोडिन की कमी होती है वहां भी सरकार आज हमको आयोडिन युक्त नमक खिला रही है। उसके हजार्डस कितने ज्यादा होंगे। जिसको आयोडिन की जरूरत नहीं है उसको बचाने का क्या साधन होगा और क्या आधार होगा? और आयोडिन की जरूरत राजस्थान में क्यों महसूस की गयी। यह राजस्थान की सरकार ने नहीं सोचा। बस केन्द्र के किसी उद्योगपति को मदद करने के लिए किसी केन्द्र की अथोरिटी ने या मंत्री को सनक आयी और उन्होंने उसको बेनीफिट देने के लिए इसको कम्पलसरी कर दिया बल्कि पिनल ओफेंस कर दिया तो सभापति

(श्रीमती विद्या पाठक)

महोदय, इस तरह जनता के स्वास्थ्य को गवर्नमेण्ट की पालिसी के आधार पर देखने लगे।...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री रघुनाथ परिहार (सरकारी मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय सदन की सहमति से एक घण्टे के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक-दो मत करो। 9 बजे तक बढ़ायें।

श्री रघुनाथ परिहार : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सदन का समय सदन की सहमति से 2 घण्टे के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की सहमति है कि समय दो घण्टे के लिए बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घण्टे के लिए बढ़ाया गया।

विधायी कार्य

राजस्थान विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1989 पर विचार

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन यह कर रही थी कि यह वार्निंग इस हाउस के मार्फत इस सरकार को दी जानी चाहिए कि इस तरह पब्लिक की हैल्थ के साथ, जनता के साथ खिलवाड़ न करें। किसी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए एक हैल्थ हजार्ड क्रियेट न करे और इस आदेश की पालना बन्द करायें। मैं यह भी कहना चाहती हूं सभापति महोदय, बिजली बोर्ड की बड़ी चर्चा की है। आप समय की बात कर रहे हैं इसलिए में थोड़ा समय दूसरे विषय पर बोलना चाहूँगी। पी.एच.ई.डी. का राज घरानों में 80-81 से बिल बकाया है। 5875 रुपया जयपुर घराने में, 1 लाख 60 हजार रुपया जोधपुर राज घराने में, पिछले पांच वर्ष से बकाया है सरकार उसको नहीं उगा सकती है। सब ज्युडिश भी नहीं है। आबकारी में 12 जिलों में 441 करोड़ रुपये पांच वर्ष से बकाया चले आ रहे हैं जबकि उसकी कुल वार्षिक आय 79-80 में 137 करोड़, 87-88 में 121 करोड़ की हुयी है। वार्षिक आय से ज्यादा तो उसकी उधारी बकाया है पिछले पांच वर्षों से और उसमें जयपुर में 96·32 लाख, जयपुर ग्रामीण में 11·52 लाख। इसी तरह बीकानेर में 50·74 लाख, गंगानगर में 14·13 लाख और कोटा में 59·70 लाख यानी यह मैंने मुख्य फिगर्स बतायें हैं। इतनी आबकारी को इनकी उधारी है। इसको यह नहीं उगा सकते मगर लोगों को एडलट्रेटेड दारू जरूर पिलवा सकते हैं। दारू एडलट्रेटेड किस तरह से बनाई जा सकती है या दी जा सकती है उस पर कन्ट्रोल भी नहीं कर सकते। यहां तक कि स्टेट और जितने लिकर हैं वह भी एडलट्रेटेड है क्योंकि यह सील्ड नहीं है बोटल्ड नहीं है। माननीय

177

(श्रीमती विद्या पाठक)

सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूँगी कि करीब 250 उद्योगों में 90·94 करोड़ रुपया बकाया है केवल अकेले जोधपुर सम्भाग में ही 78 लाख रुपया बकाया है, रीको का, रीको की विदेशी मुद्रा बकाया है। 3 करोड़ 3 लाख 22 हजार 256 रुपये विदेशी मुद्रा में लोगों को दिये हुये हैं वह काफी समय से बकाया है। रीको का अनसिक्योरड लोन्स है 1 करोड़ 70 लाख, 58 हजार के जिनके वापस आने की उम्मीद कम नजर आती है। अब तो क्या बात है अब तो + + + तो अब ये कहां रुकेंगे डेफिसिट रीको के और राजस्थान स्टेट इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 13 हजार पावर लूम्स, 38 हजार हजार लघु उद्योगों में 41 करोड़ रुपया बकाया है जो अनआथेन्टिक है, अनरिकार्डेड है। माननीय सभापति महोदय, आर. एफ. सी. का 27 हजार, 515 इकाइयों में 330·70 करोड़ रुपया बकाया है और अकेले जयपुर में 5 हजार 338 लाख, भीलवाड़ा में 3 हजार 102 लाख, जोधपुर में 31.12 लाख यानी करीब-करीब 113 लाख इतना रुपया यह आर. एफ. सी. का उन उद्योगों में बाकी है। मगर दूसरी तरफ माननीय सभापति महोदय, जहां छोटी इण्डस्ट्रीज है, किशनगढ़ में पावर लूम्स, भाग्य से पिछले वर्ष में 60% कीमत बढ़ाई सरकार ने उसके बाद दिसम्बर, 1988 में फिर 20 प्रतिशत बढ़ाई। नतीजा यह हुआ कि धागा इतना मंहगा हो गया कि किशनगढ़ पावर लूम्स को खतरा उत्पन्न हो गया। अगर आप मुझे सभापति महोदय, दो मिनट अलाऊ करेंगे तो मैं कुछ आर.एस.ई.बी. पर कहना चाहती हूं।....

श्री सभापति : माननीय विद्या जी जल्दी समाप्त करें।

श्रीमती विद्या पाठक : एक मिनट में समाप्त करती हूँ, साहब। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री ने फाइनेन्स कमीशन से कहा कि केन्द्र की जितनी सहायता आ रही है हमारी तो आर. एस. ई. बी. में ही खर्च हो जाती है। अधिकांशतः आर. एस. ई. बी. में खर्च हो जाती है और यह ठीक है आर. एस. ई. बी. में खर्च होना चाहिए क्योंकि यह विकास की बैक बोन है आर. एस. आर. टी. सी. में खर्च होना चाहिए क्योंकि यह नब्ज है, विकास की सारी नसें हैं जितनी भी यह सब आर. एस. आर. टी. सी. है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहती हूँ कि 31 मार्च, 1988 तक आर. एस. ई. बी. का सकल घाटा 1 हजार 347·50 करोड़ था। 31 मार्च, 89 को देनदारियां 19453·60 लाख रुपया इतनी देनदारियां आर. एस. ई. बी. में 31 मार्च, 89 को थी जो दिसम्बर, 86 में 1,24,381 लाख हुआ करती थी। यानी इतनी ज्यादा इसकी देनदारियां बढ़ रही हैं। इतना बड़ा लवाजमा है पर ट्रान्सफार्मर जब सुधरवाते हैं तो पिछले वर्ष 11 करोड़ रुपया खर्च किया, 11 करोड़ रुपये में माननीय सभापति महोदय, जो विभाग के लवाजमें से

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्रीमती विद्या पाठक)

ट्रान्सफार्मर सुधरवाये गये वह 2 हजार से भी कम एग्जेक्ट फिगर 1,983 ट्रान्सफार्मर यह बोर्ड ने सुधरवाये। मगर जो बाजार कमीशन मिलता है, जो बाहर की कंम्पनियों से सुधरवाये वह 18,394 ट्रान्सफार्मर निजी फर्मों से सुधरवाये। इतना बड़ा आर्गेनाइजेशन, इंजीनियरिंग सैक्शन, एक्सपर्ट, यह सब लेकर काम नहीं करते और जहां कमीशन और कन्सलटेन्सी की बात होती है उसको सबसे पहले, फिर यों कहते हैं कि बोर्ड है इसकी बात भी नहीं कर सकते। माननीय सभापति महोदय, हाई टेन्शन उद्योगों में 1 अप्रैल, 89 को 64 करोड़ 93 लाख 5 हजार रुपये की राशि बकाया थी मगर 1 अप्रैल, 88 को यही 59 करोड़ जो अब 64 करोड़ हो गई, 59 करोड़ 29 लाख, 6 हजार रुपया थी यानी एक साल में करोड़ों रुपया यह हाई टेन्शन में बकाया यह 1986 में 51 करोड़ 39 लाख 72 हजार थी, 1987 में बढ़कर 54 करोड़ 94 लाख 39 हजार हो गई और अप्रैल, 1988 में जैसा मैंने अभी निवेदन किया 59 करोड़ 20 लाख 6 हजार हो गई और 1989 में यानी इस वर्ष 64 करोड़ 93 लाख 5 हजार हो गई यानी यह हाई टेन्शन में इनकी बकाया है वह निरन्तर बढ़ती चली जा रही है और जिसमें केन्द्र को यह धोखा देना चाहते हैं, इस डेफिसिट को यह पूरा करना चाहते हैं। एग्रीकल्चर सैक्टर में, डोमेस्टिक सैक्टर में, स्माल स्केल इण्डस्ट्री सैक्टर में बिल बढ़ायेंगे एम्युनिटीज कम करते जायेंगे। दूसरी तरफ उधारी बढ़ायेंगे और इसमें पैसा अधिक लगाया जाकर व्यापारियों को लाभ पहुंचाया जाता है। मोदी एललीज को 1985 से और श्री राम केमिकल्स को 87 से जो 23-4-86 का आर्डर सरकार का था उससे 57 पैसे प्रति यूनिट में बिजली दी जा रही है। बड़ा उद्योग है। जब यहां विधान सभा में प्रश्न रखा गया तो 1 अप्रैल, 89 से सरचार्ज सहित उसको 75 प्रतिशत, यानी बड़े उद्योगों को लाभ पहुंचा रहे हैं, दूसरी तरफ डेफिसिट बढ़ रहा है, तीसरी तरफ सामान खरीदते हैं उसमें खाते हैं, चौथी तरफ अपनी जो राशि है वह बड़े उद्योगों में से उगाते नहीं और छोटे लोगों के कनेक्शन काटते हैं और इस पर मुख्य मंत्री कहते हैं हमारा ज्यादा पैसा बोर्ड में लगता है। अगर इसी तरह बोर्ड में लगता है और फिर उसके बाद आगे विकास की कोई योजना नहीं। लिग्नाइट बेस्ड जो पावर हाउस बनाना चाहते हैं वह कैसे बनेगा? इन्होंने सारे अधिकार तो नेवेली और एन. ए. सी. को दिये हैं जो स्टेट में कतई इन्ट्रेस्ट नहीं रखते। अपने नाम की कमाई खा रहे हैं और राजस्थान की सरकार भी चुप बैठी है। तो इलैक्ट्रिसिटी के पक्ष में इसका आगे क्या भविष्य होने वाला है इसकी सरकार को कोई चिन्ता नहीं।

एक बात मैं लास्ट में कहकर समाप्त करना चाहती हूं। अभी माननीय जोशीजी ने कुछ बातें बताई हैं। बातें बहुत अच्छी हैं पर ऐसा लगता है कि जितने माननीय सदस्य कांग्रेस के बोले हैं उनमें प्रमुख रूप से चुनाव का भय छाया रहा। इस फोरम को उन्होंने अपनी रीति-नीति और कमिटमेंट की प्रोमिसेस के लिए यूज किया। यह

(श्रीमती विद्या पाठक)

गलत बात है कि हम यह करेंगे और वह यह करेंगे। अब 10 वर्ष पहले जनता पार्टी के शासन काल का भूत और भय अभी तक इनके मन से नहीं निकला। 10 वर्ष में तो हम प्रश्न भी नहीं उठाते आप भी कह देते हैं कि 10 वर्ष पूर्व के प्रश्न नहीं उठाये जा सकते, मगर फिर यह उसी बात को जिसे भूल ही गये होंगे फिगर्स भी याद नहीं होगी पर मनमाने तरीके से कह रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात यह भी कहना चाहती हूँ, सोशियल कमिटमेण्ट्स की बात जोशी जी ने बिल्कुल सही कही। और जो कुछ उन्होंने ब्यूरोक्रेसी और उसकी प्रक्रिया के बारे में कहा हम पूरी तरह सहमत हैं उनसे। पर मैं यह कहना चाहती हूँ कि आज तो सरकार आपके पास हैं, पिछले 10 वर्ष से आपके पास थी अगर आप लोगों में कोई थिंकर होता और किसी को इस व्यवस्था में चेन्ज करने की जरूरत थी तो क्यों नहीं इसका प्रारूप करके इम्पलीमेंट इतने वर्षों में किया होता। विपक्ष भी इसको मदद करने को तैयार है। एक उदाहरण इन्होंने देखा डेलीगेशन ऑफ पावर्स एण्ड बिजनिस रूल्स में चैन्ज किया था। खान मंत्री ने एक एक्सपरिमेण्ट किया था और प्रेस्टिज का इश्यू बनाया था बिजनिस रूल्स में और डेलिगेशन ऑफ पावर्स में एक्सचेन्ज किया था। नतीजा यह हुआ कि उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा तो यह क्या सोचते हैं? अपनी शक्ति नहीं सोचते और अपने दूसरों के बूते की यह अपनी बातें कहना चाहते हैं। देश-विदेश की बातें बोलें, वोटों की बात बोले पर राजस्थान की बात किसी ने कही अफसोस की बात है। माननीय सभापति महोदय, इस माली हालत के साथ जब यह सरकार पूरी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है, जनता को, किसी सरकार पर भरोसा नहीं इनको एक पैनी देने का इनका माजना नहीं है।

श्री सभापति : श्री हेमाराम चौधरी।

श्री हेमाराम चौधरी (गुडामालानी) : सभापति महोदय, मैं सरकार के द्वारा जो योजनायें, जिन पर जो राशि खर्च की जाती है और जिन लोगों के लिये योजनायें बनाई जाती हैं उसका लाभ उन लोगों को सही रूप में मिले इसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, बजट भाषण में पीने के पानी के मामले में मैं निवेदन करना चाहूँगा कि 57-58 करोड़ रुपये का प्रोवीजन रखा उसमें 29·8 करोड़ रुपये शहरों के लिये और 28 करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्रों के लिये जबकि 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है और 20 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में रहती है। गांवों में भी लोग एक जगह नहीं रहते हैं, वह अलग-अलग ढाणियों में बसे होने के कारण पाइप लाइनें भी बहुत लम्बी-लम्बी लगानी पड़ती है। मेरे कहने का मतलब है कि जो योजनाएं हैं वह बहुत ज्यादा मंहगी और खर्चीली होती हैं। उससे खर्चा उल्टा शहरी योजनाओं की अपेक्षा तीन गुना, चार गुना बैठता है। जो प्रति व्यक्ति खर्चा आता है वह बहुत ज्यादा आता है। फिर भी शहरों के लिये पीने के पानी की योजनाओं के लिये पैसा ज्यादा

(श्री हेमाराम चौधरी)

और गांवों में पीने के पानी की योजनाओं के लिये पैसा कम रखना यह ग्रामीण जनता के साथ न्याय नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें सरकार अपनी नीति में परिवर्तन करे और गांवों के लिये, ग्रामीण पेयजल योजनाओं के लिये ज्यादा पैसे का प्रावधान करके जो गांव 1981 की सेन्सस में हैं, जो बहुत पुराने गांव हैं वह भी आज तक पीने के पानी की योजनाओं से नहीं जुड़े हैं। आज भी लोगों को बीस-बीस, तीस-तीस किलोमीटर दूर से पीने को पानी लाना पड़ता है। जहां पर लगातार अकाल पड़ता है, जिनके पास पानी लाने के कोई साधन नहीं है, आखिर आजादी के इतने वर्षों बाद भी वह अपने सिर पर पानी उठाकर के कब तक लाते रहेंगे। आजादी के इतने वर्षों के बाद में इस सरकार को इस बारे में गम्भीरता से सोचने की जरूरत है।

सभापति महोदय, आज हम किसानों के विकास के लिये, खेती के लिये बहुत सारी योजनाएं लागू कर रहे हैं खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये, उन किसानों में खुशहाली लाने के लिये, मैं आपके माध्यम से एक योजना के बारे में निवेदन करना चाहूँगा, जो योजना सरकार ने एक बार किसानों के लिये लागू की और एक साल योजना लागू करके फिर दूसरे साल उस योजना को बन्द कर दिया। वह योजना फसल बीमा योजना है। इस योजना के लागू किये जाने से उस वर्ष 1986-87 के अन्दर जब अकाल पड़ा तो किसानों को इससे बहुत बड़ी राहत मिली। को-आपरेटिव के जितने भी कर्जे थे वह मुआवजा मिल जाने से, फसल के नुकसान का मुआवजा मिल जाने से उससे उनका समायोजन हो गया और किसानों को वह ऋण चुकाना ही नहीं पड़ा। इससे उनको ऋण से एक तरह से पूर्णतया मुक्ति मिल गयी, कम से कम वहां पर जहां 100 पर्सेण्ट खराबा था और जहां कम खराबा था वहां ऋण मुक्ति मिली लेकिन मुक्ति अवश्य मिली।

सभापति महोदय, इस प्रकार की जो किसानों के लिये हितकारी योजना लागू की और उस योजना को सरकार ने बिना कारण, बिना सोचे-समझे और उसको दूसरे साल बन्द कर दिया, 1987-88, 1988-89 और 1989-90 अब तीन साल हो गये। तीन साल से यह योजना बन्द है, 1986-87 में यह योजना लागू की थी और इस योजना को पुनः लागू करने के लिये बन्द की उसके बारे में भी हमने कहा कि योजना बन्द नहीं की जाये और उसको पुनः लागू करने के लिये हर बार विधान सभा में क्या, जहां-जहां भी मौका लगा, सरकार का ध्यान हमने इस ओर आकृष्ट किया लेकिन सरकार ने कई बार आश्वासन भी दिये लेकिन अभी तक इसको लागू करने के बारे में कोई निर्णय सरकार ने नहीं लिया। इसलिये मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार इस पर बहुत ही गम्भीरता से विचार करे कि यह किसानों के लिये बहुत हितकारी योजना है, जो कर्जे किसान लेते हैं वह सारा पैसा खेती में लगा देते हैं, उनको वापस खेती के अन्दर पैदावार कुछ भी हाथ में नहीं लगती

(श्री हेमाराम चौधरी)

सारा पैसा उसमें डूब जाता है। उसके अलावा उनके पास जो पैसा होता है वह भी उसमें चला जाता है और किसान बरबाद हो जाता है। उसकी कोई भी सरकार अगर गारण्टी नहीं दे तो हर साल किसान कर्जा लेता चला जायेगा और लोन कन्वर्जन होता जायेगा। किसानों के ऊपर इतना कर्ज का बोझ बढ़ गया है कि वह आज चुकाने की स्थिति में नहीं है। इसलिये मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूँगा कि इस योजना को शीघ्र फिर लागू किया जाये और यह योजना जो लागू हुई उसके बाद जो 1987-88, 88-89 और 89-90 के जो कर्ज हैं वह सरकार माफ करे क्योंकि तीन सालों में अकाल है और जब तीनों सालों में अकाल है तो वह योजना लागू रहती तो यह कर्ज हमारे आटोमेटिक माफ हो जाते, हमको जी. आई. सी. से यह पैसा मिल जाता। बाड़मेर जिले में जब यह योजना लागू थी उस समय साढ़े तीन करोड़ रुपये मिले थे। करीब-करीब जो को-आपरेटिव का लोन था वह सारा किसानों का माफ हो गया और यह तीन वर्षों का कर्जा आज किसानों के ऊपर है, वसूली नहीं कर सके, अकाल कारण। वह लोन कन्वर्जन होता रहा और वसूली चुकाने की स्थिति में किसान है नहीं। इसलिये इसके बारे में सरकार गम्भीरता से सोचे। किसानों को अगर अपने पैरों पर खड़ा रखना चाहते हैं तो हम जो आज गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोग हैं उनको हम ऊपर उठाने की बात करते हैं, उनको हम साधन मुहैय्या कराने की बात करते हैं, उसके लिये हम सब्सिडी भी देते हैं। यह सब कुछ करने के बाद में आज किसान, पहले जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन जो परिवार कर रहे थे उससे ज्यादा परिवार आज उस रेखा के नीचे चले गये हैं क्योंकि जब लगातार अकाल पड़ रहा है तो खेती के ऊपर जो पैसा लगता है वह भी उसके ऊपर कर्ज बढ़ता जाता है।

श्री शिवचरण सिंह : सही बात मत कहो, पार्टी से निकाल देंगे। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि किसानों के लिये जो योजना है, आप बाकी सारी योजनाएं जो लागू कर रहे हैं, अच्छी बात है और आपने जिस प्रकार से इस योजना को बन्द कर दी आपके पास धन की कमी है, दूसरी योजनाएं आप भले ही बन्द कर दीजिए। मिनिकिट्स आप बांटते हैं, क्या लाभ होता है आपको, मिनिकिट्स से, खा जाते हैं और पिछले वर्ष तो जो वहां पर मिनिकिट्स बांटे आपने ऐसा खराब बीज दिया, कि किसानों ने जो बोया उससे कुछ पैदा ही नहीं हुआ, उसका खेत खाली रह गया। इसलिये मिनिकिट्स पर पैसा खर्च करते हैं, दूसरी दुनिया भर की योजनाएं चला रखी है आपने, गांवों के अन्दर वी. एल. डब्ल्यू. और दूसरे कृषि प्रसार अधिकारी और जिला कृषि अधिकारी दुनिया भर के लगा रखे हैं, जिनका कोई लेना-देना नहीं, कोई मतलब नहीं। बरसात होगी तो खेती होगी नहीं तो कुछ नहीं। किसान अपने आप पैदा कर लेगा तो इसलिये आप इन सारी

(श्री हेमाराम चौधरी)

योजनाओं को जो ज्यादा महत्व की नहीं हैं उनको आप इधर डाइवर्ट करके जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योजना है इसको आप लागू करें। इस बारे में मैं आपकी मार्फत सरकार से बार-बार आग्रह कर रहा हूं, इसकी सुनवाई करना सरकार का काम है हमारा काम सरकार के ध्यान में लाना, निवेदन करना है।

श्री शोपत सिंह : और नहीं माने सरकार तो फिर आप क्या करोगे ?

श्री हेमाराम चौधरी : उसका इलाज तो आप......(व्यवधान)........केवल आपने ही किसानों की पैरवी करने का ठेका नहीं लिया है। हम भी बोल सकते हैं, हमारे पर ऐसी कोई बन्दिश थोड़े ही है, हम भी अपनी बात कह सकते हैं, सरकार वह करेगी जो सरकार कर सकती है। सरकार की नीति है सरकार जैसा करना चाहे करे, हमारा फर्ज है सरकार के ध्यान में लाना। इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें ट्यूबवैल्स हैं, उसको खोदने के लिए किसान को सब्सिड़ी दें। आप उद्योग लगाने के लिए तो सब्सिड़ी देते हैं, 25 प्रतिशत आपने हमारे बाड़मेर जिले को सब्सिड़ी कर रखी है लेकिन किसान अगर कोई भी कुआं बनाये और उसमें बिजली लगाये और कोई साधन लगाये, उस पर आपने कोई सब्सिड़ी नहीं दी, अगर वह किसान अपने कुओं पर बिजली लगाता है तो उसको आपको 25 प्रतिशत सब्सिड़ी देनी चाहिए जो आप देते नहीं। जो कि वास्तव में बिजली लगेगी फर्जीवाड़ा नहीं होगा, फर्जीवाड़े की योजनाएं तो फटाफट लागू हो जाती हैं सही योजनाएं हैं वह लागू नहीं होती। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि आप इसको लागू करें। नलकूप खुदवाने के लिए भी आप 50 प्रतिशत सब्सिड़ी किसानों को दें तो किसान नलकूप खोदकर, बिजली लेकर के कर सकता है।

दूसरा, सभापति महोदय, किसानों ने जो अकाल के तहत कुए बनाये, सरकार ने पिछले साल जो अकाल के काम किये, उसमें कुओं का निर्माण कराया, बहुत अच्छा काम सरकार ने पहली बार हाथ में लिया, उसकी मैं तारीफ करता हूँ लेकिन कुछ कुएं अधूरे रह गये उनको पूरा कराना बहुत जरूरी है। जब तक वह पूरे नहीं होंगे उसमें जो पैसा खर्च हुआ है उसका कोई उपयोग नहीं होगा और जो पूरे हो गये उन सब कुओं पर आप बिजली दे दें। जब तक आप उन कुओं पर बिजली नहीं देंगे वह कुएं बहुत गहरे हैं, पानी बहुत गहरा है। डीजल पम्प से तो वह खेती कर नहीं सकते, केवल बिजली से ही कर सकते हैं क्योंकि डीजल पम्प से खर्चा इतना आता है कि जो खेती की पैदावार होती है उससे भी दुगुना खर्चा उसका आता है। इसलिए वह कर नहीं सकते। आप प्राथमिकता से कम से कम उन कुओं पर तो बिजली दे दें जो फेमिन के तहत आप ने बनवाये हैं। आपने फेमिन में आधा पैसा मजदूरी में दिया और आधा पैसा मैटीरियल का किसान ने अपने घर से लगाया। इतना भयंकर अकाल होते हुए भी इसमें आधा पैसा अपने घर से लगाया, कर्जा

(श्री हेमाराम चौधरी)

लेकर लगाया। अगर आप इसी प्रकार बिजली देते रहेंगे तो उन कुओं को दस साल में भी नहीं मिलेगी। 10 साल तक बिजली नहीं मिलेगी तो जो आधा मैटीरियल का पैसा कर्जा लेकर उसने लगाया है वह दस साल में कितना हो जायेगा? वह कर्जे में डूब जायेगा। फायदा होना दूर रहा उल्टे कर्जे में चला जायेगा, उल्टा गरीबी की रेखा के नीचे चला जायेगा। गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना चाहते हैं उल्टे ज्यादा लोग उसके नीचे जा रहे हैं। इसीलिए आप ऐसी योजना पर विचार करें, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। जब पूरे हिन्दुस्तान में अकाल पड़ा तब तो सरकार ने पैसा देने में कहीं कोई कमी नहीं रखी, सब जगह अकाल राहत के काम खोले, सब लोगों को काम दिया, कुएं बनवाये, टांके बनवाये, मकान बनवाये, सब कुछ किया और गत साल सिर्फ कुछ जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के कुछ हिस्से में और दूसरे जिलों के थोड़े से गांव अकाल से प्रभावित हुए तो अकाल के नाम पर कुछ नहीं किया, एक पैसा भी नहीं दिया। जब पूरे हिन्दुस्तान में अकाल पड़े तब तो सरकार व्यवस्था कर सकती है जहां अरबों-खरबों का सवाल है और जहां बहुत कम हिस्से में अकाल पड़े तो सरकार व्यवस्था नहीं कर सकी, साधन नहीं बांट सकी, सरकार के पास पैसा नहीं है। यह बात समझ में नहीं आती। सरकार की मंशा नहीं है, यह बात अलग है। सरकार की मंशा है और करना चाहती है लेकिन साधन नहीं हैं, यह बात है, साधन वाली बात है। जब अरबों-खरबों रुपये चाहिए तब तो खर्च कर सकती है और जहां करोड़ों का सवाल आता है, लाखों का सवाल आता है वहां खर्च नहीं कर सकती। जो गांव अकाल से लगातार प्रभावित रहे, पिछले साल अकाल से प्रभावित हुए और जहां बिल्कुल ही काम नहीं खोले, वहां लोगों की हालत क्या है। हम बार-बार चिल्लाते रहे, कहते रहे लेकिन कोई सुनवाई नहीं। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह बात कहने में कोई एतराज नहीं है। इस साल भी अब तक बरसात नहीं हुई, वहां क्या हालत होगी? इसलिए आप इस ओर विशेष ध्यान दें, ऐसी स्थिति पैदा हो जाय तो तुरन्त राहत पहुंचायें ताकि लोग जिन्दा रह सकें। सभापति महोदय, हमारे वहां पर कई बार मंत्रीजी आये, दूसरे आये। हमने यह अर्ज की कि इस साल आप काम नहीं खोल रहे है, हमने बहुत कहा लेकिन नहीं खोल रहे हैं, आपकी इच्छा की बात है। लेकिन पिछले साल अकाल में जो काम आपने करवाये, उन कामों पर लोगों ने जो मजदूरी की वह मजदूरी तो मेहरबानी करके चुका दो। बाड़मेर जिले की वह मजदूरी भी आज करोड़ों रुपये की बकाया है। काम नहीं खोलें, ठीक है, लोग इतना ही कहेंगे कि हमारे कोई काम नहीं खोला, हमको कोई काम नहीं दिया, मजदूरी करने बाहर गये, कोई भी मजदूरी के अभाव में मरेगा नहीं लेकिन जिनका पैसा बकाया है, कितनी कठिनाई में उन्होंने मजदूरी की, वह पैसा भी अभी तक आप चुका नहीं रहे हैं, इससे ज्यादा अफसोस की बात हो नहीं सकती। सरकार तुरन्त उनको जो बकाया मजदूरी है उसको चुकाने की व्यवस्था करे।

(श्री हेमाराम चौधरी)

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि उन एरियाज में जहां लगातार अकाल पड़ता है वहां सिंचाई की सुविधा है नहीं। आप सिंचाई के नाम से अरबों रुपये खर्च करते हैं। मैं कहता हूं कि बाड़मेर जिले में आप सिंचाई विभाग पर जितना खर्च कर रहे हो, एक पैसा मत दो। जो कुछ देते हैं वह अधिकारियों के काम आता है। फालतू ही रेत इधर-उधर करते हैं, कोई मतलब निकलता नहीं। मेरी यह अर्ज है कि आप कुओं पर बिजली दे दीजिए, जहा कुएं हो सकते हैं, जहां कुएं बने हुए हैं। पानी जहां है वहीं मिलेगा। बाड़मेर जिले में बहुत कम पाकिट है, एक चौथाई हिस्सा है जहां कुएं हैं। कम से कम वहां तो आप बिजली दे दीजिए जिससे अकाल का स्थाई हल हो। अकाल के स्थाई हल के बारे में आप कुछ नहीं करेंगे तो यही ढर्रा चलता रहेगा। मैं तो 1980 के बाद से देख रहा हूं सिर्फ एक जमाना आया है। अगर अकाल के स्थाई हल के बारे में कुछ नहीं करोगे तो यह हालत दिन-ब-दिन और खराब होती जायेगी।

श्री सभापति : कृपया चर्चा समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी : इसलिए मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस तरफ विशेष ध्यान दे। मैंने सुझाव के तौर पर यह अर्ज किया है इस पर गौर फमायें और उनको हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है। पार्टी का भी फर्ज है कि उनको सम्भाले, उनकी जो समस्या है उसको देखें। जैसी मैंने मोटे रूप से आप से अर्ज की उसके ऊपर विशेष ध्यान दें।

श्री सभापति : श्री मानिकचन्द सुराना।

श्री मानिकचन्द सुराना (लूनकरणसर) : सभापतिजी, इस विनियोग विधेयक पर सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लेकर काफी विश्लेषण आज की परिस्थिति का किया। इस विनियोग विधेयक पर पहला प्रश्न मेरा यह है कि क्या यह राजस्थान की ताप बिजली योजनाओं का समाधान हम को देता है? यदि यह हमें नयी बिजली जनरेट करने की दिशा में अग्रसर नहीं करता और इसी तरीके से फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य कल लिफ्ट योजनाओं का सवाल उठा रहे थे, यदि यह हमें सिंचाई के विस्तार की जो हमारी मंजिल है वहां तक नहीं पहुंचाता और इसी तरीके से शिक्षा के मामले में जहां आज लोग प्राथमिक स्कूलों के लिए तरस रहे हैं, उन स्कूलों को देने में हमने जो कोताही की है, तीन हजार की संख्या करने के बावजूद आपके पास निश्चित रूप से 10 हजार की लिस्ट पेण्डिग है, इन सब बातों का हमें यदि कोई जवाब नहीं मिलता और आज तो भारत सरकार ने अजमेर के लोक सभा सदस्य के प्रश्न के प्रत्युत्तर में यह साफ कर दिया है कि राजस्थान में ताप बिजली योजनाओं के लगाने का कोई प्रश्न पैदा नहीं

(श्री मानिकचन्द सुराना)

होता। अभी सांगानेर से आने वाली सदस्या चर्चा कर रही थीं विद्युत मण्डल की। सभापति महोदय, उन्होंने आंकड़ा दिया कि एक हजार से ऊपर का घाटा हो गया। अब तक का जो संकलित घाटा है वह एक हजार करोड़ से ऊपर है। ताप बिजली घर की योजनाएं हों, चाहे पनबिजली घर की योजनाएं हों, जब तक वर्तमान विद्युत मण्डल का ढांचा कायम है, मैं नहीं समझता कि इनमें कोई प्रगति राजस्थान के दृष्टि-कोण से हो सकती है।

(5·17 सायं)

(श्री किशन मोटवानी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, हमें विद्युत मण्डल का 1988-89 का बजट बांटा गया। विद्युत मण्डल के इस बजट पर इस सदन में कोई चर्चा नहीं हुई। इन 10-15 दिनों में बांट दिया गया। इसमें विद्युत मण्डल का घाटा हमें बताया गया वह 86 करोड़ का है जबकि 1988-89 के बजट का घाटा 157 करोड़ का हो गया है। नया बजट 1989–90 का इनके आफिस में सर्कुलेट हो रहा है उसमें संकलित घाटा 157 करोड़ रुपये का है। अनुमानित घाटा 86 करोड़ और संशोधित घाटा 157 करोड़, 71 करोड़ का नया घाटा इस विद्युत मण्डल में एक साल में हो गया। 71 करोड़ के नये घाटे का कारण क्या है? जो अनुमान आमदनी के दिये वह खोटे, जो अनुमान खर्च के दिये वह खोटे। अनुमान खर्च का दिया 582 करोड़ का, वास्तविक खर्चा कितना हुआ, 622 करोड़। 40 करोड़ का खर्चा अधिक। आमदनी के जो आंकड़े दिये कि बढ़ी हुई बिजली बेचने से 91 करोड़ की आय होगी। 91 करोड़ की आय की बजाय 51 करोड़ की आय हुई। टैरिफ की रेट से कहा कि हमको 39 पाइण्ट इतने करोड़ की आय होगी, बढ़ी हुई टैरिफ से इनको सिर्फ 37 करोड़ की आय हुई। एक जगह चालीस करोड़ का घाटा हो गया, दो करोड़ का एक जगह हो गया। 42 करोड़ का आमदनी में घाटा और 40 करोड़ का व्यय में घाटा, इस तरह से 71 करोड़ का नया घाटा एक साल में बिजली बोर्ड ने कर दिया। बहुत एक्सपर्ट लोग उसके अध्यक्ष बने बैठे हैं, दवे साहब को उसका अध्यक्ष बना रखा है। एक्सटैंशन तो खैर, तीन बार मिल चुका, 1982 में पहला, 1985 में दूसरा और 1987 में तीसरा और अभी अगस्त-सितम्बर में चौथे एक्सटैंशन की तैयारी कर रहे हैं। बिजली बोर्ड का अध्यक्ष नान आफिशियल जो टैक्नोक्रेट नहीं है, उसके होते हुए घाटा हो जाय, लोग कहेंगे, साहब, यह टैक्नोक्रेट नहीं है, इस बात को समझते नहीं हैं, इस लाइन के एक्सपर्ट नहीं हैं। बिजली बोर्ड का मिनिस्टर तो नान आफिशियल हो सकता है लेकिन बिजली बोर्ड का अध्यक्ष नान आफिशियल नहीं हो सकता। मैं कहना चाहूँगा राजस्थान की सरकार से कि अनेक बिजली मण्डल में आज नान आफिशियल अध्यक्ष हैं और वह राजस्थान के बिजली मण्डल से अधिक अच्छी स्थिति में चल रहे हैं।

श्री शोपत सिंह : कोई नोट भी कर रहा है?

श्री मानिकचन्द सुराना : यह रिकार्ड विधान सभा की प्रोसीडिंग्स में हो रहा है अपन को इसी से सन्तोष करना चाहिए। सरकार के कुछ वरिष्ठ मंत्री बैठे हैं, नरपतरामजी बरबड़ बैठे हैं, मिनिस्टर बैठे हैं, पीछे बात कर रहे हैं खैर, वह जो कुछ भी करें मैं निवेदन करना चाहूँगा कि प्रत्येक वर्ष 1987-88 में 120 करोड़ का घाटा बिजली बोर्ड में, पिछला 157 करोड़ का घाटा, 86 करोड़ का अनुमानित था, 40 करोड़ अब हो गया 157 का। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि 157 करोड़ के घाटे में 36 करोड़ का घाटा इस बात का है कि एडीशनल रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन में 36 करोड़ रुपये बिजली बोर्ड के दिखा रहे हैं। मैं नहीं समझता, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह कौनसा तरीका है राज्य के फाइनैंस को मैनेज करने का कि एडीशनल रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन भी बिजली मण्डल के घाटे में शामिल है और एडीशनल रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन घाटे में से भारत सरकार को बता कर हम भारत सरकार से बिजली के पेटे चाहते हैं कि हमारी धौलपुर की योजना चले, सूरतगढ़ की योजना चले, पलाना की योजना चले। यह जब तक आप फर्जी आंकड़े भर कर एडीशनल रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन घाटे में परिवर्तित करके एडीशनल रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन बनायेंगे इसका स्पष्ट मतलब यह है कि राज्य को संसाधन जुटाने की कोई भी अक्ल नहीं है घाटे में डाल दिया और 36 करोड़ दिखा दिया भारत सरकार से लेंगे– माननीय गुर्जर साहब मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे को आप मंत्रिमण्डल की बैठक में उठायें, यह नरपतराम जी बरबड़ भी इन मुद्दों को बैठक में उठायें। यदि आपको एडीशनल रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन घाटे में डालकर दिखाना है तो फिर हरिदेव जी जोशी ने 1 हजार करोड़ का ही एडीशनल रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन क्यों किया ? 2 हजार करोड़ का कर देते राजस्व घाटे में वृद्धि करके 2 हजार करोड़ का रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन कर देते हैं। सारा रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन राजस्थान में।

उपाध्यक्ष महोदय, 7 सौ करोड़ का रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन तो बिजली से ही है, बिजली की दर में बढ़ा करके ही है। जो कुछ भी 1 हजार करोड़ रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन है तो, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि सारा इम-बैलेन्स हो गया है वह कह रहे थे कि गंगानगर में ऐसे काश्तकार हो गये हैं जिनकी आमदनी से 5 लाख सालाना और और मेवाड़ में दो बीघा, 3 बीघा और चार बीघा के टुकड़े रह गये हैं जिनमें कोई उपज नहीं, पैदावार नहीं, बचत नहीं, अन-इकोनोमिक होल्डिंग्स हो गयी तमाम। उपाध्यक्ष महोदय, उनकी नजर गंगानगर पर रहे लेकिन आज जो बात हम लोग कहेंगे, कल मैंने कहा था कि ढाई सौ करोड़ रुपये जो फर्स्ट स्टेज का है, मैं चुनौती के साथ राज्य सरकार को कहना चाहता हूं कि उसकी एक-एक पाई उपनिवेशन क्षेत्र से वसूल की जा चुकी है, जो जमीन वहां कोड़ियों के मोल थी वह जमीन आज 35 हजार में बेची आपने और 28 अक्टूबर, 1988 को वह जमीन आपने 42 हजार रुपये में कर दी, 42 हजार रुपये में 25 बीघा। आप 72 करोड़ रुपये 1984-85 तक ले चुके हैं और आज तक मण्डियों के

(श्री मानिकचन्द सुराना)

विकास से आबादी भूमि बेचकर, खुशहाली टैक्स के माध्यम से और सीधे उपनिवेशन में आबंटियों से दो सौ करोड़ रुपये आज आप प्राप्त कर चुके हैं। यह नहर 7 लाख हैक्टेयर में जैसलमेर तक जायेगी, यदि राज्य सरकार उस 7 लाख हैक्टेयर से जो आमदनी होने वाली है उससे नहीं चुकेगी, आपने नोटिफिकेशन किया है 50 पर्सेन्ट भूमि सैकण्ड स्टेज में हम विशेष आवंटन में बेचेंगे। विशेष आवटन आपका चल रहा हैं और 50 पर्सेन्ट भूमि जो आप विशेष आबंटन के जरिये सैकण्ड स्टेज में बेचेंगे वह कोई भी भूमि 60 हजार रुपये मुरब्बे से कम नहीं बेचने वाले हैं।

इसलिये आप एक तरफ इम-बैलेन्स की बात कर रहे हैं, गंगानगर की बात कर रहे हैं, कभी नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने गंगानगर का दौरा नहीं किया है, हम लोग रोज गंगानगर का दौरा का कर रहे हैं, बीकानेर के उपनिवेशन क्षेत्र कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 70 मकानों में 3 मकान पक्के मिलेंगे और 67 मकान आज भी उपनिवेशन क्षेत्र में कच्चे मिलेंगे। कौन जिम्मेदार है उन कच्चे मकानों का ? सबसे पहले काश्तकार के पास जब कोई सरप्लस होता है वह अपना मकान पक्का बनाता है। काश्तकार का मकान इस बात की गवाही देगा कि आया वह सरप्लस में है या डेफीसिट में है।

आज आप राजस्थान में कृषि की बात कर रहे हैं कि हमने खेती में बहुत विकास किया है। अब कृषि मंत्री कमला जी हो गयीं, कृषि मंत्री गोविन्दसिंह जी गुर्जर रहे, 1983-84 में जो पैदावार हमने कृषि में की थी, 1988-89 में हमने उसके मुकाबले सिर्फ ढाई पर्सेन्ट रेट आफ ग्रोथ हुआ है। 3-4 साल निकाल दें, रेट आफ ग्रोथ जो कृषि में है वह अभी तक भारत की रेट से राजस्थान की कृषि की रेट कम हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : अकाल के कारण से।

श्री मानिकचन्द सुराना : अकाल का मुकाबला आप करेंगे क्या ? अकाल के कारण नहीं मैं वह पीक ईयर्स दे रहा हूँ। बून्दी से आने वाले माननीय हरिमोहनजी मैं पीक ईयर की बात कर रहा हूँ, 1983-84 पीक ईयर था, 1988-89 पीक ईयर था, पीक ईयर से पीक ईयर की ग्रोथ निकालेंगे तो भी वह ढाई पर्सेन्ट, प्रतिवर्ष की दर ढाई पर्सेन्ट नहीं है यह 5 साल के गैप्स से जो पीक ईयर आया है उसकी रेट ढाई पर्सेन्ट है 5 साल का विनियोजन बीच में गया सिचाई का, बिजली का 15 हजार कुओं पर, बिजली देने की क्षमता बढ़ाने का कल मैंने कहा था कि 1 लाख 24 हजार हैक्टेयर आपने इन्दिरा गांधी नहर सिंचित क्षेत्र में योग्यता कैपेसिटी बनाने की बात कही, उसके लिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि सारी लाइनिंग का काम आप आगे से बन्द कर दीजिये द्वितीय चरण में जो आपने कैपेसिटी बनायी है जो पोटेन्शियल आपने क्रियेट किया है, सिंचाई विभाग केवल उस पोटेन्शियल को ओपन करने का काम करे, एक साल में हमारा सारा बजट

188

(श्री मानिकचन्द सुराना)

उसी में खर्च हो, कल विपक्ष के नेता ने भी कहा कि कुओं से राजस्थान में आज तक जितने हजारों करोड़ों रुपये लगाकर हमने सिचाई के क्षेत्र में नहरों से क्षमता प्राप्त की है वह सिचाई की क्षमता कुओं से भी उतनी ही विद्यमान है। अभी हेमारामजी ने कहा कुओं को बनाने में, उनके निर्माण में, उन पर बिजली लगाने में सिंचाई विभाग का 25 पर्सेण्ट रुपया, मैं मांग करता हूं राज्य सरकार से कि कुओं के बनाने में और उनका विद्युतीकरण करने के लिए सिंचाई विभाग का 25 पर्सेण्ट रुपया रिजर्व किया जाय। क्योंकि जो रुपया कुओं में लगेगा वह राज्य के किसान का अपना लगेगा और उससे जो पोटेन्शियल क्रियेट होगा वह पोटेन्शियल नहर के मुकाबले में राज्य को कम खर्चीला होगा। जब तक आप अपनी नीतियों को नहीं बदलेंगे, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य श्री जोशीजी ने सिद्धान्तों की बातें तो बहुत कहीं पर मैं आपसे कह सकता हूं कि आप सिद्धान्त की बात कह रहे हैं, पर आपकी पार्टी और आपकी सरकार उनको क्रियान्वित क्यों नहीं करती। यदि आपको 3 लाख और 5 लाख रुपये किसान के पास दिख रहे हैं तो आप उन पर टैक्स लगा दीजिये ? आप क्यों झिझक रहे हैं ? 3 लाख और 5 लाख रुपये की हैसियत वाले किसानों की हम पैरवी नहीं करेंगे। आप लगाइये टैक्स, आपकी भारत सरकार और राज्य सरकार लगाये। पर आपमें वह काम करने की भी हिम्मत नहीं है। उस वक्त तो आप कह देंगे कि हम यह नहीं कर पायेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जब तक आप इस सिंचाई विभाग के बजट में 25 पर्सेन्ट रुपया राजस्थान के कुओं के लिए नहीं रखेंगे, आप काट दीजिये इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र का रुपया, मैं इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र का रहने वाला हूँ, आप क्यों 66 करोड़ रुपया लगा रहे हैं ? आप उसमें से 5 करोड़ रुपया भरतपुर में लगाइये, 5 करोड़ झालावाड़ में लगाइये, झुन्झुनूं, सीकर में लगाइये सीकर में काफी कुएं एनरजाइक हैं, आप क्यों वहां की वहबूदी को 20 साल के लिए गिरवी रखना चाहते हैं।

मैं जिम्मेदारी के साथ इन्दिरा गांधी परियोजना क्षेत्र का निवासी होने के बावजूद भी कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार जो एम्फेसिस दे रही है इन्दिरा गांधी नहर के द्वितीय चरण में उस द्वितीय चरण में सिर्फ लाईनिंग का काम दिखाकर फिजूल पैसा खर्च न करें उस पोटेन्शियल को वास्तविकता में कन्वर्ट करे और सिंचाई विभाग का 25 पर्सेन्ट पैसा राजस्थान के कुओं के निर्माण के लिए, काश्तकारों को ऋण देने के लिए, जिससे कि उनकी कैपेसिटी बढ़े इस मूलभूत मुद्दे पर नीतिगत परिवर्तन सरकार करे।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां "जवाहर रोजगार योजना" की बातें बहुत हुई। कई पंचायतों को नयी ताकत दी जा रही है, जवाहर रोजगार योजना की शुरूआत की जा रही है, आपको 99 करोड़ रुपये जवाहर रोजगार योजना के तहत भारत सरकार से मिल रहे हैं, यह पेम्पलेट है मेरे पास जिसमें राजस्थान को 99 करोड़ 54

(श्री मानिकचन्द सुराना)

लाख रुपया इस जवाहर रोजगार योजना में मिलेगा । उपाध्यक्ष महोदय, इसका उद्देश्य क्या है ? इस जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य है, यह राजीव गांधी के भाषण से पढ़ रहा हूँ "हम यह आशा करते हैं कि हम प्रत्येक निर्धन ग्रामीण परिवार के कम से कम एक सदस्य को उसके घर के नजदीक कार्य स्थल पर प्रति वर्ष 50 से लेकर 100 दिनों तक रोजगार दे सकेंगे ।" उद्देश्य यह है । मैं बहुत गहराई से पढ़ता हूँ, उसका संकलन करता हूँ और उसको रखता हूँ । तथ्यात्मक रूप से उसका खण्डन करना भी तो जरूरी है । मैं कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, एक ग्राम है जयमलसर, आबादी उसकी पांच हजार है, परिवार हैं वहां पर आठ सौ, रुपये मिले है वहां पर 62 हजार । आपके क्षेत्रों में जितनी ग्राम पंचायतों को रुपया मिला है आप वहां परिवारों की संख्या को देखें और उसके बाद में यह केलकुलेट करें कि आधा रुपया इनका पक्के काम में जायेगा, सीमेंट में, चूने में, लोहे में, पत्थर और निर्माण में । आपके निर्देश यह हैं कि 50 पर्सेन्ट रुपया पक्के काम में लगे, 50 पर्सेन्ट रोजगार दिया जाय । मैं दावे के साथ यह कहना चाहता हूँ उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री मानिकचन्द सुराना : नहीं मैं भूला नहीं । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस पंचायत को 62 हजार मिले और 62 हजार और भी मिलेंगे । 62 हजार पक्के काम में जायेगा और 62 हजार रोजगार में । आठ सौ परिवारों को कितना रोजगार 62 हजार में दिया जा सकता है ? मैं निवेदन करना चाहूँगा जहां 14 रुपये हैं । आप कोई भी केलकुलेशन करें 10 प्रतिशत लोगों से ज्यादा परिवारों को आप रोजगार नहीं दे पायेंगे और यदि सारे परिवारों को रोजगार देंगे तो, वह पांच पर्सेन्ट पर आकर के टिक जायेगा । मैं निवेदन करना चाहता हूँ एन.आई.ई.पी. खत्म हो गयी जवाहर रोजगार योजना से, आर.एल.ई.जी.पी. खत्म हो गयी जवाहर रोजगार योजना से और सरपंचों को आपने कहा कि हमने उनका भत्ता दो सौ रुपया माहवार पंचों को भत्ता 15 रुपये प्रतिदिन कर दिया और अब आपने एक सक्यूलर पहुंचा दिया । सक्यूलर यह पहुंच गया कि पंचायत की निजी आय से सरपंच को दो सौ रुपया माहवार मिलेगा और सरपंच को पंचायत की निजी आय से 15 रुपये का भत्ता मिलेगा । दो बैठकें होती हैं पंचायत की । तो वह 15 रुपये का भत्ता यानि चार पांच सौ रुपया वह होगा और दो सौ रुपया वह यानि 10 हजार तक उसकी निजी आय हो तब तक वह इनके भत्ते में जायेगा और राजस्थान की पांच पर्सेन्ट ग्राम पंचायतों की भी निजी आय यही है उनको जो निजी आय नहीं है, तीन साल से राज्य सरकार जो उनको ढाई रुपये प्रति व्यक्ति देती थी वह आपने बन्द कर दिया और आपने कह दिया कि हमने अकाल में वह सारा खर्च कर लिया है । उपाध्यक्ष महोदय, जिस वक्त आपने दो सौ रुपये प्रति माह की घोषणा की । यदि निजी आय से देनी थी तो आपने यह घोषणा क्यों नहीं कर दी कि उनका भत्ता

(१९०)

(श्री मानिकचन्द सुराना)

विधायक के बराबर होगा। क्योंकि मिलने वाला तो कुछ था ही नहीं, निजी आय तो कुछ है ही नहीं तो फिर कमी क्यों की दो सौ क्यों कहा ? हजार क्यों नहीं कह दिया ? यह जो मजाक एक ग्राम पंचायत के सरपंच के साथ और पंचों के साथ आपने किया है कि निजी आमदनी से आप लें। मैं कहना चाहता हूँ कि या तो आपको घोषणा नहीं करनी चाहिए और या यह सारा व्यय राजकोष पर डालिए और आपकी घोषणा को आप पूरी करिये।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई मजाक नहीं है कि आपने आज घोषणा की कल कह दिया निजी आय से। कल आप घोषणा करेंगे विधायक की तनख्वाह 15 सौ हो गयी और कह देंगे हर विधायक अपनी निजी आय से लेगा पांच सौ रुपये। यह क्या मजाक है ?

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मुद्दों पर निवेदन करना चाहूँगा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज हेमारामजी।

श्री मानिकचन्द सुराना : हेमारामजी बहुत अच्छा बोले उपाध्यक्ष महोदय। उनकी बातों को भी यदि उनकी सरकार इम्पलोमेंट करे तो मैं समझता हूं कि खेती के मामले में बहुत व्यापक परिवर्तन हो जायेगा.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री मानिकचन्द सुराना : मैं इस सदन में असत्य नहीं बोलता। नहीं इनके वक्तव्य की है। मैंने इनकी नहीं की है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मानिकचन्द सुराना : मैं कहना चाहूँगा उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्री जी बैठे हैं। राजस्व मंत्रीजी शायद कुछ और बात में व्यस्त होंगे लेकिन बीकानेर जिले के 38 गांव उपनिवेशन क्षेत्र से निकाले गये और उपनिवेशन क्षेत्र से जो 38 गांव निकाले गये, 20 हजार काश्तकार इसमें है। उपनिवेशन क्षेत्र से गांव निकालने का मतलब यह है कि राजस्व के रेवेन्यु के जिम्मे कर दिया और जनता सरकार ने भी उपनिवेशन से गांव निकाले थे और हमने जब गांव निकाले और राजस्व अभियान आया तो हमने जो वहां 10 साल से बैठा था उसको ही खातेदारी नहीं दी, जो सात साल से बैठा था और ढाई गुनी रकम जमा करा रहा था उसको भी गांव के अन्दर ढाई गुनी रकम जमा कराने पर खातेदारी दी। इस सरकार ने क्या किया। 10 साल वालों को तो खातेदारी आप ने देने को कह दिया और आपके डिप्टी-सेक्रेटरी ने कह दिया कि बाकी लोगों की लिस्टें हमारे यहां भेज दो। आप क्या करोगे लिस्ट का ? जब गांव राजस्व हो गया है और वह सात साल से काबिज है, कोई आठ साल से काबिज है, ढाई गुनी रकम देकर खातेदारी लेने को तैयार है। आप उस लिस्ट का क्या करोगे। यदि आप यह चाहते हैं कि.....

श्री उपाध्यक्ष : जोशीजी, बैठें। माननीय दाऊदयाल जी.......(व्यवधान)....अब

(श्री उपाध्यक्ष)

आप समाप्त करें। 22 मिनट हो गये हैं।

श्री मानिकचन्द सुराना : मैं समाप्त कर रहा हूँ, समय तो हो गया है माननीय उपाध्यक्षजी। मैं इरलेवेंट बात कहूं तो आप तत्काल...

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, मैं तो कभी नहीं कहता आपकी बात इर्रेलेवेंट है।

श्री मानिकचन्द सुराना : मैं निवेदन करूंगा कि आप आज भी नीचे निर्देश क्यों नहीं भेजते? आपको ताज्जुब होगा कि बीकानेर के राजस्व अभियान में एक को भी खातेदारी नहीं मिली। राजस्व गांव जब हो गया। आप उन 20 हजार लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करिये। 91 का नोटिस मिल गया, तावान उन पर लगा दिया गया है। हम क्या करेंगे, हम रोज प्रदर्शन ले जायं कलक्टर के यहां? जो कानून बन गया है, जो एक स्वीकृत कानून है, जो राज्य की नीति दसों सालों से चल रही है उसमें भेदभाव क्यों? मैं कहना चाहूँगा कि प्रशासनिक लालफीताशाही और आपके डिप्टी सैक्रेटरी ने जो आर्डर जारी किये हैं, आप तत्काल उन आर्डर्स को निरस्त करें और बीकानेर के लोगों के साथ में वहां सैटिलमेंट चल रहा है। तीन-तीन जगह पर हमारा रिकार्ड पड़ा हुआ है। पांच साल से सैटिलमेंट चल रहा है उपाध्यक्ष महोदय। उसका निस्तारण नहीं हो रहा है। कुछ रेकार्ड उपनिवेशन के पास है, कुछ रेकार्ड रेवेन्यु के पास आ गया। गिरदावरी अभी भी सैटिलमेंट के पास पड़ी हैं। यह सारी स्थिति 20 हजार काश्तकार जो बीकानेर जिले के हैं, उनके भविष्य को अन्धकारमय बनाये हुए है इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इसमें सक्षम कदम उठायें।

उपाध्यक्ष महोदय, अब यह उपनिवेशन मंत्री नहीं रहे, कुछ दिन पहले थे लेकिन चूंकि मामला राजस्व का है इसलिए इसमें इफेक्टिव आर्डर आपका होगा। उपनिवेशन से अब इनका कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि वह डी-नोटिफाई हो चुका है। उपाध्यक्ष महोदय, इस राज्य में अभी वे कह रहे थे कि जनता सरकार ने कुछ किया ही नहीं। स्कूलें हमने ज्यादा खोल दी और हमने यह कर दिया। मैं कहना चाहूंगा अभी जो ब्यावर से आने वाले महानुभाव बोल रहे थे कि प्राइमरी स्कूलें 74-75 में आपने 30 खोली, 75-76 में निल खोली, 76-77 में आपने 510 खोली। 540 आपने तीन साल में खोली और प्राइमरी स्कूलें जब जनता सरकार आयी तो आपने तीन साल में 540 खोले और हमने पहले साल में 586 खोली। 78-79 में हमने 1192 खोली और 79-80 में 1128 खोली। मैं निवेदन करना चाहता हूँ उपाध्यक्ष महोदय, न सिर्फ यह प्राइमरी स्कूलों का सवाल है। हमने जो सैकण्डरी स्कूल खोली, हमने जो कुछ किया एक नीतिगत आधार पर किया। हमने घोषणा यह की कि चार सौ की आबादी जहां है वहां प्राइमरी स्कूल खुलेगी, दो हजार की आबादी पर मिडिल स्कूल खुलेगी, तीन हजार की आबादी पर सैकण्डरी खुलेगी। मैं पूछना चाहता हूँ जो कैबिनेट के सीनियर मिनिस्टर हैं कि क्या आपने भी कोई

(श्री मानिकचन्द सुराना)

आबादी का पैमाना बनाया ? क्या आप भी आबादी के पैमाने पर स्कूल खोलने की घोषणा करने को तैयार है ? आप यह कन्फ्यूज क्यों करते हैं ? पैमाना बनाइये उसी के आधार पर खोलिये । आज 79-80 के बजट में यदि हजार करोड़ थे याद रखिये आज के बजट में 26 करोड़ हैं । आप मुकाबला न करिये इन तीन सालों का । उन तीन सालों के फिगर आपके 7-8 सालों से ज्यादा होंगे और यदि बजट के आंकड़ों को देखेंगे तो उसका कोई मुकाबला और पैमाना नहीं ठहरेगा । मैं इसी के साथ में यह कहना चाहूंगा कि जितने भी सुधार अरलसर एक्ट, महाराजाओं की जमीन की तो हमने बात ही करना बन्द कर दी क्योंकि उन जमीनों को तो हम समझ ही चुके हैं कि उसकी जो कुछ आमदनी है उसको तो जनता दल की सरकार बनेगी तब हम उसको उपयोग में लेंगे क्योंकि हमने हरिदेवजी जोशी को कहा, माननीय शिवचरण माथुर के सामने भी कई बार सवाल उठाये लेकिन उन सरप्लस जमीनों को, राजस्व में बदलने का काम अब यह सरकार तो नहीं कर सकती और नयी सरकार ही करेगी और नयी सरकार आने में जो परेशानी थी । वह कुछ जो नाथद्वारा से आने वाले माननीय महानुभाव थे उसमें झलक रही थी । खैर, आप महाराजा पर हाथ नहीं डालें । मैं पूछता हूँ कि आपने जो नोटिफिकेशन जारी किये, तमाम होटलों के लिए एक्जम्पसन । यह परसों जवाब आया है इसी विधान सभा में अतारांकित सवाल के जवाब में । आपने आठ होटलों को जयपुर में एक्जेम्पसन जारी किये । मैसर्स राजपूताना होटल, ओंकार सिंह जयपुर, जे. के. अटल, जयपुर । दो जनों ने शुरू किया राजपूताना होटल, और जे.के. होटल । अब जो मैं नाम पढ़ रहा हूँ वह है ओंकार सिंह, जयपुर, श्रीमती शकुन्तला अग्रवाल, जयपुर, मैसर्स यूनाइटेड होटल जयपुर, महेन्द्र नारायण शर्मा, जयपुर, नवल किशोर पटेल, जयपुर इन्होंने होटल का काम शुरू ही नहीं किया । यह राज्य सरकार का जवाब है । मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई अरलसर एक्ट फंक्शन करता है, आप उसको रिज्यूम क्यों नहीं करते । 1,16,489·17 बहुमूल्य भूमि जिसकी एवरेज प्राइस दो हजार, ढाई हजार होगी । यह उदाहरण इस बात का दे रहा हूँ, राजस्व की आमदनी, इस पर किसने, राज्य के आर्थिक हितों पर कुठाराघात किया, इसकी परवाह नहीं करते । उपाध्यक्ष महोदय । यूनिवर्सिटी में, हायर एजूकेशन के मामले में, प्रोफेसर, एसोसियेट प्रोफेसर, रीडर के सलैक्शन में जिस तरह की धींगाधींगी वाइस चांसलर, जयपुर चला रहा है, मैं समझता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी, उस ओर आपका ध्यान आकर्षित हुआ होगा । बोटेनी के मामले में सबसे बड़ा घोटाला यह है कि जो एक्सपर्ट के सलैक्शन का पेनल बनता है वह बिल्कुल सलैक्ट होकर बनता है । मुझे ताज्जुब है, उपाध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी की एकेडेमिक कोंसिल ने 6 जून, 89 को यह तय किया कि कोई भी पैनल में एक साल से अधिक रिटायर हुआ आदमी नहीं बैठेगा, यह रिकमण्डेशन कर दी सिण्डिकेट को । एक साल से रिटायर हुआ एक्सपर्ट उसमें नहीं बैठेगा । लेकिन इसी बीच जो

(श्री मानिकचन्द सुराना)

सलेक्शन हुए, चार-चार साल पुराने जो रिटायर्ड लोग थे बोटेनी के मामले में, जे.जे. शाह, सी.वी. सुब्रह्ममण्यम्, जफर निजाद, जिनको रिटायर हुए जमाना हो गया, वह लोग भी बैठे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

और जिन लोगों को सलैक्ट करना था बोटेनी में जी.एस. नाथावत को। उनको सलैक्ट करने के बाद में 6 जुलाई, 89 को नई रिकमण्डेशन के आधार पर सिण्डिकेट ने नया प्रस्ताव पास कर दिया। बीच के टाइम में सलेक्शन कर दिया। 6 जून को जो कुछ रिकमण्डेशन थी वह ऐसे टाइम पर आई जबकि वह सलेक्शन हो चुका और अब पैनल एक्सपर्ट का, मैं कहना चाहूँगा, मुख्य मंत्रीजी, इन हायर सलेक्शन्स में, आज वहां चार वेकेन्सीज हैं, अंग्रेजी में दो वेकेन्सीज हैं, प्रोफेसर, और केमिस्ट्री में चार की वेकेन्सीज हैं। इन दो का सलेक्शन नहीं होता। जो भी सलेक्शन होता है उसमें भयंकर घोटाला है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जातिवाद का मिश्रण है, जातिवाद का बोलबाला है और इस तरीके से हायर एजुकेशन के साथ में जो मजाक आज राजस्थान की यूनिवर्सिटी में चल रहा है, मैं चाहूंगा कि शिक्षा मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी उसको रोकने का काम करें।

श्री उपाध्यक्ष : You have taken enough time. You have taken half-an-hour.

श्री मानिकचन्द सुराना : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि प्रशासन में आज जितना परिवर्तन, बेसिक फण्डामेण्टल चेन्ज, जिसकी चिन्ता नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य कर रहे थे, उसकी चिन्ता हमको भी है। हम भी जानते हैं कि सिर्फ सरकारों के परिवर्तन से महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जब माथुर साहब आप आये तो शायद कुछ लोगों को यह लगा कि शायद आप कुछ बेसिक फण्डामेण्टल चेन्ज करेंगे। आपको आने के बाद भी प्लानिंग बोर्ड नहीं बना, आपके आने के बाद भी मिनिस्ट्रीज की कन्सलटेटिव कमेटीज नहीं बनी, और जिनकी कोई कम्प्लेण्ट आ जाय, बड़ी से बड़ी शिकायत मिल जाय, बीकानेर के असिस्टेण्ट कालोनाइजेशन कमिश्नर की, मैंने नहीं की शिकायत आपके डिप्टी सैक्रेट्री एडमिनिस्ट्रेशन ने की कालोनाइजेशन की, कि आपके द्वारा ट्रांसफर किये जाने के बाद, 18 मई को उसकी ट्रांसफर हुआ, ए.सी.सी. बिरदीचन्द का, और 19 मई को छतरगढ़ के रेस्ट हाउस में और आर.डी. 682 के रेस्ट हाउस में बैठकर उन्होंने रावला की बहुमूल्य जमीनों का 56 लाख रुपयों का राजकीय नुकसान किया, आपके डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा, नुकसान कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ....

श्री शोपत सिंह : अकेले ने थोड़े ही खाया।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शोपत सिंह : अकेले नहीं, ऊपर तक जाता है।

श्री मानिकचन्द सुराना : मैं कहना चाहता हूँ, आज जिनकी शिकायत आती है, उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर के लालगढ़ की घटना में पुलिस की जो कुछ भी लेप्सेज थी, होम कमिश्नर जांच कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं यदि एस.एच.ओ. नोखा, अगर गुण्डों की गेंग में शामिल होकर, जो बीस-बीस साल से लोग काबिज हैं, जो इण्डस्ट्रीज चला रहे हैं, उनकी इण्डस्ट्रियल एस्टेट में दखलन्दाजी करे और शिव रतन जो वहां का नागरिक है, गुण्डों को साथ लेकर 15 साल पूर्व जिनका फैसला हो गया, गुण्डों को संरक्षण दे, लोगों पर 145 का मुकदमा बनाया जबरदस्ती जिनका बीस-बीस साल से कब्जा है। इस तरह के लोगों को जो कुछ क्षेत्रों से राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। मैं आपसे

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

चाहूंगा कि ऐसे लोगों का राजनीतिक संरक्षण खत्म हो और अगर आप राजस्थान में कुछ बेसिक फण्डामेण्टल चैन्ज करना चाहते हैं तो जैसा विरोध पक्ष के नेता ने कहा, विपक्ष को भी कोन्फीडेन्स में लें। और वह परिवर्तन आप करेंगे तो उसमें हम भी आपका सहयोग करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (बून्दी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री डूंगरराम पंवार : बिरदीचन्द तो उपनिवेशन में इतना मशहूर है कि इसने बेहद रकम कमाई है।

श्री हरिमोहन शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक पर सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार, अपने-अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से, अपने अलग-अलग दृष्टिकोण से आपके सामने रखे हैं। मैं भी विनियोग विधेयक पर अपने विचार आपके सामने और सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें 15 अगस्त, 47 को राजनीतिक आजादी मिली और राजनीतिक आजादी मिलने के बाद आर्थिक आजादी प्राप्त करने का जो हमारा जो लक्ष्य था उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार ने कांग्रेस के नेतृत्व के अन्तर्गत उस आर्थिक आजादी को प्राप्त करने का प्रयास किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब तक किसी राजनीतिक दल का सोच किन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर नहीं होगा, उसके उद्देश्य नहीं होंगे और सिद्धान्तों के आधार पर उसकी कार्य-प्रणाली नहीं होगी और निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर उसके कार्य करने का तरीका नहीं होगा, तब तक देश का सन्तुलित आर्थिक विकास नहीं हो सकता। कांग्रेस की अपनी नीतियों के अन्तर्गत, कांग्रेस के अपने सिद्धान्तों के अन्तर्गत, 1962 से लोकतान्त्रिक तरीके से चुनी हुई प्रथम सरकार ने अपना भार वहन किया, दायित्व निभाया, तभी से इस देश को आर्थिक आजादी दिलाने के लिए, देश के आर्थिक उत्थान के लिए, गरीबों की आंखों के आंसू

(श्री हरिमोहन शर्मा)

पोंछने के लिए, गरीबों को कपड़ा मिले, रोटी मिले, मकान मिले, शिक्षा मिले, रहने की व्यवस्था में उसका सुधार हो, और आर्थिक दृष्टिकोण से वह अपने पैरों पर खड़ा हो, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोकतान्त्रिक सरकार के माध्यम से कांग्रेस ने अपना काम प्रारम्भ किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रथम पंचवर्षीय योजना, भारत के परिप्रेक्ष्य में, किन-किन बातों पर, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से योजनाबद्ध इस देश का आर्थिक विकास करें और आर्थिक विकास के माध्यम से जो राजनीतिक स्वतन्त्रता हमने प्राप्त की उस स्वतन्त्रता को बनाये रखते हुए, उस स्वतन्त्रता के राजनीतिक ढांचे में हम आर्थिक विकास करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनी, तृतीय पंचवर्षीय योजना बनी और इस प्रकार योजनाबद्ध तरीके से विकास की रूपरेखा कांग्रेस ने इस देश को दी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं और यह देश भी जानता है और यह सदन भी जानता है कि इस योजनाबद्ध विकास के माध्यम से जब हम द्रुतगति से देश को आर्थिक विकास की ओर ले जा रहे थे तो कुछ सिद्धान्तहीन दलों ने, कुछ सिद्धान्तहीन व्यक्तियों ने, जिन दलों के सिद्धान्त आपस में नहीं मिलते थे, किसी का राष्ट्रीयकरण में विश्वास था, किसी का प्रतिक्रियावादी ताकतों के साथ गठबन्धन करने में विश्वास था, किसी का नेशनेलाइजेशन नहीं करने में विश्वास था, एक ओर समाजवाद का नारा लगाने वाले थे, दूसरी ओर राजा-महाराजाओं के स्वतन्त्र पार्टी वाले थे, तीसरी ओर जनसंघ के नाम से चलने वाला एक अलग सिद्धान्त के आधार पर चलने वाला दल था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले इन्होंने सन् 1967 में इस देश के समाजवादी चिन्तक डा. राम मनोहर लोहिया के निर्देशानुसार और उनकी इच्छानुसार एक नारा दिया। जब लोकतान्त्रिक पद्धति से कांग्रेस की सरकार को यह नहीं रोक पाये तो इन्होंने कांग्रेस हटाओ का एक नारा दिया और संविद् सरकार के नाम से 1967 में यह सरकार बनी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय.....

श्री शोपत सिंह : बजट पर बोल रहे हो क्या ?

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं उस बात पर बोल रहा हूँ....(व्यवधान)....मैं उस बात पर नहीं बोलूंगा.....(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : एप्रोप्रियेशन बिल है, कौनसा बिल है बताओ, कौनसा नम्बर है।

श्री हरिमोहन शर्मा : मुझे याद है। अगर मैंने पढ़ा, नहीं पढ़ा यह प्रश्न अलग है लेकिन मैं बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूँ। नहीं बोल सकता हूँ तो आप बता दें...(व्यवधान)...आप तसल्ली रखिये, अभी तो आया ही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हरिमोहन शर्मा : अभी तो संविद् सरकार पर आया हूँ। अभी तो और कुछ बाकी है... (व्यवधान)...माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संविद् सरकार के माध्यम से हिन्दुस्तान में विभिन्न प्रान्तों में कांग्रेस हटाओ के एक लुभावने नारे के बाद इन लोगों ने यह विश्वास दिया था कि हम एक दल तो नहीं बना सकते, सिद्धान्त हमारे अलग-अलग रहेंगे, लेकिन कांग्रेस को हटाने में हम एक होंगे और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनता भ्रमित हुई और भ्रमित होने के बाद इनके दिशाहीन नारों पर भी विश्वास करते हुए कितने ही संविद् सरकार बनाने का इनको अवसर दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा कि जिस प्रकार 1967 में....(व्यवधान)

श्री नवरंग सिंह : इनकी प्रशंसा करो . . .

श्री डूंगरराम पंवार : यह वित्त विधेयक पर थोड़े बोल रहे हैं, यह तो भाषण है।

श्री हरिमोहन शर्मा : जिस प्रकार 1967 में डा. राममनोहर लोहिया के देखते-देखते जो उनका मोह भंग हुआ अलग-अलग दल, अलग सिद्धान्त, अलग-अलग नारे, अलग-अलग काम करने के तरीके, अलग-अलग नेतृत्व, न कोई नेतृत्व, न कोई सिद्धान्त, न कोई कार्यक्रम, इस आधार पर संविद् सरकारें आपके देखते-देखते गिरी और इसके बाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर कांग्रेस की नीतियों में विश्वास करके जिन स्थानों पर इन सिद्धान्तहीन दलों ने गठबन्धन करके एक नारा देकर के कांग्रेस के शासन को हटाने का प्रयास किया और जनता कुछ अंशों में भ्रमित हुई, हुआ क्या ? जब आपके सिद्धान्त नहीं मिल रहे हैं, आपका नेतृत्व वर्ग एक नहीं है अलग-अलग दल हैं, अलग-अलग काम करने के तरीके हैं, तो क्या हुआ, संविद् सरकारें गिरी और गिरने के बाद.....

श्री शोपत सिंह : इस सरकस में आपको रिंग मास्टर चाहिए।

श्री हरिमोहन शर्मा : रिंग मास्टर तो चाहिए लेकिन सर्वहारा बाप का करोड़पति बेटा हमें नहीं चाहिए बंगाल की तरह। पश्चिमी बंगाल की तरह सर्वहारा मुख्य मंत्री का करोड़पति बेटा भी हमको पांच साल का नहीं चाहिए....

श्री मानिकचन्द सुराना : उनकी तारीफ तो आपके राजीव गांधीजी कर गये हैं और उनसे दोस्ताना रखने में वह सबसे ज्यादा आगे हाथ बढ़ाये हुए हैं, आप कहां बोल रहे हैं, कहीं टिकट नहीं कट जाये, ध्यान रखना।

श्री हरिमोहन शर्मा : राजीव गांधी ने तारीफ उनकी नहीं की.....

श्री मानिकचन्द सुराना : उनके पंचायती राज की भूरि-भूरि तारीफ की. .

श्री हरिमोहन शर्मा : यही मैं कह रहा हूँ। राजीव गांधी ने उनके प्रशासन की तारीफ नहीं की, राजीव गांधी ने पंचायती राज को वह ठीक प्रकार से, उनका कोई कदम है, उसकी तारीफ की है और आप यह चाहते हैं कि आप लोगों की तरह जिस प्रकार की आपकी भावना है कांग्रेस कोई

(श्री हरिमोहन शर्मा)

अच्छा काम करे तो आपने कसम खा रखी है उसकी तारीफ नहीं करनी, हमारा नेतृत्व का दृष्टिकोण साफ है जो अच्छा काम करेगा....

श्री दिग्विजय सिंह : जो करते ही नहीं हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : इसी प्रकार से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1967 के बाद जब इनका परीक्षण फेल हुआ और अलग-अलग सिद्धान्तों, अलग-अलग दलों, अलग-अलग नेतृत्व के आधार पर यह सन् 1977 में फिर आये और इन्होंने कहा हमसे गलती हो गई, हमारे सिद्धान्त अलग-अलग थे, हमारे नेता अलग-अलग थे, दल अलग-अलग थे, इसीलिये हम संविद् सरकारें नहीं चला पाये और इसीलिये वापिस कांग्रेस सरकार का शासन हुआ। हमने गलती सुधार ली है और जनता के सामने सोशिलिस्ट पार्टी जिसका समाजवादी सिद्धान्त है, लोकदल जिसके चरणसिंह जी का अलग सिद्धान्त, और कांग्रेस (एस) और कांग्रेस (जे) और उसके साथ ही भारतीय जनसंघ, अलग-अलग दल, अलग सिद्धान्त, 1977 में फिर इन्होंने भूमिगत किया इस देश को। इन्होंने कहा कि संविद् सरकार फेल हुई है इसलिये कि हमारे दल अलग-अलग थे। इन्होंने जनता को विश्वास दिलाया कि हमने कसम खाई है, कि हमारा दल एक है जनता पार्टी। रातों रात अलग-अलग दल के नेताओं ने, अलग-अलग सिद्धान्त वालों ने, महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर के सिद्धान्त बदले, दल बदले और सब बातों की कसम खाने के बाद एक दल सामने लेकर के, एक सिद्धान्त सामने लेकर के, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जनता के सामने आये और जनता फिर इनके ऊपर विश्वास कर बैठी....

श्री डूंगरराम पंवार : फिर आपका दल बेदखल हो गया......

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : पब्लिक में जाकर बोलो पत्थर नहीं फिक जायें तो, यहां बोल रहे हो......

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हरिमोहन शर्मा : बिल्कुल सही है बिल्कुल सही फरमा रहे हैं इनकी 1980 में जो दुर्गति हुई इस वादे के बाद, वह आज तक यह भूल नहीं पाये हैं। इनके ऊपर 1980 में पत्थर फेंके और भारी बहुमत से, इनका जब सिद्धान्त नहीं मिला एक दल होने के बाद, अलग-अलग नीति और अलग-अलग सिद्धान्त, अलग-अलग तरीके से काम करने वाले फिर टूटे। एक-एक स्थान पर तीन-तीन प्रधान मंत्री, तीन-तीन नेतृत्व उभरे और जनता के साथ इन लोगों ने दो; ढाई साल में विश्वासघात किया और इस देश को रसातल की ओर पहुंचा दिया...

श्री डूंगरराम पंवार : हमारे पास नीति थी, आपकी तरह अनीति नहीं है।

श्री महेन्द्र शास्त्री : + + + सब में मतभेद होते हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर अपना यह एक मुखौटा पहन कर अलग-अलग दल होते हुए, अलग-अलग सिद्धान्त होते हुए फिर जनता को गुमराह करने की नीयत से अलग-अलग सिद्धान्तों का एक जनता दल के रूप में आपके सामने आने का एक कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1967 को जनता ने याद रखा है और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1977 को जनता ने याद रखा है और माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 1989 को भी याद रखेगी.....

श्री हरिमोहन शर्मा : आप सुन तो लें, अभी तो कुछ बोला ही नहीं।

श्री शोपत सिंह : दो-चार महीने की बात है।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके मन में यह विश्वास गलत आधारों पर जम गया और यह इतने लालाइत हैं कि यह कह रहे हैं कि हम तो राज में आ गये। आपको क्या हक है यह कहने का। बिना चुनाव के माध्यम से जब तक आपने बहुमत प्राप्त नहीं किया आप कहे रहे हैं कि हम तो आ गये राज में। आप आ कैसे गये ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शोपत सिंह : जहां चुनाव हुए वहां क्या हुआ ? बंगाल में हुए......

श्री उपाध्यक्ष : शोपतसिंह जी आप भी बोलेंगे।

श्री यदुनाथ सिंह : हमारी गाड़ी में तो लाल बत्ती भी लग गई है...

श्री शोपत सिंह : तमिलनाडू में चुनाव हुए वहां क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें, प्लीज। माननीय शोपतसिंह जी आप भी बोलेंगे, बैठिये, बैठिये, बैठिये।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त कर लीजिए।

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं समाप्त नहीं होगा। आपने सब को आधा-आधा घण्टा दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : 15 मिनिट हो गये हैं आपको......(व्यवधान)......आर्डर प्लीज। माननीय भूदरमलजी बैठें। उनको बोलने दें।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष जी, बड़े आश्चर्य की बात है इस 1977 के और 1980 के परिवर्तन के बाद जो जनसंघ नाम का दल था और जो विलीन के बाद अब यह कहता है कि हम इनके साथ विलीन नहीं होंगे और

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

भारतीय जनता पार्टी का अलग अस्तित्व रहेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1990 की लड़ाई जिस जनता दल के माध्यम से लड़ने की कल्पना कर रहे हैं, उसमें विभिन्न दलों का समावेश है और वही दल जो 1977 में एक दल बना चुके हैं विशेषता यह है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी अपने आप को या तो अछूत मानकर या जनता दल के नेतागण उसको अछूत मानकर अलग रखना चाह रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब यह सारे दल एक थे जब इनकी स्थिति यह हुई और आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी इनसे समझौता करने को लालाइत हैं भारतीय जनता पार्टी इनके साथ तालमेल बैठाने का प्रयास कर रही है और इनके जो नेता हैं, बड़ी दयनीय स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, इतनी दयनीय स्थिति, राजनैतिक जीवन में भारतीय जनता पार्टी की जो देखने को मिल रही है, वह बड़ी अजीब है। इनका हर नेता कहता है जनता दल का, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में सरकार नहीं बनायेंगे फिर भी वह कहते हैं नहीं हम तुम से तालमेल करेंगे। अजीब स्थिति है। इस स्थिति के बावजूद जो चारों दल अलग-अलग सिद्धान्तों के हैं और इनके जो नेता हैं वह कह रहे हैं कि अगर हमारी भारत की सरकार बन भी गई तो भी हम भारतीय जनता पार्टी से गठबन्धन नहीं करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो इस समय जो देश की स्थिति है, देश के सामने राष्ट्रीय एकता का प्रश्न है, जिस तरीके से साम्प्रदायिक तनाव को बढ़ावा दिया जा रहा है, राष्ट्रीय एकता को खण्डित करने के विदेशी शक्तियों के द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं और जिस समय देश में एक दल की, एक नीति की, एक नेतृत्व की सरकार की आवश्यकता है, उस समय यह जनता को फिर भ्रमित करके इस देश को प्रगति में बाधा पैदा करने का एक प्रयास करना चाहते हैं....(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : ...और इस आधार पर विनियोग (संख्या 3) विधेयक का समर्थन करता हूं......

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री यदुनाथ सिंह : ...कोई दूसरा टिकिट का दावेदार है क्या?

श्री हरिमोहन शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आरोप लगाये जाते हैं, कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि देश का जो प्रधान मंत्री हैं, वह युवा है और इस देश को ठीक प्रकार से नहीं चला पा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इस देश को जिस प्रकार का नेतृत्व इस युवा प्रधान मंत्री ने दिया है, इस देश की प्रगति का जिस प्रकार से कार्य युवा प्रधान मंत्री ने किया है वह एक मिसाल है। कोई भी क्षेत्र हो....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय यदुनाथ सिंह जी कृपया बैठें। आप भी श्री हरिमोहनजी का समय नहीं लेंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय उपाध्यक्षजी, एक ओर यह बात करते हैं, दूसरी ओर जब लोकदल के अनुभवहीन

(श्री हरिमोहन शर्मा)

श्री अजीतसिंह महामंत्री बने तो उनका यह नेतृत्व स्वीकार करते हैं। यह अजीब विडम्बना है, जिनका राजनीतिक जीवन नहीं रहा, जिन्होंने राजनीति में कभी काम नहीं किया, यही नहीं इतने शरीफ लोग हैं कि अगर श्री देवीलाल के पुत्र को अध्यक्ष बना दें तो ये चुपचाप बैठे रहेंगे, बहुत सुन्दर। उनके पुत्र को मंत्री बना देंगे तो चुपचाप बैठे रहेंगे। फिर भी आप कहते हैं, इनकी सोच देखिये।

श्री शोपत सिंह : श्री देवीलाल के पुत्र के आपके बराबर पुत्र हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : श्री देवीलाल के पुत्र के मेरे बराबर पुत्र हैं लेकिन उनके पुत्र मंत्री भी है और उनके पुत्र पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। आप लोगों की कितनी दयनीय स्थिति है कि उनके पुत्रों के अलावा आपके पास कोई नेतृत्व करने वाला है ही नहीं। लोकतन्त्र के द्वारा चुने गये आदमी, जिनको जनता ने प्रमाण पत्र दिया....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शोपत सिंह : तीनों को जेल में डाल दिया था, इमरजेन्सी में तीनों बाप, बेटे जेल में थे......

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हरिमोहन शर्मा : ....इस सारे दृष्टिकोण से हिन्दुस्तान की जनता, हिन्दुस्तान के नागरिक इनकी कथनी और करनी के अन्तर को, अलग-अलग दलों को, अलग-अलग दलों के विभिन्न नेतृत्व को, इनके दिशाहीन काम करने के तरीकों को, इन सिद्धान्तहीन तालमेल को और नीति विहीन झांसा देने की प्रवृत्ति को इस देश की जनता समझ चुकी है। इसलिए आप इस गलतफहमी में है कि 1990 के चुनावों में आप इस ओर आयेंगे, तो मैं आप लोगों की इस गलतफहमी को समय से पहले ही दूर करना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान की जनता......(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय चुन्नीलालजी बैठें।

श्री हरिमोहन शर्मा :...यह हिन्दुस्तान की जनता आपका दो बार परीक्षण कर चुकी है और उसमें आप असफल रहे हैं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : + + + जागीरदारों, महाराजकुमारों, देश का शोषण करने वालों आपकी आत्मा को टटोलो.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठें। कृपया समाप्त करें।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : दर्द होता है। ये मुस्करा रहे हैं। मैं क्या उदाहरण दूं।

श्री हरिमोहन शर्मा : मुस्करा तो इस बात पर रहा हूँ...

श्री रमजान खां : इनका तो टिकिट पक्का है।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या व्यवधान न डालें। बोलने दीजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपकी आज्ञा मानकर बैठ जाती हूं लेकिन माननीय सदस्य एप्रोप्रियेशन बिल पर नहीं बोल रहे हैं। + + +

श्री उपाध्यक्ष : शुरुआत ही ऐसी हुई है। घोषणा पत्र से हुई है।

श्री हरिमोहन शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय जब तक राजनीतिक दल सिद्धान्तों के आधार पर नहीं चलेंगे, जब उनका नेतृत्व सशक्त नहीं होगा, सिद्धान्तों के आधार पर योजनाबद्ध तरीके से आर्थिक विकास करने का नेतृत्व में क्षमता नहीं होगी, विभिन्न विचारधारा होगी, मैं यह परिवर्तन देख रहा हूँ कि जहां एक नेता है, एक सिद्धान्त है, एक कार्यक्रम है, योजनाबद्ध तरीके से विकास है, गरीबों के प्रति आकांक्षा और इच्छा है कि उनकी गरीबी कैसे दूर की जाये, वहां दिशाहीन लोगों के बारे में बोलना विनियोग विधेयक का एक पार्ट एण्ड पार्सल है।

उपाध्यक्ष महोदय इसी के साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस देश में....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : गरीबी कहां रहती है मालूम है ?

श्री हरिमोहन शर्मा : गरीबी कोई चीज नहीं है जो कहीं रहती है। आपका सोर्स क्या है कि गरीबी कहां रहती है...... (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : हमें पता है। देश का शोषण करने वालों गरीब का नाम लेते हो.... + + +

श्री उपाध्यक्ष : अब मजबूर न करें माननीय सदस्य ...

श्री डूंगरराम पंवार : टाटा, बिड़ला, गोयनका सब इनके दोस्त हैं ...

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं इस सदन के समक्ष इस बात के लिए निवेदन कर रहा हूं कि जहां तक राजनीतिक स्थिरता नहीं होगी, योजनाबद्ध विकास के कार्यक्रम नहीं होंगे, सिद्धान्तों के आधार पर पार्टी अपना कार्यक्रम नहीं चलायेगी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आजादी की प्राप्ति से, आज तक अगर योजनाबद्ध विकास किया है, तो कांग्रेस ने, सिद्धान्तों के आधार पर चली है तो कांग्रेस चली है, नेतृत्व के आधार पर चली है तो कांग्रेस... (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : आज़ादी में शहीद होने वाले लोगों के घरों को आपने नहीं सम्भाला है + + +

श्री उपाध्यक्ष : माननीय चुन्नीलाल जी आप बैठिये.....

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : आजादी का शोषण करने वालों + + + यह राजनीति, आजादी की बात कर रहे हो........ (व्यवधान)

श्री विजय सिंह : माननीय अध्यक्ष, + + + शब्द आया है उसको एक्सपंज किया जाये। यह ठीक नहीं है.. (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : माननीय चुन्नीलालजी आप भी कांग्रेस में थे......... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठें। क्या आप आज यह सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं फेल्यर अध्यक्ष हूँ। Don't interfere. आप भी अब समाप्त करें प्लीज। प्रवोक न करें आप। जबरदस्त कर रहे हैं। प्रवोक न करें आप प्लीज।

श्री हरिमोहन शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत साफ शब्दों में निवेदन कर दूं, अगर राजनैतिक सिद्धान्तों के आधार पर चोट करने से कोई राजनैतिक दल के कार्यर्ता प्रवोक होते हैं तो इनको प्रवोक होने दीजिए, मेरा कर्तव्य है कि मैं प्रवोक करूंगा, उनकी सिद्धान्तहीन बातों को जनता के सामने लाऊंगा और इस प्रांगण में कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको रोकूंगा।

श्री हरिमोहन शर्मा : जो कांग्रेस से निकले हैं, जिन्होंने कांग्रेस के शासन को भोगा है और आज कांग्रेस से निकल करके....

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : + + + इन्दिरा गांधी की हत्या इनके शासन में हुई है। राष्ट्रीय नेता इन्दिरा गांधी की हत्या इन लोगों के बलबूते पर हुई है। इनके शासन में हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : Now please sit down.

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : शर्म से माथा झुकना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठें। कृपया बैठें आप।

श्री डूंगरराम पंवार : इनके भाषण में एक रत्ती राशन की व्यवस्था नहीं है। खाली है बिल्कुल।

श्री उपाध्यक्ष : डूंगरराम जी आप नहीं बोलेंगे इस तरह। No commentary like this. चुन्नीलालजी, बैठें आप।

श्री परसादीलाल मीणा : इन्दिरा गांधी के हत्यारों की पैरवी की है। राम जेठमालानी कौनसी पार्टी के हैं?....... (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : यह कौन से देश की रक्षा करेंगे, राष्ट्रीय नेता की रक्षा नहीं कर सके। इन्दिरा गांधी की रक्षा नहीं कर सके।

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री उपाध्यक्ष : चुन्नीलालजी की बात रिकार्ड नहीं होगी। आप अननेसेसरी बोल रहे हैं बीच-बीच में।

श्री परसादीलाल मीणा : इन्दिरा गांधी के हत्यारों के वकील को आपने पार्लियामेंट का मैम्बर बनाया। ऐसे हत्यारों के वकील को आपने मैम्बर बनाया। यह सिद्धान्त हैं आपकी पार्टी के।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, प्लीज। परसादीलाल जी, बैठिये आप।

श्री परसादीलाल मीणा : साहब, इनको बन्द कर दो, हम भी बोलना जानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं उनका रिकार्ड नहीं होने दे रहा हूँ, आपका भी रिकार्ड नहीं होगा फिर।

श्री परसादीलाल मीणा : वह बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : उनका रिकार्ड नहीं हो रहा है, सुनते नहीं हैं क्या आप।

श्री परसादीलाल मीणा : बोलते तो हैं ना, रिकार्ड से क्या है।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, अब समाप्त करें आप।

श्री हरिमोहन शर्मा : हां, मैं समाप्त कर रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक स्वाभाविक माननीय दृष्टिकोण है कि जो आदमी किसी दल में होता है...

श्री उपाध्यक्ष : अब आप छोड़ दीजिए इन बातों को। Now come to the broad text. अब आप बजट पर आइये, प्रापर बजट पर आइये।

श्री हरिमोहन शर्मा : तो उसमें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन लोगों के मानसिक दृष्टिकोण यह तैयार हो चुके कि वह सत्ता में आने वाले हैं उनको जब विचार अभिव्यक्ति करने के बाद वास्तविकता का पता नहीं लगे तो वह ख्याली पुलाव बना रहे हैं और ख्याली पुलाव बनाने वालों पर अगर मानसिक दृष्टिकोण से राजनैतिक कार्यकर्ता चोट करे तो सहनशीलता उनमें होनी चाहिए। यह सही है कि जिस तौर तरीके से इस देश को चलाने की बात आप जनता दल के नाम से, भारतीय जनता पार्टी के नाम से सिद्धान्तहीन तरीके से जो सत्ता में आने की बात करते हैं, कभी आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। कांग्रेस का युवा नेतृत्व ही इस देश का शासन चलायेगा और गरीब की आंख के आंसू पोंछेगा, इस देश के आर्थिक उत्थान में योगदान देगा।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : इस तरह से इस देश में उग्रवाद को पनाह देने वाले लोगों, हम मुकाबला करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय चुन्नीलाल जी बैठिये आप....(व्यवधान)

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का 28वां प्रतिवेदन

श्री रघुनाथ परिहार (सरकारी मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य

२०५

(श्री रघुनाथ परिहार)

सलाहकार समिति के 28वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूँ। प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :—

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 19 जुलाई, 1989 को म. प. 3·00 बजे माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में हुई। समिति ने दिनांक 21 जुलाई, 1989 से 26 जुलाई, 1989 तक सदन में विचारार्थ लिए जाने वाले विषयों पर विचार किया। समिति सिफारिश करती है कि कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाये :—

शुक्रवार, 21 जुलाई, 1989	1. वर्ष 1989–90 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें (प्रथम संकलन) एवं तत्सम्बन्धों में विनियोग विधेयक पर विचार एवं पारण।
	2. (क) राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1989
	(ख) नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1989 एवं
	(ग) राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1989
	— पर विचार एवं पारण।
शनिवार, 22 जुलाई, 1989) रविवार, 23 जुलाई, 1989)	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, 24 जुलाई, 1989	1. राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, 1989,
	2. राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1989,
	3. जयपुर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1989,
	4. रजिस्ट्रीकरण राजस्थान (संशोधन) विधेयक, 1989 एवं
	5. राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेन्शन (संशोधन) विधेयक, 1989
	— पर विचार एवं पारण।

(श्री रघुनाथ परिहार)

मंगलवार, 25 जुलाई, 1989 1. जल प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53) के शासकीय संकल्प पर विचार एवं उसका पारण।

2. प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव की आवश्यकता पर चर्चा।

बुधवार, 26 जुलाई, 1989 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की 27वीं रिपोर्ट वर्ष 1979-81 पर विचार।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 28वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 28वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन पर सदन द्वारा सहमति प्रकट की गई। श्रीमती वसुन्धरा राजे।

श्री पोकरलाल परिहार (देसूरी) : सहमति के पहले मैं बोल रहा हूं, मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय अनुसूचित जाति के आयुक्त की रिपोर्ट हमेशा अन्तिम दिन क्यों रखी जाती है? इसको संशोधित करके इसको बीच में रखा जाय। अनुसूचित जाति के आयुक्त की रिपोर्ट हमेशा बाद में इसलिए रखी जाती हैं कि सब जाने के मूड में होते हैं और वह कभी बोल नहीं सकते।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, बिजली बोर्ड के बारे में चर्चा पिछले कई दिनों से नहीं हो रही है इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रतिवेदन में संशोधन किया जाय और बिजली बोर्ड पर चर्चा करवायी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : पारित हो गया अब संशोधन कहां से आयेगा? Now, please, give her patient hearing.

श्री सम्पत सिंह : मैं, साहब, केसरिया बाने को देख कर बैठा हूँ।

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1989 पर विचार

श्रीमती वसुन्धरा राजे (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मौके पर धौलपुर क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको हाइलाइट करना चाहूँगी। राजस्थान सरकार ने एंटी डेकोइटी स्कीम के अ धौलपुर में काफी सर्वे करवाया है। करोड़ों रुपया खर्च किया है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूं कि जब तक उस इलाके की गरीबी नहीं मिटाई

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

जायेगी, जब तक वहां की जनता को रोजी-रोटी नहीं मिलेगी तब तक वहां की समस्या जो है, उनको हल करने में वह नाकामयाब रहेंगे। इस समाधान के लिए ज्यादा पुलिस की संख्या बढ़ाने से मैं समझती हूँ कि सरकार अपने कार्य में असफल रहेगी। इस पुलिस की वजह से, उनकी संख्या की वजह से आज जो क्रिमिनल एलीमेंट्स इस इलाके में पनप रहे हैं उसका इन्हीं लोगों द्वारा श्रेय मिलता है। जैसे नाथद्वारा से आये हुए माननीय सदस्य ने बहुत सही रूप से कहा है हर इलाके में एक पर्सेन्टज होता है बदमाशों का। उनका और जब पुलिस वालों का नेक्सस बन जाता है तो गरीब ही पिसता है। वहां उस क्षेत्र में गरीब ही पिस रहा है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र में बंगलादेशी औरतों के लिए एक ट्रांजिट कैम्प है। उस ट्रांजिट कैम्प में इन औरतों को पांच-छह महीने या एक साथ के लिए रखा जाता है। उनकी रक्षा के लिए एक पुलिस फोर्स वहां बनाई गई है। वहां एक आर.आई. और चार पुलिस वाले नियुक्त किये गये हैं उनकी रक्षा के लिए। 1988 एण्ड में या बिगनिंग ऑफ 1989 में, उस कैम्प से एक औरत भाग कर शहर में आकर हमारे शहर काजी से मिली। उसने वहां बताया कि उसके साथ पुलिस वालों ने मिलकर बलात्कार किया था। शहर काजी ने उसकी कम्पलेन्ट एस.पी. साहब तक पहुंचाई। एस.पी. साहब ने पुलिस द्वारा ही पुलिस वालों की जांच करवाई। मैं यह पूछना चाहती हूं सरकार से, कितनी फेयर हुई, कितनी फेयर बात हुई जब पुलिस वालों को आप लोग बचाने की कोशिश कर रहे हो। आर.आई. को तो निकाल ही दिया, चार पुलिस वाले जो थे वह सस्पैण्ड हुए। इंक्वायरी जारी है, चालान पेश हो रहा है कोर्ट में। पुलिस वाले उन औरतों को दबाने की कोशिश में हैं, उनको धौलपुर से हटाने की कोशिश में हैं ताकि यह मामला उभर कर न निकले।

दूसरी तरफ है नर्सेज का केस। वहां हमारे सदर अस्पताल में एक ट्रेनिंग सेण्टर है। यहां पूरे देश की नर्सेज ट्रेनिंग के लिए आती हैं। ज्यादातर साउथ की, केरल की नर्सेज आती हैं। पिछले वर्ष 88 में इन्स्ट्रक्टर और हमारे जो फर्स्ट ग्रेड कम्पाउण्डर्स हैं उन्होंने ही वहां से आयी हुई लड़कियों के साथ बलात्कार किया। यह इन्फॉर्मेशन अस्पताल वालों को दी गई अस्पताल वालों ने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू कर दी और एक डेढ़ साल के बाद तीन आदमियों को सस्पैण्ड किया। मैं समझती हूं कि suspension is not enough. Suspension is not enough punishment. एफ.आई.आर. तो जारी ही नहीं किया, एफ.आई. आर. तो लिया ही नहीं गया। उन्होंने एफेडेविट दिया पर जब तक केस इन्क्वायरी के लिए आया तब तक वह बेचारी वहां से ट्रांसफर होकर चली गई।

धौलपुर की पुलिस ने डाकुओं को आश्रय दे रखा है। एक प्लावा डकैत है, एक निहाला डकैत है हमारे यहां 5-6 और भी ऐसे डकैत हैं। इनके साथ मिल-

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

कर पुलिस वाले वहां वारदात करते हैं, इनको बचाते हैं। वहां के जो कांग्रेस (आई) के एक्स एम.एल.ए. हैं उनके घर में रहते हैं। पुलिस वाले इनको जानते हैं फिर भी इस हालात में कुछ नहीं कर रहे। यह जो डकैत हैं उसने 34 मर्डर तो किये हैं, यू.पी. की पुलिस में वांटेड है और राजस्थान में खुले आम घूम रहा है। सरकार उनको बचा रही है। जब ज्यादा ही ट्रेप हो जाते हैं तो एन्काउंटर दिखा देते हैं जिसकी सूचना भी पहुंच जाती है। एस.पी., डी.एस.पी. साहब को और उसके बाद भी कोई पूछताछ होती नहीं। जब तक गरीबी नहीं हटेगी और थोड़ी सी शिक्षा यहां नहीं पहुंचेगी तब तक मैं समझती हूँ कि इस इलाके में कोई तरक्की नहीं हो सकती। चोरी, डकैती और औरतों की जो बिक्री होती है वह बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अगर इसको सरकार वास्तव में गम्भीरता से सम्भालना चाहती है तो वह तभी सम्भाल सकती है जब वह इस इलाके को इंडस्ट्रियलाइज करे। सब पूरी तरह की फैसेलिटीज धौलपुर में अवेलेबल हैं। ब्राड-गेज लाइन, नेशनल हाई-वे, आगरा, मथुरा, ग्वालियर जैसे मार्केटिंग सेण्टर्स हैं। पानी की कोई कमी नहीं है। यहां मिनरल्स भी हैं जैसे सिलिका सैण्ड है जिसको ग्लास इण्डस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है जो वहां नहीं, धौलपुर से बाहर सिलिका भेजा जाता है। लाइम स्टोन है जिसको सीमेंट की इण्डस्ट्री में इस्तेमाल किया जा सकता है परन्तु कोई प्रमोशन नहीं हुआ है कोई सिम्पेथेटिक प्रमोशन सरकार की तरफ से नहीं हुआ है। सरकार मुझे यह बताये कि धौलपुर में उनकी जानकारी में कितनी इण्डस्ट्री लगी हुई हैं। हां, वहां एक राजस्थान एक्स्प्लोसिव जरूर है परन्तु वह भी माननीय भैरोंसिहजी के टाइम में जनता सरकार के थ्रू हमारे यहां लगाया गया था इसके अलावा हमारे इलाके में जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनके लिए और कोई नौकरी का जरिया नहीं है। इस समस्या को मैं समझती हूँ कि तीन मैन प्रोजेक्ट अगर सरकार सम्भाल ले तो इस इलाके में काफी उद्योग आ सकते हैं और बहुत सा बदलाव भी हो सकता है जिनके बारे में मैंने हाउस में पहले जिक्र किया है। एक तो धौलपुर लिफ्ट योजना है जो अगर वहां अपनाई गई, इसका पहले थीम जो बना था वह करीबन 10 साल पहले जनता सरकार के टाइम में बना था। इससे 36 हजार हैक्टेयर सिंचाई हो सकती है और जहां मार्जिनल खेती आज हो रही है वहां सही हिसाब से खेती हो सकती है। छठे और सातवें प्लान में इसका जिक्र है और मैं समझती हूँ आठवें प्लान में भी सरकार बजट का एलोकेशन करवाकर इस स्कीम को अप्रूव करा दे। हमें यह बताया जाता है कि यह सी.डब्लू.सी. के विचाराधीन है। हमें यह भी मालूम है कि सी. डब्लू. सी. की क्वेरी अगर सरकार रुचि ले तो दो हफ्ते के अन्दर-अन्दर इनको मिटा सकते हैं परन्तु मैं समझती हूं कि यह इन स्कीमों को करना नहीं चाहते।

दूसरी स्कीम वह है जो मैंने 18 तारीख को पीने के पानी के सम्बन्ध में

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

रेंज की है। यह स्कीम अलवर-भरतपुर के लिए धौलपुर के अ॒ चम्बल से लिफ्ट लेकर पाइप लाइन के अ॒ ली जा रही है। सब स्टेशन बने हैं अलवर में भी और भरतपुर में भी। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जब मैप पर स्कीम में धौलपुर का नाम है तो हाल में इस क्षेत्र को इस स्कीम से वंचित क्यों किया जा रहा है? जितनी जल्दी हो सरकार इस पर ध्यान दे और इस पीने के पानी की स्कीम को वहां जारी करे। कितने शर्म की बात है कि चम्बल पर बसा हुआ यह जिला और यहां पानी की कमी। तीसरा, सुपर थर्मल पावर प्लाण्ट के बारे में भी मैंने बहुत कुछ कहा है जिसके बारे में आज सुबह भी चर्चा हुई है। यह थर्मल प्लाण्ट धौलपुर की जनता की साइकोलोजी के साथ जुड़ गया है। धौलपुर के लोग यह फील करते हैं, इतने विवश हो गये हैं। सरकार की ओर से और यह फील करते हैं कि जिस दिन सरकार की ओर से इसकी यहां घोषणा हो जायेगी उस दिन धौलपुर की तरक्की हो सकती है, क्योंकि उद्योगपति और बाहर के उद्योगपति भी यहां आकर के उद्योग लगायेंगे। पहले टाटा कंसल्टेन्ट्स की रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने कई चीजों का जिक्र किया था जिनका समाधान हो गया। कोयले की वहां कमी नहीं है। रेल लाइन की प्राब्लम नहीं है, जमीन बहुत बड़ी तादाद में पड़ी हुई है और वेस्टेज को बीहड़ में डाला जा सकता है पर अब और कुछ नहीं मिला तो सरकार ने पर्यावरण की जिद पकड़ ली और हमें बता रहे हैं कि पर्यावरण की वजह से क्योंकि ताज पर इसका अफेक्ट हो सकता है जिसकी वजह से हमारे क्षेत्र में यह ताप बिजलीघर लगाने में असमर्थ होंगे। मैं यह पूछना चाहती हूं कि जब विण्ड का डायरेक्शन उस तरफ नहीं है और जब इतने सारे सोफेस्टिकेटेड साधन हैं वह सब लग सकते हैं तो यह इतनी क्या मुश्किल है। राज्यपाल के अभिभाषण में हम को बताया गया था कि यह स्कीम विचाराधीन है। 24 अप्रेल को कल्पनाथ राय ने अपनी चिट्ठी में माननीय भैरोंसिंहजी को लिखा कि धौलपुर ताप विद्युत परियोजना की स्थिति यह है कि राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्रस्तावित कार्य स्थल पर्यावरण की दृष्टि से उचित नहीं पाया गया। अतः बिजली बोर्ड ने परियोजना के लिए अन्य स्थान का निर्धारण करने का अनुरोध किया गया। आज श्री विष्णु मोदी के जवाब में उन्होंने यह बता दिया कि यह स्कीम कभी की ड्राप हो गई। मैं समझती हूं कि It is not the question of mobilisation of resources. सीधी बात है कि सरकार अपना केस केन्द्र में लड़ नहीं सकती। सरकार अपना हक मांगना नहीं जानती। सरकार झोली फैलाती है और मैं समझती हूँ कि यह हमारे राजस्थान की जनता और धौलपुर की जनता पर विशेष रूप से कुठाराघात है। अगर इन चीजों का समाधान जल्दी हो जाय तो मैं समझती हूँ कि धौलपुर में जल्दी तरक्की हो सकती है। कई मन्त्रियों ने इस सदन में हमें आश्वासन दिये पर क्या इनके आगे सरकार बढ़ेगी ही नहीं? मैं यह पूछना चाहती हूँ कि धौलपुर राजस्थान का एक हिस्सा है, फिर

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

हमारे साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों ? पूरे राजस्थान में जो अधिकारीगण हैं जिनको कोई काम आता नहीं है। जो भ्रष्ट हैं, जिनसे मतलब नहीं किसी और को, वह हमारे धौलपुर में भेजे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहती हूं कि पी.एच.ई.डी. के दो ए. ई. एन. हमारे यहां हैं एक मि. बंसल और एक मि. गर्ग, दोनों सात साल से वहां हैं। मि. गर्ग जो हैं इनका प्रमोशन ही नहीं होता, वह चाहते ही नहीं कि हम एक्स.ई.एन. बन जायं या इससे ऊपर चलें क्योंकि वहां बड़ी कमाई होती है उनकी और वह चाहते ही नहीं कि धौलपुर से बाहर जायं। ए.ई.एन. गर्ग जो है उसका एक भाई हरिओम करके है उसका उपनाम कट्टा उसका बिजनैस है, वहां एक स्टोन कम्पनी में बनवारीलाल की, जब वह उनके साथ बिजनैस करता है तो वह धौलपुर से बाहर क्यों जायेगा, ए.ई.एन. के पद से ऊपर क्यों जाना चाहेगा और धौलपुर का विकास क्यों करना चाहेगा। एक महाशय श्री अवस्थी सिंचाई विभाग में ए.ई.एन. है उन्होंने 27 साल की सर्विस के 25 साल तो धौलपुर में ही निकाल दिये। वह वहां पर अपना मकान खरीद चुके हैं, ए.ई.एन. गर्ग ने भी लिया हुआ है, पानी के कनेक्शन लग चुके हैं और वह बड़े आराम से धौलपुर में बस गये हैं, उन्हें अब किसी की चिन्ता ही नहीं। मैं यह पूछना चाहती हूँ कि सरकार इन मामलों में कुछ करना चाहती है कि नहीं ?

इन हालात में मुझे दुख है कि जो स्थगन प्रस्ताव मैंने रेज किया था तब आप ही ने मुझे कहा था कि आप इतना बोल गये। मैंने तो इसलिए चांस दिया कि आप बहुत रेयरली बोलती हैं। मैंने सोचा कि मैं आपको बोलने का मौका दूं। मैं यह नहीं समझती कि मैं सरकार का समय बेकार में लूंगी। मैं यह समझती हूं कि तभी जबकि मामला इतना गम्भीर हो तब इस सदन के सामने रखा जाय और सुबह भी और अब भी मैं यह मामला आपके सामने अब भी जो मामला आपके सामने रखने जा रही हूं वह इतना गम्भीर है, हमारे जीवन और मरण का सवाल है। मैं समझती हूँ कि सदन के सिवाय और कोई हमारी इस समस्या को सुलझा नहीं सकता। इसलिए आज आपसे और सरकार से निवेदन है कि इस मामले को वह जल्दी से जल्दी सुलझायें। साथ में अभी बूंदी से आये हुए माननीय सदस्य ने बड़ा भारी राजनैतिक भाषण दे दिया। मैं यह बिलीव नहीं करती हूं और मैं समझती हूँ कि कोई भी विपक्ष के सदस्य ऐसे नहीं हैं जो वहां राजनैतिक भाषण दें। कांग्रेस का तो जो मुद्दा है, जिस पर इलेक्शन जीते हैं, वह मुझे बताया जाता है और मैंने कानों से सुना है कि काम ज्यादा बात कम। परन्तु यहां तो मैं यही देखती हूँ कि काम तो कुछ होता नहीं है और बात ही बात में मौका निकल जाता है। इन हालात में उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं समझती कि हमारी राजस्थान की सरकार को इस बजट के पैसे को खर्च करने के लिए कोई अधिकार दिया जाय। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री थानसिंह।

श्री थानसिंह (सलूम्बर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक पर चर्चा चल रही है जिसमें मैं भाग ले रहा हूं। कांग्रेस सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया यह सारा राजस्थान जानता है। आज आजादी के बाद में हमारे इलाके में आदिवासियों की हालत क्या है और क्या नहीं थी। वह सारी स्थिति आप से छिपी हुई नहीं है। जनता पार्टी के शासन में, जब ढाई साल का जनता पार्टी का शासन आया और जो काश्तकारों की बात करते हैं लेकिन उस समय में मैंने भी सलूम्बर से चुनाव लड़ा सन् 1977 में। उस समय भैरोंसिंहजी राजस्थान के 1977 में मुख्य मंत्री बने। उस समय काश्तकार लाइन लगाकर पैट्रोल पम्प पर पीपे लेकर खडे होते थे। वे कहते थे कि भैरोंसिंहजी के शासन में डीजल नहीं मिल रहा है। ऐसी हालत थी। जो सरकार, जो जनता पार्टी का शासन, जो काश्तकार के फायदे की बात करती है लेकिन उनके शासन में यह हालत थी। उनके शासन के टाइम में अन्त्योदय योजना चली उसके अन्दर लोग कहा करते थे कि हमको गरीबी में ले रहे हैं। अन्त्योदय का मतलब अन्त होना, जिसको अन्त होना कहते हैं। और उस समय में लोग जो भी कहीं काम पर लगते थे उनको अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत ही लिया जाता था। तो लोग कहते थे कि साहब यह है क्या हमको....(व्यवधान)..... तो इस वजह से लोगों को हीन भावना की दृष्टि से देखा करते थे और हीन भावना की तरह, वह जानते थे कि हम इनको गरीबी की रेखा में ले रहे हैं, उस समय लोग यह महसूस करते थे कि इस योजना के अन्दर उनका न तो कोई मान सम्मान था गांव में क्योंकि ये जानते थे कि ये गरीबी की रेखा के नीचे हैं। न उनकी कोई सगाई करता था, न उनसे किसी प्रकार का व्यापारी कोई लेन देन देता था। यह उनकी हालत थी। और एक पंचायत में कितने-कितने लिया करते थे ? एक पंचायत में पांच-पांच। गरीबी की रेखा के नीचे में अन्त्योदय योजना की बात करते हैं तो उनके शासन के टाइम में, उनके समय में आदिवासियों की हालत और जनजाति की हालत ऐसी थी कि उसको कहना बड़ा मुश्किल है। उस समय में इन्होंने एक अभियान चलाया था, भूमि के लिए चलाया था। जहां जमीन नहीं थी वहां पर भी लोगों को पट्टे दे दिये गये। बहुत से आज पट्टे लेकर घूम रहे हैं उनके शासन के टाइम के और वे कह रहे हैं कि जमीन कहां है और उसके बाद में आज तक उन लोगों को जमीन नहीं मिली। आज कांग्रेस के राज के अन्दर देश के प्रधानमंत्री राजीवजी, इनकी बहुत बड़ी दिल में कल्पना है। वह चाहते हैं कि इस प्रकार से आजादी के बाद में इन लोगों ने, ठाकुरों ने, राजा महाराजाओं ने, बहुत से ऐसे बड़े-बड़े जागीरदार, पूंजीपति लोग इस देश में रह रहे हैं उसके बाद में आज गरीब लोगों को किसी प्रकार से आगे आने नहीं देते हैं आज सरपंच और पंच आने नहीं देते। तो वह इस प्रकार अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। आज महिलाओं को आगे आने का अधिकार, आज राजीवजी चाह रहे हैं कि

(श्री थान सिंह)

आरक्षण देकर महिलाओं को आगे लाया जाय, तीन पर्सेन्ट आरक्षण किया जाय, उनको नौकरी में और जनप्रतिनिधियों में आरक्षण दिया जाय। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि पंचायत समिति में हमारे लोग, जहां कहीं औरतें हो, बुढ़िया हो उसको लाकर के फार्म भरवा देते थे। आज आप ताज्जुब करेंगे उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर जिले के अन्दर साढ़े पांच सौ पंचायतों में आज की तारीख में एक भी महिला सरपंच नहीं है। तो इससे बढ़कर औरत के साथ और क्या अन्याय हो सकता है। देश के प्रधान मंत्री जानते हैं कि कहीं ठाकुरवाद चल रहा है, कहीं जातिवाद चल रहा है, कहीं पैसेवाद चल रहा है, कहीं लठवाद चल रहा है, कहीं घोड़ी पर चढ़ने नहीं देते हैं। मतलब यह है कि इस प्रकार से आज देश में आजादी के बाद में यह हालत है। लोग आज घोड़ी से उतारे जाते हैं। 16वीं सदी की बात करने जा हैं। आज लोग कहते हैं इनके लोगों में, आज इनमें नाथूरामजी जो जाट नेता हैं, जाट राजस्थान में गरीबों के साथ कितना अन्याय करते हैं। ऐसा कोई नहीं करता है यह मैंने देखा है। आज चाहे राजपूत हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे जागीरदार हो, आज मेवाड़ के अन्दर चले जावो आज लोगों के साथ वो का वो व्यवहार। आज लोगों को चौराहे पर बैठने नहीं देते, सार्वजनिक स्थान मे उनको वंचित रखते हैं। आज राजीवजी जानते हैं इस बात को कि ये लोग पैसे से आगे बढ़ जाते हैं, अपनी दादागिरी से आगे बढ़ते हैं, राजनैतिक भाषण देते हैं। इसलिए उन्होंने इस पंचायती एक्ट को बदला। उन्होंने कहा कि गरीब लोग इस प्रकार से आगे आयें और उनको अधिकार मिलें इस आजादी के मुल्क में गरीबों को हम आगे लावें। आज छुआछूत की भावना 40 साल के बाद में भी है। जनता पार्टी के टाइम में छुआछूत के इतने मुकदमे दर्ज हुए उतने कभी पहले नहीं हुए। आज मतलब है कि ब्राह्मणों की होटलों के अन्दर लोगों को घुसने नहीं दिया जाता था। आज गरीब लोगों की वही की वही हालत बनी हुई है। इसलिए मेरा आप से निवेदन है, आज कांग्रेस के लोग चाहते हैं, आज देश के प्रधानमंत्री राजीवजी चाहते हैं कि लोगों को समय के साथ इस देश की भावना के साथ जुड़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये नहीं चाहते हैं। इस वजह से जनता पार्टी में जितने भी, इन्होंने जहां-जहां भी देश में साम्प्रदायिक दंगे करवाने के अलावा और कोई काम नहीं किया, लोगों को लड़ाने के अलावा और कोई काम नहीं किया आज हमारे आदिवासी इलाके के अन्दर कभी साम्प्रदायिक दंगा नहीं होता था परन्तु खैरवाड़ा के अन्दर इन लोगों ने, वहां पर एक पंचायत में, पहले मैं जब एम.एल.ए. था, उस समय इन्होंने वहां जाकर लोगों को भड़काया, दो आदिवासी मारे गये। तो इस वजह से आज आदिवासी कभी नहीं चाहते कि किसी मुसलमान से या किसी साम्प्रदाय वर्ग से लड़ा जाय लेकिन इन्होंने वहां आदिवासी को भड़काया और भड़काने के बाद में उन लोगों के घर जलवाये, आक्रमण किया। मुझे बहुत बड़ा दुख है इस मामले में उस इलाके के अन्दर। वहां बी.जे.पी. घुस गई और इन्होंने और कोई काम नहीं किया, कहीं आदिवासी बनाते हैं, कहीं वनवासी बनाते हैं। आप चाहते हैं

(श्री थानसिंह)

कि आदिवासी वनवासी ही रहे। सोना, चांदी आप तोलें और आदिवासी मछली का धन्धा करता रहे और ये यहां काम करते रहे, राज में यहां बैठे हुए हैं और उस वनवासी की बात करते हैं। आज मैं चाहता हूँ उपाध्यक्ष महोदय, कि आदिवासी को उनका जो जंगल का हक है वह उनको दिया जाना चाहिए। आज की तारीख में जितने भी आदिवासी इलाके के लोग हैं आज वास्तव में उनकी स्थिति बहुत सुधरी है फिर भी मेरा आप से निवेदन है कि आदिवासी इलाके के अन्दर, जहां ट्राइबल इलाका है, जो ट्राइबल की तहसीलें हैं, उन तहसील स्तर पर आदिवासियों के लिए कालेज होने चाहिए, उनका शैक्षणिक स्तर सुधारना चाहिए। उसके बाद में जन जाति इलाके के अन्दर आज जो भी आयुर्वेद औषधालय के अन्दर, पहले 60 सीट्स थी लेकिन अब 40 सीट्स कर दी तथा जो दो साल से, तीन साल से जो ट्रेनिंग शुदा हैं, कम्पाउण्डर में और पशु वेटनरी में जो तीन साल से, चार साल से जो ट्रेनिंग शुदा हैं वे लोग आज बेरोजगार घूम रहे हैं। मेरा अनुरोध है, इस सरकार से मेरा नम्र निवेदन है कि जो आज शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स पर बैन लगा है उस बैन को उठाना चाहिए। आज से 30-40 साल में शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स पर कभी बैन नहीं लगा। और जो आज लगा है उसके लिए मेरा निवेदन है और साथ-साथ आदिवासी युवक आज काफी बेरोजगार घूम रहे हैं। उनके लिए धन्धे की जरूरत है। आज ऐसे लोगों के लिए इस बजट में व्यवस्था करना बहुत जरूरी है ताकि लोग आगे बढ़ सकें। पहाड़ियाजी जिस समय मुख्य मंत्री थे उस समय मेवाड़ भील नाम की एक बटालियन बनी थी, उस समय उन्होंने 200-300 आदिवासियों को भर्ती कर दिया था। लेकिन आजकल तो ठाकुर बन गये एस.पी., कोई कमाण्डर बन गये हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि वहां पर भीलों की बटालियन है लेकिन उसमें दूसरे लोगों को घुसेड़ रहे हैं। इसलिए मेरा पुरजोर निवेदन है आपसे कि इस प्रकार उनके हक किसी दूसरे को नहीं दिये जाने चाहिए। यही मैं आपसे कहता हूँ और साथ ही साथ आज कांग्रेस के राज में जितनी तरक्की हुई उतनी मैं समझता हूं कि कभी नहीं हुई है। आज जितनी भी स्कूलें हैं, सैकण्डरी स्कूलें हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, इनके अलावा जनता के लिए अन्य प्रकार की सुविधाएं और विकास भी इस इलाके में हुआ है। मेरा आपसे निवेदन है कि आने वाले समय में इस प्रकार से जनता पार्टी सिवाय लड़ाई झगडे करना और काम कोई इनके पास बाकी रहा नहीं है। मैं अन्त में यही कहता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री शोपत सिंहजी।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री हंसराजजी मिढ़ा।

श्री हंसराज मिढ़ा (सूरतगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार की तारीफ ही तारीफ करनी चाहिए उसके बाद क्या करना चाहिए? तारीफ करके

(श्री हंसराज मिढ़ा)

और खड्डे में डाल देना चाहिए। सबसे पहले शिक्षा का ले लो। राजस्थान सरकार ढाई सौ जनसंख्या वाले गांव में प्राथमिक पाठशालाएं खोल रही है। मुझे इस बात का बड़ा दर्द है। मेरे क्षेत्र में कम से कम तीन सौ प्राथमिक पाठशालाओं की कमी है। मगर सरकार का कभी उधर ध्यान नहीं गया। जहां अनुसूचित जन जाति के मेरी कांस्टीटयुएंसी में 48-50 पर्सेन्ट हैं, मगर उन लोगों के बच्चों को पढ़ाना नहीं है, उनके हाथ में डन्डा दे देते है कि जाओ तुम पशु चराओ, स्कूल ही नहीं है तो कहां पढ़ायें ? अगर स्कूल होता तो वह बच्चे पढ़ लिखकर मेरी कांस्टीटयुएंसी में उसके बाद मिडिल नहीं, हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं और कालेज का सारे क्षेत्र में नामोनिशान नहीं। ऐसा लगता है कि सरकार इस तरफ ध्यान नहीं देना चाहती। इसका कारण है कि जैसे ब्रिटिश सरकार ने लोगों को अनपढ़ रखा था, उसी तरह से यह कांग्रेस सरकार लोगों को अनपढ़ रखना चाहती है क्योंकि अगर यह बच्चे पढ़ लिख जायेंगे तो हमारे मुकाबले में आ जायेंगे, इसलिए इनको अनपढ़ रखा जाये। वहां टीबे तो पड़े है जमीन सरकार की, मगर उनके ऊपर किसान को झोपड़ी बनाने के लिए इजाजत नहीं है। मेरे ख्याल से ऐसे सैंकड़ों, पचास-पचास, साठ-साठ परिवार हैं जिनको सरकार मंजूरी नहीं दे रही है, महज इसलिए कि इन लोगों पर तलवार लटकाये रखें, अगर आप लोगों ने हमें वोट नहीं दिये, तो आप लोगों की झोपड़ियों पर बुलडोजर फेर दिये जायेंगे। मेरे रावला के अन्दर 19 अगस्त, 1987 में बुलडोजर फेरे गये, दर्दभरी कहानी है। आज तक उनको बसाया नहीं गया। जब क्वेश्चन करते हैं तो जवाब देते हैं कि बसा दिया। मैं चैलेन्ज करता हूं, अगर उन लोगों को किसी तरह से बसाया हो, तो। उनकी झोपड़ी पर बुलडोजर फेर दिये। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, गरीब जनता को बसा नहीं सकी जो। छप्पर काहे का दिया गरीब को आसमान का ? गरीब को कोई छप्पर नहीं दिये गये। राजस्व मंत्रीजी बैठे हैं, मैं आपसे रीक्वेस्ट करता हूं कि आप पढ़े लिखे हो, आप जाकर मौका देखिए, और अगर वहां बिना छत के लोग बैठे हों, तो मेरे को कहना कि मैं ठीक कहता हूँ, वरना मेरे को गलत साबित कर देना। मैं आपकी सरकार को गलत साबित करता हूँ कि आपने न्याय नहीं किया। कई दफा कलक्टर साहब ने वादा किया कि मैं अब कर दूंगा। यही हाल सूरतगढ़ का है, जमीन है सूरतगढ़ के लोगों की मगर आपने कब्जा कर रखा है मार्केटिंग कमेटी वालों ने। आप आंकड़े मिला लीजिए आपकी सरकार की कितनी जमीन थी और आपने गरीब कितनी बांटी, जिनकी थोड़ी-थोड़ी जमीन थी, उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है और आपने कोई तवज्जोह नहीं दी है। सरकार यह सोचती है कि हम तो कुर्सी पर बैठे हैं और हमें तो कब्जा करना है, कब्जा नहीं देना है। कब्जा नहीं जमायें। इस बात को तवज्जोह दें कि कब्जा नहीं जमायें, जो कब्जा किया है, वह जमीन खाली कर दें, इसी में आपकी भलाई है। जलदाय विभाग, में सरकार के अरबों रुपये लग रहे हैं, मगर उसमें सीमेंट के नाम से रेत, क्या

(श्री हंसराज मिढ़ा)

फायदा है उसका ? जाकर चैक किया है किसी ने ? किसी ने यह देखा है कि यह क्या हो रहा है ? पुलिस में बलात्कार। मैंने कल मंत्री महोदय को भी एक चिट्ठी दी थी बलात्कार, नजदीक ही है तीन जे.के.एम. में और उसने यह कहा कि जहां बलात्कार किया गया, उस जगह उसके बाल बिखेर दिये और उसको खून से लथ-पथ कर दिया, पता नहीं कितने आदमियों ने बलात्कार किया। कितने शर्म की बात है सरकार के लिए, जो इस तरफ ध्यान नहीं दें। ड्राइवर की जीप किराये पर ले गये, उसको मारकर फेंक दिया, आज तक कोई मुजरिम गिरफ्तार नहीं हुआ। इस तरफ तो ध्यान ही नहीं देती कि क्या करना है, क्या हो रहा है। राजस्व अभियान। जमीन के सन् 1972 में आवंटन-पत्र दिये गये, कीमत 17,500/- कांग्रेस की सरकार कहती है कि हम बहुत अच्छा करते हैं, 1983 में गंगानगर में ग्यारह विधायक, सारे कांग्रेसी थे और 83 में सारे नियम बदल कर उसकी कीमत 35 हजार कर दी। उन किसानों ने क्या जुर्म किया ? जिन्होंने पैसे अदा कर दिये, उनसे भी नोटिस दे कर आज दुबारा वसूली की जा रही है। जरा मेहरबानी करके इस कानून को वापस लें। इस कानून से किसान आज बिल्कुल बदला बैठा है। किसान आपसे जवाब मांगेगा कि आपने हमारे साथ यह अन्याय क्यों किया ? अनकमाण्ड, मार दिया लोगों को पेड़ उगाओ, हरियाली बढ़ाओ। पेड़ उगाओ कहां से। पानी उनको आप देना नहीं चाहते। आपके वन विभाग की हालत देखिए। यह करोड़ों रुपये आपके लगा करके वहां टीबे सफाई किये हुए पड़े हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं अगर वही पानी आप किसानों को देते तो राजस्थान में हरियाली होती, गंगानगर जिले में हरियाली होती। गंगानगर जिले के घग्घर का पानी बह कर पाकिस्तान चला जाता है, उसके अन्दर सिगरासर माइनर, फुलेजी माइनर और सिलवाणी माइनर हरदास वाली माइनर, छः मासी नहरें कच्ची बनाकर, मैं यह भी आपसे वायदा करता हूं कि जितने रुपये भी आप लगाओ, उससे दस गुणा हमारे से एक साल में पैदावार ले लो। मगर सरकार की स्प्रिन्कलर स्कीम, उसको भी कोई तवज्जोह नहीं देते। जो टीबे हैं वहां, उनमें लग सकती हैं, अच्छी आमदनी हो सकती है और आप इस तरह से लिफ्ट सिस्टम करके लोगों को पानी दें तो सही है।

विद्युतीकरण, 1985 में मुझे दिये गये थे 52 गांव कि विद्युतीकृत कर दिये जायेंगे। आज तक 20 गांव हुए हैं और 32 पड़े हैं। उसके अलावा कैसे तरक्की करोगे ? इक्कीसवीं सदी में हो जायेंगे पेड़ 52 गांव, पहले नहीं होंगे।

भूमिहीन और विशेष आवंटन, कमाल कर दिया छत्तीसगढ़ के आफीसरों ने महारानी का रकबा है रावड़ा के पास, सरकार ने विशेष आवंटन में बेचकर नकदी कर दिया। पहले तो जो किया सो किया और मेरे प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह जवाब दिया है कि जिला गंगानगर के भूमिहीनों के 19465 प्रार्थना पत्र हैं। सूची-क संलग्न है। गंगानगर जिले में 19465 तो सक्षम फाइलों में हैं। एक

(श्री हंसराज मिढा)

लाख पहले अब तो आपने क्या-क्या जवाब दे दिया कि गंगानगर जिले में भूमि उपलब्ध नहीं है इस कारण आवंटन नहीं दिया जा रहा है। तो उनकी एप्लीकेशन क्यों ली ? 80 हजार एप्लीकेशन्स आपने ले लीं इन दिनों। उन लोगों से पांच-पांच सौ की यह ठगी क्यों मचायी अल्प बचत योजना से ? अगर आपके पास भूमि नहीं थी तो प्रार्थना पत्र क्यों लिए ? यह क्यों कह दिया कि आपको हम जमीन अलाट करेंगे ? जब आपके पास जमीन ही नहीं है तो क्यों आपने पांच-पांच सौ की अल्प बचत योजना के सर्टिफिकेट दे दिये उनको कि पत्र ले लो यह पांच-पांच सौ के, टीबे पर जाकर खेलो ? बड़े अफसोस की बात है, धोखा कर रही है सरकार। फिर कह क्या रही है कि हम तो बहुत तरक्की कर रहे हैं। गंगानगर जिले में इन लोगों के 1398 आवेदन पत्र हैं। इन मामलों की जांच जारी है। काहे की जांच जारी है ? उन बालिगों की आज पचास-पचास साल की उम्र हो गयी है। उनको जमीन सरकार अलाट नहीं करना चाहती। सरकार उनसे क्या चाहती है ? सरकार यह चाहती है कि पैसे रिश्वत में देवें, बगैर इसके गंगानगर जिले में कोई काम नहीं होता है। उन अधिकारियों को लगाया जाता है, जिनको वहां से हटाया। अभी हटाया और फिर वहीं जाकर काबिज हो गये। आपको यह ध्यान नहीं ? जिनको वहां से हटाया था उसको फिर वहां क्यों लगाया ? पैसे से लगाया या किसी की सिफारिश से लगाया, बलराम जाखड़ जी से ? किस वजह से उनको वहां गंगानगर जिले में लगाया है ? ऐसे आदमियों को गंगानगर से हटाकर एक तरफ कर दें तो अच्छा रहेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अब ले लीजिये सूरतगढ़ का किस्सा। यह अतारांकित प्रश्न संख्या 62 : जिला गंगानगर, वर्षा में कभी-कभी छतें टपकती हैं जिसकी मरम्मत के लिए इस वित्तीय वर्ष में आवश्यक राशि स्वीकृत कर दी जायेगी। जी हां, केवल दो कमरों की मरम्मत शेष है, जिनको ठीक करवाने की कार्यवाही कर दी जायेगी। वह की नहीं। मात्र एक कमरे की छत गिरी थी। अफसोस की बात है, सारी कालेज की छतें गिर गयीं, हायर सैकण्डरी स्कूल की छतें गिर गयीं, और गर्ल्स सैकण्डरी स्कूल की छतें गिर गयी। फिर सरकार ने क्या व्यवस्था की ? कितने साल हो गये ? पी. डब्ल्यू. डी. ने किसी स्कूल की वहां मरम्मत करवाई है ? मरम्मत ही नहीं करवायी है बच्चों के चोटें लगी हैं। गर्ल्स स्कूल सूरतगढ़ की ये हालत हुई थी कि वहां लड़कियां दब गयी थी, कइयों की टांग टूट गयी। उसकी हालत यह है कि सरकार फिर भी उसको तवज्जोह नहीं दे रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

घग्घर बाढ़ से नुकसान। घग्घर बाढ़ से कितना नुकसान हुआ ? पंजाब और हरियाणा में मुआवजा दिया गया, मगर गंगानगर जिला क्षेत्र के किसानों को सिंचाई कर तक नहीं छोड़ा और सिंचाई कर और बढ़ा रहे हैं। उनकी सिंचाई का कर क्यों नहीं छोड़ा गया जो फसल नष्ट हो गयी 1987 में ? सिर्फ नरमा और कपास में ही

216

(श्री हंसराज मिढ़ा)

कर छोड़ा गया। पर बाकी फसल का क्या हुआ ? क्या गन्ना नहीं था, मूंगफली नहीं थी। मूंगफली के जो हमने सैम्पल लाकर दिये, उसमें बीज का नामोनिशान नहीं था। ज्वार नहीं था, ग्वार नहीं था। सबसे ज्यादा पानी चावल लेता है। चावल की फसल नष्ट हो गयी, उस पर भी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। उनमें कितना खाद लगा ? सबसे ज्यादा खाद चावल में लगती है चावल की खाद भी गयी, बीज भी गया। पौध लगानी पड़ती है, बहुत महंगा सौदा है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री हंसराज मिढ़ा : खालों की कीमत मेरे तो शुरू से लगाकर खाले ही खाले हैं, जल्दी से घोषणा कर मंत्री महोदय, ताकि मुख्य मंत्रीजी की तो जान छूट जाये, नहीं तो जनता जान नहीं छोड़ेगी। इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसकी व्यवस्था करके ईमानदारी से फैसला करें। आप में ईमानदारी नहीं है। जैसे आप अपने बच्चों को समझते हैं वैसे जनता के बच्चों को समझें तो ईमानदारी है। मगर आपके यह विचार हैं। हास्पीटल ले लीजिए, रामसिंहपुर में हास्पीटल की बिल्डिंग बनी हुई है मगर उसमें डाक्टर्स नहीं बैठते। राजासर सैकण्डरी स्कूल की बिल्डिंग आठ साल पहले बनी। घड़साना की बिल्डिंग आठ साल पहले आर.सी.पी. के खर्चे से बनी मगर आज तक हाई स्कूल नहीं खोला जा रहा......

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त करें, माननीय मिढ़ाजी।

श्री हंसराज मिढ़ा : तो आज सरकार क्या करना चाहती है ? बच्चों की व्यवस्था, कॉलेज, अस्पताल रामसिंहपुर में...

श्री उपाध्यक्ष : अब सारी बातें हो गई आपकी।

श्री हंसराज मिढ़ा : सेठ केसरीचन्द के पैसे से बन चुका है वराय मेहरबानी उसके जल्दी खोलने की व्यवस्था की जावे। सारी व्यवस्था उन्होंने की है मगर आपका भी फर्ज है। उसने तीस लाख रुपये लगाकर बिल्डिंग बनाई विजयनगर में, उसकी व्यवस्था करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पोकरलाल परिहार।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री रघुनाथ परिहार (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय सदन की सहमति से एक घण्टे के लिए बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की राय हो तो एक घण्टे तक समय बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

एक घण्टे के लिए सदन का समय बढ़ाया गया।

राजस्थान विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 1989 पर विचार

श्री पोकरलाल परिहार (देसूरी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मै आपके

(श्री पोकरलाल परिहार)

माध्यम से विनियोग विधेयक पर अपने विचार रखना चाहता हूं। जो विधेयक मुख्य मंत्रीजी ने वित्त मंत्री के रूप में पेश किया है, मैं उनका समर्थन करता हूँ। अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने कुछ जिक्र इक्कीसवीं सदी की ओर किया था, मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री माननीय राजीव गांधी इक्कीसवीं सदी में हमारे देश को ले जाने से पूर्व.. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे।

श्री पोकरलाल परिहार : शिक्षा के क्षेत्र में, साइंस और टेक्नोलोजी के क्षेत्र में और विशेषकर गरीब तबके को ऊपर उठाकर इक्कीसवीं सदी की जो कल्पना कर रहे हैं, उसमें प्रयत्नशील हैं। इसलिए इनको हर बात मजाक की बजाय गम्भीरता से सोचनी चाहिए हमारे प्रधान मंत्रीजी की जब कल्पना है कि इक्कीसवीं सदी में जाने से पूर्व हमारा हिन्दुस्तान विश्व के नक्शे पर उभर कर आवे, हर क्षेत्र में विकास करे और गरीब से गरीब आदमी की खुशहाली बढ़े। प्रधान मंत्री राजीव गांधी को मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अभी 64वां संविधान संशोधन विधेयक का विचार रखा है जिसमें पंचायतों के अन्दर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए तीस प्रतिशत सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। इसी तरह महिलाओं के लिए भी तीस प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। पंचायतों में ये लोग जीतकर नहीं आ सकते थे वार्ड पंच सरपंच और प्रधान, उनके लिए तीस प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करने से इन लोगों को भी पंचायती राज में आने का और प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में हमारी राजस्थान की सरकार ने काफी जगह स्कूलें खोलकर काफी सराहनीय काम किया है। गांवों और ढाणियों तक प्राथमिक विद्यालय गत वर्ष तीन हजार खोले हैं और इस वर्ष भी तीन हजार खोलने का जो लक्ष्य रखा है इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। इसी तरह से हमारे राजस्व मंत्रीजी ने अभी जून महीने में राजस्व अभियान चलाकर बहुत ही सराहनीय काम किया है। लोगों के काश्तकारों के भूमि के उलझे हुए मामले थे, भूमि आवंटन के थे और नियमन के थे, 91 के नियमन के थे, वे सब और नामान्तकरण के मामले विशेष रूप से इस राजस्व अभियान में निपटाये गये। लोगों के पेन्शन के फार्म भरवाये गये, जरूरतमंद लोगों से ऋण के फार्म भरवाये गये। राजस्व मंत्रीजी को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने राजस्व अभियान कैम्प चलाकर राजस्थान की जनता को काफी लाभान्वित किया है।

कृषि के क्षेत्र में, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान की अस्सी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। विशेषकर हमारे पाली जिले में इस बार जो कीटनाशक दवाइयां और खाद के मिनी किट्स वितरित किये गये उसमें सहकारी कृषि अधिकारी द्वारा काफी घोटाला किया गया है। इसकी जांच करवाई जाय और उनको निलम्बित किया जाय। सिंचाई के

(218)

(श्री पोकरलाल परिहार)

क्षेत्र में मैं सरकार से मांग करूंगा कि तहसील देसूरी के अन्दर कोर्ट सूल्यंगान बांध है। काफी लम्बे समय से मांग चल रही है कि उस कोर्ट सूल्यंगान बांध का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र करवाया जाय। इससे उस क्षेत्र के कुओं का जो जल स्तर नीचे चला गया है वह जल स्तर भी ऊपर उठेगा और जिन लोगों के खेत में कुएं नहीं है उनकी भी जमीन नहरों से सिंचित हो सकेगी।

नगरपालिका के क्षेत्र में मैं मांग करूंगा कि कई नगरपालिकाओं में अभी भी लोगों को भू-आवंटन की कोई व्यवस्था नहीं है। छोटी-छोटी नगरपालिकाओं के अन्दर अभी भी साधन सम्पन्न लोग जमीन खरीद लेते हैं और उसके प्लाट बम्बई जाकर बेचते हैं। उससे गरीब लोगों को कोई लाभ नहीं मिल पाता है। नगर-पालिकाओं के अन्दर इस तरह की योजना बनाई जानी चाहिए कि 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्दर भूमिहीन लोगों को, निर्धन लोगों और कमजोर तबके के लोगों को रियायती दर पर भू-आवंटन कर प्लाट दिये जाने चाहिए। नगरपालिका की बात पर मैं यह मांग करूंगा, हम लम्बे समय से मांग करते आये हैं कि चार नगरपालिकायें जो ग्राम पंचायत से नगरपालिका बनी हैं वे पाली जिले के रानी, फालना, बेगूं और समदड़ी स्टेशन हैं। इनको शीघ्र भंग करके वहां प्रशासक लगाया जाना चाहिए।

इसी तरह से पी.डब्लू.डी. के क्षेत्र में मेरे विधान सभा क्षेत्र और तहसील देसूरी में तीन पंचायत समितियों को जोड़ने वाली सड़क सोमेसर से गुढ़ा ठाकुरजी 18 किलोमीटर है। उसको प्लान में जोड़कर निर्माण करवाया जाय, डामरीकरण करवाया जाय तो हमारे क्षेत्र की जनता को भी सीधे जिला मुख्यालय पर आने की सुविधा हो सकती है।

इसी तरह से पुलिस के क्षेत्र में भी लॉ एण्ड आर्डर की व्यवस्था राजस्थान में काफी सन्तोषजनक चल रही है। जरूर कुछ जगह लोगों के द्वारा साम्प्रदायिक दंगों में लोगों की भावनाएं भड़काकर यह दंगे करवाये जाते हैं। ये सारे मामले राजनीतिक स्वार्थपरता के कारण हो रहे हैं।

चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे क्षेत्र में काफी नये सब सेन्टर्स खोले गये हैं। मैं यह मांग करूंगा कि उन सब सेण्टर्स पर शीघ्रातिशीघ्र स्टाफ लगाया जाय। मिनी पी.एच.सी. और अन्य जो डिस्पेन्सरियां खोली गई हैं, जहां स्टाफ की कमी है वहां स्टाफ लगाया जाय।

शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं आपसे मांग करूंगा कि जिन विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है या जहां रिक्त स्थान हैं वहां शीघ्रातिशीघ्र रिक्त स्थान भरने की व्यवस्था करावें। जैसे पाली जिले में गजनीपुरा है वहां तीन-चार अध्यापक ही हैं और आठवीं तक स्कूल चल रही है। तो बच्चों को शिक्षा का समुचित लाभ नहीं मिल पाता। इस तरह से जहां-जहां भी अध्यापकों की कमी है वहां अध्यापक शीघ्र लगाये जायं। अध्यापकों के स्थानान्तरण के लिए भी राज्य सरकार को नीति निर्धारित करनी चाहिए कि जिस विद्यालय में

(श्री पोकरलाल परिहार)

किसी भी अध्यापक को तीन साल या दो साल से अधिक हो गया है तो स्वतः ही उनका स्थानांतरण हो जाय। जिस तरह पुलिस विभाग के अन्दर दो साल होने के बाद उनका स्थानांतरण हो जाता है उसी तरह शिक्षा विभाग के अन्दर भी अध्यापकों के स्थानांतरण दो या तीन साल बाद अनिवार्य रूप से करने चाहिए। वे अध्यापक उन गांवों में जहां जमे हुए हैं अपने घरेलू कामकाज में लगे रहते हैं और ट्यूशन के ऊपर जोर देकर ट्यूशन जाने वाले बच्चों को अंक दे देकर पास कर देते हैं। जो मेहनत करने वाले विद्यार्थी हैं वे हतोत्साहित हो जाते हैं। इसलिए इन अध्यापकों को भी दो या तीन साल से ज्यादा समय तक एक स्थान पर नहीं रखना चाहिए।

रोडवेज के क्षेत्र में मैं हमेशा यह मांग करता रहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में रोडवेज की बसों की काफी कमी है। रोडवेज की बसों के अभाव में प्राइवेट बस वाले मनमानी करते हैं, मनमाना पैसा वसूल करते हैं। उनका कोई समय निर्धारित नहीं होता है और संख्या में भी सवारियों को काफी भरकर ले जाते हैं। गजट नोटिफिकेशन भी हो गया है और सारी कार्यवाही भी पूरी हो चुकी है मैं मांग करता हूं कि हेमावास से देसूरी वाया सोमेसर रोडवेज शुरू कराई जाय। इसी तरह से केनपुरा से देसूरी वाया रानी रोडवेज शुरू कराई जाय ताकि उस क्षेत्र की जनता को भी रोडवेज की सुविधा का लाभ मिल सके।

जीवन धारा के क्षेत्र में हमारे प्रधान मंत्रीजी ने राजस्थान को एक नया उपहार दिया है जिसमें अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के कुएं खुद रहे हैं। मगर हमारी पंचायत समिति रानी के अन्दर जो विकास अधिकारी लगा हुआ है वह लोगों को मस्टर रोल देने में और उनका भुगतान करने में काफी रिश्वत लेकर उनका पेमेंट करता है। इसलिए मैं मांग करूंगा कि पाली जिले की पंचायत समिति रानी के विकास अधिकारी को शीघ्र निलम्बित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत हो गया।

श्री पोकरलाल परिहार : इसी तरह से अनुसूचित जाति और जन जाति के लिए हमारे प्रधान मंत्री राजीव गांधी ने......(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री पोकरलाल परिहार : पंचायत मंत्रीजी मेरी बात को नोट करेंगे कि हमारी पंचायत समिति राणी के बी.डी.ओ. को सस्पेण्ड करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। वह गरीब लोगों का शोषण कर रहा है। शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों से बिना पैसे लिए मस्टर-रोल पास नहीं करता है।

श्री उपाध्यक्ष : जांच मत कराओ। बगैर जांच के सस्पेण्ड कर दो।

श्री पोकरलाल परिहार : बिना जांच के ससपेण्ड कर दें तो कोई बात नहीं, ईमानदार पाया जाय तो बहाल कर दो। इसमें ससपेण्ड करने में कोई बात नहीं। एक बार तो करिश्मा ऐसा बताओ कि

(श्री पोकरलाल परिहार)

हम आपको बहादुर मानें। दाद दें कि सस्पेण्ड कर दें। कोई डांग पटलाई मैने नहीं की है उसकी शिकायत लिखित में मैंने आपको दे दी है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप राजीवजी के नेतृत्व की बात बोल रहे थे और अब अत्याचारों की बात करने लगे।

श्री पोकरलाल परिहार : हमारे प्रधान मंत्री राजीवजी ने सेण्ट्रल गवर्नमेंट के अन्दर विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जन जाति के आरक्षण को, रोस्टर प्रणाली के हिसाब से भर्ती करने का नया अभियान चलाया है। इसी तरह से राजस्थान सरकार से मांग करूंगा कि अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों की विशेष भर्ती का अभियान चलाया जाय ताकि गरीब लोगों को नौकरी के अवसर मिल सके और आने वाले समय में लोग हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ रहते आये हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे। इसलिए विशेष भर्ती अभियान चलाकर इन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त करें। सारी तो मानी नही जायेगी।

श्री हरिकुमार औदिच्य : वह एक ही नहीं मानी पंचायत राज मंत्री ने।

श्री पोकरलाल परिहार : सारी नहीं माने पचास पर्सेन्ट ही मान लेंगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। मुझे आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : सुश्री पुष्पा जैन।

(अनुपस्थित)

श्री चुन्नीलाल मेघवाल।

श्री चुन्नीलाल मेघवाल (सुजानगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश को आजाद हुए 40 साल हो गये और बड़ी कल्पना हो रही है कि हरिजनों के लिए यह हो रहा है, देश 21वीं शताब्दी में जा रहा है। जब देश के, प्रान्त के लोगों को पीने का पानी नहीं मिले, रोजगार नहीं मिले और भ्रष्टाचार को तो कांग्रेस सरकार ने नेशनलाइजेशन कर दिया। इतना भ्रष्टाचार है कि जिसकी कोई सीमा नहीं उसका कहां तक गुणगान किया जाय।

जहां तक शिक्षा का सवाल है। टेन प्लस टू, नयी शिक्षा नीति राजीवजी ने की। उसके अनुसार शिक्षा मंत्रीजी यहां नहीं है। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि जो सैकण्डरी स्कूल के अन्दर नवीं और दसवीं में दो विषय सामान्य ज्ञान में कर दिये उसमें केमेस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी। इसमें एक अध्यापक सीनीयर टीचर, व्याख्याता, क्या करेगा? अगर मान लो किसी स्कूल के अन्दर एक व्याख्याता है जो केमेस्ट्री फिजिक्स का है तो वह बायलोजी क्या पढ़ायेगा? कोई बता सकता है, कोई उत्तर दे सकता है कि कोई बायलोजी का व्याख्याता है तो केमेस्ट्री और फिजिक्स क्या पढ़ायेगा? यह तो स्कूलों के अन्दर हालत है और नवीं और दसवीं के अन्दर 300 प्रश्नावली हैं। मेरे कहने का मतलब इतना है कि कठिन पाठ्यक्रम दिया है, उसका बच्चा आसानी से अध्ययन नहीं कर सकता है। उनमें सफल

(श्री चुन्नीलाल मेघवाल)

नहीं हो सकता है। अब स्थिति यह हो गयी है कि आज युवा पीढ़ी सड़कों पर घुम रही है, चौराहे पर खड़ी है, वह कहां जाना चाहता है, उसको कोई पता नहीं। जीवन में उसको क्या करना है क्या नहीं करना है इसका कोई पता नहीं है। आज जहां आपकी शिक्षा नीति है। वह दर-दर सर्विस के लिए भागता फिरता है। आज भारतीय सभ्यता और संस्कृति है उसका आपकी पाठ्य पुस्तकों में नामो-निशान नहीं है। ठीक हैं आप मेडिकल कालेज में डाक्टर पैदा कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियर पैदा कर सकते हैं लेकिन आज इन्सान कहां पैदा कर रहे हैं? जब तक पाठ्य पुस्तकों में मानवता, इन्सानियत और व्यावहारिकता और भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुसार शिक्षा नहीं होगी तो देश का आने वाला भविष्य अन्धकारमय है, युवा पीढ़ी का भविष्य अन्धकार में है इसमें दो राय नहीं।

आज अध्यापक के लिए बराबर कहा जाता है। मैंने 23 साल अध्यापन कार्य किया है। पांच साल पंचायत समिति में किया है और 18 साल इन्सपेक्टर आफ स्कूल में। आज कहते हैं कि अध्यापक पढ़ाता नहीं है। आज क्या अध्यापक पर भ्रष्टाचार के लांछन लगा सकते हैं? कोई भी लगा सकता है? जबकि कौन सा डिपार्टमेंट है जहां लांछन नहीं है। अध्यापक वह कौम है जो एक दीपक की तरह है और बत्ती जल जाती है और दूसरों को रोशनी देती है वही अध्यापक है। आज अध्यापक के लिए यह कह रहे हैं। आज ग्राम सेवक के लिए क्वार्टर बनाते हैं, आप पटवारी के लिए क्वार्टर बनाते हैं लेकिन अध्यापक के लिए क्या कर रहे हैं? और फिर आप उनसे अच्छी पौध लगवाना चाहते हैं? क्या राष्ट्र का निर्माता उस हिसाब से चलेगा? तो कहने का मतलब है कि सारे ही शिक्षाविद् बड़े-बड़े शहरों और भवनों में बैठकर योजना बनाते हैं। शिक्षाविद् को चाहिए कि राजस्थान की भौगोलिक परिस्तियां कैसी हैं, वातावरण कैसा है? उसके अनुसार शिक्षा चालू की जाय तो ठीक है। अब राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कैसी है? आज 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं और उनका झुकाव खेती की ओर है। इस खेती को पाठ्य पुस्तकों क्यों नहीं शामिल किया? आपने इंजीनियरिंग को शामिल कर लिया, मेडिकल को शामिल कर लिया, कृषि को क्यों नहीं किया जहां 80 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं।

जहां तक हरिजनों का सवाल है बहुत भला कर रहे हैं। रोस्टर प्रणाली का बहुत अच्छी तरह से पालन कर रहा है। नयी नियुक्तियां आपने चालू कर दी है। राजीव गांधी ने कर दी आप क्यों नहीं करते हैं? कौन सी परेशानी आ रही है लेकिन नहीं करना चाहते हैं हरिजनों का कतई उद्धार नहीं करना चाहते हैं। आज मेरे पास एक पत्र आया है उदासर से जो नगरपालिका के सफाई कर्मचारी हैं वे 17 दिन से हड़ताल पर हैं। उनको दो साल का वेतन नहीं मिला। बड़े-बड़े भाषण करने वाले कांग्रेसी महानुभावों सोचें। महात्मा गांधी के देश में रहने वाले सोचें जिनको दो साल

(श्री चुन्नीलाल मेघवाल)

से वेतन नहीं मिला हरिजनों को नहीं मिला, जो मैला उठाते हैं। आप स्वयं अपना मैला उठाकर देखो क्या होता है? और वह दूसरों का मैला साफ करने वाले को आज कल समय पर वेतन नहीं मिलता है। क्या मांगीलालजी मंत्री महोदय, आप सन्तुष्ट हैं, कांग्रेस में? सन्तुष्ट हैं क्या? हरिजन जो मैला ढोता है, तीन-तीन साल से उनको वेतन नहीं मिला, वह क्या खाते हैं? कर्मचारी को मिल जाता है, अधिकारियों को मिल जाता है, लेकिन हरिजनों को नहीं मिलता है लेकिन हरिजन क्या करें? जितने भी एस.सी., एस.टी. के माननीय सदस्य हैं उनको मन में बड़ी वेदना है, पर कहें किसको? सबको वेदना है लेकिन कोई कह नहीं सकता है उजागर नहीं कर सकता है, कहने की हिम्मत नहीं है। हिम्मत है तो करके दिखाइये आज हरिजनों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। एक हरिजन की बरात को रोक लिया, घोड़े पर से दूल्हे को उतार दिया, बैण्ड बाजा बजने से रोक दिया और शादी दूसरे दिन हो, कार्यक्रम भी बदल गया। आप कहते हैं वाहवाही करने वालो, शर्म करो। चालीस साल से वही हालत है। लेकिन एक बात कहूं कि हरिजन थोड़े व अशिक्षित हैं और जिस दिन जागृत हो जायेगा तो यह सारी सीटें खाली नजर आयेंगी। आपके जो हरिजन माननीय सदस्य हैं, मंत्री हैं को चिन्तन करना चाहिए कि आखिर चाहते क्या हो? मुख्य मंत्री को क्यों नहीं कहते कि नव नियुक्तियां हरिजनों की चालू की जाय। कल पढ़ा कि 86 में यहां हरिदेव जोशी ने कहा था नवनियुक्तियों पर प्रतिबन्ध है लेकिन एस.सी., एस.टी. अपाहिजों के लिए खुली हैं। कितनों को दे दी गयी हैं। कोई मंत्री बता सकता है? कोई सरकार बता सकती है। कितनों को नौकरियां दी? कितनी नौकरियां हरिजनों को दे दी गयी। कितनी अपाहिजों को दे दी, कितनी ट्राइब्स को दे दी? बता सकते हो? आज भी वही हो रहा है कि नयी नियुक्तियां बन्द कर रखी हैं। बेचारे दर-दर भटक रहे हैं। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट दर-दर भटक रहे हैं। जैसा शास्त्रीजी कल बता रहे थे। कल वाली बात कही की मूली के पत्ते इधर-उधर सरकाते जाओ और काम लेते जाओ। इससे ज्यादा क्या होगा?

मुझे दुःख इस बात का है कि संसदीय शासन प्रणाली, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली और प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत जहां पर हर क्षेत्रों के विधायक चुनकर आते हैं। सदन में जो अपनी समस्याएं कहते हैं उन समस्याओं को निदान नहीं होता तो कहां होगा? बार-बार माननीय सदस्य अपनी पानी की समस्या हर तरह की समस्या यहां गाते हैं, कहते हैं, लिखते हैं इसके बावजूद भी आप कुछ नहीं करें तो क्या होगा इस देश का? इन पत्रकारों को धन्यवाद दूं आज अगर वह यह लिखना भूल जायें कि बलात्कार हुआ, हत्या हुई, या खून-खच्चर हुआ ये नहीं हो तो घर में जा-जा करके आराम से मारो किसी को कोई भय नहीं है। आज क्या करना चाहते हैं आप? आप चिन्तन करो, पार्टी पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है। माननीय सदस्यों का चिन्तन होना चाहिए, थिंकिग होनी चाहिए, थोट होनी चाहिए उसके बारे में कि अपने

(श्री चुन्नीलाल मेघवाल)

को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ? देश घाटे की ओर जा रहा है या आगे बढ़ रहा है, यह कभी सोचा आपने यह नहीं सोचेंगे तो होगा क्या जब तक ऊपर से भेजा हुआ मुख्य मंत्री, लोकतन्त्रीय शासन प्रणाली, ऊपर थोपा हुआ मुख्य मंत्री और उसका मंत्रिमण्डल सोचता है पता नहीं कब ही जायें, देश के लिए प्लान क्या बनायें, प्लान से मतलब है अपने से मतलब है पता नहीं कब चले जायें अगर विधान सभा में, सदन में अगर बहुमत के आधार पर मंत्री अथवा मंत्रि-मण्डल बनता है तो उसकी योजना बनती है कि ऐसे-ऐसे अपने को करना है। अब उसको करो तो कभी तो जोशीजी भाग गये माथुर जी बोल आये यहां बहुमत का सवाल नहीं है। बहुमत से, लोकतन्त्रीय शासन पद्धति से अगर नेता का चुनाव होता है तो मंत्रिमण्डल में स्थायित्व आता है। हर भौगोलिक परिस्थिति में एक योजना बनती है, ये तो आप लोगों का है कभी कोई चले जायेंगे। कभी कोई चले जायेगा तो जब तक इन बातों पर चिन्तन नहीं होगा तब तक कहते रहो कांग्रेस बहुत अच्छी है, राजीवजी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं इससे कोई सार की बात नहीं। समय दिया उसके लिया धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री भंवराराम सूपका।

(अनुपस्थित)

श्री भोलाराम सैनी।

श्री भोलाराम सैनी (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यय महोदय, मैं विनियोग विधेयक के समर्थन में मेरे विचार रखना चाहता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे युवा प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने यह जवाहर योजना की स्कीम लाने के बाद में और इसकी घोषणा करने के बाद में विपक्ष बिल्कुल ही बौखला गया है क्योंकि इसमें हमारे युवा प्रधान मंत्री ने बेरोजगारों को रोजगार दिया है, जीवनधारा के तहत शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स को कुआ बनाने के लिए और पैदावार बढ़ाने के लिए योजनाएं दी हैं जिनमें एक परिवार में कोई भी सदस्य सर्विस में नहीं है उनको सर्विस दी है। पंचायत राज को अधिकार काफी दिये हैं, इसमें हमारी नगर-पालिकाओं को भी अधिकार दिये जा रहे हैं इसकी भी घोषणा की है। हमारे विकास-शील मुख्य मंत्रीजी ने हमारे पंचायत के सरपंचों को 200 रुपये का अलाउन्स स्वीकृत किया है। इससे भी विपक्ष बोखला गया है और पंचों को एक महीने में दो मीटिंग बुलाने का निर्णय लेकर के 15 रुपये के अलाउन्स की घोषणा की है उसमें भी यह बोखला गये हैं। हमारे महात्मा गांधी ने जब देश आजाद हुआ तब यह कहा था कि झौपड़ियों में बिजली के बल्ब जलायेंगे सब लोग अफसोस करते थे कि इन झौपड़ियों में बिजली कहां से आयेगी, इतनी लम्बी कैसे आयेगी। जब जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा डेम बना करके और हमारे देश व राज्य में बिजली पहुंचाई और वह झौपड़ियों में बिजली जल रही है आज। जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि यह जो झौपड़ियां हैं उस जगह हम पक्के मकान

(श्री भोलाराम सैनी)

देखना चाहते हैं और पक्के मकान बनेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू की घोषणाएं आज हमारे देश का कितना विकास हुआ है किसान परमानेन्ट मकान बना करके नहीं रह सकता था उन किसानों को अधिकार दिया जहां 12 महीना कहां टपरी बांधते थे 12 महीने बाद जागीरदार दूसरी जगह उठा करके फेंक देता था। आज परमानेन्ट किसान उस जमीन का मालिक है यह कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो किसानों को अधिकार दिया है। जहां झौंपड़ी भी नहीं बांधता था वहां पक्के मकान बना करके किसान रह रहा है। किसानों के लिए बिजली पहुंचाई जहां बैलों से जो पानी निकलता था आज आटोमेटिक पानी निकाल करके पैदावार ज्यादा बढ़ाई हैं। हमें दूसरे देशों से अनाज मंगाना पड़ता था आज हमें किसी देश से अनाज मंगाने की आवश्यकता नहीं है। राजीवगांधी की तो सारी मेहरबानी है। अभी कल हमारे जनता दल के नेता महोदय कह रहे थे जो कांग्रेस में मंत्री रह चुके हैं कि ये युवा प्रधान मंत्री को बना दिया आज इसको राज्य करने में, मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विचारों से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे युवा प्रधान मंत्री ने देश की जो व्यवस्था बनाई है जो गरीबों का विकास होगा जो गरीबों के लिए नई-नई योजनाएं दी हैं। हमारी नगरपालिकाओं को काफी अधिकार दिये जा रहे हैं। पहले प्राइमरी स्कूल थे पंचायत समिति में अब मिडिल स्कूल पंचायत राज को दिये हैं इसमें काफी सुधार आ जायेगा और वहां के अध्यापकों में, वहां पढ़ाई अच्छी होगी इसमें कोई दो राय नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप राजीवजी से कह कर बरसात तो बरसा दो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय तिवाड़ीजी बैठें, नो, नो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वर्षा तो बरसा देओ राजीवजी से कहकर। अपने जिले में ही बरसा दो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुमित्राजी।

श्री भोलाराम सैनी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हम उदयपुर से जयपुर चलकर आते थे तो टीबों में जाली लेकर बसें चलती थीं और रींगस में आकर सड़क मिलती थी। आज हमने हर गांव को सड़कों से जोड़ा है यह कांग्रेस पार्टी की देन है। हम जब झुन्झुनूं से उदयपुर वाटी चलते हैं तो हमारे नेशनल हाई वे सरकार ने बनाये हैं, स्टेट हाई वे सरकार ने बनाये हैं, सड़कों का जाल बिछाया है ये कांग्रेस पार्टी की देन हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बिजली की जगह-जगह बिजली की लाइनें खींची हैं। आज गांव में 80% गांवों में बिजली पहुंचाई गई है यह कांग्रेस पार्टी की देन है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1977 से 1980 तक जनता पार्टी सरकार ने लाइनें खिचवा दी, पावर पीछे नहीं था कुओं को बिजली मिली नहीं इसलिए किसान बिल्कुल कमजोर हो गये क्योंकि बिजली मिली नहीं उनको और कनेक्शन दे दिया और दो-दो घण्टा पन्द्रह-पन्द्रह मिनिट ट्रिप करती थी

(श्री भोलाराम सैनी)

बिजली आज हमारे मुख्य मंत्रीजी ने, हमारी सरकार ने काफी बिजली बढ़ाई है और उसमें कनेक्शन दिये हैं। मैं धन्यवाद देऊंगा मुख्य मंत्रीजी को किसानों को 30 हजार कनेक्शन देने की घोषणा की है हमारे बजट में इससे बहुत किसान लाभान्वित होंगे और किसानों को कुओं के लिए बिजली और मिलेगी। इसमें मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें आप।

श्री भोलाराम सैनी : अशोक गहलोत को भी धन्यवाद दें जो हमारे गृह मंत्री हैं, आपने वहां अलवर डिस्ट्रीक्ट गोला मचा दिया और उसका फायदा विपक्ष उठाना चाहता था उन्होंने आपके सामने भी फैसला सुना करके प्रस्तुत कर दिया और अपने स्टेटमेंट में विपक्ष को नहीं बोलने दिया जो विपक्ष चाहता था उसी के अनुसार उन्होंने फैसला किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे क्षेत्र के बारे में कुछ समस्याएं रखना चाहता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय 1987-88 में खेतड़ी गुढ़ा से विद्युत विभाग के 132 के.वी. के पावर हाउस के लिए जमीन भी दे दी गई। उसे दो साल हो गये ठेका दिये हुए, टेण्डर भी हो गया, ठेकेदार को ठेका दे दिया गया लेकिन....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ध्यान रखें इसका।

श्री भोलाराम सैनी : जो काम बन्द है वह चालू करवाया जाये क्योंकि मेरे इलेक्ट्रिफाइड गांव है उनमें ट्रान्सफार्मर रख दिया गया है लेकिन बिजली के अभाव में काश्तकारों को कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। वे कहते हैं कि पावर हमारे पास नहीं है इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि 132 के.वी. का काम जल्दी से जल्दी गुढ़ा में करवाया जाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की समस्या रख रहा हूं। लाय क्यों लग गई ? महल हो गये, पक्के मकान बन गये वहां तो।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री भोलाराम सैनी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में उदयपुरवाटी में देश आजाद होते ही एस.डी.एम. कोर्ट था। वह किसी भी कारण से सीकर जिले के कांकड के ऊपर ले जा करके नवलगढ़ में ले जाया गया। हमारे युवा प्रधान मंत्री की यह नीति है कि गरीबों को सस्ता न्याय दिलाया जायें यह भी गरीबी की रेखा में आता है। गरीबी की रेखा के अनुसार सस्ती न्याय दिलायी जाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो 130 कि.मी. मेरे नीमकाथाना के पास सराय और सूरजपुरा पड़ते हैं यह विपक्ष के नेता महोदय को भी जानकारी है जो सन् 1957 में झगड़ा हुआ था उस समय वहां गये थे जब एस.डी.एम. कोर्ट उदयपुर वाटी में थी उसके बाद नवलगढ़ चली गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उच्चतम न्यायालय के जज साहब ने वहां का मोका देख लिया, वहां की बिल्डिंग देख ली, बिल्डिंग हमारे पास मौजूद है। एक तहसील की नई बिल्डिंग बन गई और पुरानी तहसील का भवन खाली पड़ा है।

(श्री भोलाराम सैनी)

तो वहां के किसानों को, गरीबों को सस्ता न्याय मिल सके, यह हमारे भारत सरकार की, राजीव गांधी की नीति है। गरीबों को सस्ता न्याय दिलाना यह हमारे प्रधान मंत्री की नीति, हमारे मुख्य मंत्री की नीति, हमारी सरकार की नीति है...

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री भोलाराम सैनी : इसके अनुसार उदयपुरवाटी में भवन मौजूद है और मुकदमे उदयपुरवाटी की तहसील से ज्यादा हैं। ज्यादा होते हुए भी वहां की जनता को सस्ता न्याय नहीं मिल रहा है यह न्याय दिलाया जाये। आप वकील हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करूंगा कि जो किसानों के पास मन्दिर माफी की जमीनें हैं मैं यह नहीं कहता कि वह मन्दिरों के नाम रहनी नहीं चाहिए, मन्दिरों के पास उनका लगान जाना चाहिए, उनकी आमदनी जानी चाहिए लेकिन जो किसान उनके ऊपर घुसे हुए हैं, जिन जमीनों का आपने विकास किया है, उन जमीनों को सुधारी है उन पर मकान बनाकर के वे रह रहे हैं। उनको न तो बैंक से लोन मिलता है, न उनको बिजली बोर्ड कनेक्शन देता है। इसकी व्यवस्था आप सरकार से करवायें। किसानों को लोन दिया जाये जो इस जमीन पर बसे हुए हैं उनको कनेक्शन दिलाये जायें, उनको पानी का कनेक्शन दिलाया जाये जिनसे वह वंचित हैं और तहसीलों में न उनको कोई पट्टा मिलता है न कोई व्यवस्था है जिससे किसान विकास नहीं कर सकते। यह हमारी भारत सरकार के विकास में आज कमी महसूस होती है। उनको भी कनेक्शन दिया जायेगा तो अनाज ज्यादा पैदा होगा। यह अच्छा होगा। आपने मुझे मौका दिया धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नवरंग सिंह।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक पर चर्चा चल रही है। मैं नहीं समझता कि राजस्थान के मुख्य मंत्री और राजस्थान की सरकार सक्षम है कि जो बजट है, विनियोग विधेयक की जो रकम है उसका ठीक तरह से उपयोग कर सके। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार तो हर मोर्चे पर फेल है चाहे वह आर्थिक मोर्चा है चाहे वह दूसरा कोई मोर्चा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि विनियोग विधेयक की रकम को राजस्थान सरकार खर्च नहीं कर सकती। इसके साथ मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि देश और प्रदेश में आजादी के बाद जो महात्माजी का समस्याओं को घटाने का सपना था और गरीबों की तरक्की करने का, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आजादी के बाद गांधीजी का सपना फेल कर दिया और फेल करने का श्रेय इस नकली गांधी को जाता है। मुख्य रूप से मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ राजीव गांधी है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज प्रदेश और देश गरीब, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आर्थिक असमानता और भुखमरी से पीड़ित है। आज मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, गरीबी का नारा लगाने वालों से मैं पूछना चाहता

(श्री नवरंग सिंह)

हूं कि आज भी देश का पचास फीसदी इन्सान ऐसा है जो एक टाइम रोटी खाता है। आज भी ऐसी बहनें, मातायें और गरीब लोग हैं जिनको अच्छा कपड़ा नहीं मिलता, जिनके बच्चों की शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ जो हरिजनों को पिछड़ों की बात करते हैं इस देश में दस्तकारों की इस कांग्रेस ने क्या गति की है सन् 1955 में सर्वे हुआ तो दस्तकारों की संख्या इस देश में एक करोड़ पैसठ लाख। जब पुनः सन् 1965 में सर्वे हुआ तो दस्तकारों की संख्या रह गयी सिर्फ 65 लाख। एक करोड़ लोगों में दस्तकार, मुख्यतः पिछड़े या हरिजन तबकों के लोग थे टाटा और बिड़ला उनको डकार गये। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि तरक्की के कौनसे रास्ते से आपने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान का किसान, राजस्थान का गरीब आदमी कांग्रेस के इस षड्यंत्र से, इस जाल से पीड़ित है। कर्ज से इतना पीड़ित है, कई बार यहां सवाल आया गंगानगर का, कई बार सवाल आया हरिजनों का, राजस्थान में कुर्कियां की जाती हैं और आपने देखा थानों में ले जाकर उनकी पिटाई की जाती है, उनके गुदे में लकड़ी और मिर्च का प्रयोग किया जाता है। फिर भी यह कहते हैं कि राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार अगर संवेदनशील है, उसमें अगर थोड़ी सी भी इन्सानियत है तो आज घोषणा करे इस बात की कि जो हरिजन हैं, जो पिछड़े हैं, जिनके ऊपर गांव में, चाहे शहर में दस्तकार हैं उन पर जो कर्जा है दस हजार रुपया प्रति कर्जे की वह माफी करेंगे। माननीय नाथद्वारा से आने वाले सदस्य अभी कुछ देर पहले मैण्डेट की बात कर रहे थे, कर्जा माफी नहीं हो सकता। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कर्जा माफी, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कर दिया, किसानों की बहबूदी के लिए, किसानों की तरक्की के लिए, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूँ कांग्रेस के माननीय सदस्यों को कि आखिर हिम्मत तो उसे शरद पंवार ने भी की, आप तो हिम्मत भी नहीं करना चाहते। आप तो पीछे-पीछे पिछलग्गू बनने की कोशिश करना चाहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि दस हजार तक के कर्जे की माफी का काम किया जाये।

इसके अलावा मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं, पेन्शन का जहां तक सवाल है यह एक प्रश्न था। मैं निवेदन करना चाहता हूं न लंगड़े को, न लूले को, वृद्ध को तो पेन्शन देने का रहा क्योंकि यह देने को तैयार हैं, नियम बनाये हैं उसमें दादा तक की निर्भरता की बात लंगडे, लूले में उन्होंने कह दी है। इसका मतलब है कि किसी भी निःसहाय को, किसी भी अपंग को, अपाहिज को कोई पेन्शन नहीं मिलेगी। जबकि हमारे पड़ौस

228

(श्री नवरंग सिंह)

में हरियाणा में मुख्यमंत्री श्री देवीलालजी, जिसकी 65 साल उम्र है, साठ साल उम्र है कोई बिना शर्त के उनको घर बैठे पेन्शन भेज रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि राजस्थान सरकार भी इस बात को लावे तो जो कुछ भी आपने पेन्शन शुरू की क्या इसकी वाह-वाही लूट लेना चाहते हैं। जब वर्ष 1977 में जनता सरकार आयी तब जो अन्तयोदय योजना चली उसके तहत जो पेन्शन का कार्यक्रम था वो वही थी और उसी कार्यक्रम के कारण से मैं आपको बताऊं कि एक लाख और इक्कीस हजार को जो पेन्शन मिलती है उसमें अधिकांश जो पेन्शन मिलती है वह उसी कार्यकाल में मिली। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके उस कार्यकाल को लेकर एक लाख इक्कीस हजार को मिल रही है जबकि हरियाणा छोटा सा स्टेट है वहां करीब 9 लाख लोगों को पेन्शन मिल रही है। आप गौर कीजिए कि आखिर इन गरीबों को जो बूढ़े लोग हैं, निस्सहाय लोग हैं इनके लिए बहबूदी का, कोई अच्छाई का काम करें।

इसके अलावा मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूँ बड़ी दलील दी गयी उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जनजाति की और दिल्ली में बैठे प्रधान मंत्री घोषणा करते हैं कि 13 अगस्त तक उनका कार्यक्रम समाप्त होने वाला है सारे हरिजनों को नौकरी मिल जायेगी वहां से फर्मान आ जायेगा। मैं तो अभी मेरे क्षेत्र में जाकर आया हूं मैंने पूछा वहां कि कहीं प्रधानमंत्रीजी के यहां से तुम्हारी नौकरी का कोई पत्र आया। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि 13 तारीख में आप देख लीजिए आज 19 तारीख हो गयी कितने दिन बाकी हैं। क्या तीन महीने में राजस्थान की सरकार ने एक नौकरी नहीं दी, एक अनुसूचित जाति और जनजाति के आदमी को जो पूर्ति करने का काम नहीं रखा तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि 13 तारीख तक दे देंगे। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं यह केवल चुनावी प्रचार है। वास्तव में उस हरिजन की, गरीब की कोई तरक्की का रास्ता नहीं सोचते हैं अगर तरक्की का रास्ता सोचते तो हरिदेव जोशी और शिवचरण माथुर राजस्थान के हरिजन को, राजस्थान के अनुसूचित जाति को नौकरी पर प्रतिबन्ध लगाकर छींटा नहीं लगाते। इन लोगों ने छींटा लगाने का, उसको भूखे मारने का काम किया है इसलिए मैं चाहता हूँ हिम्मत है अगर सरकार में तो घोषणा करे कल से ही कि जितनी उनको पूर्ति करनी है वह पूर्ति करे।

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं किसी-किसी विभाग में तो राजस्थान में तीन-तीन चार-चार पर्सेण्ट आरक्षण के लोग हैं बाकी सारी की सारी पूर्ति कर ली है लेकिन इस सरकार से मैं समझता हूं कि पूर्ति करना सम्भव नहीं लगता है।

इसके साथ-साथ मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं महिलाओं के आरक्षण की बात कहते हैं। साउथ इण्डिया में मुझे थोड़े दिन रहने का मौका मिला क्योंकि मेरे दामाद का वहां किडनी

(श्री नवरंग सिंह)

का आपरेशन हुआ आज भी तामिलनाडु में जहां अभी थोड़े दिन पहले सरकार बदली है महिलाओं के लिये पचास पर्सेण्ट सीटें बसों में रिजर्व हों तो हो किसी भी माता बहन को यहां बस में खड़ा नहीं चलना पड़ेगा लेकिन आप तो रोडवेज में देख लीजिए, दूसरी जगह देख लीजिए कच्चे रूट की तो बात ही छोड़िये आप किसी माता बहन को बैठने के लिये रिजर्वेशन की बात तो दूर रही आपकी सीट ही ठीक तरह से मिलेगी नहीं। यही नहीं मैं निवेदन करना चाहता हूं वहां की सरकार ने तीस प्रतिशत महिलाओं के लिये जो सीटें आरक्षित कर दी इसमें नौकरी के लिये स्थानीय संस्थाओं में लेकिन हमारे यहां कुछ नहीं है। ये बड़े-बड़े वायदे करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे कार्यक्रम है कि इन महिलाओं के लिये चाहे वह नौकरी है चाहे वह राजनैतिक स्थान है चाहे वह कोई दूसरे चुनाव के स्थान है कम से कम तीस पर्सेण्ट का जो आरक्षण है वह निश्चित तौर पर करना चाहिए। इन्हीं के साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, महंगाई की बात कर रहे थे। जब चरण सिंहजी प्रधान मंत्री थे तो लोग यह कहते थे कि दो रुपए किलो, ढाई रुपए किलो चीनी दो आज चीनी देश में मंहगी हो गयी। मैं कहना चाहता हूं, माननीय गृह मंत्रीजी, जो आज राजस्थान के कर्ता-धर्ता बन कर आये हैं, कि आपके राजस्थान में 15 रुपए प्रति किलो के भाव से चीनी मिल रही है, इससे ज्यादा घटिया बात क्या हो सकती है। किसान को क्या भाव दे रहे हैं लसन का? माननीय सदस्य उदयपुरवाटी से आने वाले बोल रहे थे, उनसे तहकीकात कर लो कि लसन जो 35 रुपए किलो मिलता था, मेरे उदयपुरवाटी क्षेत्र में, चिराणा के क्षेत्र में, नवलगढ़ के क्षेत्र में किसानों को खाद बनाने के लिए खेतों में डालने के लिए बाध्य होना पड़ा है। यह सरकार का काम है, इस सरकार ने काम किया है।

थोड़ी-सी चर्चा बिजली के बारे में भी करना चाहता हूँ। आज किसान कनेक्शन के अभाव में सरकार की तरफ टकटकी लगाये बैठा है। इनके न कोई नियम हैं न कानून। रोज प्रायोरिटी बदलते हैं, कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से। मेरी मांग है, मेरा कहना है कि कम से कम 1988 तक जिन लोगों ने एप्लाई कर दिया है, फार्म भर कर दे दिये हैं, उन तमाम लोगों को बिजली दो। आप कहते हो पैसे का। अगर वास्तव में राजस्थान के पैसे का उपयोग करना चाहते हैं तो राजस्थान के अधिकांश हिस्से, जोधपुर डिवीजन के जिले, दूसरे डिवीजन के जिले, उनमें बिजली का उपयोग हो। बिजली से कुएं बनें और कुओं से बिजली बने। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहां अकाल के दिनों में कुएं बने वहां बहुत सी जगह डार्क जोन घोषित कर दिया। सत्तारुढ़ दल के बैठने वाले गुढ़ा के एम. एल. ए. बार-बार इनके पास हाथ पसारकर रह गये कि नवलगढ़ में नवरंग सिंहजी के कुएं हुए हैं मेरे यहां भी दो लेकिन एक कुआं एक पैसा इनको नहीं मिला। यह हालत है। जहां डार्क जोन कर दिया वहां न कुएं हैं न पानी है। अकाल में ही नहीं आज भी

(श्री नवरंग सिंह)

नाबार्ड ने प्रतिबन्ध लगा दिया है। हमने बार-बार जिले में और यहां विधान सभा में इस बात की मांग की लेकिन इनके कानों पर जूं नहीं रेंगती। मैं पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान की तरक्की आप किस जरिये से करना चाहते हैं? अगर इसके अन्दर के पानी को दोहन नहीं करेंगे, यहां ट्यूबवैल नहीं बनायेंगे, बिजली के पम्पों से पानी नहीं निकालेंगे तो

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप राजस्थान को भिखमंगा बनाने का काम कर रहे हैं, केवल राजस्थान को कर्जदार बनाने का काम कर रहे हैं, इसकी तरक्की और बहबूदी का कोई काम नहीं कर रहे हैं। जितनी बिजली योजनायें आप ने दिल्ली भेजीं उनमें से इक्का-दुक्का की मैं कह नहीं सकता, सारी-की-सारी नामंजूर हो गयीं। कहां से मिलेगी आपको बिजली, कहां से आप पानी निकालेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस सम्बन्ध में भी राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाये और इन ट्यूबवैल्स और कुओं पर विशेष तौर से जोर दे।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री नवरंग सिंह : बीज के बारे में, खाद के बारे में और सीमेण्ट के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूँ। जब चौधरी साहब वित्त मंत्री थे तब हम लोगों ने सीमेण्ट और खाद का भाव घटा दिया था। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं इस संवेदनहीन सरकार से कि जो सीमेण्ट आप 54 रुपए का कट्टा देते थे वह आप ने खुली कर दी। उसका नतीजा यह हुआ कि किसानों को सीमेण्ट ब्लैक में लेनी पड़ती है। सीमेण्ट का काम आपने इस तरह से कर दिया। इसी तरह से बीज के बारे में। राजस्थान के बहुत से इलाकों में मैं जाकर आया हूँ, इन्होंने कहीं भी सोसाइटी के माध्यम से प्रमाणित बीज नहीं भेजा। कोई दुकानदार अच्छा या बुरा ले आया वह बात अलग है लेकिन इन्होंने उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली। पिछली बार जब यहां माननीय गोविन्द सिंहजी कृषि मन्त्री थे तो उन्होंने जवाब दिया था कि वास्तव में वह जो बीज आया है पता नहीं किस तरह का बीज आया है, वास्तव में कुछ गड़बड़ है। उस गड़बड़ को उन्होंने स्वीकार किया था। गड़बड़ इसलिए हो रही है कि इनका जो बीज निगम है वह न बीज पैदा करता है न प्रमाणित करता है। कहीं तमिलनाडु से मंगाता है, महाराष्ट्र से मंगाता है या कहीं और से मंगाता है। मेरा निवेदन है कि आखिर इस किसान के साथ धोखा क्यों करते हैं? राजस्थान के किसानों की हालत को सुधारने के लिए फण्डामैण्टल चीजों पर, जिन पर खेती का काम आधारित है, सरकार को गौर करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शोपत सिंह जी।

श्री नवरंग सिंह : आपको निवेदन करना चाहता हूं लोकतान्त्रिक संस्थाओं के बारे में।

श्री उपाध्यक्ष : I have called you twice.

श्री नवरंग सिंह : मैं समाप्त कर रहा हूं। लोकतान्त्रिक संस्थाओं—कृषि उपज मण्डी समिति, नगर पालिका, बड़े निगम और परिषद, के बारे में इन्होंने तो बरसों से यह प्रण ले लिया है कि इसके अन्दर किसी जन प्रतिनिधि को या चुनाव के द्वारा किसी व्यक्ति को नहीं लायेंगे। अभी मुख्य मंत्रीजी ने कहीं ऐलान किया है कि वह अपने + + + चुनाव में वोट के लिए बैठायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त करें।

श्री नवरंग सिंह : समाप्त कर रहा हूं। आप बात करते हैं अजीत सिंह की, आप बात करते हैं देवीलाल की।

श्री उपाध्यक्ष : आप छोड़िये, आप भी उस समय टोकाटाकी कर रहे थे।

श्री नवरंग सिंह : आप बात करते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह की, आप बात करते हैं चन्द्रशेखर की। चन्द्रशेखरजी, देवीलाल जी का जमाना था, और अटल बिहारी चरण सिंहजी का जमाना था तो उन्होंने दो रुपए किलो चीनी बिकवायी। राजस्थान में भैरोंसिंह शेखावत बैठे हैं, किसानों के लिए खुला कर दिया कि जितने कनेक्शन चाहिए उतने कनेक्शन ले लें लेकिन उसके बाद कूंची लग गयी, प्रतिबन्ध लग गया।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। माननीय श्री प्रभुदयाल मीणा।

श्री नवरंग सिंह : एक मिनट में खतम कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि हम स्कूल खोलेंगे, हमने एक आधार बनाया है, उस आधार पर हमने पिछले वर्ष सैकण्डरी स्कूल खोले। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सैकण्डरी स्कूल के नाम से इन्होंने एक भी नहीं खोला। सीनियर हायर सैकण्डरी गांव में एक भी नहीं खोला इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में यह जो एप्रोप्रिएशन बिल है इसको सदन अस्वीकार करे, मुख्य मंत्री इसको खर्च करने में सक्षम नहीं हैं। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री प्रभुदयाल मीणा (सिकराय) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहता हूँ। अलवर में सरकार ने अभी जो डिसीजन लिया तत्काल प्रभाव से मैं उसके लिए राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ। ऐसे मामलों के अन्दर अगर राजस्थान के अन्दर एक-दो झटके और लगाये जायं तो इन अधिकारियों की अक्ल ठिकाने आ जाय। उधर के भाई और विरोधी दल के नेता अनुसूचित जाति और जनजाति के हितैषी बनना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जनता दल के नेता महोदय एलान कर रहे थे कि हम अनुसूचित जाति और जनजाति का 60 प्रतिशत कोटा रखेंगे। अभी इनके दल का गठन हुआ है उसके अन्दर कहीं भी एक-दो भी अनुसूचित जाति-जनजाति के लोग नहीं

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री प्रभुदयाल मीणा)

हैं। यह जबर्दस्ती हिमायती बनना चाहते हैं। यह कहते हैं कि हम यह करेंगे, वह करेंगे, कर्जे माफ करेंगे और राज भी हम बनायेंगे पर यह मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। अब मैं मेन मुद्दों की बात कहना चाहूंगा। जनता दल के नेता महोदय ने मकराना काण्ड में पुरजोर शब्दों में पब्लिक मीटिंग के अन्दर यह कहा था कि जितने भी साम्प्रदायिक दंगे होते हैं राजस्थान में, या हिन्दुस्तान में वह आर. एस. एस. के लोग फैलाते हैं। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि यह जितने भी दंगे होते हैं क्या आर. एस. एस. के लोग फैलाते हैं? विरोधी दल के नेता महोदय, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, यह अखबार के अन्दर, सब जगह और तो और आल इण्डिया रेडियो के अन्दर न्यूज आयी थी। आर. एस. एस. के लोगों के बारे में जनता दल के नेता ने जो कहा क्या वह बात सही है? यहां तक भी कहा कि आर. एस. एस. के लोग समाजकण्टक हैं। पर मुझे इसमें नहीं जाना, इनकी बात यह जानें। जनता दल में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अभियान चलाया गया था। अभी इनका गठन हुआ है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग इनके बहकावे में नहीं आयेंगे। इन्होंने कहा था कि हम इनका 60 प्रतिशत कोटा रखेंगे। परन्तु एक भी ऐसा नहीं है जो इनके बहकावे में आयेंगे। जनता दल शाम को एक दल बनता है और बनते ही दल-दल में फंस जाता है, चाहे कितना ही ताकतवर हाथी हो वह अगर दल-दल फंस जाता है तो वह दलदल के अन्दर से निकल नहीं सकता है, वह तड़फ-तड़फ कर मर जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री प्रभुदयाल मीणा : समाप्त कैसे कर दूं साहब अभी तो शुरूआत ही हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब ज्यादा मत कहो। ओवरडोज हो जायेगा।

श्री प्रभुदयाल मीणा : महिलाओं के सम्बन्ध में भी इन्होंने एक अभियान चलाया था कि राजीवजी 30 प्रतिशत कोटा रख रहे हैं तो हम 50 प्रतिशत कोटा रखेंगे। पर मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि महिलाओं को भी इन्होंने संगठन में शामिल किया हो फिर यह सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं यह नामुमकिन है, ये सपने मुंगेरी लाल के सपने हैं जो यह देख रहे हैं। यह जोर-जोर से चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे थे कि राजीव गांधी ने यह किया, वह किया, राजीव गांधी यह करने जा रहे हैं, हम यह करने जा रहे हैं। इनकी सब बातें निराधार हैं इनकी बातों में अनुसूचित जाति तथा जन जाति के लोग नहीं आयेंगे। इस मुद्दे को छोड़कर मैं विकास के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

विकास के बारे में आपसे यह निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान के अन्दर भयंकर अकाल की स्थिति 4 साल से है और इस साल भी ऐसा लग रहा है कि शायद उसी रास्ते पर नहीं चलना पड़े। इसलिये पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। पानी एक ऐसी चीज है जिसको बाहर

(श्री प्रभुदयाल मीणा)

से नहीं मंगवाया जा सकता है। अनाज नहीं होता तो बाहर से मंगवा लिया जाता है पर पानी के लिये भयंकर समस्या है। इसलिये मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पानी पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाय और समस्या का समाधान किया जाय।

जो किसान 20 बीघा या 25 बीघा में खेती करते थे उनके कुओं के अन्दर खेतों को छोड़कर पीने का पानी नहीं है। इसलिये आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि पानी की समस्या पर पूरे राजस्थान में ज्यादा ध्यान दिया जाय।

दूसरी बात मैं अनुसूचित जाति और जनजाति के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे सर्विस का हो चाहे प्रमोशन का हो बैकलॉग भी बाकी पड़ा हुआ है। अतः मेरा निवेदन है कि इसको तत्काल प्रभाव से भरा जाय और जो बैन लगा रखा है उसे खोलकर अनुसूचित जाति और जन जाति, विकलांग और महिलाओं को रोजगार मुहैया कराया जाय यह सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि बैन को हटाकर इनको नौकरियां दी जावें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

घण्टी बज रही है साहब, मैं आपके आदेशों की पालना करता हूँ, मुझे आपकी आंखों से डर लगता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पर इनको आपकी मूछों से डर लगता है।

श्री प्रभुदयाल मीणा : मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि विकास के सम्बन्ध में–अकाल राहत के अन्दर इतने काम चले और वह काम चलते-चलते बन्द हो गये, कहीं दो लाख का हुआ, कहीं 5 लाख का हुआ मैटेरियल कम्पोनेण्ट जो अकाल राहत कार्यों के लिये दिया गया था और जो राजस्थान का सर्वे इस सम्बन्ध में करवाया गया तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसके अनुसार करोड़ों का मैटेरियल कम्पोनेण्ट–पत्थर है, बजरी है या और किसी तरह का सामान है जो बाँध बनाने के लिये, एनिकट्स बनाने के लिये, सड़क आदि बनाने के लिये दिया गया था वह मैटेरियल पड़ा हुआ है, उसका दुरुपयोग हो रहा है, कुछ पत्थर ले जा रहे हैं, कोई बजरी ले जा रहा है इसलिये मैं पूरे राजस्थान के सन्दर्भ में निवेदन करना चाहूंगा कि जो अधूरे काम हैं उनको पूरा करवाया जाय। छोटे-छोटे बाँध व तालाब और एनिकट्स पूरे होंगे तो उनके अन्दर पानी का स्टोर होगा उससे कुओं का जल स्तर ऊंचा होगा व किसानों का भला होगा और पेयजल की समस्या भी हल होगी। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस कार्य को हाथ में लेकर किसी भी मद के अन्दर इन अधूरे कामों को पूरा करवाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : अब बस।

श्री प्रभुदयाल मीणा : ऐसा मत कहो साहब।

श्री उपाध्यक्ष : काफी हो गया।

श्री प्रभुदयाल मीणा : एक बात और कह लेने दीजिये। एक ही बात और है। शिक्षा के सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा के सम्बन्ध में सरकार की बहुत अच्छी नीति है–स्कूलें गांव में खोलती है या ढाणियों में खोलती है, जैसी वहां के लोग मांग करते हैं वहां पर स्कूलें खोल देती है पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अध्यापकों की बहुत कमी है इसलिये अध्यापकों की कमी को पूरा किया जाय। ज्यादा न कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं और आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री चम्पालाल जी। (अनुपस्थित) माननीय श्री मुल्ताना राम जी।

श्री मुल्ताना राम (जैसलमेर) : उपाध्यक्ष जी, आज विनियोग विधेयक पर बहस जारी है मैं भी अपने आपको इसमें शामिल करते हुए कुछ अपने सुझाव आपके माध्यम से सरकार के सामने रखना चाहूँगा।

उपाध्यक्षजी, देश आजाद हुआ उस समय हमारे देश के कर्णधारों ने राजनैतिक दृष्टि से संघर्ष करके इस देश को आजादी दिलायी थी उसके बाद में हमारे सामने, देश के सामने, देश के नेताओं के सामने यह दृष्टिकोण था कि यह देश आर्थिक दृष्टि से जब तक ऊंचा नहीं उठेगा तब तक इस देश का, इस देश में रहने वालों का और इस देश के गरीब वर्ग का विकास नहीं हो सकेगा। आजादी के पूर्व, उपाध्यक्ष जी, पूरा सदन जानता है और इतिहास बताता है कि किस तरह से क्या व्यवस्था थी, परन्तु आजादी के बाद में संविधान के माध्यम से संविधान में जिस तरह से व्यवस्था की गई उस नीति के अनुसार कांग्रेस पार्टी ने क्योंकि मैं इस विनियोग विधेयक पर कांग्रेस पार्टी की सरकार के समर्थन में ही अपनी कुछ बात कहना चाहूंगा।

श्री यदुनाथ सिंह : क्यों, इन्होंने आपके खिलाफ उम्मीदवार लड़ाया था।

श्री मुल्ताना राम : वह कोई बात नहीं है। यह निश्चित है कि जो देश सदियों से गुलाम रहा हो, 200 वर्षों तक अंग्रेजों के गुलाम रहने और उसके पहले विभिन्न रियासतों में बंटा हुआ हो और राजा-महाराजा, बादशाह इस देश में विभिन्न तरीके से शासन करते रहे हों उस देश का विकास जितना जल्दी अपन चाहें उतना जल्दी होना सम्भव नहीं है। फिर भी इस देश में विकास हुआ है लेकिन इस विकास को देखते हुए भी यह मान लें कि आगे अब कुछ करना ही नहीं है यह बात गलत है, बहुत कुछ करना है लेकिन हमारा जो आर्थिक ढांचा है, जो हमारी अर्थ व्यवस्था है, हमारी जो शहरी और ग्रामीण बेरोजगारी की समस्यायें हैं उनको मिटाना होगा तब जाकर हमारा यह आर्थिक ढांचा सुधरेगा और देश का विकास होगा।

उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रकार से जब तक इस देश में कालाधन है, जो ब्लेक

(श्री मुल्ताना राम)

मनी है उसको जब तक नहीं रोकेंगे तब तक, क्योंकि जो धन खींचा जा रहा है उसको रोकना आवश्यक है, तभी जाकर विकास सही मायने में होगा। क्योंकि विकास की जो योजनायें बनती हैं उनका, ग्रामीण क्षेत्रों में सही मायने में बंटवारा नहीं होने से, अधिकतर धन शहरी क्षेत्रों में लगने से, ग्रामीणों का विकास होना अभी तक अपेक्षित है।

उपाध्यक्ष जी आज हम देखते हैं, मेरी जानकारी के अनुसार राजकोष का 85 प्रतिशत धन व्यवस्थाओं में खर्च हो जाता है...शेष हमारे सामने केवल 15 प्रतिशत ही बचते हैं। जो विकास की योजनाओं में धनराशि खर्च होती है, इतना तो संभव नहीं है लेकिन इस ओर विचार करना है कि जब तब इसमें कमी नहीं की जायेगी, इसका सुधार नहीं होगा तब तक जल्दी से विकास नहीं होगा इसलिए मेरी यह मान्यता है कि इसमें कमी की जानी चाहिए और विकास की योजनाओं में अधिक से अधिक धन लगाया जाना चाहिए। मैं अब जैसलमेर जिले की ओर आपका और सरकार का ध्यान दिलाना चाहूँगा। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर जिले अकाल की चपेट में हमेशा रहे हैं और पिछले सौ साल के इतिहास में जैसलमेर में 85 वर्ष अकाल रहा है और पिछले कुछ वर्षों में यदा-कदा बरसात हुई भी है तो एक से ज्यादा बरसात नहीं हुई। इससे हमारे सीमा वर्ती क्षेत्रों के गांव आर्थिक दृष्टि से दिनों दिन कमजोर होते गये। शिक्षा की दृष्टि से कमजोर रहे, नौकरियों में नहीं बढ़ पाये, उद्योग-धन्धों में नहीं बढ़ पाये इससे हम पिछड़ते रहे। इस वर्ष भी अभी तक जैसलमेर, बाड़मेर पश्चिमी राजस्थान में बरसात कहीं नहीं हुई। अब यदि बरसात हो भी जायेगी तो खेती में कोई खेती के हिसाब से फायदा नहीं होगा। पिछले साल भी अकाल था, सरकार ने कोई विशेष प्रगति नहीं की। इससे पहले 87-88 और उससे पहले सरकार ने अकाल की अच्छी व्यवस्था की थी। पिछले साल नहीं होने से परेशानियां हमारे सामने आयीं और ग्रामीण लोग शहरों की तरफ पलायन कर गये जहां उन्हें पर्याप्त रूप से मजदूरी नहीं मिली। शहरों में हमेशा ग्रामीण श्रमिकों का शोषण होता है इसलिए इस ओर सरकार विशेष ध्यान देकर अकाल में पूंजी लगाये और उनको रोजगार मुहैया कराये। (व्यवधान) तस्करी को रोकने के उपाय तो आप ही बतायें और मैं भी बता दूंगा। रोजगार उपलब्ध हो जाय तो तस्करी अपने आप रुक जायेगी इसमें कोई दोराय नहीं है।

उपाध्यक्ष जी, जैसलमेर जिले में सबसे बड़ा मुद्दा है इन्दिरा गांधी नहर। इन्दिरा गांधी नहर पर 1980 के बाद से लगातार काम चल रहा है और 1983 से जैसलमेर जिले में नाचना से और आगे तक पानी पहुंच चुका है। 1987 में मैन-कैनाल कम्पलीट होने पर आगे पानी छोड़ा गया लेकिन काश्तकारों को उससे अभी तक लाभ नहीं हुआ। आज तक सात वर्ष में न कच्चे खाले बने हैं, न पक्के खाले बने हैं, सिंचाई में उनको पानी नहीं देने से कोई लाभ नहीं हुआ है। जब तक विशेष ध्यान देकर इन्दिरा गांधी नहर से काश्तकारों को पानी उपलब्ध नहीं करायेंगे तब तक

(श्री सुल्ताना राम)

यह अकाल की समस्या, घास की समस्या, पशुधन को बचाने की समस्या रहेगी इसलिए इन्दिरा गांधी नहर का पानी किसानों को जल्दी मुहैया कराना जरूरी है। दूसरा हमारे सामने विद्युत का मुद्दा है। जैसलमेर जिले में राजस्थान का सबसे कम विद्युतीकरण हुआ है, केवल आज तक 15 प्रतिशत ही विद्युतीकरण हुआ है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में तो केवल 5-6 प्रतिशत ही विद्युतीकरण हुआ है। विद्युतीकरण के लिए पोकरण में 132 के. वी. लाइन बनी हुई है इसलिए मेरा निवेदन है कि पोकरण से जैसलमेर तक लाइन ले जाने के लिए सरकार को धन का प्रावधान करना चाहिए। काफी वर्षों से यह मांग चली आ रही है, और उचित है क्योंकि जैसलमेर जिला पर्यटन की दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से और इन्दिरा गांधी नहर की दृष्टि से, आर्मी की दृष्टि से, कई बिन्दुओं की वजह से विद्युत का होना बहुत ही आवश्यक है। सन् 1985-86 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हरिदेवजी जोशी ने बजट में प्रावधान किया था कि ग्राम रामगढ़ में गैस पर आधारित विद्युतगृह लगाया जायेगा लेकिन आज तक उस पर कोई प्रगति नहीं हुई। ओ. एन. जी. सी. ने जो पाइप लाइन लगाने के लिए जमीन मांगी थी वह भी उपलब्ध नहीं होने से, विद्युतगृह नहीं लगने से एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है। इसलिए उस रामगढ़ विद्युतगृह को प्रगति पर लायें ताकि जिले की विद्युत की समस्या मिट सके। दूसरा मेरा सुझाव है कि राजस्थान में सब जगह आर. एस. ई. बी. के एक्स. ई. एन. आफिस हैं यहां तक की तहसील स्तर पर भी एक्स. ई. एन. आफिस है लेकिन जैसलमेर जिले में आर.एस.ई.बी. का आफिस नहीं होने से एक सहायक अभियन्ता के माध्यम से ही कार्य लिया जा रहा है जिससे कार्य सुचारु रूप से नहीं हो रहा है क्योंकि लगभग 38 हजार किलोमीटर के क्षेत्र का लम्बा चौड़ा जिला है। दूर-दूर गांव हैं। जब तक वहां पर अधिशासी अभियन्ता का कार्यालय नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा इसलिए सरकार ध्यान दे।

दूसरा मेरा निवेदन है कि मोहनगढ़ में जिप्सम बहुत मात्रा में उपलब्ध है। आज सरकार ने जिप्सम निकालना बन्द कर दिया है। यदि सरकार जिप्सम निकालना वहां उचित समझती है, वहां पानी उपलब्ध है, जिप्सम होने से वहां खाद का कारखाना लग सकता है और आने वाले समय में वहां खाद की खपत भी हो सकती है क्योंकि इन्दिरा गांधी नहर उसी एरिये से निकल रही है। खेती का अच्छा एरिया मोहनगढ़, नाचना, सुल्ताना, डिग्गापाली उसी क्षेत्र में अच्छी खेती होगी उसको खाद पर्याप्त मात्रा में सस्ते भाव में उपलब्ध हो सकती है इसलिए मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री सुल्ताना राम : उपाध्यक्ष जी, एक मिनट। जैसलमेर जिले में लाइम-स्टोन पर्याप्त रूप से है और हिन्दुस्तान ही नहीं संसार का सबसे श्रेष्ठ लाइम-स्टोन है। वहां अभी लाइम-स्टोन आर. एस. डी. सी. के माध्यम से निकाला जा रहा है। वह

(श्री मुल्ताना राम)

इतने अव्यवस्थित ढंग से निकाला जा रहा है कि केवल एक या डेढ़ किलोमीटर की खुदाई करके वह पत्थर निकाल रहे हैं। पत्थर की छंटनी करके उसकी मिट्टी इधर उधर डालने से वह सारा एरिया खराब होता जा रहा है इसलिए इसमें व्यवस्थित ढंग से, लाइम-स्टोन निकाला जाय और जितना एरिया उनको देना है वह देकर शेष एरिया को उनसे मुक्त कराया जाय ताकि छोटी-छोटी सीमेंट फैक्ट्रियां लगें जिससे सीमेंट उपलब्ध हो सके।

सूचना

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को विशेष निर्देश जो अध्यक्ष जी ने भेजे हैं, वे बताते हैं कि कल विशेष परिस्थितियों के कारण जीरो ऑवर एक बजे तक ही चलेगा-यह निश्चित माना है।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 20 जुलाई, 1989 वृहस्पतिवार के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 8.00 बजे दिनांक 20 जुलाई, 1989 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गयी।)

238

परिशिष्ट–(अ)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 407 की सूची

क्र. सं.	नाम जिला	नाम थाना	अ. सं. दिनांक एवं जुर्म धारा	नतीजा तफ्तीश	नाम मुलजिमान जिनका चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया
1	2	3	4	5	6
1.	झुंझुनू	कोतवाली	242/88 धारा 5/6 (3) सती निवारण अधिनियम 15.8.88	चालान, 21.10.88 सती प्रकरण न्यायालय, मिनी सचिवालय, जयपुर	1. श्री मनोहर लाल पंसारी 2. ,, शंकर लाल
2.	सीकर	थोई	139/22.9.88 धारा 5 सं. नि. अधि.	चालान/29.20.88 सती प्रकरण न्यायालय, मिनी सचिवालय, जयपुर	1. श्री रणवीर सिंह 2. ,, हेमचन्द 3. ,, मदनसिंह
3.	,,	,,	140/22.9.88 धारा 5 सं. नि. अधि.	चालान/25.9.88 सती प्रकरण न्यायालय मिनी सचिवालय, जयपुर	1. ,, सरवण सिंह 2. ,, जितेन्द्र सिंह 3. ,, गोकुल सिंह 4. ,, पंकज कुमार 5. ,, मूलचन्द

1	2	3	4	5	6
					6. श्री तेजसिंह
					7. ,, श्रीकान्त
					8. ,, भवानी सिंह
					9. ,, रामेश्वर सिंह
					10. ,, बजरंग सिंह
					11. ,, भूंथाराम
					12. ,, शिवसिंह
					13. ,, महेन्द्र सिंह
					14. ,, प्रताप सिंह
					15. ,, राजेन्द्र सिंह
					16. ,, नारायण सिंह
					17. ,, रणवीरेन्द्र सिंह
					18. ,, कालूराम
					19. ,, मदन सिंह
					20. ,, नरेन्द्र कुमार
					21. ,, रतन सिंह
					22. ,, लक्ष्मण सिंह

1	2	3	4	5	6
					23. श्री कालू सिंह
					24. ,, डीमीन्स टीकू
					25. ,, ओमप्रकाश
					26. ,, भंवर सिंह
					27. ,, दलजीत सिंह
					28. ,, जयसिंह
					29. ,, भंवर सिंह
					30. ,, भूपेन्द्र सिंह
					31. ,, वीरेन्द्र सिंह
					32. ,, बीरबल
					33. ,, भगवत सिंह
					34. ,, सुनील कुमार
					35. ,, सम्पत सिंह
					36. ,, सागर मल
					37. ,, उदय सिंह
					38, ,, लक्ष्मण सिंह

1	2	3	4	5	6
					39. श्री संग्राम सिंह
					40. ,, दशरथ सिंह
					41. ,, रतन सिंह
					42. ,, निहाल सिंह
					43. ,, अजय सिंह
					44. ,, भगवानसहाय
					45. ,, गजेन्द्र सिंह
4.	गंगानगर	कोतवाली	441/28.10.88 धारा 5 सं. नि. अधिनियम	एफ. आर. अदमवकू 11.7.89	—

२५२

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 469 का विवरण

क्र. सं.	वर्क	प्रशासनिक स्वीकृति			तकनीकी स्वीकृति			व्यय	विशेष विवरण
		क्रमांक	दिनांक	राशि	क्रमांक	दिनांक	राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	अकाल राहत								
1.	संवत् 2042	—	—	—	—	—	—	—	
2.	संवत् 2043	अति. सचिव राज. सरकार नं.एफ–1 /2/24/अकाल/ 86-87/7452·56	9-3-87	12.00	एस.ई./टी.एस. पेसीन–12	15-5-87	12.06	8.50	
3.	संवत् 2044	31	3-9-87	9.50	—	-	10.12	12.89	कार्य नवसृजित राहत खण्ड को हस्तान्तरित होने व पुनः रेगुलर खण्ड को हस्तान्तरित होने से विलम्ब हुआ एस्टीमेट अण्डर सेंक्शन।
4.	संवत् 2045	—	—	--	—	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (अकाल से परावर्तित)								
1.	1985-86	—	—	—	—	—	—	—	
2.	1986-87	—	—	—	—	—	—	—	
3.	1987-88	एफ–14(19) रा.ग्रा.रो.का. 87-88	22-2-88	15.74	—	—	15.50	0.30	पूर्व में 7.20 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति को मानकर तखमीना बनाया गया था जबकि प्रशासनिक स्वीकृति जो जिलाधीश द्वारा जारी की गई उसमें 15.74 लाख रुपये की हुई तखनीमा को रिप्रेम करने में विलम्ब हुआ ।
4.	1988-89	—	—	—	—	—	—	11.75	तकनीकी स्वीकृति जारी होना शेष है ।
	राष्ट्रीय ग्रामीण भूमिहीन गारन्टी रोजगार कार्यक्रम								
1.	1985-86	—	—	—	—	—	—	—	
2.	1986-87	—	—	—	—	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	1987-88	—	—	—	—	—	—	—	
4.	1988-89	—	—	—	—	—	—	—	
	प्लान वर्क								
1.	1984-85	पी.ए./83/ प्लान/718/84	11.6.84	11·00	टी.एस. 1266	28.1.85	12·49	0·86	
	1985-86							2·03	
	1986-87							7·76	11·87
	1987-88							1.12	
	1988-89							—	
	फ्लड डेमेज								
1.	1985-86	—	—	—	—	—	—	—	
2.	1986-87	—	—	—	—	—	—	—	
3.	1987-88	—	—	—	—	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
फ्लड डेमेज (मरम्मत ग्रांट से)									
4.	1988-89	एफ–7 (अनु.) 4/टी.एस. ए.सी.ई. 6998	19.1.89	25.33	1. टी.एस. 41	1.3.89	0.42	4.07	समस्त 7 कार्यों की तकनीकी एप्रूवल श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जोन, उदयपुर द्वारा उनके पत्र सं.–एफ-7/से.4/टी.एस./ए.सी.ई./डी-7431 दि 26.2.89 से प्रदान की गई है।
					2. टी.एस. 39	1.3.89	0.84		
					3. टी.एस. 42	17.3.89	1.00		
					4. टी.एस. 43	17.3.89	0.80		
					5. टी.एस. 49	21.4.89	0.50		
					6. ए.सी./टी. एस.वर्क्स-3 (29)89-90/ 1875	24.6.89	3.02		
					7. टी.एस. वर्क्स 3(29) 89-90	19.5.89	17.05		

तारांकित प्रश्न संख्या 57 के भाग 2 के उत्तर में विवरणिका–"ब"

क्र. सं.	माह	एल.ई.आर. जो मंजूर की गई	मजदूर जो लगाये गये	भुगतान किया गया	विशेष विवरण
1.	दिसम्बर, 88	—	—	—	—
2.	जनवरी, 89	110 मजदूरों	110	14,748.00	वाऊचर नं. 5 दि. 25-2-89
3.	फरवरी, 89	250 मजदूरों	247	78,888.50	वाऊचर नं. 18 दि. 27-3-89
4.	मार्च, 89	350 मजदूरों	330	70,701.00	वाऊचर नं. 12 दि. 18-5-89
5.	अप्रैल, 89	60 मजदूरों	59	18,955.00	वाऊचर नं. 19 दि. 20-5-89
6.	मई, 89	400 मजदूरों	400	1,30,883.00	वाऊचर नं 37 दि. 30-6-89 भुगतान उपखण्ड झाड़ोल द्वारा किया गया है।

परिशिष्ट–3

तारांकित प्रश्न संख्या 413 की सूची

वन मण्डल बांरा में ठेकों की बकाया वसूली के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों की सूची

क. स.	नाम बाकीदार	ठेका विवरण व वर्ष	न्यायालय जिनमें प्रकरण विचाराधीन है।
1.	मैसर्स विमल कुमार सीताराम, घंटाघर, कोटा	ठेका गोंद समस्त वन क्षेत्र रेंज छबड़ा, वर्ष 83-84	मुंसिफ एवं न्यायायिक मजिस्ट्रेट, कोटा शहर (उत्तर)
2.	श्री किशोरीलाल पुत्र कल्याणमल, दूधानी छीपाबडोद जिला कोटा	ठेका गोंद सेंटर दक्षिणी झिनझिनी रेंज, छीपाबडोद, वर्ष 82–83	मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, छबड़ा

२४७

परिशिष्ट–4

तारांकित प्रश्न संख्या 414 की सूची

कार्यालय नगर परिषद्, बीकानेर

प्रशासन शहरों की ओर की ओर अभियान के अन्तर्गत नियमन हेतु प्राप्त पत्रावलियों की सूची।

क्र. सं.	नाम प्रार्थी	वार्ड संख्या
1	2	3
1.	श्री बजरंग लाल	1
2.	श्रीमती शेरा	1
3.	श्री पन्ना लाल	1
4.	श्री रतन लाल	1
5.	श्री रामलाल	1
6.	श्री रामनारायण	4
7.	श्री शफी मोहम्मद	17
8.	श्री वहीदु रहमान	21 प्रथम
9.	श्री हसनी देवी	21 प्रथम
10.	श्री नूर मोहम्मद	17
11.	श्री करमचन्द	24
12.	श्री टोरसिंह	24
13.	श्री पूनमचन्द	24
14.	श्री सुखदेव नाथ	24
15.	श्री भंवर सिंह	24
16.	श्री मोहन लाल	24
17.	श्री अल्लादीन	24
18.	श्री किशोर सिंह	24
19.	श्री प्रहलाद सिंह	24
20.	श्री रिछपाल सिंह	24
21.	श्री शोकतअली	24

(२५१)

1	2	3
22.	श्रीमती जमना देवी	25
23.	श्री हमीर खां	25
24.	श्रीमती जसोदा	25
25.	श्री रामदेव सिंह	25
26.	श्री रूपचन्द	25
27.	श्रीमती इन्द्र देवी	25
28.	श्री तेजाराम	31
29.	श्री रामनारायण	32
30.	श्री आसुतोष	32
31.	श्री सम्पत	32
32.	श्रीमती रुकमणी	32
33.	श्री किशन लाल	32
34.	श्रीमती तुलसी देवी	32
35.	श्री नन्दकिशोर	32
36.	श्री पूनमचन्द	32
37.	श्री चन्दूलाल	32
38.	श्री भानीराम	32
39.	श्री राजेन्द्र सिंह	32
40.	श्री गुरुदयाल	34
41.	श्रीमती नारायणी	34
42.	श्रीमती पार्वती	34
43.	श्री जहीरा फातमा	34
44.	श्रीमती सोना देवी	गंगाशहर
45.	श्री मुजफर हुसैन	गंगाशहर
46.	श्री बालचन्द	भीनासर
47.	श्री उमराव	भीनासर
48.	श्री भागीरथ	भीनासर

आयुक्त, नगर परिषद, बीकानेर (राजस्थान)

(250)

परिशिष्ट–5

तारांकित प्रश्न संख्या 415 की सूची

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांक : एफ. 17 (ई) (ग्राविपं/प्रशा. 1/84/3455 जयपुर, दिनांक 30.8.84

समस्त विकास अधिकारी,

विषय :—विधायकों को वाहन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु।

विधायकों को अपने क्षेत्र में विकास कार्य, राहत कार्य, 20 सूत्री कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम आदि के लिए दौरे करने होते हैं। इन दौरों के लिए उन्हें वाहन की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में विचार कर निर्णय लिया गया है कि पंचायत समिति के प्रधान से समन्वय स्थापित कर विधायक अपने क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं। विधायक अपने कार्यक्रम की सूचना सम्बन्धित प्रधान को देवें तथा प्रधान उसके अनुसार पंचायत समिति के सामान्य कार्यों के लिए कार्यक्रम बनाकर विधायक की यात्रा का प्रबन्ध स्वयं के अथवा पंचायत समिति के अधिकारियों के साथ कर दें।

ह0/–
विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक,
ग्रामीण विकास एवं
पंचायती राज विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है : —

1. समस्त जिलाधीश।
2. समस्त विधायकगण
3. समस्त अति./उप जिला विकास अधिकारी
4. समस्त प्रधान, पंचायत समिति।

ह0/–
उप शासन सचिव एवं पदेन
उप विकास आयुक्त (प्र. 1)
राजस्थान, जयपुर

पंचायत के भाग – 4 की सूची

जिला	पंचायत समिति	जीप आवंटन का दिनांक
भीलवाड़ा	माण्डलगढ़	5.1.89
	आसीन्द	6.1.89
	रायपुर	6.1.89
	सहाडा	राज्य कर्मचारियों की हड़ताल की अवधि में दी गयी।
	जहाजपुर	,, ,,
	बनेड़ा	,, ,,
चित्तौड़गढ़	गंगरार	6.1.89
	भदेसर	7.1.89
	बेगू	9.1.89
	कपासन	24.6.89
चूरू	डूंगरगढ़	6.1.89
नागौर	मेडता	6.1.89
	जायल	6.1.89
	लाडनूं	6.1.89
	डेगाना	24.6.89
	मूण्डवा	24.6.89
गंगानगर	पदमपुर	6.1.89
भरतपुर	बयाना	6.1.89
	सेवर	6.1.89
जयपुर	विराटनगर	6.1.89
	जमवारामगढ़	6.1.89

1	2	3
	चाकसू	6.1.89
	सांगानेर	7.1.89
	बांदीकुई	9.1.89
	सांभर	राज्य कर्मचारियों की हड़-ताल की अवधि में दी गयी।
	कोटपूतली	24.6.89
	दूदू	24.6.89
सीकर	लक्ष्मणगढ़	6.1.89
अजमेर	श्रीनगर	6.1.89
	अंराई	24.6.89
झालावाड़	डग	6.1.89
	पिड़ावा	24.6.89
बाड़मेर	बाड़मेर	6 1.89
धौलपुर	बाड़ा	6.1.89
	राजाखेड़ा	10.4.89
डूंगरपुर	बिच्छावाड़ा	6.1.89
झुंझुनूं	अलसीसर	6.1.89
पाली	बाली	राज्य कर्मचारियों की हड़ताल अवधि में दी गई
	जैतारण	24.6.89
उदयपुर	भीम	राज्य कर्मचारियों की हड़-ताल की अवधि में दी गई
	खमनौर	1 3.89
	कुम्भलगढ़	24.6.89

1	2	3
बीकानेर	बीकानेर	9.1.89
	कोलायत	24.6.89
जोधपुर	फलोदी	6.1,89
	बाप	6.1.89
	बिलाड़ा	9.1.89
	मण्डोर	9.1.89
	लूणी	24.6.89
जालोर	सांचौर	राज्य कर्मचारियों की हड़ताल की अवधि में दी
	सायला	24.6.89
अलवर	उमरैण	24.6.89
टोंक	उनियारा	,,
	निवाई	,,
सवाईमाधोपुर	खण्डार	,,
	टोडाभीम	,,
	महुवा	,,
कोटा	बारा	6.1.89
	लाडपुरा	24.6.89
बून्दी	केशोरायपाटन	24.6.89
योग	60	

परिशिष्ट–6

समयाभाव के कारण सदन में न लिए जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

गायों की तस्करी

416. **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले में सन् 1985 से गायों की तस्करी बहुत तेजी से हो रही है ? यदि हां, तो तस्करी को रोकने हेतु क्या ठोस कदम उठाये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि गायों की तस्करी पिड़ावा से ज्यादा होती है ?

(3) क्या गौरक्षा समिति ने मुख्यमंत्री, जिला कलक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक को अनेक बार ज्ञापन भी दिये हैं, आन्दोलन भी हुआ है, धरने भी दिये हैं ? यदि हां, तो गायों की तस्करी न रुकने के क्या कारण हैं ? सरकार कब तक इस बाबत प्रभावी कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, नहीं।

(3) जुलाई 1988 में गौरक्षा समिति ने जिला कलक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक को गायों की तथाकथित तस्करी नहीं रोके जाने हेतु ज्ञापन दिया था और आन्दोलन करने व अनशन करने की धमकी दी थी। गायों की तस्करी नहीं हो रही है।

ब्लड बैंक के खून की जांच

417. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) एवं **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल, जयपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा में जिन व्यक्तियों को ब्लड बैंक से खून चढ़ाया गया उनके शरीर में हैपेटाइटिस विषाणु होने की जानकारी प्रकाश में आई है ?

(2) यदि हां, तो कोटा जिले में पीलिया रोग से पिछले 5 वर्षों में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस घातक रोग के फैलने का कारण ब्लड बैंक में सुरक्षित रक्त में हैपेटाइटिस विषाणु होना पाया गया है ?

(4) यदि हां, तो क्या उक्त रोग से बचने के लिए ब्लड बैंक में रक्त लेने से पूर्व रक्तदाताओं का आस्ट्रेलिया एंटीजन कराने की व्यवस्था की हुई है ?

(5) क्या यह भी सही है कि किटों के अभाव में रक्तदाताओं का आस्ट्रेलिया एंटीजन नहीं हो पाता है ?

(6) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त घातक रोग से बचने के लिए कोई कारगर व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, कुछ केस प्राइवेट नर्सिंग होम का इलाज करवा रहे थे, उनके बाबत समाचार-पत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी।

(2) पिछले पांच वर्ष में ब्लड बैंक एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा से दिये जाने वाले ब्लड से किसी भी रोगी की मृत्यु पीलिया रोग से नहीं हुई है।

(3) जी नहीं।

(4) उक्त रोग से बचने के लिए ब्लड बैंक एम.बी.एस. चिकित्सालय, कोटा में रक्त लेने से पूर्व रक्त दाताओं का आस्ट्रेलिया एंटीजन टेस्ट की समुचित व्यवस्था की हुई है।

(5) सिर्फ दिनांक 25.5.89 एवं 26.5.89 को आस्ट्रेलिया एंटीजन किट लोकल मार्केट में भी उपलब्ध नहीं होने के कारण नहीं हो पाया था।

(6) जी हां, आस्ट्रेलिया एंटीजन टेस्ट किट की समुचित व्यवस्था हो गई है। राज्य सरकार ने उक्त टेस्ट की अनुमोदित सूची में भी ले लिया है, जिससे उक्त टेस्ट नहीं होने की स्थिति नगण्य हो गई है।

पुष्कर-खोरी सड़क निर्माण

418. **श्री रमजान खां** (पुष्कर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पुष्कर से खोरी वाया देवनगर सड़क का निर्माण काफी वर्षों पूर्व सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया गया था ?

(2) क्या यह सड़क अभी तक गिट्टी रोड ही बनी हुई है और वह भी कई जगह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है ?

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1987-88 में इस सड़क का पुनः निर्माण कराने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत जिला प्रशासन ने इसकी स्वीकृति दी थी ? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि किस-किस मद के लिए स्वीकृत की गई ?

(4) स्वीकृत राशि में से किस-किस मद पर कितनी-कितनी राशि खर्च की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि इस सड़क मार्ग पर निर्माण सामग्री के जगह जगह ढेर लगे हुए हैं जिसके कारण पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पड़ी हुई सामग्री का शीघ्र ही क्षत-विक्षत मार्ग को पूर्ण निर्माण कराने में उपयोग करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(6) इस सड़क मार्ग पर कुल कितनी पुलियां आती हैं और उनमें से कितनी पुलियाओं का पक्का निर्माण हो चुका है और अब कितनी शेष रही हैं ? क्या सरकार शीघ्र निर्माण करवा कर इस मार्ग को आवागमन योग्य बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त सड़क का निर्माण कार्य इस विभाग ने अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत करवाया।

(2) जी नहीं। यह सड़क 5 कि.मी. लम्बाई में पुष्कर से देवनगर तक मिट्टी की सड़क है एवं शेष 5 कि.मी. लम्बाई में (देवनगर से खोडी) ग्रेवल सड़क बनी हुई है।

(3) जी हां। उक्त सड़क को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 87-88 में 7·30 लाख रुपयों की स्वीकृति प्रदान की गई थी। जिसमें से 3·30 लाख रुपयों की राशि श्रम मद में एवं 4·00 लाख रुपये की सामग्री मद में स्वीकृति प्राप्त हुई थी।

(4) स्वीकृति राशि में से 1·00 लाख रुपये श्रममद में एवं 0·53 लाख रुपये सामग्री मद में व्यय किये गये। इस प्रकार कुल व्यय 1·53 लाख रुपयों का हुआ।

(5) जी नहीं। निर्माण सामग्री केवल 3 कि.मी. में सड़क की पटरियों पर एक तरफ इकट्टी की गई जिससे सड़क पर आवागमन में कठिनाई न हो। कुटाई का कार्य अपर्याप्त बैलास्ट के कारण व कार्य 30-6-88 को ही बन्द हो जाने के कारण नहीं हो सका। सड़क पर निर्माण कार्य वित्तीय साधनों की अनुपलब्धता के कारण सम्भव नहीं हो पा रहा है।

(6) इस सड़क पर कुल 13 सी.डी. वर्क्स आते हैं जिसमें से 4 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। दो रपटों की फर्श का कार्य होना शेष है तथा शेष सात सी.डी. वर्क्स का निर्माण कार्य होना है। यह कार्य न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम योजना में नहीं आते हैं।

सिरस्का अभ्यारण्य

419. **श्री जगत सिंह दायमा** (बानसूर), **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) एवं **श्री सम्पत सिंह** (नगर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिरस्का अभ्यारण्य में कितने टाइगर, कितने बाघ व कितने अन्य जंगली जानवर हैं ?

(2) गत दो वर्ष पहले शेरों की कितनी संख्या थी अब कितनी है ?

(3) कितने मुकदमें शिकार करने पर बनाये गये ? उनकी क्या स्थिति है। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या बाघों की कमी आने के बारे में कोई जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो दोषी पाये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) टाईगर को ही बाघ कहते हैं। इस अभ्यारण्य में 19 बाघ एवं 40,032 अन्य जंगली जानवर हैं।

(2) इस अभ्यारण्य में शेर (लायन) नहीं पाये जाते हैं। दो वर्ष पूर्व भी शेरों की संख्या शून्य थी एवं अब भी संख्या शून्य है।

(वन मंत्री)

(3) वर्ष 1987-88 एवं 1988-89 में क्रमशः 15 एवं 26 मुकदमे शिकार के दर्ज हुए हैं। वर्ष 1987-88 के 15 मुकदमों में से 6 का चालान, 5 को कम्पाउण्ड किया गया एवं 4 में तफ्तीश की जा रही है। वर्ष 1988-89 के 26 मुकदमों में से 5 का चालान, 8 को कम्पाउण्ड किया गया है एवं 13 में तफ्तीश की जा रही है। इनका विवरण प्रपत्र-1 में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) जी हां, जांच जारी है। जांच पूर्ण होने पर यदि आवश्यक हुआ तो कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ऊन वर्गीकरण केन्द्र

420. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या भेड़-ऊन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग ने कुछ ऊन वर्गीकरण केन्द्र बनाये थे ? यदि हां, तो कहां पर कितनी-कितनी लागत के और कितनी-कितनी भूमि पर क्या-क्या भवन बनाये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि यह केन्द्र बन्द हो गये ? यदि हां, तो कब-कब से और क्यों तथा इनका क्या उपयोग किया जा रहा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि भेड़ों पर से ऊन कतरने के लिए कुछ मशीनें भी क्रय की थी ? यदि हां, तो कितनी कब-कब और उनका क्या उपयोग हो रहा है ?

(4) भविष्य में ऊन वर्गीकरण केन्द्रों और ऊन काटने की मशीनों का उपयोग करने की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) जी हां, भेड़ व ऊन विभाग ने नौ ऊन वर्गीकरण केन्द्र बनाये थे जिनकी लागत एवं भूमि के क्षेत्रफल का विवरण परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) छः ऊन वर्गीकरण केन्द्र बन्द हो गये हैं तथा तीन केन्द्र चल रहे हैं। उक्त केन्द्र बन्द होने का मुख्य कारण यह था कि उस समय विभाग द्वारा इन वर्गीकरण केन्द्रों को चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊन की खरीद राजकीय नियमानुसार नहीं की जा सकी। बन्द हुए केन्द्रों का विवरण परिशिष्ट "ब" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी हां, 20 मशीनों की खरीद मार्च, 1972 में की गई थी। वर्तमान में इनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है।

(4) वर्तमान में चालू तीन ऊन वर्गीकरण केन्द्रों क्रमशः जयपुर, जोधपुर एवं बीकानेर के अतिरिक्त ब्यावर केन्द्र को भी ऊन वर्गीकरण एवं विपणन हेतु चालू करने की योजना है। ऊन कतरण की मशीनों के उपयोग की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

परिशिष्ट "अ"

ऊन वर्गीकरण केन्द्रों का विवरण

क्र.सं.	ऊन वर्गीकरण केन्द्र का नाम	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग गजों में)	बने हुए भवनों आदि का विवरण	भवन की कीमत (लाखों में)
1.	जयपुर	23,500	ऊन वर्गीकरण एवं विपणन शेड	7.64
2.	जोधपुर	9,680	,, ,,	3.52
3.	बीकानेर	9,680	,, ,,	5.10
4.	बाड़मेर	15,050	,, ,,	2.25
5.	नागौर	16,000	,, ,,	1.81
6.	पाली	22,890	,, ,,	3.69
7.	ब्यावर	23,353	,, ,,	5.74
8.	नवलगढ़	59,933	,, ,,	2.27
9.	उदयपुर	विभाग द्वारा बेच दिया गया है।		

परिशिष्ट "ब"

बन्द हुए ऊन-वर्गीकरण केन्द्रों का विवरण

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	बन्द होने का वर्ष	वर्तमान में उपयोग
1.	नवलगढ़	1978–79	कोई उपयोग नहीं।
2.	पाली	1978–79	जिला भेड़ व ऊन का कार्यालय हेतु।
3.	नागौर	प्रारम्भ से ही	राजस्थान डेयरी फेडरेशन का कार्यालय।
4.	ब्यावर	प्रारम्भ से ही	भेड़ व ऊन सहकारी विपणन फेडरेशन का कार्यालय हेतु।
5.	बाड़मेर	प्रारम्भ से ही	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं भेड़ व ऊन सहकारी विपणन फेडरेशन कार्यालय हेतु।
6.	उदयपुर	प्रारम्भ से ही	बेचा जा चुका है।

259

तारांकित प्रश्न संख्या 421
(स्थगित)

किशनगढ़ क्षेत्र के गांवों में खारा पानी

422. **श्री जगजीत सिंह** (किशनगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के ग्राम सिनोदिया व जालियों की ढाणी अराई गांव के बिरदपुरा व मोतीपुरा में खारा पानी है ?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1987-88 में विभाग द्वारा उपरोक्त गांवों का सर्वे कर योजना बनाकर विभाग को स्वीकृति हेतु भेजी गई है ? यदि हां, तो विभाग इस योजना को कब तक स्वीकृत करने का विचार रखता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । धन उपलब्धि एवं तकनीकी उपयुक्तता के अनुसार योजना स्वीकृत कर क्रियान्वित की जावेगी ।

दवाइयों का उत्पादन एवं क्रय-विक्रय

423. **श्री चम्पा लाल बांठिया** (पचपदरा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में दवाइयों का उत्पादन, क्रय एवं विक्रय केन्द्रीय औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम एवं समय-समय पर हुए संशोधनों द्वारा संचालित है ? क्या सरकारी विश्लेषक निरीक्षक, अनुज्ञा-पत्र प्राधिकारी और नियन्त्रक प्राधिकारी, नियम 49 एवं 49 (क) (संशोधित) अर्हता पूरी करते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि इस अधिनियम में नवीनतम संशोधन के पश्चात् भी राज्य सरकार ने एक ऐसे व्यक्ति को औषधि नियंत्रक के पद पर नियुक्त किया है जो निर्धारित योग्यताएं पूरी नहीं करते ? यदि हां, तो ऐसे क्या कारण थे ? अब कब तक निर्धारित योग्यता सम्पन्न अधिकारी पदस्थापित किया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, विभाग में कार्यरत सरकारी विश्लेषक, एवं निरीक्षक की अर्हता के अनुसार योग्यता रखते हैं । भारत सरकार द्वारा अनुज्ञा प्राधिकारी एवं नियन्त्रण प्राधिकारी की संशोधित अर्हता विभाग को प्राप्त नहीं हुई है । अतः पूर्व नियमों के आधार पर ही विभाग में कार्य हो रहा है जिसमें कोई अर्हता नहीं है ।

(2) ड्रग्स एवं कास्मेटिक्स अधिनियम में औषधि नियन्त्रक के पद के लिए नवीनतम योग्यता के मानदण्ड भारत सरकार द्वारा विभाग को प्राप्त नहीं हुए । अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

सादुंल शहर बैंक डकैती

424. **श्री केदारनाथ शर्मा** (श्री गंगानगर): एवं **श्री के. सी. विश्नोई** (संगरिया) : क्या

(श्री केदारनाथ)

गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गंगानगर जिले में सादुलशहर मण्डी बैंक की डकैती में कितने व्यक्ति मारे गए व कितनी रकम लूटी गई ?

(2) इसमें कौन-कौन मुलजिम नामजद हैं ? कितने गिरफ्तार किए गए ?

(3) डकैती का समय और दिन क्या था ? पुलिस मौके पर कब पहुंची ?

(4) क्या यह सही है कि सादुलशहर में हुई बैंक डकैती कांड की जांच हेतु एक आयोग का गठन किया गया था ?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त आयोग को 31 मई, 1989 तक रिपोर्ट देने की अवधि निर्धारित थी ?

(6) क्या यह भी सही है कि यह रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(7) क्या सरकार ने इस काण्ड में दोषी पाये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की शुरुआत की है ? यदि हां, तो क्या व किस-किस के विरुद्ध ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(8) राज्य सरकार ने ऐसी वारदातों पर काबू पाने के लिए क्या व्यवस्था की है ?

उत्तर

(1) गंगानगर जिले के सादुलशहर मण्डी बैंक डकैती में दस व्यक्ति मारे गये तथा 73,900/- रुपये की रकम लूटी गई -

(2) इस बैंक डकैती प्रकरण में अनुसंधान से 7 व्यक्ति नामजद हुये हैं ।

(अ) इनमें से दो अभियुक्त परमजीत सिंह उर्फ पम्मा व अवतार सिंह पंजाब पुलिस के साथ मुठभेड में मारे जा चुके हैं ।

(ब) बैंक डकैती प्रकरण के अभियुक्तों को मदद, साक्ष्य नष्ट करने व षडयन्त्र में शामिल होने के जुर्म में दो अभियुक्त गुरूलाल सिंह व पिशोर सिंह को गिरफ्तार किया गया है ।

(3) डकैती का समय 10.15 ए.एम. व बुधवार का दिन था । दिनांक 19.4.89 समय 10.20 ए. एम. पर सूचना प्राप्त होते ही पुलिस घटनाक्रम के लिये रवाना हो गई ।

(4) घटना की प्रशासनिक जांच सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर के द्वारा कराने के आदेश दिये गये हैं ।

(5) प्रारम्भ में 31 मई, 89 तक रिपोर्ट देने की अवधि निर्धारित की थी जो बढ़ा कर 31.7.89 कर दी गई है ।

(6) जी नहीं ।

262

(गृह मंत्री)

(7) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही कोई कार्यवाही सम्भव हैं।

(8) राज्य में बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था कडी कर दी गई है जिससे राज्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

ब्यावर नगर परिषद के पेन्शनर्स

425. **श्री माणक डाणी** (ब्यावर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने ब्यावर नगर परिषद के पेन्शनर्स जो 1-11-1956 के पूर्व के थे तथा सेवा निवृत्त हो चुके हैं उन्हें केन्द्रीय नियमों के तहत पेंशन दिये जाने के आदेश जारी कर दिये हैं ? यदि हां, तो इस आदेश के तहत ब्यावर नगर परिषद के कितने कर्मचारियों को कितनी कितनी राशि एरियर के रूप में चुकाई जानी बकाया है ? ऐसे सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की वर्गवार सूची, सेवानिवृत्ति दिनांक तथा बकाया राशि के उनकी वर्तमान स्थिति अर्थात् जीवित हैं या नहीं का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ब्यावर नगर परिषद के ऐसे पेन्शनर्स की बकाया एरियर राशि चुकाने के बारे में नगर परिषद पेन्शनर्स एसोसियेशन तथा प्रशासक श्री माणकचन्द जैन के मध्य प्रति माह तीस हजार रुपये भुगतान करने हेतु कोई लिखित समझौता सम्पन्न हुआ है ? यदि हां, तो इस समझौते के अनुसार माह जून, 1989 तक किस माह में समझौते के अनुसार एरियर राशि तीस हजार रुपये चुकाई गई ? यदि इससे कम या नहीं चुकाई गई तो इसके लिए कौन जिम्मेदार एवं दोषी है तथा सरकार उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) क्या राज्य कर्मचारियों के साथ साथ ब्यावर नगर परिषद के पेन्शनर्स को भी उनकी पेन्शन वर्ष में दो बार बढ़ाये जाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो इस प्रावधान के तहत वर्ष 1988-89 तथा वर्तमान तक किस-किस दिनांक को यह बढ़ोतरी देय होती है तथा क्या यह देय बढ़ोतरी राशि पेन्शनर्स की पेन्शन में लगाई जा चुकी है तथा क्या पश्चातवर्ती दिनांक से जारी आदेशानुसार इस बढ़ोतरी की एरियर राशि पेन्शनर्स को दे दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) ब्यावर नगर परिषद अपने पेंशनर्स को हर माह की किस तारीख को पेंशन देने पर वचनबद्ध है तथा क्या उस तारीख को पेंशन दे दी जाती है ? यदि नहीं, तो विलंब के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। ब्यावर नगर परिषद के सेवा निवृत (केन्द्रीय सेवा नियमों के तहत) हुए कर्मचारियों के बकाया भुगतान योग्य राशि तथा वर्तमान स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं। श्री माणकचन्द जैन, तत्कालीन प्रशासक द्वारा जून, 75 में

(स्वायत्त शासन मंत्री)

पेंशन एरियर रु. 20,000/– रु. प्रति माह भुगतान का निर्णय लिया। रु. 30,000/– प्रति माह पेंशन एरियर भुगतान के आदेश पत्रावली पर तत्कालीन प्रशासक श्री जुगल किशोर शर्मा द्वारा दिनांक 16-6-87 को दिये थे। परन्तु परिषद के वित्तीय साधनों के अभाव में पूर्ण भुगतान नहीं किया जा सका।

(3) जी हां। वर्ष 1988-89 से वर्तमान तक पेंशन में बढ़ोतरी जुलाई, 88 एवं 1 जनवरी, 89 से की है। जुलाई, 88 की बढ़तोरी का भुगतान दिसम्बर, 88 से कर दिया गया है तथा जनवरी, 89 में बढ़ोतरी के आदेश माह जून, 89 में परिषद को प्राप्त हुए हैं, जिसका भुगतान चालू माह की पेंशन के साथ किये जाने के आदेश हो गये हैं, परन्तु एरियर की राशि का भुगतान नहीं किया गया। परिषद के वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर कर दिया जावेगा।

(4) पेन्शनर्स को पेंशन का भुगतान करने के लिए प्रत्येक माह की 10 तारीख निश्चित रखी गई है। भुगतान में देरी वित्तीय साधनों के अभाव के कारण हुई है, इसलिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

264

परिशिष्ट "क

नगर परिषद, ब्यावर

दिनांक 1-11-56 से पूर्व नियुक्त कर्मचारी जो सेवा निर्वत हो चुके हैं। और केन्द्रीय सेवा नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। के पेंशन ऐरियर की सूची : (अधिनस्थ एवं मन्त्रालयिक कर्मचारी)

क. सं.	नाम	सेवा निवृत्ति दिनांक	मृत्यु तिथि	ऐरियर राशि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	श्रीमती मोनीका/इंशा चरण	8-8-65	8-8-65	4575/-	पारिवारिक पेंशन
2.	श्रीमती हसमत/फजल करीम	15-11-65	15-11-65	4575/-	—
3.	श्रीमती कलसूम वानू/हबीबूला	30-6-67	15-1-85	5710/-	—
4.	श्री तुहीराम गुप्ता	10-12-67	—	2194/-	—
5.	श्री गुलाबचन्द डोडमाल	29-2-68	—	2300/-	—
6.	श्री भंवरलाल गोयल	1-7-70	—	2710/-	—
7.	श्री आनन्द स्वरूप रावत	22-9-71	—	2300/-	—

1	2	3	4	5	6
8.	श्रीमती जन्नत/अब्दुल करीम	16-3-72	16-3-72	4575/-	पारिवारिक पेंशन
9.	श्रीमती संपत/लक्ष्मीनारायण	5-8-72	8-5-86	3500/-	—
10.	श्रीमती गुलाबदेवी/ब्रह्मदत	14-1-77	14-1-77	15640/-	—
11.	श्रीमती नर्बदादेवी/कन्हैयालाल मंगल	27-9-69	19-2-86	5000/-	—
12.	श्री कन्हैयालाल शर्मा	30-5-79	—	1450/-	—
13.	श्री लाजपत राय महरोत्रा	30-4-81	—	3355/-	—
14.	श्री शमसुद्दीन	31-7-81	—	1700/-	—
15.	श्री नन्द किशोर गुप्ता	30-4-84	—	2800/-	—
16.	श्री भीकमचन्द गुप्ता	31-5-81	—	1700/-	—
17.	श्री भूरालाल घोषी	31-8-82	—	2350/-	—
18.	श्रीमती नर्बदादेवी/हनुमानप्रसाद शर्मा	31-11-82	11-12-87	2550/-	—
19.	श्री गजानन्द शर्मा	31-3-87	—	5605/-	—
20.	श्री राधेश्याम	31-7-88	—	3546/-	—
21.	श्रीमती अयोध्या देवी/पुखराज शर्मा	26-12-52	6-12-84	19000/-	—

1	2	3	4	5	6
22.	श्रीमती एजेंन देवी/जोधराज	31-12-59	27-2-75	21963/-	पारिवारिक पेंशन
23.	श्रीमती सीताबाई/पिताम्बरदास	20-1-58	20-1-58	25000/-	—
24.	श्रीमती फ्लोरा/प्यारेलाल	1-3-65	4-1-75	26000/-	—
25.	श्रीमती शकुन्तलादेवी/निहालचन्द चतुर्वेदी	18-6-66	24-2-77	21963/-	—
26.	श्रीमती पानी बाई/मांगीलाल	30-7 83	30-7-83	2000/-	—
27.	श्री भंवरलाल प्रजापत	31-1-88	—	13300/-	—
28.	श्रीमती हंजा/लालू	3-7-75	3-6-75	4575/-	—
29.	श्रीमती सोनी/सुरजमल	9-8-75	9-8-75	4575/-	—
30.	श्रीमती रामप्यारी/केवलदास	31-8-76	31-7-78	4575/-	—
31.	श्री भीमा	31-12-77	—	4575/-	—
32.	श्रीमती नर्बदा देवी/राम किशन	17-12-78	17-12-78	4575/-	पारिवारिक पेंशन
33.	श्री गेदा/गोद्दू	31-12-78	—	3600/-	—

1	2	3	4	5	6
34.	श्रीमती रमति/भागीरथ	24-4-52	13-2-79	4575/-	पेशनर व पा. पे. की मृत्यु
35.	श्री धन्नालाल	30-4-83	—	1250/-	—
36.	श्रीमती भवरी देवी/देवीसिह	30-9-79	14-1-86	1500/-	पारिवारिक पेंशन
37.	श्रीमती सोनी/सूरजमल	9-8-75	9-8-75	4575/-	—
38.	श्री नन्दासिंह/श्रीमती निर्मला देवी	31-5-87	27-11-88	3500/-	—
				2,80,836/-	

ह./–
आयुक्त
नगर परिषद, ब्यावर

267

परिशिष्ट 'ख'

नगर परिषद, ब्यावर

माह जून, 85 से जून, 89 तक पेंशन ऐरियर भुगतान की माहवार सूची

क्रम संख्या	माह	पेंशन ऐरियर भुगतान की राशि
1	2	3
1.	मई, 85	3829.29
2.	जुलाई, 85	24613.90
3.	अगस्त, 85	3663.52
4.	सितम्बर, 85	13214.90
5.	अक्टूबर, 85	8846.77
6.	दिसम्बर, 85	1186.70
7.	जनवरी, 86	28575.74
8.	मार्च, 86	8066.98
9.	जून, 86	787.46
10.	अगस्त, 86	2309.48
11.	नवम्बर, 86	29194.00
12.	जनवरी, 87	25497.01
13.	फरवरी, 87	2960.18
14.	मार्च, 87	887.76
15.	अप्रैल, 87	939.60
16.	मई, 87	9445.32
17.	जून, 87	16186.50
18.	जुलाई, 87	6804.00
19.	सितम्बर, 87	900.00
20.	अक्टबर, 87	9811.17

1	2	3
21.	नवम्बर, 87	1215.00
22.	दिसम्बर, 87	64295.65
23.	जनवरी, 88	29915.50
24.	फरवरी, 88	8792.00
25.	मार्च, 88	48905.90
26.	मई, 88	13468.00
27.	जून, 88	23134.40
28.	जुलाई, 88	53301.50
29.	जनवरी, 89	13948.00
30.	मार्च, 89	4572.00

ह./–
आयुक्त
नगर परिषद, ब्यावर

रामगढ़ (अलवर) पंचायत समिति की स्थायी समितियां

426. **श्री रघुवरदयाल** (रामगढ़) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति रामगढ़ (जिला अलवर) की स्थाई समितियों के अभी तक चुनाव सम्पूर्ण क्यों नहीं हुये ?

(2) अब इन स्थाई समितियों के चुनाव कब तक सम्पूर्ण रूप से होंगे ?

(3) स्थाई समितियों के चुनाव समय पर नहीं कराने और चुनाव प्रक्रिया में गलती करने से चुनाव नहीं होने के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, रामगढ़ (अलवर) की स्थाई समितियों के चुनाव दिनांक 26-4-1989 को कराये जा चुके हैं। वित्त कर एवं प्रशासन स्थाई समिति के अलावा शेष स्थाई समितियों के कुछ रिक्त स्थानों एवं अध्यक्षों का चुनाव कराया जाना शेष है।

(2) शेष रहे रिक्त पदों का चुनाव दिनांक 5-8-89 को कराया जाकर चुनाव सम्पूर्ण कराये जावेंगे।

(3) स्थाई समितियों के चुनाव समय पर नहीं कराने में तत्कालीन विकास अधिकारी पंचायत समिति रामगढ़ जिम्मेवार है। इस बाबत उनका स्पष्टीकरण मांगा गया है।

छात्रवृत्ति राशि

427. **श्री मुल्तानाराम** (जैसलमेर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1988-89 में 1 से 12 कक्षा तक छात्रों/छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं दी गई ? यदि नहीं, तो कितनी राशि का आवंटन हुआ और कितनी राशि छात्रवृत्ति में दी गई ?

(2) उक्त अवधि के दौरान उक्त कक्षाओं में अनुसूचित जाति/जन जाति के छात्र/छात्राओं को कितनी छात्रवृत्ति की कुल कितनी राशि दी गई और अन्य वर्गों को कितनी ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है।

(2) उक्त अवधि (वर्ष 1988-89) के दौरान अनुसूचित जाति/जन जाति के छात्र/छात्राओं को पूर्व मैट्रिक योजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार कुल राशि व्यय की गई :—

अनुसूचित जाति रु. 3,98,42,595/–

अनुसूचित जन जाति रु. 2,40,48,470/–

(समाज कल्याण राज्य मंत्री)

दस जमा दो योजना के अन्तर्गत कुल राशि निम्न प्रकार व्यय की गई :—

अनुसूचित जाति	रु. 18,55,056/–
अनु. जन जाति	रु. 14,95,555/–

विकलांग छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जन जाति एवं अन्य वर्गों के विकलांग छात्र/छात्राओं को निम्न प्रकार राशि छात्रवृत्ति के रूप में व्यय की गई :—

राज्य विकलांग छात्रवृत्ति
रु. 98.00 लाख

केन्द्रीय विकलांग छात्रवृत्ति
रु. 29.01 लाख

उक्त छात्रवृत्तियों के व्यय का जिले-वार विवरण संलग्न है।

272

वर्ष 1988-89 में पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में व्यय राशि का विवरण

क. सं.	जिला	पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति		10 जमा 2 योजना में छात्रवृत्ति	
		अनु. जाति (रुपये)	अनु. जन जाति (रुपये)	अनु. जाति (रुपये)	अनु. जन जाति (रुपये)
1	2	3	4	5	6
1.	निदेशक, प्रा. एवं मा. शिक्षा, बीकानेर	27,29,605	27,92,000	—	—
2.	जिला शिक्षा अधिकारी अजमेर	22,40,760	1,61,000	71,988	9,520
3.	अलवर	27,52,300	16,87,520	1,26,000	1,06,000
4.	बांसवाड़ा	2,41,845	18,43,150	17,200	1,28,560
5.	बाड़मेर	6,24,885	1,07,870	18,180	—
6.	भरतपुर	26,56,205	4,84,885	1,18,093	24,600
7.	भीलवाड़ा	10,44,000	4,52,000	24,100	11,100
8.	बीकानेर	4,72,335	11,760	49,680	1,200
9.	बून्दी	7,34,000	7,15,000	15,000	13,000

1	2	3	4	5	6
10.	चित्तौड़गढ़	9,25,565	2,22,000	47,000	19,360
11.	चूरू	8,88,290	42,500	34,000	1,628
12.	धोलपुर	6,87,590	1,92,470	31,930	20,900
13.	डूंगरपुर	2,06,345	15,47,145	35,405	2,01,400
14.	श्रीगंगानगर	18,50,160	22,920	83,320	5,200
15.	जयपुर I	28,11,300	29,31,150	1,45,000	3,30,000
16.	जयपुर II	22,54,410	10,91,720	71,360	34,400
17.	जैसलमेर	88,500	11,000	15,000	18,000
18.	जालौर	5,85,800	88,730	12,000	—
19.	झालावाड़	6,86,970	5,00,610	39,360	31,440
20.	झुंझुनू	18,[illegible]0,000	3,05,440	25,000	1,200
21.	जोधपुर	12,57,009	69,000	43,000	15,000
22.	कोटा	20,39,540	13,18,190	97,8000	82,800
23.	नागौर	13,23,130	23,000	44,200	—
24.	पाली	14,39,160	1,97,400	30,000	15,000
25.	करौली	28,70,750	44,49,920	1,00,000	30,000

(273)

1	2	3	4	5	6
26.	सीकर	17,00,000	3,82,000	2,70,000	1,23,000
27.	सिरोही	5,27,000	1,50,000	26,000	11,000
28.	टोंक	9,87,750	6,36,450	2,29,440	1,60,245
29.	उदयपुर	13,71,000	16,06,260	35,000	1,01,000
	योग	398,42,595	240,48,470	18,55,056	14,95,553
30.	संस्कृत शिक्षा, जयपुर	4,50,000	3,70,000	—	—
31.	प्राविधिक शिक्षा, जोधपुर	2,85,000	2,20,000	—	—

275

वर्ष 1988-89 में राज्य एवं केन्द्रीय विकलांग छात्रवृत्ति का व्यय विवरण जिलेवार

क्र. सं.	जिला	राज्य विकलांग छात्रवृत्ति	केन्द्रीय विकलांग छात्रवृत्ति
1	2	3	4
1.	जयपुर	9,65,000	3,36,905
2.	कोटा	2,93,820	1,57,000
3.	जोधपुर	2,66,800	1,11,970
4.	अजमेर	5,27,000	3,32,770
5.	उदयपुर	8,05,000	1,90,000
6.	बीकानेर	66,670	49,885
7.	सीकर	2,36,000	1,53,190
8.	चित्तौड़गढ़	3,25,000	65,000
9.	अलवर	6,15,870	1,23,555
10.	सवाईमाधोपुर	4,65,000	1,80,500
11.	भरतपुर	4,96,000	1,20,000
12.	पाली	3,77,000	53,000
13.	नागौर	3,46,680	1,37,000
14.	जालोर	71,340	38,830
15.	चूरू	45,180	57,850
16.	सिरोही	1,09,000	53,000
17.	जैसलमेर	61,600	15,000
18.	झालावाड़	3,45,000	65,185
19.	बाड़मेर	2,02,800	36,000
20.	डूंगरपुर	1,83,000	26,000

276

1	2	3	4
21.	गंगानगर	6,19,000	75,000
22.	बून्दी	3,93,000	80,000
23.	भीलवाड़ा	7,85,900	1,63,425
24.	टोंक	4,07,000	1,13,050
25.	बांसवाड़ा	4,06,120	48,075
26.	झुन्झुनू	1,17,000	47.000
27.	धोलपुर	2,65,000	61,800
	योग	97,96,660	29,01,000

सुजानगढ़ तहसील क्षेत्र में पेयजल

428. श्री चुन्नीलाल मेघवाल (सुजानगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार ने सुजानगढ़ तहसील के सभी गांवों में पीने के मीठे पानी की वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है ? यदि नहीं, तो ऐसे गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें जहां मीठे पानी की व्यवस्था नहीं है ?

(2) क्या राज्य सरकार ने ग्राम सारोठियां में पीने के पानी की टंकी बनवाई थी ? यदि हां, तो कब ? क्या यह भी सही है कि यह टंकी बाद में फूट गई थी ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करवाई गई थी ? जांच में कौन दोषी पाया गया व उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं । 146 आबाद गांवों में से 142 ग्रामों को विभिन्न प्रकार की पेयजल योजनाओं से लाभान्वित किया जा चुका हैं । इन 142 ग्रामों में से 56 ग्रामों में मीठे पानी का स्त्रोत उपलब्ध नहीं होने के कारण इन ग्रामों में वितरित किए जाने वाले जल में घुलनशील लवणों की मात्रा 1500 पी. पी. एम. से अधिक है । सूची परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) ग्राम सारोठियां में कोई उच्च जलाशय नहीं बनाया गया है । लेकिन ग्राम सारोठिया में पानी की टंकी का निर्माण कार्य अगस्त, 1985 में पूर्ण हुआ, जो बाद में ध्वस्त हो गई । जांच करवाई गई एवं दोषी श्री एस. एस. शेखावत, अधिशाषी अभियन्ता, श्री एम. एल. सोनी सहायक अभियन्ता, श्री भीकम चन्द, कनिष्ठ अभियन्ता, पाये गये, जिसके खिलाफ कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

परिशिष्ट "क"

सुजानगढ़ तहसील के ग्रामों की सूची जहां वितरित किये जाने वाले जल में कुल घुलनशील लवणों की मात्रा 1500 पी. पी. एम. से अधिक हैं या ग्राम पेयजल योजना से अभी तक लाभान्वित नहीं किये गये हैं जहां का स्थानीय पानी खारा है।

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड संख्या
1	2	3
वितरित किये जाने वाले पानी में 1500 से अधिक घुलनशील लवणों की मात्रा वाले ग्राम		
1.	अमरसर	10
2.	आसरासर	20
3.	वासीवडावर	116
4.	वाक्साआथुना	73
5.	बालेरा	49
6,	बम्बू	24
7.	बाघसरा	68
8.	बोथियावास	42
9.	बेनाथा जोगलिया	35
10.	वेनाथा उमजी	34
11.	भासीना	61
12.	भीवसर	131
13.	चकराजीयासर	110
14.	चरला	52
15.	डुकर	33
16.	घातरी	43
17.	ढढेरू वागुवान	40
18.	ढेढेरू गोडारान	41
19.	जैतासर	37
20.	जीली	77
21.	जियाक	64

1	2	3
22.	जोगलसर	15
23.	जोगलिया	42
24.	कल्याणसर	65
25.	कान्धलसर	12
26.	कानूता	71
27.	करेजड़ा	62
28.	कातलबड़ी	1
29.	कांतर छोटी	9
30.	खारीया बड़ा	150
31.	खारीया छोटा	149
32.	खोडा	132
33.	लालगढ़	14
34.	लालपुरा	115
35.	लोडसर	128
36.	मलसीसर	127
37.	नब्बासर	67
38.	नोडिया	16
39.	नोरसर	133
40.	परावा	78
41.	पार्वतीसर	134
42.	राजीयासर खारा	111
43.	राजियासर मीठा	109
44.	सडू छोटी	19
45.	रूपेली	48
46.	सडूगढ़ी	18
47.	सालासर	148
48.	सारंगसर	27
49.	सोनीयासर सखराम	6

1	2	3
50.	सोनीयासर ऊदाकरनोताने	
51.	सूरवास	88
52.	तन्देसर	7
53.	उपाध्याय	36
54.	उण्टालड	21
55.	हरासर	108
56.	कदाया	130
(बी) अलाभान्वित ग्रामों के नाम जहां का स्थानीय पानी खारा है		
1.	नीमड़ी चरनान	96
2.	नीमड़ी विदावतान	101
3.	चुहास	97
4.	राजपुरा	95

281

सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर में 'कोनरे' इन्जेक्शन की खरीद

429. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय के रेडियोडायग्नोसिस विभाग ने कोनरे नामक इन्जेक्शन की खरीद की है ? यदि हां, तो यह खरीद कितनी राशि की की गई है व एक इन्जेक्शन की कीमत क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों के अनुसार कोनरे से बढ़िया युरोग्राफी इन्जेक्शन होता है ! जिसका उपयोग पूर्व में इस चिकित्सालय में किया जाता रहा है ? यदि हां, तो इन दोनों की कीमतों में तुलनात्मक अन्तर कितना है ?

(3) क्या कोनरे इन्जेक्शन की खरीद का विरोध अस्पताल की क्रय समिति के एक सदस्य ने किया था ? यदि हां, तो विरोध के बावजूद भी इस इन्जेक्शन की खरीद किये जाने के क्या कारण थे ?

उत्तर

(1) जी हां। यह खरीद कुल 85,292 रु. की है तथा एक इन्जेक्शन की कीमत 47.77 रु. है। कुल राशि का विवरण निम्न प्रकार है—

इन्जेक्शन का विवरण	तादाद	दर	राशि
1. कोनरे-420	1660	47.77	79298/-
2. कोनरे-280	150	39.96	5994/-

(2) विभागाध्यक्ष की टिप्पणी के अनुसार कोनरे इन्जेक्शन से यूरोग्राफिन बढ़िया नहीं है। इन्जेक्शन आदि का क्रय निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राज., जयपुर द्वारा जारी दर संविदा के अन्तर्गत ही किया जाता है। जिस समय कोनरे इन्जेक्शन क्रय किया गया, यूरोग्राफिन इन्जेक्शन दर संविदा में नहीं था अतः इसका क्रय नहीं किया गया। दोनों की कीमत का तत्कालीन अन्तर का प्रश्न पैदा नहीं होता तथा यूरोग्राफिन इन्जेक्शन गत कई वर्षों से खरीदा नहीं जा रहा है।

(3) जी नहीं।

इन्दिरा गांधी नहर की जोधपुर आवासीय योजना

430. **श्री प्रभूलाल** (नैनवा), **श्री नाथूसिंह** (टोडारायसिंह) एवं **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर की इन्दिरा गांधी नहर की आवासीय योजना के लिये भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की गई थी ? यदि हां, तो क्या यह अधिग्रहण नियमानुसार था ?

(2) अधिग्रहित भूमि के आस-पास स्थित भूमि की अनुमानित कीमत क्या थी।

(3) अधिग्रहित भूमि का मुआवजा किस आधार पर व कितना दिया गया ?

(4) क्या इस संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो क्या ? शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

282

(श्री प्रभुलाल)

(5) क्या उक्त संबंध में राज्य सरकार द्वारा जांच करवाई गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जोधपुर की इन्दिरा गांधी नहर की आवासीय योजना के लिए भूमि कलक्टर, जोधपुर के पत्रांक राजस्व/85/68-84 दिनांक 14-10-1985 द्वारा आरक्षित की गई थी और संबंधित पटवारी द्वारा इसका कब्जा 17-10-85 को इस परियोजना को दे दिया गया था।

(2) जब भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया तो आस-पास की भूमि की अनुमानित कीमत अप्रांसगिक है।

(3) जब अधिग्रहण नहीं किया गया तो मुआवजे का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(4) जी नहीं। इस संबंध में शिकायतों का प्राप्त होना नहीं पाया गया है।

(5) राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त स्थिति में जांच करवाना आवश्यक नहीं है।

सपोटरा क्षेत्र में बाहर से आये भेड़ व ऊंट चराई पशुओं से उत्पन्न समस्या

431. **श्री ऋषिकेश मीणा** (सपोटरा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सपोटरा की जनता 80% पशुपालन पर आधारित है फिर भी पश्चिमी राजस्थान से हर साल लाखों भेड़ व ऊंट इस क्षेत्र में चरने के लिए आते हैं जिन्हें रोकने के लिए इस क्षेत्र की जनता 15 वर्षों से मांग कर रही है ? सरकार ने इन्हें रोकने के लिए जनता की मांग पर अब तक क्या विचार किया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस कारण क्षेत्र की जनता में सरकार के प्रति भारी आक्रोश बना रहता है व हर साल इस कारण से इस क्षेत्र की जनता, भेड़ एवं ऊंट पशु पालकों में आपसी वारदात होती हैं ? इस अप्रिय घटना को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों नही ?

उत्तर

(1) जी नहीं, सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में कृषि मूल्य व्यवसाय के तथा पशुपालन पर निर्भरता इसके बाद आती है। प्रति वर्ष जो भेड़ें निष्क्रमण पर आती है उन्हें नियन्त्रण हेतु प्रबन्ध किए जाते हैं। वर्ष 1989-90 में भेड़ व ऊन के जिला स्तर के अधिकारियों को जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक को इनके चराई, पानी एवं सुरक्षा के लिए उचित एवं सामायिक प्रबन्ध करने के लिए भी निर्देश दिये जा चुके हैं।

(2) जी नहीं, इस संबंध में जिला प्रशासन पूर्ण रूप से सक्रिय है किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो इस हेतु पूर्ण प्रयास किए जाते हैं।

झुन्झुनूं नगरपालिका क्षेत्र में सफाई व्यवस्था

432. **श्री जयनारायण पूनियां** (तारा नगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) झुंझुनूं नगरपालिका में सेनेटरी इन्स्पेक्टर प्रथम एवं द्वितीय कितने-वर्षों से झुन्झुनूं नगर पालिका में कार्य कर रहे हैं ? क्या उक्त नगरपालिका की सफाई व्यवस्था पूरे शहर में गड़बड़ा रही है जिससे बीमारी के फैलने के आसार हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि वार्ड नं. 6 एवं 7 के अन्दर जानबूझकर वार्डों में दो-दो तीन-तीन महीनों से सफाई व्यवस्था नहीं करायी जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या बार-बार शिकायतें एवं नगर पालिका के प्रशासक को बार-बार अवगत करवाने के बावजूद नगरपालिका से अपेक्षित कार्य नहीं करवाये जाते हैं ?

(4) सरकार ने ऐसे निष्क्रिय अधिकारियों के खिलाफ आज तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नगरपालिका झुन्झुनूं में एस.आई. प्रथम दिनांक 18-8-82 एवं एस. आई. द्वितीय दिनांक 17-10-77 से कार्यरत है। जी नहीं, बीमारी फैलने का कोई अंदेशा नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) पालिका में कार्यरत अधिकारी निष्क्रिय नहीं है। इसलिये कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

ग्राम अमरसर (शाहपुरा) में छात्र की हत्या

433. **श्री मुक्तिलाल मोदी** (कोटपूतली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम अमरसर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर में गत वर्ष 9 अक्टूबर, 1988 को एक 18 वर्षीय छात्र की हत्या हुयी थी ?

(2) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पुलिस विभाग द्वारा आज तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) दिनांक 11-10-88 को जानवरों द्वारा खाये कंकाल के मिलने पर मार्ग संख्या 12/88 दर्ज की जाकर जांच प्रारम्भ की गई। हत्या का संदेह होने पर नियमित रूप से इसे धारा 302 भा. द. सं. के अन्तर्गत परिवर्तित किया गया। पोस्ट मार्टम से मृत्यु का कारण पता नहीं चला। न ही किसी पर शक का पता चला। अस्तु एफ. आर. अदमपता मुलजिमान दी गई।

284

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 585 का विवरण

1. पूर्व मैट्रिक छात्रवृति

कक्षा	दरें बढ़ाने की तिथि	पूर्व की दरें	बढ़ाई गई दरें
6 से 8	28-9-67	5	5
9 से 11	28-9-67	10	20
6 से 8	1-7-76	5	10
9 से 11	1-7-76	20	20
6 से 8	1-7-82	10	12.50
9 से 11	1-7-82	20	25
6 से 8	1-7-84	12.50	15 छात्र
9 से 11	1-7-84	12.50	20
		25	30 छात्रा
		25	40 छात्रा

2. उत्तर मैट्रिक छात्रवृति

वर्ष 1964-65 में उत्तर मैट्रिक छात्रवृति की भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरें निम्न प्रकार थी :—

मद	छात्रावासी	डेस्कालर
ए	75	60
बी	65	50
सी	60	45
डी	50	35
ई	40	27

वर्ष 1974-75 में भारत सरकार की दरें बढ़ाकर निम्न प्रकार की थी :—

ग्रुप	छात्रावासी		डेस्कालर	
	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
ए	125	135	75	85
बी	90	100	60	70
सी	80	90	50	60
डी	70	80	40	50

वर्ष 1981-82 में भारत सरकार ने पुनः निम्न प्रकार दरों में बढ़ोतरी की है :—

ग्रुप	छात्रावासी		डेस्कालर	
	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
ए	185	195	100	110
बी	125	135	100	110
सी	125	135	100	110
डी	115	130	70	85
ई	75	85	50	60

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 508 की सूची

विभाग में कुल कार्यरत तकनीकी अधिकारियों की सूची

क्र. सं.	संवर्ग	कुल कार्यरत अधिकारियों की संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन जाति
1	2	3	4	5
1.	सचिव, सा. नि. वि.	1	—	—
2.	मुख्य अभियन्ता	4	—	—
3.	अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता	13	—	—
4.	अधीक्षण अभियन्ता (सिविल)	41	—	—
5.	अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक)	2	—	—
6.	अधिशाषी अभियन्ता (सिविल)	200	4	3
7.	अधिशाषी अभियन्ता (यांत्रिक)	14	—	—
8.	अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत)	3	—	—
9.	सहायक अभियन्ता (सिविल)	563	23	6
10.	सहायक अभियन्ता (यांत्रिक)	34	2	—
11.	सहायक अभियन्ता (विद्युत)	24	—	1
12.	मुख्य वास्तुविद	1	—	—
13.	वरिष्ठ वास्तुविद	2	—	—
14.	कनिष्ठ वास्तुविद	6	—	—
15.	सहायक वास्तुविद	1	—	—
16.	परीक्षण अधिकारी	1	—	—

287

1	2	3	4	5
17.	सहायक परीक्षण अधिकारी	8	—	—
18.	उद्यान विज्ञ	1	—	—
19.	वरिष्ठ अधीक्षक उद्यान	1	—	—
20.	अधीक्षक उद्यान	5	—	—
		925	29	10

परिशिष्ट "ब"

Name of the Jr. Engineers (Civil Degree Holder) appointed vide this Office Order No. Sec. I/C/88/185 dated 25-8-88

(List of S/C & S/T)

Name		Place of Posting
1	2	3
S/C.		
1.	Sh. Om Prakash Tanwar S/o Sh. Dwarka Lal	PWD Circle I, Kotah (Now deputed to R.S.B.C.C., Jaipur)
2.	Sh. Jagdish Pd. Verma S/o Sh. Nechu Ram Verma	PWD Circle Bharatpur.
3.	Sh. Labh Chand Jhinger S/o Sh. Pratap Chand.	PWD Circle II Bikaner.
4.	Sh. Lachha Ram Baghela S/O Sh. Khangar Ram Baghela	LSGD., Jaipur
5.	Sh. Prahlad Singh S/o Sh. Pratap Singh.	PWD Circle 2 Ajmer.
6.	Sh. Ram Swaroop Bairwa S/o Sh. Mithya Ram.	PWD Circle II Jodhpur.
7.	Sh. Devi Lal. Arya S/o Sh. Banshi Lal.	PWD Circle I Jaipur.
8.	Sh. Ram Avadh S/o Sh. Purshottam Ram.	PWD Circle II Ajmer.
9.	Sh. Bhagwan Singh Rawal S/o Sh. Jai Singh Rawal.	PWD Circle II Udaipur.
10.	Sh. Girdhari Lal Verma S/o Sh. Daulat Ram Balai.	PWD Circle II Udaipur.

(289)

1	2	3
11.	Sh. Om Prakash S/o Sh. Karan Lal.	L.S.G.D., Jaipur (M. C. Bharatpur)
12.	Sh. Chandra Mohan Bairwa S/o Sh. Devi Lal.	P.W.D. Circle III Jodhpur.
13.	Sh. Rajendra Kumar S/o Sh. Mukhram.	P.W.D. Circle II Jodhpur.
14.	Sh. Chand Karan Verma S/o Sh. Ram Deo Verma	L.S.G.D., Jaipur (M. C. Deoli.)
15.	Sh. Hazari Lal Meghwal S/o Sh. Narain Lal.	P.W.D. Circle II Udaipur.
16.	Sh. Roop Narain Bairwa S/o Sh. Prabhati Lal Bairwa	P.W.D. Circle 2 Jodhpur.
17.	Sh. Sarwan Kumar S/o Sh. Mangi Lal.	Raj. Warehousing Corpn. Jaipur.
Sec. I/C/88/262 (B) dated 17-11-88.		
18.	Sh. Kalyan Mal Mandavriya S/o Sh. Ramdeen Mandavriya	P.W.D. Jodhpur Zone, Jodhpur.
	ST	
1.	Sh. Ram Raj Meena S/o Sh. Chatru Lal.	P.W.D. Circle Bhilwara.
2.	Sh. Chin Hari Meena S/o Sh. Ram Swaroop Meena	P.W.D. Circle II Udaipur.
3.	Sh. Uttam Kumar S/o Sh. Basant Lal.	L.S.G.D., Jaipur
4.	Sh. Bharat Lal Meena S/o Sh. Amba Lal.	P.W.D. Circle 3 Jodhpur.

1	2	3
5.	Sh. Narain Singh Meena S/o Sh. Bhagwan Singh Meena.	L.S.G.D. Jaipur (M. C. Bhilwara)
6.	Sh. Sayar Lal Meena S/o Sh. Phalu Ram Meena.	P.W.D. Circle II Jodhpur.
7.	Sh. Radhey Shyam Meena S/o Sh. Tnandi Lal.	P.W.D. Circle III Jodhpur.
8.	Sh. Rajendra Kumar Meena S/o Sh. Ram Lal Meena.	L.S.G.D. Jaipur (M. C. Abu Road).
9.	Sh. Iqbal Singh Sh. Sardar Gurucharan Singh.	Raj. Rajya Sahakari Karya Vikraya Sangh Ltd., Jaipur.
10.	Sh. Kamal Singh S/o Sh. Ram Pal Meena.	L. S. G. D. Jaipur (M. C. Sawaimadhopur).
11.	Sh. Mahesh Chandra Meena S/o Sh. Jagdish Pd. Meena.	P.W.D. Circle III Jaipur.
12.	Sh. Inderjeet Singh Meena S/o Sh. Ramnath Singh Meena.	Raj. State Rajya Sahkari Kraya Vikraya Sangh Ltd., Jaipur.

291

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या 590 के प्रश्न के भाग एक की सूची

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का मुख्यालय का नाम	उपलब्ध चिकित्सा सुविधा
1	2	3
(1)	देवलीकला	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
(2)	रामपुरकल्ला	उप स्वास्थ्य केन्द्र
(3)	बासीया	,, ,,
(4)	कुशालपुरा	प्रा. स्वा. केन्द्र
(5)	झुठा	उप स्वा. केन्द्र
(6)	कोट किराणा	,, ,,
(7)	वर	उच्चीकृत उपकेन्द्र
(8)	हाजीवास	उप स्वा. केन्द्र
(9)	गिरी	प्रा. स्वा. केन्द्र
(10)	रेलडा	प्रा. स्वा. केन्द्र
(11)	सेन्घडा	एडपोस्ट
(12)	बाबरा	डिस्पेन्सरी
(13)	पचानपुरा	— —
(14)	रायपुर	प्रा. स्वा. केन्द्र
(15)	निम्बाडाकल्ला	उप स्वा. केन्द्र
(16)	मोहराकल्ला	,, ,,
(17)	पिपलिया	प्रा. स्वा. केन्द्र
(18)	लिलम्बा	उप स्वा. केन्द्र
(19)	कलालिया	,, ,,
(20)	कानुजा	उच्चीकृत उप केन्द्र

292

1	2	3
(21)	विराटीया कंला	उप स्वा. केन्द्र
(22)	बूटीवास	,, ,,
(23)	नानना	,, ,,
(24)	विराटीया खुर्द	,, ,,
(25)	सुमेल	,, ,,
(26)	सबलपुरा	,, ,,
(27)	दिपावास	,, ,,
(28)	चांग	,, ,,
(29)	चिताड	,, ,,
(30)	अमरपुरा	,, ,,

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 593- एफ. आई. आर. की प्रति

सेवामें,

श्रीमान् थानेदार साहब

नांवा।

महोदय जी,

रिपोर्ट एक प्रार्थी श्री घीसाराम पुत्र ओंकारराम जाति मीणा नि. कूणी तह. नांवा की निम्न है :—

(1) यह है कि दिनांक 28-5-89 को शाम के करीबन 4 बजे मैं मेरे घर पर बैठा हुआ था।

(2) यह है कि तभी मेरे पुत्र सादुला पुत्र घीसाराम जाति मीणा की धर्मपत्नि श्रीमती चौथी मेरे घर आई और कहा कि आज मेरा घर वाला घर नहीं आया है तथा आज दिन का 3 बजे सादुला मेरे पति के साथ श्री मंगला पुत्र सुवाराम जाति जाट निवासी कुणी, रामू पुत्र झूंता जाति जाट नि. कुणी बालू पुत्र हीरा जाति जाट, रामदेव पुत्र सुवाराम जाति जाट नि. कुणी वाले के साथ झगड़ा हुआ था तभी से वह घर नहीं आया है तथा वही उसे लेकर गये थे।

(3) यह है कि तब मैं मालूम करने गया तो मुझे श्री ज्ञानाराम पुत्र हनुमान जाति मीणा नि. कुणी मुला पुत्र बालू जाति मीणा नि. चौसला ने बताया कि सादुला को हमने लड़ते हुए देखा था तथा मंगला, रामू, रामदेव, बालू ही उसे अपने कुएं पर ले गये थे तथा लड़ाई करते हमने देखा था।

(4) यह कि तब मैं मंगला, रामू, रामदेव, बालू के पास गया तो उन्होंने बताया कि हमने उसे मार दिया है तथा कुआ में गिरा दिया है तब मैंने काफी देखा लेकिन नहीं मिला।

(5) यह कि मेरे पुत्र सादुला को इन लोगों ने जान से मार कर कुआ में गिराकर उसकी हत्या कर दी है तथा मुझे आज ही दि. 29-5-89

(295)

को करीबन 5 बजे मालूम हुआ कि मेरे पुत्र सादुला की लाश इनके कुआ में है जो उनसे बरामद हो चुकी है।

(6) यह कि इन लोगों से मेरे पुत्र की लड़ाई चल रही थी रिपोर्ट पेश करने में देरी इसलिए हुई कि कोई साधन नहीं मिल सका था।

अतः रिपोर्ट पेश कर अर्ज है कि उक्त व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करें।

Sd/–

29-5-89 घीसाराम

तारीख 29-5-89 at 11.00 pm.

आज यह रिपोर्ट श्री घीसाराम S/o ओंकारराम कौम मीणा उम्र 50 साल निवासी कुणी ने हाजर थाना होकर पेश की। रिपोर्ट का मजमून सायल को पढ़कर सुनाया सुन व समझकर सही होना मानकर दस्तखत किए।

Sd/–

घीसाराम

कार्यवाही पुलिस

मजमून रिपोर्ट से जुर्म 302 IPC का वकु में आना पाया जाता है। अतः मु. नं. 54 तारीख 29-5-89 4/5 302 I.P.C. में दर्ज कर तफतीश जाब्ता शुरू की गई। नकल F.I.R. निःशुल्क मुस्तगीस को दी गई।

Sd/– Sd/–

घीसाराम मानसिंह

29/5

V. F. S. H. O., नांवा

मानसिंह

S. H. O.

Police Station, NAWA CITY

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 595 की सूची

जयपुर नगर में बोर्ड द्वारा निर्मित वन बिहार योजना के आवासों का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	सैक्टर नं.	आवासों की श्रेणी	कुल मकान	कुल निर्मित मकान
1.	1	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	304	304
2.	1	अल्प आय वर्ग	128	128
		सैक्टर नं. 1 का कुल योग	432	432
3.	2	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	272	272
	2	अल्प आय वर्ग	48	48
		कुल योग (सैक्टर नं. 2)	320	320
		कुल योग (सैक्टर 1+2)	752	752

(296)

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 609 की सूची

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

From :

Addl. Secy., to the Govt.,
Public Works Department,
Rajasthan, Jaipnr.

To :

The Chief Engineer (Roads),
Public works Department,
Rajasthan, Jaipur.

No : F. 8 (7) PW/87/D-353/s Dated : 15-6-1989

Sub :—Works to be financed from the Central Road Fund (Allocation) Accounts in Rajasthan during 1989-90 and 8th plan period.

Sir,

I am directed to convey Administrative and financial sanction of the Governor, for the construction of 60 Nos Road works at a cost of Rs. 21.73 crores as per details given in the statement enclosed. These works have also been approved by the Govt. of India Ministry of surface Transport (Road Wing) vide their letter No. NH-28014/17/89-RJ (OR) dated 17th May 1989.

The expenditure on these works shall be met out of the provision under Budget Head "3054-Roads & Bridges 04-District & Other Road iv-Roads of Central Road Fund (1) Ordinary Allocation (Non-plan)"

This issues with the concurrence of planning and finance (Expr. III) Department vide their I. D. No. 451/SS Plan/89 dated 30-5-89 and I.D.No. 1126 (Expr. III) dated 9-6-89 respectively.

Encl : Statement.

Yours faithfully,

Sd/–

(A. K. Jain)

Dy. Secy. (Works) P. W. D.

Statement accompanying letter No. F. 8(7) PW/87/D-353/s dated 15-6-1989.

S. No.	Name of work	Job No.	Amount (Rs. in lacs)
23.	Const. of A/R to Khatwa (8 Kms.) in Jaipur.	CRF/RJ/89/052	16.00

"True Copy"

Sd/–

Executive Engineer

P.W.D. Distt. I, Jaipur.

(298)

न्यायालय उप जिलाधिकारी, महोदय—दौसा

रामकरण पि. मु. प्रभूलाल जाति ब्राह्मण बनाम पुरोहित निवासी ग्राम खटवा ।

(1) सहायक अभियन्ता महो., सार्वजनिक निर्माण विभाग, दौसा ।

(2) कनिष्ठ अभियन्ता महो., सार्वजनिक निर्माण विभाग, दौसा ।

(3) सरपंच महोदय, ग्राम पंचायत खटवा, तहसील लालसोट द्वारा सरपंच महोदय ग्राम पंचायत खटवा ।

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

श्रीमान्

प्रार्थना पत्र निम्नांकित प्रस्तुत है :—

(1) यह है कि वाद पत्र अनुवानी प्रार्थी ने अप्रार्थीण के विरुद्ध आज पेश कर दिया है जिसमें प्रार्थी को सफलता की पूर्ण आशा है ।

(2) यह है कि वादी ग्राम खटवा का निवासी है जिसका खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं. 293 रकबा 7 मि. वाही ए 312 रकबा 35-111 मि. बारानी 315/577 रकबा 21/3 बजे कित्ता 3 तादादी 45/3 लगान 83-52 पैसे वाके ग्राम खटवा तहसील लालसोट में स्थित है जिसे प्रार्थी स्वयं काश्त कर लाभान्वित होता है तथा लगान सरकारी अदा करता है । इस भूमि से अप्रार्थीगण या दीगर किसी व्यक्ति का कोई सम्बन्ध सरोकार कभी नहीं रहा और न अब है ।

(3) यह है कि राज्य सरकार की अकाल राहत व ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत खटवा से ढाणी ढण्ड की झपडिया लालपुरा होती हुई बिहारीपुरा तक लालसोट सवाई माधोपुर मुख्य सड़क को जोड़ने तक कच्ची सड़क का निर्माण अप्रार्थी नं. 1 व 2 के माध्यम से उनकी देखरेख में शुरू हो रहा है जिसका विभागीय अलाटमेंट अप्रार्थी नं. 1 व 2 द्वारा तैयार किया हुआ नहीं बताया जाता ।

(4) यह है कि अप्रार्थी नं. 1 व 2 अप्रार्थी नं. 3 के निर्देशानुसार उक्त सड़क मार्ग प्रार्थी पक्ष की आराजी खसरा नं. 312 मिन वाके ग्राम खटवा, तहसील लालसोट में होकर जबरन निकालने को प्रयत्नशील

है। चूंकि अप्रार्थी नं. 3 सरपंच श्री हरेन्द्र सिंह का प्रार्थी से राजनैतिक एवं व्यक्तिगत दुश्मनी है, इसी आराजी में होकर अब से पूर्व भी उक्त श्री हरेन्द्र सिंह ने लोगों को बहकाकर प्रार्थी के खेत में होकर नया ग्राम रास्ता बनाने का प्रयत्न किया था जिसके फलस्वरूप पक्षकारान में आपसी लड़ाई झगड़े व फौजदारी मुकदमें बाजी हुई थी।

(5) यह है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी नं. 3 वर्तमान सरपंच महोदय व उनके साथियों के विरुद्ध न्यायालय हाजा में वाद स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर उन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित करवाया था तथा उसके बाद पुनः इन्हीं महानुभाव ने ग्राम जनता ग्राम खटवा के नाम से अ. धारा 251 रा. टि. ए. प्रार्थना पत्र तहसीलदार महोदय लालसोट के यहां पेश कर प्रार्थी का उक्त भूमि से होकर उक्त रास्ता निकलवाने हेतु तारीख 21-1-76 को आज्ञा प्राप्त की थी जिसके विरुद्ध वादी पक्ष की ओर से अपील न्यायालय ए. डी. एम. महोदय, जयपुर के यहां पेश कर उक्त आज्ञा दिनांक 2-1-76 को निरस्त करवाया था।

(6) यह है कि प्रार्थी गण के विरुद्ध न्यायालय हाजा में यह वाद प्रस्तुत कर उन्हें स्थायी आदेश से प्रतिबन्धित करवाने का अधिकार है कि वे प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी में होकर कोई सड़क निर्माण न करावें व वादी के खेत में से मिट्टी खुदाने खड्डे करने अथवा किसी प्रकार भी कोई मोरम आदि डलवाकर प्रार्थी का कृषि भूमि को नुकसान पहुंचाने चूंकि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण का उक्त बेजा कार्यवाही को बन्द करने हेतु उनसे प्रार्थना भी की किन्तु ता. 17-3 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया और एलानिया कहा कि इस आपकी कृषि भूमि में होकर सड़क निकालकर रहेंगे।

(7) यह है कि प्रार्थी को विवादग्रस्त आराजी में होकर सड़क निकलने से प्रार्थी के खेत का बरबादी व काश्त के नुकसान की स्थिति पैदा होगी खेत खण्ड 2 हो जावेगा। ग्राम खटवा का आबादी से परम्परागत मार्ग में होकर सड़क निकलवाया जाना सुविधाजनक है। प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति से बताया जाना न्यायार्थ आवश्यक है।

300

(8) यह है कि प्रार्थी का पक्ष प्राथमिक रूप से बरूये अभिलेख व मौके की स्थिति के अनुसार स्पष्टतया: स्वय में वर्णित है। सुविधा सन्तुलन की तुला भी बहक प्रार्थी है। वाद उनवानी के निर्णय तक विवादग्रस्त कृषि भूमि की स्थिति यथावत रखा जाना न्यायार्थ आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सेवा में शपथ पत्र सहित पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण नं. 1 व 2 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा एतद् आशय कि अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं. 293 मि. 312 मि. 315/577 वाके ग्राम खटवा तहसील लालसोट में होकर कोई रास्ता निकालने सड़क बनाने खेत में खड्डे खोदकर मिट्टी उठाने या मोरम आदि डालकर सड़क निर्माण करने से स्वयं अपने कर्मचारीगण अथवा मजदूरों के माध्यम से कोई कार्य न करे प्रतिबन्धित फरमाया जावे।

प्रार्थी,
रामकरण मि. मु. प्रभूलाल, जाति ब्राह्मण
पुरोहित निवासी खटवा, तहसील लालसोट।

तारीख 30-3-83

ह0/-
रामकरण

सत्य प्रतिलिपि

ह0/-
अधिशासी अभियन्ता
सा. नि. विभाग जिला खण्ड प्रथम

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या-619 की सूची

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार, सुजानगढ़, जिला चूरू

क्रमांक : रीडर/86/223/ दिनांक 25-10-86

निमित :—

श्रीमान् जिला कलक्टर (पंचायत) महोदय,

चूरू ।

विषय :—सरपंच, ग्राम पंचायत गिरवरसर पं. स. सुजानगढ़ के विरुद्ध शिकायत की जांच ।

प्रसंग :—आपका कार्यालय आदेश प. 24/37( ) (8) पंचा/जांच/86/ 2329-33 दिनांक 6-8-86.

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके आदेशानुसार शिकायत में अंकित बिन्दुओं की जांच रिपोर्ट निम्न प्रकार प्रेषित है :—

(1) यह है कि शिकायत कुनन्दा श्री रामरख गोदारा को इस कार्यालय द्वारा नोटिस दिया गया, कि शिकायत की पुष्टि हेतु सबूत व दस्तावेज आदि पेश करें ।

(2) यह है कि शिकायत कुनन्दा ने प्रा. पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जांच मौके पर रखकर की जावें शिकायत कुनन्दा की इस्तदुआ मंजूर की जाकर जांच वामुकाम गिरवरसर पर रखी गई ।

(3) यह है कि मैं जांच हेतु मौके पर पहुंचा व वामुकाम राजकीय स्कूल गिरवरसर पर जांच कार्यवाही शुरू की गई व शिकायत कुनन्दा श्री रामरख गोदारा के बयान लिए गये ।

(4) यह है कि संयुक्त रूप से बयान रूपी, रामी, जेठी, गोरा, चुन्नी, रीमा, सोनी, रेवती, शान्ति व नूरा के शिकायत कुनन्दा ने करवाये तथा दो मेठों के रूप में हिमताराम व किस्तूरारांम के बयानात करवायें ।

(5) यह है कि रेड़ा पहुंच कर श्री माधोसिंह सरपंच के बयान लिए गये।

(6) यह है कि अकाल राहत के अन्तर्गत तालाब पंचोली के कार्य हेतु विकास अधिकारी पं.स. सुजानगढ़ द्वारा जो मस्ट्रोल जारी किये गये थे का मानचित्र भी प्राप्त किया।

(7) यह है कि पत्रावली का व बयानात आदि का अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि उक्त कार्य दिनांक 11.12.85 से 15.12.85 तक 27.1.86 से 31.1.86, 1.2.86 से 15.2.86 व 16.2.86 से 28.2.86, 1.3.86 से 4.3.86, 16.5.86, से 31.5.86, 1.6.86 से 15.6.86 व 16.6.86 से 30.6.86 तक की अवधि में कराये गये थे। व इस अवधि का भुगतान भी कर दिया गया था।

(8) यह है कि शिकायत कुनन्दा ने अपनी शिकायत में यह लिखा है कि 4 दिन का भुगतान नहीं मिला है व हाजरा को मियों में ला गई थी। शिकायत कर्ता से क्रोस के रूप में पूछा गया तो उसने अपने बयान में यह कहा कि मेरी मौजूदगी में उक्त बातें नहीं कहीं बताई पर मजदूरों को कहा। चार दिनों का भुगतान 170 आदमियों को नहीं मिला। चार दिन में जो कार्य कराया व भुगतान नहीं दिया। इन चारों दिन में मैं गांव में नहीं था। मुझे यह पता नहीं कि मुझे किस-किस आदमियों ने कहा कि भुगतान नहीं मिला। बयान शिकायत कुनन्दा काबिले विश्वास नहीं है।

(9) संयुक्त बयान रूपी, रामी, आदि 8 केस का अवलोकन किया तो इन्होंने अपने बयानों में यह लिखवाया है कि हमें और दिनों के कार्य का भुगतान मिल गया है मगर चार दिनों का भुगतान नहीं मिला है। यह बात मानने योग्य नहीं है कि माह 12/85 से 6/86 तक कार्य चला और भुगतान भी मिला और 4 दिन का नहीं मिला इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है।

(10) यह है कि सर्वश्री हिमताराम व किस्तूराराम ने अपने बयानों में यह लिखा था कि सरपंच साहब कहके गये थे कि 4 दिन काम लग से मस्ट्रोल ला रहा हूँ। 4 दिन बाद आकर कहा काम बन्द कर दो पैसे मिल जायेंगे। 5 दिन बाद काम पर लगे वह पैसे मिल गये बाद

में मैट में नहीं रहा। कापी में मैंने हाजरी ली कापी तहसीलदार जी बीदासर को दी कापियें हमारे घर की थी। 4 दिन की मजदूरी न मिलना व कापियां घर की थी व तहसीलदारजी बीदासर को दे दी इसका कोई उपाय नहीं हैं बयान काबिले गौर नहीं हैं।

(11) यह है कि व मुकाम देदा में श्री माधोसिंह के बयान लिये गये। सरपंच ने अपने बयान में लिखाया है कि मैंने कोई फर्जी रेकार्ड नहीं बनाया है। मस्ट्रोल मैट द्वारा ही भरे गये हैं। शिकायत कर्ता रामरख गोदारा द्वारा आपसी रंजिश व राजनैतिक पार्टीबाजी से झूठी गई हैं। कार्य जो कराया गया है उसका भुगतान कर दिया गया है कोई भुगतान से शेष नहीं हैं। उक्त कार्य के मस्ट्रोल भी पं. स. सुजानगढ़ में जमा हो चुके हैं। व कनिष्ठ अभियन्ता व सहायक अभियन्ता द्वारा कार्य पूर्ण का प्रमाण पत्र भी जारी किया जा चुका है। मेरे द्वारा कापियों में हाजरी ली जाकर कार्य कराने बाबत नहीं कहा गया था यह सब झूठ हैं।

अतः हालात उपरोक्तानुसार अर्ज किये जा चुके हैं। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त शिकायत आपसी रंजिश व राजनैतिक पार्टीबाजी से प्रेषित है। मूल पत्रावली वास्ते आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :—मूल पत्रावली

सं. 2186

ह0/-

तहसीलदार,

सुजानगढ़।

304

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न संख्या 628 की सूची

सूची "अ"

क्र. सं.	कार्य का नाम/प्रकार	स्वीकृत राशि लाखों में	स्वीकृत लम्बाई	जनवरी, 85 से अब तक का कुल खर्चा	जनवरी, 1985 से अब तक की भौतिक प्रगति किमी. में डामर	मेटल	ग्रेवल	फेयरवेदन/मिट्टी का कार्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सांवरिया से झालरी	7.00	6.5	3.42	—	6.5	—	—
2.	गनेती से मोरभाटिया	9.00	9.0	3.84	—	—	—	9.00
3.	मालेडा से नासिरदा	8.00	8.00	2.00	—	—	—	2.00
4.	मोर बावड़ी (अकाल राहत कार्य)	5.00	7.00	2.64	—	—	4.00	1.00
5.	लाम्बा बरवास (अकाल राहत कार्य)	9.00	9.50	1.93	—	—	5.00	1.50
6.	टोडा बोटून्दा (अकाल राहत कार्य) कुहाड़ा	18.00	18.00	3.58	—	—	5.00	—
7.	उनियारा खुर्द से कुहाड़ा	2.10	4.00	1.44	—	—	4.00	—
8.	मोर सांवरिया ,,	9.00	22.00	1.20	—	2	1.00	—

1	2		3	4	5	6	7	8	9
9.	हमीरपुर से कृपाल भैंरू	कुहाड़ा	18.00	23.00	1.30	—	—	5.00	—
10.	रामथला सम्पर्क सड़क	,,	2.00	2.00	0.85	—	—	1.80	—
11.	देवली गणेशजी	,,	2.00	2.00	2.27	—	—	3.00	—
12.	संथली से राजमहल	,,	2.00	2.00	1.75	—	—	2.80	1.40
	प्लान सड़कें :—								
1.	मोर-सांवरिया		15.00	12.00	8.44	9	—	—	—
2.	भासू से मालेडा		15.00	11.00	2.98	—	3	—	—
									कुल 65.00 कि.मी.
					37.64	9	11.5	31.50	14.90

306

परिशिष्ट—15

अतारांकित प्रश्न संख्या 631 की सूची

वर्ष 1985 से आज तक जिला सवाई माधोपुर के हल्के में कितने लोगों के विरुद्ध अवैध खतरनाक बम बनाने के मामले एवं उनका विवरण :—

क्र.सं.	मुकदमा नं. तारीख, धारा मय थाना	नाम स्थान	नाम पता अभियुक्त	जन धन की हानि का वि.	मुकदमा का नि.
1	2	3	4	5	6
1.	मु. नं. 356/85 दि. 18.12.85 धारा 3/4 एक्सक्लोजिव एक्ट थाना करौली	चौधरीपाड़ा, करौली	दीना उर्फ दीनदयाल पुत्र महावीर प्रसाद ब्राह्मण करौली	नहीं	चालान/10.1086
2.	258/85 दि. 4.8.85 धारा 3 वि. प. अधिनियम थाना सवाई माधोपुर।	रेल्वे कॉलोनी	नहीं	नहीं	एफ.आर. आदमपता 25.9.85
3.	320/86 दि. 2.10.86 धारा 4, 5 एक्सक्लोजिव एक्ट थाना करौली।	फसलपाड़ा करौली	1. छोटे पुत्र हींगा 2. असलाख पुत्र छोटे मुसलमान करौली	नहीं	चालान (दोनों का) 1.12.86

1	2	3	4	5	6
4.	357/86 दि. 18.11.86 धारा 4 व 5 एक्सक्लोजिव एक्ट, थाना करौली ।	करौली कस्बा	पप्पूसिंह पुत्र अर्जुनसिंह खानपुर बड़ोदा गंगापुर		चालान 31.12.86
5.	105/87 दि. 28.4.87 धारा 4 व 5 एक्सक्लोजिव एक्ट व 337 आई.पी.सी., थाना करौली	सीताबाड़ी करौली	रामप्रसाद पुत्र रामहेत सीताबाड़ी करौली	नहीं	चालान 1.7.87
6.	36/87 दि. 29.5.87 धारा 3/4 एक्सक्लोजिव एक्ट, थाना महुआ ।	धौली डूंगरी	नहीं	नहीं	एफ.आर. अदमपता 26.12.87
7.	135/88 दि. 1.4.88 धारा 5/9 विस्फोटक, थाना खन्डार ।	बाजार तिराये पर	हरगोविन्द पुत्र सूरज भानुप्रताप पुत्र रूपनारायण नि. खन्डार	नहीं	चालान 19.11.88
8.	136/88 दि. 1.4.88 धारा 5/9 विस्फोटक, थाना खन्डार ।	बाजार तिराये पर	राधेश्याम मधुरिया खण्डार	नहीं	चालान 19.11.88
9.	300/88 दि. 29.5.88 धारा 3/4 एक्ट, हिण्डौन सिटी ।	कस्बा हिण्डौन	नहीं	नहीं	एफ.आर. अदमपता मामला

1	2	3	4	5	6
10.	650/88 दि. 26.10.88 धारा विस्फोटक अधिनियम, थाना हिण्डौन सिटी।	कस्बा हिण्डौन	अब्दुलकलाम पुत्र हुसैन नि. हिण्डौन	नहीं	चालान 31.10.88
11.	651/88 दि. 28.10.88 धारा 4 एक्सक्लोजिव एक्ट, थाना हिण्डौन।	हमला पाड़ा हिण्डौन	बाबू पुत्र इस्माइल नि. हिण्डौन	नहीं	चालान 31.10.88
12.	652/88 दि. 26.10.88 धारा 4 विस्फोटक अधिनियम, घाटी थाना हिण्डौन	बाजार हिण्डौन	छोटे खां पुत्र इस्माइल मु. सा. हिण्डौन	नहीं	चालान 31.10.88
13.	653/88 दि. 26.10.88 धारा 4 एक्ट थाना, हिण्डौन सिटी।	छोटा बाजार हिण्डौन	गुल मोहम्मद पुत्र घीसा नि. लूनाकीपुरा हिण्डौन	नहीं	चालान 31.10.88
14.	654/88 दि. 26.10.88 धारा 4 एक्सक्लोजिव एक्ट थाना हिण्डौन।	कस्बा हिण्डौन	सुल्तान अहमद पुत्र बुन्दूखां नि. हिण्डौन	नहीं	चालान 31.10.88

1	2	3	4	5	6
15.	655/88 दि. 26.10.88 धारा 4 ए एक्ट थाना हिण्डौन।	कस्बा हिण्डौन	अजीज पुत्र बाबू नि. इमामपाड़ा हिण्डौन	नहीं	चालान 31.10.88
16.	29/89 दि. 8.9.89 धारा 3/4 विस्फोटक अधिनियम, थाना मण्डरायल।	राढोई	नहीं	नहीं	एफ.आर. अदमपता 28.9.89
17.	61/89 दि. 15.4.69 धारा 4/5 विस्फोटक अधिनियम, थाना बजीरपुरा।	रामतलाव बजीरपुर मोरी नं. 2	नहीं	नहीं	एफ.आर. अदमपता 31.5.89
18.	71/89 दि. 21.6.89 धारा 4/5 विस्फोटक अधिनियम, थाना सपोटरा।	नारोली के पास	कोरया पुत्र बंशीनाथ नि0 नारोली	नहीं	जेर तफतीश पुलिस
19.	61/89 दि0 18-6-89 धारा 4/5 विस्फोटक अधिनियम, थाना मासलपुरा।	सकलपुरा	मामलिया पुत्र बेदरिया जाटव नि0 सकलपुरा	नहीं	जेर तफतीश पुलिस

309

1	2	3	4	5	6
20.	9/89 दि0 3-6-89 धारा 9 विस्फोटक अधिनियम, थाना नाथोती।	कोलेरा	नहीं	नहीं	जेर तफतीश पुलिस
21.	104/89 दि. 29.6.89 धारा 4/9 एएक्ट थाना खन्डार।	बाजार खन्डार	राधेश्याम पुत्र केदारप्रसाद नि0 खन्डार	नहीं	जेर तफतीश पुलिस
22.	62/89 दि. 30.6.89 धारा 5 विस्फोटक अधिनियम थाना	फलौदी	भोमसेन बनाराम नि0 फलौदी	नहीं	जेर तफतीश पुलिस

परिशिष्ट-16

अतारांकित प्रश्न संख्या–636 की सूची

Rules For The Grant of Financial Assistance To The Persons Contracting Inter-Caste Marriages Where Either Of the Parties Belonging To A Scheduled Caste.

The Governor is pleased to issue the following Rules for grant of financial assistance to the persons contracting inter caste marriages where the either of the parties belong to a Scheduled Caste :—

1. Financial assistance as monetary grant not exceeding to Rs. 5,000/- (Rupees Five Thousand only) shall be available to such persons who have contracted an Inter Caste Marriage where one of the parties belong to a Scheduled Caste, white the other does not belong to a Scheduled Caste.
2. The Director of Social Welfare, Government of Rajasthan will decide the cases of persons applying for such assistance depending upon the merit of each case.

Persons seeking such assistance should apply to the Distt. Social Welfare Officer or the Collector of the District in the prescribed form (Annexure-I). The application shall be signed by both the wife and husband, and should be accompanied with the following documents :—

(i) A certified copy of the marriage registration certificate.

(ii) A Certificate from any Executive or Judicial Magistrate showing the caste to which the wife and husband belong.

312

(iii) A Certificate from the M.L.A., M.P., Vikas Adhikari, or the District Social Welfare Officer, in the prescribed form (ANNEXURE II) to the effect that both, the husband and wife, are living together for not less than six months.

4. The bonafides of the applicants will be enquired into by the Vikas Adhikari or the District Probation and Social Welfare Officer concerned. The application and the Enquiry Report along with the remarks of the Collector of the District shall be forwarded to the Director of Social Welfare, Rajasthan, Jaipur for consideration.

The assistance under this scheme shall be given only to a lawfully married cople whose marriage has been registered by a Registration Officer under the Hindu Marriage Registration Act or the Special Marriage Act.

The applicants should have lived as Husband and Wife for not less than six months.

Both the parties to the marriage should be bonafide residents of Rajasthan but where one of the parties is not a bonafide resident, the couple should have stayed in Rajasthan for at least one year after marriage.

8. The income of the recipients should be less than Rs. 750/– per month.

9. The incentive money shall be credited into a fixed deposit account in the joint names of both the parties. The fixed deposit account would be opened for a minimum period of two years in any nationalised

Bank. If the couple separates before the expiry of the fixed deposit period, the principal along with interest shall be recovered by the Government from the Bank and it shall not be paid to the couple.

10. The grant under this scheme will be sanctioned only once and second grant to either of the parties will not be sanctioned under any circumstances.

11. The assistance would be disbursed by the Director of Social Welfare, either directly or through the Collector concerned.

12. These rules would come into effect immediately and would apply to marriages performed after 1.1.1982.

13. This issues with the concurrence of Finance Department vide their I.D. No. 217 dated 25.1.1982.

By Order of the Governor,

Sd/–
(G. N. Haldea)
Deputy Secretary of Govt.,
Social Welfare Department,
Rajasthan, Jaipur.

314

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

SOCIAL WELFARE DEPARTMENT

No. F. 9 (4) (9) Sch./SWD/82-83/54425 Jaipur,

Dated 20.8.1983

NOTIFICATION

Subject :—Rules for the grant of Financial Assistance to the persons contracting Inter-Caste Marriage where either of parties belongs to a Scheduled Caste.

The Governor has been pleased to make the following amendments in Rules for grant of Financial Assistance to the persons contracting Inter-Caste Marriage where either of the parties belongs to a Scheduled Caste (Notification No. 11/R & P/Inter-Caste Marriage/SWD/61/81-82 dated 31.3.1982). They shall come into force with effect from 1.4.1983.

AMENDMENT

Rules No. 8.

The figures Rs. 1100/– be inserted in place of Rs. 750/- appearing in the second line of the rules.

Sd/—

(B. L. MEHARDA)

Dy. Secretary to the Govt.,

Social Welfare Department,

Rajasthan, Jaipur.

(315)

परिशिष्ट—17

अतारांकित प्रश्न संख्या 638 की सूची

राजस्थान रोजगार सेवा के अधिकारियों के

स्वीकृत पदों की सूची :—

1.	उप निदेशक	6
2.	सहायक निदेशक	22
3.	जिला रोजगार	39
4.	अवर नियोजन अधिकारी	31

316

RESERVATION FOR SC/ST

*(I) Reservation of vacancies for thc Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

(1) Reservation of vacancies for the Scheduled Castes and the Schedured Tribes shall be in accordance with orders of the Government for such reservation in force at the time of promotion.

(2) The vacancies so reserved shall be filled in by x ("merit alone").

(i) Substituted for Reservation of vacancies for Scheduled Castes and the Scheduled Tribes–(i) Reservation of vacancies for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be in accordance with the orders of the Government for such reservation in force at the time of recruitment.

(ii) In filling the vacancies so reserved, the candidates who are members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(iii) In the event of non-availability of a sufficient number of candidates amongst the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in a particular year, vacancies need not be kept reserved and shall be filled in accordance with the normal procedure.

NOTE—The reservation shall be calculated on the basis of total vacancies for the particular year. Promotion shall be made irrespective of consideration of caste or tribe. vide Notification No. F. 7 (4) D. O. P./(A-II)/73, dated 3-10-1973.

X Substituted for the words "Merit-cum-seniority" vide Notification No. F. 9 (19) Karmik/(A-V) 74, dated 31-10-1975.

(3) In filling the vacancies so reserved the eligible candidates who are members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list prepared for direct recruitment by the Commission, for posts falling in its purview, and by the Appointing Authority in other cases, and the Departmental Promotion Committee or the Appointing Authority, as the case may be, in the case of promotee, irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

*(4) Appointments shall be made strictly in accordance with the rosters prescribed separately for direct recruitment and promotion. In the event of non availability of the eligable and suitable candidates amongst Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as the case may be, in a particular year, the vacancies so reserved for them shall be filled in accordance with the normal procedure and an equivalent number of additional Vacancies shall be reserved in the subsequent year. Such of the vacancies which remain so unfilled shall be

carried forward to the subsequent three recuitment years in total and thereafter such reservation would lapse :

Provided that there shall be no carry forward of the vacancies in posts or class/category/group of posts in any cadre of service to which promotions are made on the basis of %(XXX) merit alone, under these Rules.

(2) Reservation of Vacancies for SC/ST

In supersession of the Department of Personnel(A-II) Order No. F. 7 (4) D.O.P.(A-II)/73 dated 3rd Oct., 1973, the Government of Rajasthan have been pleased to direct that :—

(i) The prescribed reservation for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, for appointment by promotion to each class/category/group of junior as well as senior posts under ths State/Subordinate/Ministerial and Class IV Services in the State shall be 16% and 12% respectively and shall hereinafter apply to such posts in the respective Cadre of Service in which the element of direct recruitment, if any, does not exceed 66.2/3% and which are filled up by promotion on the basis of :—

* Substituted for—(4) In the event of non-availability of a sufficient number of eligible and suitable candidates amongst the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in a particular year, vacancies shall not be carried forward and shall be filled in accordance with the normal procedure. Vide Notification No. F. 7 (4) D. O. P. (A-II)/73, dated 10-2-1975.

319

% Deleted—("both, merit and seniority cum-merit" and not by "seniority-cum") vide Notification No. F. 7 (6) D. O. P. (A-II) 75 III, dated 31-10-1975 Effective from the date of publication in the Rajasthan Gazette.

(i) Seniority-cum-merit,

(ii) Merit alone.

(2) The procedure for the application of such reservation shall be as under.

(i) The reservation in accordance with the prescribed percentage for the promotion of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates shall be calculated on the total vacancies determined each year by the concerned Appointing authority for such category of posts in the respective Service to which promotions are made on the basis mentioned in para I above. In case 40 vacancies are required to be filled in by promotion in any category of posts in Service or Department then out of the 40 posts only II posts (6 for SC and 5 for ST) Shall be required to be reserved for the promotion of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates. Accordingly a roster to determine the number of vacancies to be reserved for the promotion of Scheduled Castes and Scheduld Tribes candidates separately for each category of posts in Cadre or Sarvice shall be maintained by each Appointing Authority in which points 1,7,14,21,28 and 35 and points 4,12,22,30 and 39 should be reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively.

(ii) Wherever according to the points in the roster there are any vacancies reserved for Scheduled Castes and

Scheduled Tribes, separate lists shall be drawn up of the eligible Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates as the case may be falling within the zone of normal consideration for promotion and arranged in order of their inter-se seniority in the main list.

(iii) The Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates should be adjudged by the Depertmental Promotion Committee or by the Appointing Authority, where there exists no such committee, separately in regard to their promotion on the basis of merit alone.

(iv) When the lists of the selected persons in the general category and those belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been prepared by the Departmental Promotion Committee, these should be merged into a combined list in which the names of all the selected persons, general as well as those belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are arranged in the order of their inter se seniority in the orenged seniority list of the category or grade from which the promotion is being made. The combined list of selected persons should there after be followed for making promotions on vacancies as and when the yarise during the year in accordance with roster in sub-paragraph (i) above. The list of selected persons thus prepared would normally be operative for period of one year or till next meeting of Departmental Promotion Committee whichever is earlier.

(v) In respect of the posts or class/category of posts in any Service for which the procedure for promotion on

recommendations of a Depaitmental Promotion Committee has not been prescribed in the relevant Service Rules, the above procedure shall be observed by the concerned Appointing Authority.

(vi) If the number of eligible candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes found fit for promotion falls short of the number of vacancies reserved for them druing the year, the Appointing Authority may fill up such posts by another cndidate included in the combined list of selected persons. But this should be done only after obtaining the approval of the concerned Administrative Department for de-reservation of such vacancies in respect of the Various Services. But before agreeing to the proposals of de-reservation of vacancies in respect of the State Services, the concerned Administrative Department should also obtain the prior approval of the Minister in charge and State Minister (Personnel) through the Department of Personnel (A-II)

(vii) In the event of non-availability of cadidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes being found eligible or fit for promotion by the Departmental Promotion Committee, or the Appointing Authority as the case may be, the vacancies so reserved for them shall be filled in by appointing the next person in the combined list of selected persons and equivalent number of additional vacancies shall be reserved for them to be filled in the subsequent year. If a sufficient number of suitable candidates belonging to the Scheduled Castes

or Scheduled Tribes is also not available in the next year, then such of the vacancies which remain so unfilled shall be carried forward for the subsequent year but such carry forward should not exceed three years in total and thereafter such reservation would lapse :

Provided that there shall be no such carry forward of vacancies in posts or class/category/group of posts in any cadre or Service to which promotions are to be made also by selection strictly on the basis of merit under the relevant Service Rules.

(3) This reservation shall also apply to appointments made on ad-hoc or urgent temporary basis, pending the holding of Departmental Promotion Committee Meeting or Direct Recruitment but such promotions shall be treated as ad-hoc.

(4) The above instruction shall take effect form the date of issue of this order except where a select list, if any, for promotion has already been prepared by the Departmental Promotion Committee and approved by the appropriate Authority before the date of issue of this Order.

(Order No. F. 9 (19) Karmik/(A-V)/74 Dated the 10-2-1975.)

परिशिष्ट–18

अतारांकित प्रश्न संख्या 642 की सूची

बीकानेर जिले में वर्ष 1989–90 में कराये जाने वाले वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास के कार्यों का विवरण

क. सं.	नाम योजना	नाम कार्य	साइट्स का नाम मय स्थान	इकाई आर.के.एम.	क्षेत्रफल हैक्टेयर
1	2	3	4	5	6
1.	सी. ए. डी. स्टेज II	नहर किनारे वृक्षारोपण (प्लाटेन्शन)	1. बरसलपुर ब्रांच 88 से 98 आर. डी. (एल. एस.)	आर. के. एम.	100
			2. ———,,——— 142 से 149 ———,,———	,,	100
			3. मानकासर डिस्ट्रीबूट्री 15 से 30 आर. डी.	,,	80
			4- दातौंर डिस्ट्री. 22 से 25 आर. डी. (एल. एस.)	,,	50
			5. ,, ,, 25 से 20 ,,	,,	75
			6. ,, ,, 32 से 42 ,, (बोथसाइट)	,,	95
			7. आर. एम. सी. 710 से 730 आर. डी.	,,	50
			8. मुगरोवाला मा. 0 से 10 आर. डी.	,,	30

(323)

324

1	2	3	4	5	6
			9. भटावाला डिस्ट्रीब्यूट्री 14 से 15 आर. डी. 16 से 17, 19.5 से 22-23, 26-27 आर. डी.	आर. के. एम.	30
			10. आर. एम. सी. 805 से 807 आर. डी.	,,	30
			11. चारणवाली शाखा 80 से 100 आर. डी.	,,	158
					798 आर.के.एम.
2.		नहर किनारे वृक्षारोपण (अग्रिम कार्य वृक्षा.)	1. छीपावाला डिस्ट्री.	,,	80
			2. हाइलेवल मा.	,,	60
			3. अडूरी डिस्ट्री. 15-25 आर. डी. (बी. एस)	,,	75
			4. अडूरी डिस्ट्री. 25-32 आर. डी. ,, ,,	,,	35
			5. मिठड़िया मा.	,,	10
			6. मोडायत मा.	,,	60
			7. मुख्य नहर 900-905 आर. डी. (एल. एस.)	,,	50
			8. ,, 905-910 ,,	,,	40

1	2	3	4	5	6
			9. ,, 1020-1040 ,, (आर. एस.)	आर.के. एम.	20
			10. ,, 1040-48 ,,	,,	50
			11. ,, 1048-56 ,,	,,	25
			12. ,, 1056-60 ,, (एल. एस.)	,,	20
			13. 0-6 आर. डी. बी. के. एम.	,,	25
			14. 6 आर. डी. से बी. के. एम.	,,	50
					600 आर.के.एम.
		ब्लॉक प्लाटे.	1. 734 आर. डी.	हैक्टेयर	50
			2. बरसलपुर डिस्ट्री.	,,	50
			3. 22-30 आर. डी.	,,	5
			4. 895 आर. डी. (आर. एस.)	,,	5
			5. 910-930 आर. डी. ,,	,,	30
			6. 860 आर. डी. (आर. एस.)	,,	20

1	2	3	4	5	6
			7. 889-890 आर. डी. (आर. एस.)	हैक्टेयर	27
			8. 1007 आर. डी. (आर. एस.)	,,	4
			9. 1010 ,,	,,	12
			10. 1016 ,, (आर. एस.)	,,	11
			11. 1024-1027 आर. डी. (एल. एस.)	,,	6
			12. 1025-1030 ,, (आर. एस.)	,,	4
			13. 1035-1038 ,, (एल. एस.)	,,	11
			14. 1035-1038 ,, (आर. एस.)	,,	15
					250
2.	विश्व खाद्य कार्यक्रम	नहर किनारे वृक्षारोपण (अग्रिम कार्य) वृक्षा.	1. हाइलेवल मा.	आर.के.एम.	100
			2. बज्जू मा.	,,	40
			3. आर. एम. सी. 865-872 आर. डी. (एल. एस.)	,,	60
			4. फुलासर वि. आर. डी. 16 से आगे	,,	40

1	2	3	4	5	6
			5. नारायणसर मा.	आर. के. एम.	30
			6. गोड़ू मा.	,,	10
			7. खारा वि. 20 आर. डी. से आगे	,,	80
			8. 25-30 आर. डी. चारणवाला ब्रांच	,,	20
			9. 70-80 चारणवाला शाखा	,,	20
					400 आर.के.एम.
		ब्लॉक प्लाटे.	1. सी. डब्ल्यू. बी. 12 आर. डी.	हैक्टेयर	10.5
			2. ,, 19 ,,	,,	6.5
			3. ,, 21 ,,	,,	6.5
			4. ,, 34 ,,	,,	6.5
					30

1	2	3	4	5	6
3.	डी. डी. पी.	ब्लॉक प्लाटे.	1. 750 ग्रार. डी.	हैक्टेयर	80
			2. 755 ग्रार. डी.	,,	100
			3. 764 ग्रार. डी.	,,	80
			4. 773 ग्रार. डी.	,,	30
			5. 784 ग्रार. डी.	,,	80
			6. 782-784 ग्रार. डी.	,,	30
			7. 801 ग्रार. डी.	,,	50
			8. 805 ग्रार. डी.	,,	100
			9. 807 ग्रार. डी.	,,	50
					600

परिशिष्ट–19

अतारांकित प्रश्न संख्या 644 की सूची

अलवर जिले के बानसूर विधान सभा क्षेत्र में संचालित आयुर्वेद/होम्योपैथी औषधालयों में पदस्थापित एव रिक्त पद का विवरण

क्र. सं.	नाम औषधालय	चिकित्सक	नर्स/कम्पाउण्डर	परिचारक
1	2	3	4	5
1.	आयुर्वेद औषधालय, महनपुर	पदस्थापित	पद सृजित नहीं	पदस्थापित
2.	,, ,, कोठिया	,,	,,	,,
3.	,, ,, बडगांव	रिक्त	,,	,,
4.	,, ,, बूडवाल	पदस्थापित	,,	,,
5.	,, ,, पहाडी	,,	,,	,,
6.	,, ,, छीड़ जयसिंहपुरा	,,	पद रिक्त	पद रिक्त
7.	,, ,, रिवाली	,,	,,	पदस्थापित
8.	,, ,, बाबरिया	,,	पदस्थापित	पद रिक्त
9.	,, ,, खेड़ा श्यामपुर	,,	,,	पदस्थापित
10.	,, ,, चतरपुरा	,,	,,	,,
11.	,, ,, गूंता	,,	,,	,,

329

1	2	3	4	5
12.	आयुर्वेद औषधालय, हमीरपुर	पदस्थापित	पदस्थापित	पदस्थापित
13.	,, ,, खोहरी	,,	,,	,,
14.	,, ,, रतनपुर उर्फ बराणा	,,	,,	,,
15.	,, ,, हरसोरा	,,	,,	,,
16.	,, ,, होलावास	,,	,,	,,
17.	,, ,, बबेड़ी	,,	,,	,,
18.	,, ,, भूपसेडा	,,	,,	,,
19.	,, ,, हाजीपुर	,,	,,	,,
20.	,, ,, जागूवास	,,	,,	,,
21.	,, ,, गूंती	,,	,,	,,
22.	होम्योपैथी औषधालय, रसनाली	पद रिक्त	,,	,,

(331)

परिशिष्ट–20

अतारांकित प्रश्न संख्या 645 की सूची

राजकीय चिकित्सालय, लाडनूं जिला नागौर

क्र. सं.	नाम पद	स्वीकृत पद संख्या	रिक्त पदों की संख्या	अवधि
1	2	3	4	5
1.	कनिष्ठ विशेषज्ञ	तीन	2	10-8-88 व 12-8-88
2.	दन्त चिकित्सक	एक	—	—
3.	वरिष्ठ लिपिक	एक	—	—
4.	कनिष्ठ लिपिक	एक	—	—
5.	मेल नर्स श्रेणी-II	आठ	1	15-10-88
6.	स्टाफ नर्स	दो	—	—
7.	प्रसाविका	एक	—	—
8.	प्रयोगशाला टैक्नीशियन	एक	—	—
9.	एक्सरे टैक्नीशियन	एक	—	—
10.	वार्ड ब्वाय	नौ	—	—
11.	स्वीपर	चार	—	—

राज. नेत्र चिकित्सालय, लाडनूं (नागौर)

1.	कनिष्ठ विशेषज्ञ	एक	—	—
2.	मेल नर्स श्रेणी II	दो	1	4/88 से
3.	वार्ड ब्वाय	तीन	—	—
4.	स्वीपर	एक	—	—

पोस्ट पार्टम प्रोग्राम लाड्नूं (नागौर)

1.	कनिष्ठ विशेषज्ञ	दो	—	—
2.	एल. एच. बी.	एक	—	—

332

1	2	3	4	5
3.	ए. एन. एम.	दो	—	—
4.	लेब. टैक्नीशियन	एक	—	—
5.	वरिष्ठ लिपिक	एक	—	—
6.	वाहन चालक	एक	—	—
7.	वार्ड ब्याय	एक	—	—
8.	प. क. कार्यकर्ता	एक	—	—
	मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, लाडनू (नागौर)			
1.	वरिष्ठ चिकित्साधिकारी	एक	1	1-6-89 से
2.	स्टाफ नर्स	एक	1	10-1-89 से
3.	वार्ड ब्याय	एक	1	1-4-87

शुद्धि पत्र

क्र. सं.	पंक्ति सं.	स्कम्भ सं.	अशुद्ध	शुद्ध
1.	13	1	गिरघारी	गिरधारी
2.	फुटनोट	21	×××	+++
3.	9	44	(श्री मैंरुलाल भारद्वाज)	(श्री भैंरूलाल भारद्वाज)
4.	1	45	(पंचायत मंत्री)	(श्री भैंरूलाल भारद्वाज)
5.	11	122	चन्नीलाल	चुन्नीलाल
6.	25	254	व्यक्तिग	व्यक्तिगत
7.	16	272	अभिवृति	अभिधृति
8.	2	480	469	409
9.	2	523	508	588